भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

प्रतिवेदन

31 मार्च 1999 को समाप्त वर्ष के लिए

संख्या 1

(वाणिज्यिक)

राजस्थान सरकार

विषय-सूची

	संदर्भ अनुच्छेद	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना		**(v)**
विहंगावलोकन		**(vii) से (xiv)**
अध्याय-I		
सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का सामान्य अवलोकन		
प्रस्तावना	1.1	5
सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) में निवेश	1.2	5
बजट से जावक, अनुदान, गारण्टी तथा देयताओं का अधित्याग	1.3	8
सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा लेखों को अंतिम रूप देना	1.4	11
सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यचालन परिणाम	1.5	13
नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	1.6	15
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के परिणाम	1.7	15
राजकीय उपक्रम समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)के परीक्षण की स्थिति	1.8	19
619-बी कम्पनियाँ	1.9	19
सी.ए.जी. द्वारा लेखापरीक्षा न की जाने वाली कम्पनियाँ	1.10	19
सार्वजनिक उपक्रमों की 'वाई-2के' समस्या का सामना करने की तत्परता	1.11	20
अध्याय-II		
सरकारी कम्पनियों की समीक्षा	2	21
राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड (आरएसएससीलि)	2	21
अध्याय-III		
सांविधिक निगमों से सम्बन्धित समीक्षाऐं	3	
राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (रा.रा.वि.म.)		
-सातवीं पंचवर्षीय योजना में विद्युत क्षेत्र का भौतिक एवं वित्तीय कार्य-निष्पादन	3अ	47
-प्रेषण एवं वितरण प्रणाली	3ब	67
राजस्थान वित्त निगम		
-वसूली निष्पादन	3स	85
अध्याय-IV		
सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों से सम्बन्धित विविध रूचिकर प्रकरण	4	109
सरकारी कम्पनियाँ	4अ	111
सांविधिक निगम	4ब	124

विषय सूची		पृष्ठ संख्या

अनुबन्ध

1	ऐसी कम्पनियों का विवरण-पत्र जिनमें राज्य सरकार ने ऐसी प्रत्येक कम्पनियों की अंशपूँजी में 10 लाख रुपये से अधिक का निवेश किया था परन्तु जिनकी लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अधीन नहीं है।	141
2	31 मार्च 1999 को सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों की पूँजी, बजट से प्राप्त ऋण/इक्विटी, अन्य ऋणों तथा बकाया ऋणों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण पत्र।	142
3	सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों के उस नवीनतम वर्ष के संक्षेपित वित्तीय परिणाम जिसके लेखों को अन्तिम रूप दिया जा चुका था।	145
4	वर्ष के दौरान प्राप्त अर्थ-साहाय्य, प्राप्त गारण्टी, देयताओं का अधित्याग, ऋण वसूली के स्थगन की अनुमति इक्विटी में परिवर्तित ऋणों तथा मार्च 1999 के अंत में प्राप्य अर्थ-साहाय्य तथा बकाया गारण्टियों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र।	149
5	सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाला विवरण-पत्र।	151
6	सांविधिक निगमों के कार्यचालन परिणामों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र।	155
7	सांविधिक निगमों के परिचालन निष्पादन को दर्शाने वाला विवरण-पत्र।	159
8	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड की वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणामों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र।	165
9	प्रजनक बीज की उपलब्धता/बिक्री तथा आधार बीज की अपेक्षित उपज/वास्तविक प्राप्ति को दर्शाने वाला विवरण-पत्र।	167
9अ	आधार बीजों की उपलब्धता, वितरण, अनुमानित उत्पादन एवं वास्तविक उत्पादन को दर्शाने वाला विवरण-पत्र।	168
10	प्रमाणित बीज के वितरण, उत्पादन के लक्ष्यों तथा वास्तविक वितरण को दर्शाने वाला विवरण-पत्र।	169
11	उत्पादित ऊर्जा एवं इसके उपयोग को दर्शाने वाला विवरण-पत्र।	170
12	संस्थापित क्षमता की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण-पत्र।	171
13	उत्पादन परियोजना की स्थिति, लिया गया समय तथा वहन की गई लागत को दर्शाने वाला विवरण-पत्र।	172
14	सातवीं योजना में शामिल 220 के.वी. तथा 132 के.वी. लाईनों में समय अतिवृद्धि एवं लागत अतिवृद्धि के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण-पत्र।	174

	विषय सूची	पृष्ठ संख्या
15	सातवी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रति इकाई लागत, प्रति इकाई राजस्व, प्रति इकाई हानि तथा प्रतिफल की दर के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण-पत्र।	176
16	ऊर्जा उत्पादन, क्रय, उपभोग तथा प्रेषण एवं वितरण की हानियों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-पत्र।	177
17	राजस्थान में ऊर्जा क्षेत्र में उत्पादन, प्रेषण, अंत:प्रेषण तथा वितरण एवं ग्रामीण विद्युतिकरण में निवेश-ढांचे को दर्शाने वाला विवरण-पत्र।	178
18	कार्य पूर्ण होने में हुए विलम्ब तथा प्रेषण एवं वितरण के रूप में हुई हानियों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-पत्र।	181
19	1998-99 तक के गत पाँच वर्षो में राजस्थान वित्त निगम के सम्बन्ध में संसाधनों तथा कोषों के उपयोग को दर्शाने वाला विवरण-पत्र।	182
20	1998-99 तक के गत पाँच वर्षो में प्राप्त आवेदन-पत्रों, स्वीकृतियों तथा वितरणों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-पत्र।	183
21	विदेश यात्रा पर गये सरकारी अधिकारियों को किये गए दैनिक भत्ते के अधिक भुगतान को दर्शाने वाला विवरण-पत्र।	184
22	विदेश यात्रा पर गये सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों को किये गए दैनिक भत्ते के अधिक/अनियमित भुगतान को दर्शाने वाला विवरण-पत्र।	185

प्रस्तावना

राजकीय वाणिज्यिक उपक्रम जिनके लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अधीन है, निम्नांकित श्रेणियों में आते है :

(i) सरकारी कम्पनियाँ,

(ii) सांविधिक निगम तथा

(iii) विभागीय प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रम।

2. इस प्रतिवेदन में सरकारी कम्पनियों तथा राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (मण्डल)सहित सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा के परिणामों का उल्लेख किया गया है तथा इसे समय समय पर यथा-संशोधित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा-शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 अ के अन्तर्गत राजस्थान सरकार को प्रस्तुत करने के लिये तैयार किया गया है। विभागीय प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रमों से सम्बन्धित लेखापरीक्षा परिणाम भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) राजस्थान सरकार में शामिल किये जाते है।

3. सरकारी कम्पनियों के लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अन्तर्गत की जाती है। तथापि, ऐसी कई कम्पनियाँ भी है जिनमें सरकार का निवेश होने के बावजूद भी उनकी लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षा के अधीन नहीं है क्योंकि इनमें सरकार का निवेश उनकी अंश-पूँजी के 51 प्रतिशत से कम है। ऐसी कम्पनियों की एक सूची जिनमें 31 मार्च 1999 को सरकार का अंश-पूँजी के रूप में निवेश 10 लाख रुपये से अधिक का था, अनुबन्ध-1 में दी गई है।

4. राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम तथा राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, जो सांविधिक निगम है, के लिये भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एकमात्र लेखापरीक्षक हैं। राजस्थान वित्त निगम तथा राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम के सम्बन्ध में उन्हें सम्बन्धित अधिनियमों के अन्तर्गत सी.ए.जी. के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकारों द्वारा की गई लेखापरीक्षा के अतिरिक्त, स्वतंत्र लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। इन समस्त निगमों के लेखों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अलग से राज्य सरकार को अग्रेषित किये जाते हैं।

5. इस प्रतिवेदन में उन मामलों को समाविष्ट किया गया है जो वर्ष 1998-99 में हुई लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये और वे भी है जो पिछले वर्षो में ध्यान में तो आ गये थे परन्तु उनका उल्लेख पिछले प्रतिवेदनों में नहीं किया गया था। 31 मार्च 1999 के बाद की अवधि से सम्बन्धित मामलों को भी, जहाँ जरूरी था, सम्मिलित किया गया है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

1. सामान्य

– 31 मार्च 1999 को राजस्थान राज्य में 20 सरकारी कम्पनियाँ (तीन सहायक कम्पनियों सहित) तथा चार सांविधिक निगम थे। इन सार्वजनिक उपक्रमों का सकल निवेश 9567.26 करोड़ रुपये (अंश पूँजी: 2255.60 करोड़ रुपये तथा ऋण: 7311.66 करोड़ रुपये) था। वर्ष 1998-99 के दौरान राज्य सरकार ने चार सरकारी कम्पनियों से 4.33 करोड़ रूपये का लाभांश प्राप्त किया जो इसकी कुल इक्विटी पर 1.49 प्रतिशत प्रतिफल का द्योतक है जबकि यह गत वर्ष में 2.24 प्रतिशत था।

(अनुच्छेद 1.2, 1.5.1.1 तथा अनुबन्ध-2)

– 1998-99 के दौरान राज्य सरकार का इक्विटी, ऋण तथा अर्थ-साहाय्य के रूप में अंशदान 47.80 करोड़ रुपये तथा 551.13 करोड़ रुपये तक क्रमशः सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों में था। 1998-99 के दौरान सरकार ने 1658.63 करोड़ रुपये के ऋण, एक कम्पनी द्वारा प्राप्त (113.28 करोड़ रुपये) तथा दो निगमों द्वारा प्राप्त (1545.35 करोड़ रुपये), की गारण्टी दी थी। 31 मार्च 1999 को ऐसी गारण्टी के 4648.12 करोड़ रुपये बकाया थे (कम्पनियाँ: 845.80 करोड़ रुपये तथा निगम: 3802.32 करोड़ रुपये)।

(अनुच्छेद 1.3 तथा अनुबन्ध-2 व 4)

– 20 सरकारी कम्पनियों तथा 4 सांविधिक निगमों में से 11 कम्पनियों तथा एक निगम ने अपने वर्ष 1998-99 के लेखों को अंतिम रूप दिया था (सितम्बर 1999)। सात कम्पनियों ने 49.82 की करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया, जबकि चार अन्य में 0.18 करोड़ रुपये की हानि थी। शेष नौ कम्पनियों के लेखे एक वर्ष से तीन वर्षों तक की अवधि के बकाया पड़े हुए थे। नवीनतम उपलब्ध लेखों के आधार पर छः सरकारी कम्पनियों की संचित हानियाँ (39.68 करोड़ रुपये) उनकी प्रदत्त-पूँजी (14.06 करोड़ रुपये) से अधिक हो चुकी थी।

(अनुच्छेद 1.4.1.1, 1.5.1.1, 1.5.1.2 तथा अनुबन्ध-3)

– राज्य के चार निगमों में से राजस्थान वित्त निगम ने अपने वर्ष 1998-99 के लेखों को अंतिम रूप दिया तथा 5.43 करोड़ रुपये की हानि उठाई। निगम की

संचित हानि 80.33 करोड़ रुपये थी जो कि उसकी प्रदत-पूँजी 67.53 करोड़ रुपये के क्षरण की पराकाष्ठा थी। जबकि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (आरएसईबी), राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (आरएसआरटीसी) तथा राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम (आरएसडब्ल्यूसी) ने अपने वर्ष 1997-98 के लेखों को अंतिम रूप दिया था। आरएसईबी तथा आरएसडब्ल्यूसी ने 1997-98 के दौरान क्रमशः 65.35 करोड़ रुपये तथा 1.83 करोड़ रुपये का राजस्व अधिशेष/लाभ अर्जित किया था जबकि आरएसआरटीसी को 23.99 करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ी।

(अनुबन्ध-3)

2. राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड के कार्य संचालन की समीक्षा

- राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड (आरएसएससीएल) का निगमन मार्च 1978 में प्रमाणित बीजों के उत्पादन तथा इन बीजों के उचित मूल्य पर कृषकों को विपणन के उद्देश्य से किया गया था। आरएसएससीएल का परिचालन लाभ 249.37 लाख रुपये (1995-96) से असाधारण रूप से घटकर 44.41 लाख रुपये (1998-99) हो गया था।

(अनुच्छेद 2.1, 2.3 तथा 2.6)

- वास्तविक उपरिव्ययों को दृष्टिगत रखते हुए विक्रय-मूल्य निर्धारण की अपनी ही नीति से विचलित होकर, उपरिव्ययों में कमी होने पर भी बीजों का मूल्य घटाया नहीं गया था। इसके अतिरिक्त, बीजों का विक्रय-मूल्य निर्धारित करते समय 397.69 लाख रुपये के अर्थ-साहाय्य का लाभ कृषकों को नहीं पहुँचाया गया जिसके फलस्वरूप विक्रय मूल्य उच्च दरों पर निर्धारित किये गये।

(अनुच्छेद 2.8.3 तथा 2.8.3.1)

- बीजों की उच्च दरों व विपणन कौशल के अभाव में आरएसएससीएल का राज्य में प्रमाणित बीज वितरण में योगदान 1995-96 के 49.60 प्रतिशत से घटकर 1998-99 में 44.92 प्रतिशत ही रह गया था।

(अनुच्छेद 2.9)

- 1994-95 से 1998-99 के दौरान सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिये बीज उत्पादन, उत्पादकों के कृषि क्षेत्र पर आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवाने तथा बीजों की

गुणवत्ता व विपणन क्षमता में सुधार हेतु 1055.30 लाख रुपये का अर्थ-साहाय्य/अनुदान प्राप्त किया गया था। इस राशि में से 346.22 लाख रुपये स्थायी जमा में रख लिये गये, 95.86 लाख रुपये स्वयं के उपयोग में ले लिये गये तथा 95 लाख रुपये सरकारी ऋणों का ब्याज चुकाने के काम में लिये गये। इस प्रकार अर्थ-साहाय्य/अनुदान प्राप्त करने का यथार्थ उद्देश्य ही विफल हो गया।

(अनुच्छेद 2.10)

3. दो सांविधिक निगमों के कार्य-कलापों की समीक्षा से निम्नांकित बातें ज्ञात हुई

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (आरएसईबी)

3अ. सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) में विद्युत क्षेत्र का भौतिक एवं वित्तीय कार्य-निष्पादन

- सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए ऊर्जा क्षेत्र का कुल (संशोधित) प्रारूप 916.19 करोड़ रुपये का था जिसके विरूद्ध मण्डल* ने 992.06 करोड़ रुपये के कोष आवंटित कर दिये जबकि वास्तविक व्यय 970.13 करोड़ रुपये का हुआ।

(अनुच्छेद 3अ.3)

- मण्डल ने विद्युत उत्पादन के लक्ष्य अर्जित कर लिये थे। तथापि, निवेश में 611.70 करोड़ रुपये की कमी के कारण प्रेषण लाईनों के निर्माण की उपलब्धि लक्ष्यों से पिछड़ गई थी।

(अनुच्छेद 3अ.4 तथा 3अ.5.4.2)

- 11 परियोजनाओं को उनकी निर्धारित चालू करने की तिथियों के 22 से 96 माह के पश्चात 499.22 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत लगाकर पूरा किया गया था।

(अनुच्छेद 3अ.5.2.1)

* राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल

- लागत से कम में ऊर्जा विक्रय के कारण योजना अवधि में मण्डल की परिचालन हानि 1985-86 के 45.57 करोड़ रुपये से बढ़कर 1998-99 में 151.38 करोड़ रुपये हो गई थी।

(अनुच्छेद 3अ.6)

3ब. प्रेषण एवं वितरण प्रणाली

- प्रेषण एवं वितरण की हानियों के 15.5 प्रतिशत के स्वीकार्य मानक के विरूद्ध 1994-95 से 1997-98 की अवधि में 1409.92 करोड़ रुपये मूल्य की प्रेषण एवं वितरण की हानियाँ 24.93 तथा 28.31 प्रतिशत के बीच विचरित रही।

{अनुच्छेद 3ब.4 (अ) व (ब)}

- प्रेषण एवं वितरण प्रणाली की प्रगति, विक्रय के लिए उपलब्ध ऊर्जा में हुई वृद्धि के अनुरूप नहीं रह सकी। ट्राँसफार्मरों की क्षमता, प्रति मिलियन विद्युत इकाईयों में, 1994-95 के 1.266 से बढ़कर 1996-97 में 1.349 हो गई तथा प्रेषण लाइनें, प्रति मिलियन विद्युत इकाईयों पर, 1994-95 के 0.803 से घटकर 1997-98 में 0.753 हो गई।

{अनुच्छेद 3ब.5(ब)(ii)}

- विभिन्न प्रेषण लाईनों को पूरा करने, शहरी प्रणाली में सुधार तथा ग्रामीण विद्युतिकरण योजना में विलम्ब होने से मण्डल, 48.18 करोड़ रुपये मूल्य की 245.879 मिलियन विद्युत इकाईयों की प्रत्याशित बचत के लाभ से वंचित रहा।

{अनुच्छेद 3ब.6, 3ब.7 (अ) तथा (ब)}

राजस्थान वित्त निगम

3स. वसूली निष्पादन

राजस्थान वित्त निगम (आरएफसी) की स्थापना 17 जनवरी 1955 को वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य में लघु एवं मध्यम क्षेत्र के उद्योगों का विकास करने के मुख्य उद्देश्य से की गई थी।

(अनुच्छेद 3स.1)

– वर्ष 1998-99 के अन्त में आरएफसी की संचित हानि 80.33 करोड़ रुपये थी जिसके कारण इसकी 67.53 करोड़ रुपये की समग्र प्रदत्त पूंजी का क्षय हो चुका था। हानियों के मुख्य कारण थे-: अनुपयुक्त ऋण वितरण के कारण अपर्याप्त वसूली होना, निगरानी/निरीक्षण का अभाव, ऋण वसूली में अकर्मण्यता तथा आरएफसी के वित्तीय हितों के विरूद्ध मामलों का निपटारा करना।

(अनुच्छेद 3स.4)

– 1998-99 के अन्त में 20653 इकाइयों में बकाया 991.16 करोड़ रुपये के विरूद्ध 13345 इकाइयों पर 230.13 करोड़ रुपये अतिदेय थे। 1998-99 तक के अन्तिम पांच वर्षो के दौरान वसूली की शुद्ध प्राप्य राशि से प्रतिशतता 47.25 तथा 49.97 के बीच विचरित थी।

(अनुच्छेद 3स.6)

– प्रवर्तकों की सम्पत्तियों के ब्यौरे के अभाव में अदालत द्वारा 1.39 करोड़ रुपये की (66 मामले) जारी डिक्रियों का निष्पादन नहीं करवाया जा सका तथा देयताओं की वसूली की कार्यवाही भू-राजस्व की बकाया की तरह नहीं की जा सकी।

(अनुच्छेद 3स.6.4 तथा 3स.12)

4. विविध रूचिकर प्रकरण

– सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों को सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों व दिशा-निर्देशों से अधिक दरों पर दैनिक भत्ते एव अन्य व्ययों का भुगतान कर देने के फलस्वरूप 78559 अमरीकी डॉलर (28.68 लाख रुपये) का अधिक/अनियमित भुगतान हो गया था।

(अनुच्छेद 4अ.1.1)

– राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको) द्वारा ईपीआईपी को कार्यान्वित करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप 1155.40 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत पड़ गई। उच्च दरों पर प्लाटों के आवन्टन से उद्यमियों को उचित दरों पर प्लॉट उपलब्ध करवाने का प्रमुख उद्देश्य ही विफल हो गया था।

(अनुच्छेद 4अ.5)

- एक अधिकारी की सेवा-कार्य निष्पादित करने से संबंधित अभिलेख न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं करने के फलस्वरूप राजस्थान वित्त निगम को 11.47 लाख रुपये का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

(अनुच्छेद 4ब.1.2)

- विद्युत चोरी के 9210 मामलों में कार्यवाही नहीं करने से मण्डल को न केवल 92.10 लाख रुपये के राजस्व से वंचित रहना पड़ा बल्कि ऐसे मामलों के निस्तारण हेतु एक योजना प्रवर्तित करने का प्रमुख उद्देश्य ही विफल हो गया था।

(अनुच्छेद 4ब.2.2)

अध्याय-I

सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का सामान्य अवलोकन

अध्याय–I

सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का सामान्य अवलोकन

अनुच्छेद संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	**सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का सामान्य अवलोकन**	5
1.1	**प्रस्तावना**	5
1.2	**सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश**	5
1.2.1	सरकारी कम्पनियाँ	6
1.2.2	सांविधिक निगम	7
1.3	**बजट से जावक, अनुदान, गारण्टी तथा देयताओं का अधित्याग**	8
1.4	**सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा लेखों को अन्तिम रूप देना**	11
1.4.1	सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा लेखों को अन्तिम रूप देना	11
1.4.2	सांविधिक निगमों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के विधायिका में प्रस्तुतिकरण की स्थिति	12
1.5	**सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यचालन परिणाम**	13
1.5.1	सरकारी कम्पनियाँ	13
1.5.1.1	लाभ अर्जित करने वाली कम्पनियाँ तथा लाभांश	13
1.5.1.2	हानि उठा रही कम्पनियाँ	14
1.5.2	सांविधिक निगम	14
1.5.2.1	लाभ अर्जित करने वाले सांविधिक निगम तथा लाभांश	14
1.5.2.2	हानि उठा रहे सांविधिक निगम	14
1.5.2.3	सांविधिक निगमों का परिचालन निष्पादन	14
1.6	**नियोजित पूँजी पर प्रतिफल**	15
1.7	**भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा के परिणाम**	15
1.8	**राजकीय उपक्रम समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) के परीक्षण की स्थिति**	19
1.9	**619–बी कम्पनियाँ**	19
1.10	**सी.ए.जी. द्वारा लेखापरीक्षा न की जाने वाली कम्पनियाँ**	19
1.11	**सार्वजनिक उपक्रमों की 'वाई–2के' समस्या का सामना करने हेतु तत्परता**	20

अध्याय-1

सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का सामान्य अवलोकन

1.1 प्रस्तावना

1 मार्च 1999 ो राज्य सरकार े नियन्त्रण में 0 सरकारी म्पनियाँ तथा ार सांविधिक गम थे।

31 मार्च 1999 को राज्य सरकार के नियन्त्रण में 20 सरकारी कम्पनियाँ (तीन सहायक कम्पनियों सहित) तथा चार सांविधिक निगम थे जबकि 31 मार्च 1998 को 19 सरकारी कम्पनियाँ (तीन सहायक कम्पनियों सहित) तथा चार सांविधिक निगम थे। सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथा परिभाषित, कम्पनी अधिनियम की धारा 619(2) के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) के परामर्श पर भारत सरकार द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के द्वारा की जाती है। इन लेखों की पूरक लेखापरीक्षा भी कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानानुसार सी.ए.जी. द्वारा की जाती है। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके सम्बन्धित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार की जाती है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:

निगम का नाम	सी.ए.जी. द्वारा लेखापरीक्षा हेतु प्राधिकार	लेखापरीक्षा व्यवस्था
राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (आर.एस.ई.बी.)	विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 69(2)	सी.ए.जी. द्वारा ही एकमात्र लेखापरीक्षा
राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (आर.एस.आर.टी.सी.)	सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33(2)	सी.ए.जी.द्वारा ही एकमात्र लेखापरीक्षा
राजस्थान वित्त निगम (आर.एफ.सी.)	राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37(6)	सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा तथा सी.ए.जी. द्वारा पूरक लेखापरीक्षा
राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम (आर.एस.डब्ल्यू.सी.)	राज्य भण्डार व्यवस्था निगम, 1962 की धारा 31 (8)	सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा तथा सी.ए.जी. द्वारा पूरक लेखापरीक्षा

1.2 सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयूज)में निवेश

31 मार्च 1999 को 24 सार्वजनिक उपक्रमों (20 सरकारी कम्पनियाँ, तीन सहायक कम्पनियों सहित, तथा चार सांविधिक निगम) में कुल निवेश 9567.26 करोड़ रुपये

24 सार्वजनिक उपक्रमों में कुल निवेश 9567.26 करोड़ रुपये था।

(इक्विटी: 2251.06 करोड़ रुपये; दीर्घावधि ऋण*: 7311.66 रुपये तथा अंश आवेदन राशि: 4.54 करोड़ रुपये) का था जबकि 31 मार्च 1998 को 23 उपक्रमों (19 सरकारी कम्पनियाँ, तीन सहायक कम्पनियों सहित, चार सांविधिक निगम) में कुल निवेश 8504.49 करोड़ रुपये (इक्विटी: 2246.85 करोड़ रुपये; दीर्घावधि ऋण: 6253.45 करोड़ रुपये तथा अंश आवेदन राशि: 4.19 करोड़ रुपये) था। सार्वजनिक उपक्रमों में किये गए निवेश का विश्लेषण निम्नांकित अनुच्छेदों में दिया गया हैं।

1.2.1 सरकारी कम्पनियाँ

20 सरकारी कम्पनियों में कुल निवेश 1450.32 करोड़ रुपये था।

31 मार्च 1999 को 20 सरकारी कम्पनियों (तीन सहायक कम्पनियों सहित) में कुल निवेश 1450.32 करोड़ रुपये (इक्विटी: 293.49 करोड़ रुपये; दीर्घावधि ऋण:1152.29 करोड़ रुपये तथा अंश आवेदन राशि: 4.54 करोड़ रुपये) था जबकि 31 मार्च 1998 को 19 सरकारी कम्पनियों (तीन सहायक कम्पनियों सहित) में कुल निवेश 1351.58 करोड़ रुपये (इक्विटी: 289.53 करोड़ रुपये, दीर्घावधि ऋण: 1057.86 करोड़ रुपये तथा अंश आवेदन राशि: 4.19 करोड़ रुपये) था।

सरकारी कम्पनियों का वर्गीकरण निम्नानुसार था:

कम्पनी की स्थिति	कम्पनियों की संख्या	निवेश (रुपये करोड़ों में)	
		प्रदत्त पूंजी@	दीर्घावधि ऋण
(अ) कार्यरत कम्पनियाँ	13# (13)	287.05 (282.74)	1149.55 (1055.12)
(ब) अकार्यरत कम्पनियाँ:			
(i) परिसमापनाधीन	1[अ] (-)	0.19 (-)	0.21 (-)
(ii) बन्द होने के अन्तर्गत	-	-	-
(iii) विलय के अंतर्गत	-	-	-
(iv) अन्य	6[ब] (6)	10.79 (10.98)	2.53 (2.74)
योग	20 (19)	298.03 (293.72)	1152.29 (1057.86)

(कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े गत वर्ष के हैं)

* अनुच्छेद 1.2 में वर्णित दीर्घावधि ऋणों में, ऐसे ऋणों पर उपार्जित एवं देय ब्याज सम्मिलित नहीं है।

@ प्रदत्त पूंजी में अंश आवेदन राशि भी सम्मिलित है।

\# अनुबन्ध-2 की क्रम संख्या 1(iii), 1(iv), 2(i) तथा (ii), 5,7(i) तथा (ii), 8, 9, 10(i) तथा (ii) तथा 11(i) और (ii) (क्रम संख्या 11(i) तथा (ii) की कम्पनियाँ निमार्णाधीन/नई बनी हैं)।

अ अनुबन्ध-2 की क्रम संख्या 7(iii)।

ब अनुबन्ध-2 की क्रम संख्या 1(i) तथा (ii), 3, 4, 6, 7(iv) की कम्पनियाँ अप्रचलित हैं।

सात अकार्यरत/परिसमापनाधीन कम्पनियों में सरकार का 13.72 करोड़ रुपये का निवेश सम्मिलित था।

चूंकि सात कम्पनियाँ, जिनमें 13.72 करोड़ रुपये का भारी निवेश किया हुआ था और जो 2 से 8 वर्ष से अकार्यरत थी या फिर परिसमापन प्रक्रियाधीन/कम्पनी अधिनियम की धारा 560 के अन्तर्गत बन्द होने/विलय की स्थिति में थी, उनके त्वरित परिसमापन या पुनर्जीवन हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

सरकारी कम्पनियों के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम अनुबन्ध 2 व 3 में दिये गए हैं। औद्योगिक/खनन क्षेत्र के दीर्घावधि ऋणों में महत्वपूर्ण वृद्धि होने के कारण सभी सरकारी कम्पनियों का ऋण-इक्विटी अनुपात 1998 के 3.60:1 से बढ़कर 1999 में 3.87:1 हो गया।

सरकारी कम्पनियों में क्षेत्रवार निवेश

31 मार्च 1999 को सरकारी कम्पनियों के कुल निवेश का 20.55 प्रतिशत इक्विटी पूँजी तथा 79.45 प्रतिशत ऋणों के रूप में था जबकि 31 मार्च 1998 को यह क्रमशः 21.73 प्रतिशत तथा 78.27 प्रतिशत था। क्षेत्रवार निवेश (इक्विटी, अंश आवेदन राशि सहित, तथा दीर्घावधि ऋण) की 31 मार्च 1998 तथा 31 मार्च 1999 की स्थिति को दो पाई डाईग्रामों के रूप में पृष्ठ संख्या 9 पर दिया गया है।

1.2.2 सांविधिक निगम

मार्च 1998 तथा मार्च 1999 के अन्त में चार सांविधिक निगमों में कुल निवेश निम्नानुसार था:

31 मार्च 1999 को चार सांविधिक निगमों में कुल निवेश 8116.94 करोड़ रुपये था।

(रुपये करोड़ों में)

निगम का नाम	1997-98		1998-99@	
	पूँजी	ऋण*	पूँजी	ऋण*
राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल	1774.59	4523.85	1774.59	5497.63
राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम	107.95	38.10	107.95	40.67
राजस्थान वित्त निगम	67.53	632.48	67.53	619-23
राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम	7.25	1.16	7.50	1.84
योग	**1957.32**	**5195.59**	**1957.57**	**6159.37**

@ आरएफसी को छोड़कर दिए गए आँकड़ें अनन्तिम हैं, क्योंकि उनके लेखों को अन्तिम रूप दिया जा रहा था/लेखापरीक्षाधीन थे।

* ऋणों से तात्पर्य दीर्घावधि ऋणों से है, जिनमें ऐसे ऋणों पर उपार्जित एवं देय ब्याज सम्मिलित नही है।

अंतिम रूप दिये गए नवीनतम लेखों के अनुसार समस्त सांविधिक निगमों के संक्षेपित वित्तीय परिणाम अनुबन्ध-3 में दिये गए हैं तथा 1998-99 तक के तीन वर्षों के प्रत्येक सांविधिक निगम की वित्तीय स्थिति और कार्यचालन परिणाम क्रमशः अनुबन्ध 5 तथा 6 में दिये गए हैं।

31 मार्च 1999 को सांविधिक निगमों के कुल निवेश का 24.12 प्रतिशत इक्विटी पूँजी तथा 75.88 प्रतिशत ऋण थे जो कि 31 मार्च 1998 को क्रमशः 27.36 प्रतिशत तथा 72.64 प्रतिशत थे।

1.3 बजट से जावक, अनुदान, गारण्टी तथा देयताओं का अधित्याग

राज्य सरकार द्वारा सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों को बजट से जावक, अर्थ बब, दी गई गारण्टियाँ, देयताओं का अधित्याग तथा ऋणों का इक्विटी में परिवर्तन के विवरण अनुबन्ध 2 व 4 में दिये गए हैं।

31 मार्च 1999 तक के तीन वर्षों में सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों को राज्य सरकार के बजट से इक्विटी पूँजी, ऋणों, अनुदानों तथा अर्थ-साहाय्यों के रूप में जावक की स्थिति नीचे दी गई है।

1998-99 के दौरान, कम्पनियों/निगमों को सरकार का योगदान 598.93 करोड़ रुपये का था।

(रुपये करोड़ों में))

	1996-97				1997-98				1998-99			
	कम्पनियाँ		निगम		कम्पनियाँ		निगम		कम्पनियाँ		निगम	
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
इक्विटी पूँजी	3	6.89	2	114.75	3	2.30	2	747.35	3	4.53	-	-
ऋण	5	33.42	3	182.85	4	25.01	3	183.44	2	25.75	3	271.06
अनुदान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निम्न के लिये अर्थ-साहाय्य*												
(i) परि-योजनाएं/ कार्यक्रमों/ योजनाओं।	5	24.07	1	0.15	5	21.91	1	0.96	5	17.52	1	1.64
(ii) अन्य अर्थ-साहाय्य	-	-	1	441.66	-	-	1	252.60	-	-	1	278.43
कुल अर्थ-साहाय्य	5	24.07	2	441.81	5	21.91	2	253.56	5	17.52	2	280.07
कुल जावक	**8#**	**64.38**	**3#**	**739.41**	**7#**	**49.22**	**4#**	**1184.35**	**7#**	**47.80**	**3#**	**551.13**

* अर्थ-साहाय्य में अनुदान भी सम्मिलित है क्योंकि पृथक आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

राज्य सरकार से इक्विटी/ऋण/अनुदान/अर्थ-साहाय्य प्राप्त करने वाली कम्पनियों/निगमों की वास्तविक संख्या।

31 मार्च 1998 को सरकारी कम्पनियों में प्रदत्त-पूँजी व दीर्घावधि ऋण के रूप में क्षेत्रवार निवेश

(सन्दर्भ: अनुच्छेद 1.2.2)

(कम्पनियों की संख्या कोष्ठकों में दर्शायी गई है)

(राशि: रुपये करोड़ों में)

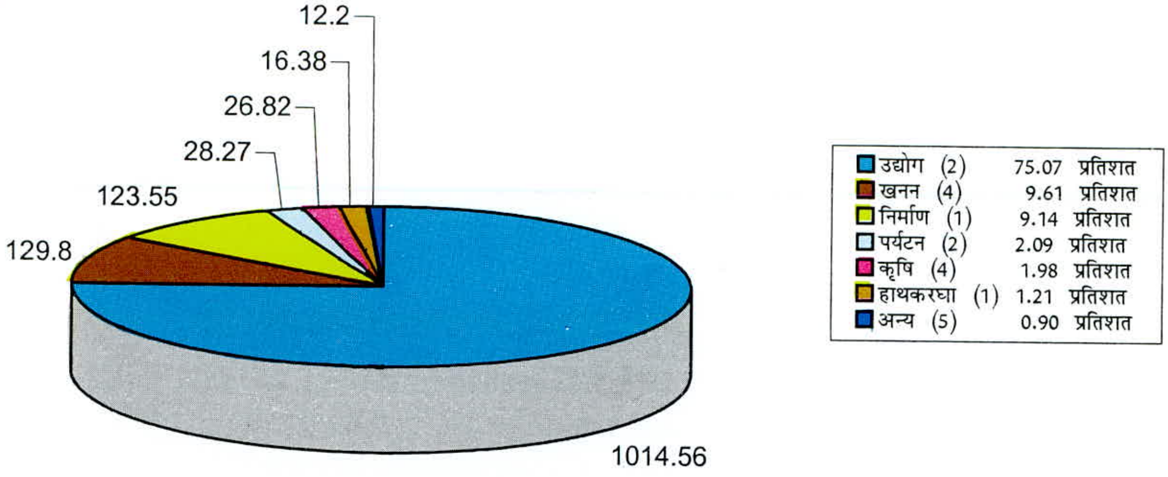

31 मार्च 1999 को सरकारी कम्पनियों में प्रदत्त-पूँजी व दीर्घावधि ऋण के रूप में क्षेत्रवार निवेश

(सन्दर्भ: अनुच्छेद 1.2.1)

(कम्पनियों की संख्या कोष्ठकों में दर्शायी गई है)

(राशि: रुपये करोड़ों में)

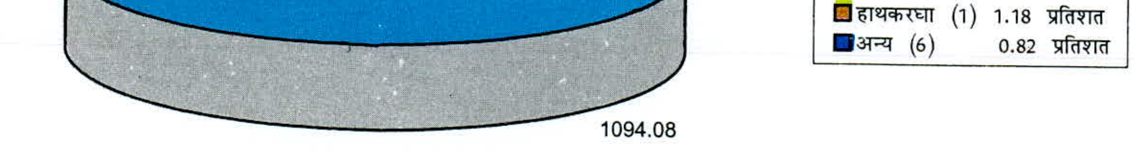

31 मार्च 1999 तक के गत तीन वर्षों में सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों द्वारा राज्य सरकार से प्राप्त और बकाया गारण्टी निम्नानुसार है:

(रुपये करोड़ों में)

	1996-97				1997-98				1998-99			
	कम्पनियाँ		निगम		कम्पनियाँ		निगम		कम्पनियाँ		निगम	
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
वर्ष के दौरान प्राप्त गारण्टी	2	20.38	3	440.77	3	662.55	3	1000.05	1	113.28	2	1545.35
वर्ष के अन्त में बकाया गारण्टी	6	417.62	3	2354.98	6	796.51	3	3271.55	6	845.80	3	3802.32

98-99 के दौरान, कार ने कम्पनियों/ मों द्वारा प्राप्त 58.63 करोड़ रुपये ऋणों की गारण्टी थी। एसी गारण्टियों 31 मार्च 1999 को ाया राशि 4648.12 ड़ रुपये थी।

वर्ष 1998-99 के दौरान, राज्य सरकार ने एक सरकारी कम्पनी (113.28 करोड़ रुपये) तथा दो सांविधिक निगमों (1545.35 करोड़ रुपये) द्वारा प्राप्त कुल 1658.63 करोड़ रुपये के ऋणों की गारण्टी दी थी। वर्ष के अन्त में 4648.12 करोड़ रुपये की गारण्टी बकाया थी। 1998-99 के दौरान सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों के द्वारा चुकाया गया/चुकाने योग्य गारण्टी कमीशन क्रमशः 2.46 करोड़ रुपये तथा 4.97 करोड़ रुपये था।

1.4 सार्वजनकि उपक्रमों द्वारा लेखों को अंतिम रूप देना

1.4.1 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 166, 210, 230, 619 तथा 619-बी, सह-पठित, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा-शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के अन्तर्गत कम्पनियों के लेखों को सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के अन्त से छः माह के भीतर अंतिम रूप दे दिया जाना चाहिए। उनको वित्तीय वर्ष के अन्त से नौ माह के भीतर विधायिका के समक्ष भी रखना होता है। इसी प्रकार, सांविधिक निगमों को अपने लेखों को अपने सम्बन्धित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार अंतिम रूप देना, लेखापरीक्षा करवाना तथा प्रस्तुत करना होता है।

नौ कम्पनियों के 12 लेखे तथा तीन निगमों के तीन लेखे बकाया थे।

तथापि, जैसा कि अनुबन्ध-3 से स्पष्ट होता है, 20 सरकारी कम्पनियों में से केवल 11 कम्पनियों तथा चार सांविधिक निगमों में से केवल एक ने अपने वर्ष 1998-99 के लेखों को निम्नांकित अवधि में अन्तिम रूप दिया था। अक्टूबर 1998 से सितम्बर 1999 की अवधि में, 19 सरकारी कम्पनियों ने 1998-99 के अलावा गत वर्षों के 22 लेखों (आठ कम्पनियों ने गत वर्षों के 11 लेखों तथा 11 कम्पनियों ने 1998-99 के 11 लेखों) को अंतिम रूप दिया था। इसी प्रकार, इस अवधि में,चार सांविधिक निगमों ने 1998-99 के अथवा गत वर्षों के चार लेखों (तीन निगमों के गत वर्षों के तीन लेखे) को अंतिम रूप दिया था। 30 सितम्बर 1999 तक अन्य नौ सरकारी

कम्पनियों तथा तीन सांविधिक निगमों के लेखे एक से तीन वर्षो की अवधियों के बकाया थे जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	वर्ष जिससे लेखे बकाया है	वर्षो की संख्या जिनके लेखे बकाया है	कम्पनियों/निगमों की संख्या		अनुबन्ध-3 की क्रम संख्या का सन्दर्भ	
			सरकारी कम्पनियाँ	सांविधिक निगम	सरकारी कम्पनियाँ	सांविधिक निगम
1.	1996-97	3	1	-	6	-
2.	1997-98	2	1	-	11(ii)	-
3.	1998-99	1	7	3	1(i), 1(iii), 5, 7(iii), 10(i), 10(ii) तथा 11(i)	1, 2 तथा 4

उपरोक्त नौ सरकारी कम्पनियों में से, जिनके लेखे बकाया थे, तीन कम्पनियाँ {अनुबन्ध-3 की क्रम संख्या 1(i), 6 तथा 7(iii)} अकार्यरत थी।

प्रशासनिक विभागों को यह देखना व सुनिश्चित करना होता है कि सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर अपने लेखों को अंतिम रूप देकर अंगीकृत कर लिया गया है। यद्यपि, लेखापरीक्षा ने सम्बन्धित सरकारी प्रशासनिक विभागों एवं अधिकारियों को प्रत्येक तिमाही में लेखों को अंतिम रूप दिये जाने की स्थिति से अवगत करा दिया था पर सरकार द्वारा कोई प्रभावी उपाय नहीं किये गये जिसके परिणामस्वरूप इन सार्वजनिक उपक्रमों में किये गए निवेश का लेखापरीक्षा में मूल्यांकन नहीं किया जा सका।

1.4.2 सांविधिक निगमों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधायिका के समक्ष प्रस्तुतिकरण की स्थिति

निम्नांकित तालिका में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी सांविधिक निगमों के लेखों के विभिन्न पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (एसएआर) को सरकार द्वारा विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये जाने से सम्बन्धित वस्तुस्थिति दर्शायी गई है :

क्र. सं.	सांविधिक निगम का नाम	वर्ष, जिस तक के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधायिका को प्रस्तुत कर दिये गये थे	वर्ष जिसके पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधायिक को प्रस्तुत नहीं किये गए		
			एसएआर का वर्ष	सरकार को जारी करने का दिनांक	विधायिका को प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के कारण
1.	राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल	1997-98	-	-	-
2.	राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम	1996-97	1997-98	06-09-1999	एसएआर जारी होने के बाद कोई सत्र नहीं हुआ।
3.	राजस्थान वित्त निगम	1997-98	-	-	-
4.	राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम	1997-98	-	-	-

1.5 सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यचालन परिणाम

...म्पनियों तथा ...निगमों की ...हानियाँ ...: 5.76 ...रुपये व ...करोड़ ...थी।

20 सरकारी कम्पनियों तथा चार सांविधिक निगमों के नवीनतम लेखों के अनुसार, नौ कम्पनियों तथा दो निगमों ने क्रमशः 5.76 करोड़ रुपये तथा 29.42 करोड़ रुपये की कुल हानि उठाई तथा शेष नौ कम्पनियों तथा दो निगमों को क्रमशः 50.45 करोड़ रुपये तथा 67.18 करोड़ रुपये का लाभ हुआ। दो कम्पनियों ने {अनुबन्ध-3 की क्रम संख्या 11(i) तथा (ii)} निर्माणाधीन चरण में होने के कारण, अभी अपने वाणिज्यिक क्रिया-कलाप प्रारम्भ नहीं किये थे।

नवीनतम अन्तिम रूप दिये गए लेखों के अनुसार सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों के संक्षेपित वित्तीय परिणाम अनुबन्ध-3 में दिये गये हैं। इसके अलावा, प्रत्येक निगम के उन नवीनतम तीन वर्षों के कार्य-चालन परिणाम, जिनके लेखों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है, अनुबन्ध-6 में दिये गये हैं।

1.5.1 सरकारी कम्पनियाँ

1.5.1.1 लाभ अर्जित कर रही कम्पनियाँ व लाभांश

...म्पनियों ने ...करोड़ रुपये ...अर्जित ..., जिनमें से 4.33 करोड़ ...लाभांश ...किया जो कि ...पर 1.49 ...होता है।

11 कम्पनियों (दो सहायक कम्पनियों सहित) में से, जिन्होंने सितम्बर 1999 तक अपने 1998-99 के लेखों को अन्तिम रूप दे दिया था, सात कम्पनियों ने 49.82 करोड़ रुपये का कुल लाभ अर्जित किया तथा केवल चार कम्पनियों {अनुबन्ध-3 की क्रम संख्या 2(ii), 7(i), 8 तथा 9} ने कुल 4.33 करोड़ रुपये का लाभांश घोषित किया था। लाभांश उपरोक्त चार लाभ अर्जित करने वाली कम्पनियों की अंश पूंजी का 5.35 प्रतिशत पाया गया। शेष तीन लाभ अर्जित करने वाली कम्पनियों द्वारा कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया। राज्य सरकार द्वारा सभी सरकारी कम्पनियों में किये गए 291.32 करोड़ रुपये के कुल इक्विटी निवेश पर 1998-99 में 4.33 करोड़ रुपये के लाभांश के रूप में कुल प्रतिफल 1.30 प्रतिशत था, जबकि गत वर्ष 2.24 प्रतिशत था।

इसी प्रकार आठ कम्पनियों में से, जिन्होंने सितम्बर 1999 तक अपने गत वर्षों के लेखों को अन्तिम रूप दिया, 2 कम्पनियों ने 0.63 करोड़ रुपये का कुल लाभ अर्जित किया तथा केवल एक कम्पनी ने दो या अधिक वर्षों से लगातार लाभ अर्जित किया।

राज्य सरकार द्वारा कोई लाभांश नीति प्रतिपादित नहीं की गई परन्तु यह कम्पनियों द्वारा अपने निदेशक मण्डल की अनुशंसा तथा अंशधारियों द्वारा वार्षिक साधारण सभा में अनुमोदन से घोषित किया गया।

1.5.1.2 हानि उठा रही कम्पनियाँ

छः कम्पनियों ने अपनी प्रदत्त-पूँजी क्षय कर दी थी।

नौ हानि उठाने वाली कम्पनियों में से छः की कुल संचित हानियाँ 39.68 करोड़ थी जो कि उनकी कुल प्रदत्त पूँजी 14.06 करोड़ रुपये से कहीं अधिक हो थी।

राज्य सरकार ने उनके कमजोर निष्पादन, जिसकी वजह से समूची प्रदत्त-पूँजी क्ष हो चुका था, के होते हुए भी इन कम्पनियों को ऋण, अर्थ-साहाय्य आदि देकर वित्तीय समर्थन देना जारी रखा था। उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1998-99 के राज्य सरकार के द्वारा उन छः कम्पनियों में से दो कम्पनियों, जिनकी संचित उनकी प्रदत्त पूंजी से अधिक हो चुकी थी, को अर्थ-साहाय्य के रूप में दिया इस प्रकार का वित्तीय समर्थन 2.57 करोड़ रुपये का था (अनुबन्ध 4 की क्रम 1 तथा 5)।

1.5.2 सांविधिक निगम

1.5.2.1 लाभ अर्जित कर रहे सांविधिक निगम तथा लाभांश

दो सांविधिक निगमों द्वारा 67.18 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया गया पर केवल एक ने 0.21 करोड़ रुपये का लाभांश घोषित किया।

चार सांविधिक निगमों में से सितम्बर 1999 तक वर्ष 1997-98 के अपने लेखे अन्तिम रूप देने वाले दो निगमों ने 67.18 करोड़ रुपये का कुल लाभ अर्जित था तथा केवल एक निगम ने 0.21 करोड़ रुपये का लाभांश घोषित किया राज्य सरकार द्वारा सभी चार सांविधिक निगमों में किये गए 1904.35 करोड़ रु कुल इक्विटी निवेश पर 0.21 करोड़ रुपये के लाभांश के रूप में कुल प्र 0.01 प्रतिशत आता है।

1.5.2.2 हानि उठा रहे सांविधिक निगम

आरएफसी की 67.53 करोड़ रुपये की प्रदत्त-पूँजी समक्ष संचित हानि 80.33 करोड़ रुपये थी।

चार सांविधिक निगमों में से एक निगम ने अपने वर्ष 1998-99 के लेखों तथा निगम ने अपने 1997-98 के लेखों को सितम्बर 1999 तक अन्तिम रूप दिय तथा क्रमशः 5.43 करोड़ रुपये तथा 23.99 करोड़ रुपये की हानि उठाई थी। निगम (आरएफसी) की 31 मार्च 1999 को 67.53 करोड़ रुपये की प्रदत्त-पूँ समक्ष संचित हानि 80.33 करोड़ रुपये थी।

1.5.2.3 सांविधिक निगमों का परिचालन निष्पादन

सांविधिक निगमों का परिचालन निष्पादन अनुबन्ध-7 में दिया गया है।

1.6 नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

वर्ष 1998-99 के दौरान 20 कम्पनियों की नियोजित पूँजी पर प्रतिफल 10.80 प्रतिशत था।

1998-99 के दौरान 20 कम्पनियों की नियोजित पूँजी* 1614.37 करोड़ रुपये तथा उस पर कुल प्रतिफल$ 174.32 करोड़ रुपये था जो कि 10.80 प्रतिशत है जबकि 1997-98 में कुल प्रतिफल 139.46 करोड़ रुपये (9.1 प्रतिशत) का था। इसी प्रकार, 1998-99 के दौरान चार सांविधिक निगमों के मामले में नियोजित पूँजी तथा उस पर कुल प्रतिफल, क्रमश: 7969.42 करोड़ रुपये तथा 624.43 करोड़ रुपये (7.84 प्रतिशत) था इसके समक्ष 1997-98 में कुल प्रतिफल 571.37 करोड़ रुपये (8.05 प्रतिशत) था। सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों की नियोजित पूँजी तथा नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल का विवरण अनुबन्ध-3 में दिया गया है।

1.7 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की गई लेखापरीक्षा के परिणाम

लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर दो निगमों ने अपने लेखों को संशोधित किया, परिणामस्वरूप लाभ 36.14 करोड़ रुपये से घट गया।

नवीनतम उपलब्ध लेखों के आधार पर 20 सरकारी कम्पनियों तथा चार सांविधिक निगमों के संक्षेपित वित्तीय परिणाम अनुबन्ध-3 में दिये गए हैं। अक्टूबर 1998 से सितम्बर 1999 की अवधि में 12 कम्पनियों तथा चार निगमों के लेखों का समीक्षा हेतु चयन किया गया था। सी.ए.जी. द्वारा की गई समीक्षा के फलस्वरूप दो निगमों, यथा, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल तथा राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम ने अपने लेखों को संशोधित किया जिससे उनका लाभ क्रमश: 8.19 करोड़ रुपये तथा 27.95 रुपये घट गया था। इसके अतिरिक्त, शेष सार्वजनिक उपक्रमों की समीक्षा के परिणामस्वरूप की गई, महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों का शुद्ध प्रभाव निम्नानुसार था:

विवरण		लेखों की संख्या		रुपये लाखों में	
		सरकारी कम्पनियाँ	सांविधिक निगम	सरकारी कम्पनियाँ	सांविधिक निगम
(i)	लाभ में कमी	4	1	296.44	17774.04
(ii)	लाभ में वृद्धि	-	-	-	-
(iii)	हानि में वृद्धि	-	1	-	51.78
(iv)	हानि में कमी	-	-	-	-
(v)	महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट नहीं करना	3	-	129.98	-
(vi)	वर्गीकरण की अशुद्धियाँ	-	-	-	-

* नियोजित पूंजी निवल स्थायी परिसम्पत्तियों (निर्माणाधीन पूंजीगत कार्यो को सम्मिलित कर) तथा कार्यशील पूंजी के योग की द्योतक है, वित्तीय कम्पनियों एवं निगमों को छोड़कर, जहाँ यह प्रदत्त-पूँजी, मुक्त संचय तथा उधारियों (पुनर्वित सहित) के प्रारम्भिक एवं अन्तिम शेषों के योग के मध्यमान की द्योतक होती है।

$ नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल का आंकलन करने के लिए, उधार लिये गये कोषों का ब्याज, लाभ-हानि खाते में यथा प्रदर्शित शुद्ध लाभ में जोड़ा/हानि में से घटाया जाता है।

उपरोक्त में से कुछ कम्पनियों एवं निगमों के वार्षिक लेखों की समीक्षा के दौरान ध्यान में आई कुछ प्रमुख गलतियों एवं त्रुटियों को नीचे दिया गया है:

अ. सरकारी कम्पनियों के मामले में ध्यान में आई गलतियाँ एवं त्रुटियाँ

कम्पनी अधिनियम की धारा 619(4) के अन्तर्गत विभिन्न कम्पनियों के लेखों की, की गई समीक्षा के परिणामस्वरूप निम्नांकित महत्वपूर्ण बिन्दु लेखापरीक्षा में ध्यान में आये:

1. राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (1998-99)

दोहरी पाली के आधार पर मूल्य ह्रास नहीं लगाने के कारण स्थायी सम्पत्तियों को 128.75 लाख रुपये से अधिक दर्शाया गया।

2. राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड (1998-99)

वर्ष 1998-99 का लाभ (7.62 लाख रुपये), (i)राज्य सरकार द्वारा पूर्व में ही पुनर्भरण किये जा चुके कच्चे माल के उपभोग के विरूद्ध आपूर्तिकर्ताओं से वसूलियाँ करने (9.42 लाख रुपये), (ii) सीरे के स्टॉक का अधिमूल्यांकन (6.68 लाख रुपये) करने तथा (iii) गत वर्षों के व्ययों के लिए प्रावधान नहीं करने (80.16 लाख रुपये) के कारण 96.26 लाख रुपये से अधिक दर्शाया गया।

3. राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड (1998-99)

प्रमाणित /प्रजनक बीजों तथा पैकिंग सामग्री के गलत मूल्यांकन के कारण वर्ष 1998-99 का लाभ (259.03 लाख रुपये) 6.99 लाख रुपये से अधिक दर्शाया गया।

4. राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (1998-99)

हैण्डलिंग एवं यातायात प्रभारों का (51.06 लाख रुपये), ठेकेदार को देय ब्याज (3.38 लाख रुपये) का प्रावधान नहीं करने तथा पूँजीगत अनुदान का गलत लेखांकन करने (10.00 लाख रुपये) के कारण वर्ष 1998-99 का लाभ (482.01 लाख रुपये) 64.44 लाख रुपये से अधिक बताया गया।

ब. सांविधिक निगमों के मामले में ध्यान में आई गलतियाँ व त्रुटियाँ

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल तथा राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम के वर्ष 1997-98 के वार्षिक लेखों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में निम्नांकित अनियमितताएँ एवं त्रुटियाँ बतायी गई थी:

1. राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (1997-98)

मण्डल का अधिशेष 160.56 करोड़ रुपये से अधिक दर्शाया गया था जिसके कारण थे:

- बिना पूरक बिल जारी किये ईंधन अधिभार की 37 करोड़ रुपये बकाया को लेखों में शामिल करना।

- ब्याज एवं वित्त प्रभारों के अधिपूँजीकरण के फलस्वरूप अधिशेष में 40.66 करोड़ रुपये की वृद्धि।

- एनएपीपी को विलम्ब से किये गये भुगतान प्रभारों का 41.97 करोड़ रुपये से गलत लेखांकन।

- सेवा-निवृत्ति कोष में अंशदान की देयता का 40.93 करोड़ रुपये का प्रावधान नहीं करना।

2. राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (1997-98)

समयोपरि भत्ते, रात्रि भत्ते, साप्ताहिक अवकाशों आदि के लिए प्रावधान नहीं करने के कारण वर्ष 1997-98 की हानि 44.52 लाख रुपये से कम दर्शायी गयी।

ब.1 राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (आरएसईबी) के कार्यचालन परिणामों का लेखापरीक्षा मूल्यांकन।

आरएसईबी के 1998-99 तक के तीन वर्षों के कार्यचालन परिणामों के लेखापरीक्षा मूल्यांकन के आधार पर एवं आरएसईबी के वार्षिक लेखों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में बतायी गई मुख्य अनियमित्ताओं को दृष्टिगत रखते हुए, तथा राज्य सरकार से प्राप्य अर्थ-साहाय्यों/परिदानों को ध्यान में नहीं रखते हुए, आरएसईबी का शुद्ध अधिशेष/घाटा व नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता निम्नानुसार होगी:-

(रुपये करोड़ों में)

क्र.सं.	विवरण	1995-96	1996-97	1997-98
1.	लेखा पुस्तकों के अनुसार शुद्ध अधिशेष/घाटा(-)	80.84	63.22	65.35
2.	राज्य सरकार से प्राप्त अर्थ-साहाय्य	513.07	563.14	704.88
3.	राज्य सरकार से अर्थ-साहाय्य से पूर्व शुद्ध अधिशेष/घाटा (-)	(-)432.23*	(-)499.92	(-)639.53
4.	आरएसईबी के वार्षिक लेखों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों के कारण शुद्ध अधिशेष/घाटे(-) में शुद्ध वृद्धि/कमी	(-)93.24	(-)19.20	(-)177.74
5.	लेखापरीक्षा टिप्पणियों के बाद परन्तु राज्य सरकार से प्राप्त अर्थ-साहाय्य से पूर्व शुद्ध अधिशेष/घाटा (-) (3-4)	(-)525.47	(-)519.12	(-)817.27
6.	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल*	(-)149.95	(-)83.38	(-)317.07
7.	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल की प्रतिशतता	शून्य	शून्य	शून्य

* नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल, शुद्ध अधिशेष/घाटा तथा लाभ हानि खाते में कुल प्रभारित ब्याज (पूँजीकृत किये गये ब्याज को कम करके) के योग का द्योतक है।

स. सार्वजनिक उपक्रमों के वित्तीय मामलों में होने वाली सतत अनियमितताएँ तथा व्यवस्था की कमियाँ:

सार्वजनिक उपक्रमों के वित्तीय मामलों में होने वाली निम्न सतत अनियमितताओं तथा व्यवस्था की कमियों को उनके लेखों की लेखापरीक्षा के दौरान कई बार ध्यान में लाया जा चुका है लेकिन इन सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा अभी तक कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की गई है:

स.(1) सरकारी कम्पनियाँ: *शून्य*

स.(2) सांविधिक निगम

1. राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल

(i) आपूर्तिकर्ताओं के विरूद्ध बकाया 1774.37 लाख रुपये की अग्रिम राशियों का समायोजन नहीं किया गया जबकि सम्पत्तियों का पूंजीकरण 1983-84 से 1995-96 के दौरान किया जा चुका था।

(ii) सरकारी खाते (पी.डी. 2) में 109.68 लाख रुपये तथा (पी.डी. 1) में 5843.75 लाख रुपये के अंतर का मिलान नहीं किया गया था।

(iii) इकाइयों द्वारा एक दूसरे के लिए जारी की गई ए.टी.डी./ए.टी.सी. का मिलान नहीं किये जाने के कारण अन्तर-इकाई खाते में 39427.55 लाख रुपये (डेबिट) संचित हो चुके थे।

(iv) जी.पी.एफ. में जमा शेष 3264.35 लाख रुपये का मिलान नहीं किया गया था।

(v) सहायक रजिस्टर या तो संधारित नहीं किये गये या फिर इनके अन्तर का मिलान नहीं किया गया था।

2. राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम

(i) वर्ष 1971-72 से 1984-85 से सम्बन्धित 236.55 लाख रुपये तक की अग्रिम राशियाँ समायोजन हेतु बकाया पड़ी हुई थी।

(ii) जयपुर उद्योग में 1981 से बकाया 3.57 लाख रुपये की अग्रिम राशि तथा सरकारी विभागों से 10.44 लाख रुपये की देनदारियाँ व काँग्रेस पार्टी से 1988 में यात्री कर के बकाया 3.69 लाख रुपये की राशि को न तो वसूल किया गया और न ही अपलेखित किया गया था।

1.8 राजकीय उपक्रम समिति द्वारा लेखपरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) के परीक्षण की स्थिति

निम्नांकित तालिका में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रकाशित तथा 30 सितम्बर 1999 को परीक्षण हेतु बकाया समीक्षाओं/अनुच्छेदों की स्थिति दर्शायी गई है:

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	समीक्षाओं तथा अनुच्छेदों की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकाशित कुल संख्या		परीक्षण हेतु बकाया कुल संख्या	
	समीक्षाएँ	अनुच्छेद	समीक्षाएँ	अनुच्छेद
1991-92	4	18	2	5
1992-93	3	17	-	2
1993-94	3	25	1	10
1994-95	3	26	2	9
1995-96	3	24	1	9
1996-97	3	25	3	25
1997-98	3	26	3	26
योग	**22**	**161**	**12**	**86**

30 सितम्बर 1999 तक परीक्षित 1198 अनुच्छेदों में से 461 अनुच्छेदों पर राजकीय उपक्रम समिति की सिफारिशें प्राप्त हुई थी जिनमें से, तथापि, 110 अनुच्छेदों पर कार्यवाही होने का प्रतिवेदन प्रतीक्षित था।

1.9 619-बी कम्पनियाँ

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-बी के अन्तर्गत आने वाली कोई कम्पनी नहीं थी।

1.10 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा नहीं की जाने वाली कम्पनियाँ

राज्य सरकार द्वारा 6 ऐसी कम्पनियों में 1.78 करोड़ रुपये का निवेश किया गया था जो कि सी.ए.जी. द्वारा लेखापरीक्षा नहीं की जाने वाली कम्पनियाँ थी क्योंकि राज्य सरकार द्वारा निवेशित राशि सम्बन्धित कम्पनी की अंश पूँजी के 51 प्रतिशत से कम

थी। ऐसी कम्पनियों का विवरण, जिनमें से प्रत्येक में 31 मार्च 1999 को राज्य सरकार का निवेश 10 लाख रुपये से अधिक था, अनुबन्ध-1 में दिया गया है।

1.11 सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा 'वाई2के' समस्या का सामना करने हेतु तत्परता

20 सरकारी कम्पनियों में से 11[1] कम्पनियों में कम्प्यूटर नहीं थे, 6[2] कम्पनियों ने पहले ही 'वाई-2के' समस्या से सम्बन्धित अनुपालना कर ली थी तथा शेष 3[3] कम्पनियों द्वारा 'वाई-2के' समस्या का सामना करने हेतु उपक्रम किए जा रहे थे।

चार सांविधिक निगमों में से एक[4] निगम ने 'वाई-2के' समस्या से सम्बन्धित अनुपालना कर ली थी तथा शेष तीन[5] निगम 'वाई-2के' समस्या सम्बन्धित अनुपालना हेतु प्रकियाधीन थे।

---

1 अनुबन्ध-2 की क्रम संख्या 1(i) से (iii), 3, 4, 6, 7(iii) से (iv), 10(i),11(i) से (ii)

2 अनुबन्ध-2 की क्रम संख्या 1(iv), 2(i), 2(ii), 5, 7(ii) तथा 9

3 अनुबन्ध-2 की क्रम संख्या 7(i), 8 तथा 10(ii)

4 अनुबन्ध-2 की क्रम संख्या ब-2

5 अनुबन्ध-2 की क्रम संख्या ब-1, 3 व 4

अध्याय-II

सरकारी कम्पनी से सम्बन्धित समीक्षा

राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड

अध्याय-II

राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड

अनुच्छेद	विवरण	पृष्ठ संख्या
	झलकियाँ	25
2.1	प्रस्तावना	26
2.2	संगठनात्मक ढाँचा	26
2.3	उद्देश्य	27
2.4	लेखापरीक्षा का क्षेत्र	27
2.5	वित्त के स्रोत	27
2.6	वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणाम	28
2.7	उत्पादन निष्पादन	28
2.8	कृषकों को प्रमाणित बीजों का विक्रय	33
2.9	राज्य में बीजों के वितरण में आरएसएस सीएल का योगदान	37
2.10	अर्थ-साहाय्य का उपयोग नहीं करना	38
2.11	कृषि क्षेत्र क्रियाकलाप	39
2.12	विविध देनदार	40
2.13	अन्य रुचिकर प्रकरण	41
	निष्कर्ष	42

अध्याय-II

राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड

झलकियाँ

राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड (आरएसएससीएल) का निगमन मार्च 1978 में प्रमाणित बीजों के उत्पादन एवं उनका कृषकों को उचित मूल्य पर विपणन के उद्देश्य से किया गया।

(अनुच्छेद 2.1 एवं 2.3)

आरएसएससीएल का परिचालन लाभ 249.37 लाख रुपये (1995-96) से तेजी से घटकर 44.41 लाख रुपये (1998-99) रह गया।

(अनुच्छेद 2.6)

प्रमाणित बीजों के वितरण के लक्ष्य को घटाने के बावजूद भी आरएसएससीएल लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका। इसके अतिरिक्त, बीजों की उच्च दरों एवं विपणन कौशल के अभाव में राज्य में बीजों के वितरण में आरएसएससीएल का योगदान 1995-96 में 49.60 प्रतिशत से घटकर 1998-99 के दौरान 44.92 प्रतिशत रह गया।

(अनुच्छेद 2.7.6 एवं 2.9)

प्रत्येक दिन के तीन ढेरों की मासिक ऊँची दरों के औसत के आधार पर प्रमाणित बीजों का क्रय मूल्य निर्धारित करने की आरएसएससीएल की नीति के विपरीत प्रत्येक दिन के एक ढेर की ऊँची दर के आधार पर क्रय मूल्य निर्धारित करने के परिणामस्वरूप 139.20 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(अनुच्छेद 2.7.7)

वास्तविक उपरिव्ययों को दृष्टिगत रखते हुए विक्रय मूल्य निर्धारण की अपनी ही नीति से हटकर उपरिव्ययों में कमी होने पर भी बीजों की कीमतों को नहीं घटाया गया था। इसके अतिरिक्त बीजों के विक्रय मूल्य के निर्धारण के समय 397.69 लाख रुपये

के अर्थ-साहाय्य का लाभ कृषकों को नहीं पहुँचाया गया जिसके परिणामस्वरूप विक्रय मूल्य उच्च दरों पर निर्धारित हुआ।

(अनुच्छेद 2.8.3 एवं 2.8.3.1)

1994-95 से 1998-99 के दौरान सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए बीज उत्पादन, उत्पादकों के कृषि क्षेत्र पर आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवाने तथा बीजों की गुणवत्ता व विपणन क्षमता में सुधार हेतु 1055.30 लाख रुपये का अर्थ-साहाय्य/अनुदान प्राप्त किया गया था। इस राशि में से 346.22 लाख रुपये स्थायी जमा में रख लिये गये, 95.86 लाख रुपये स्वयं के उपयोग में ले लिये गये तथा 95 लाख रुपये का सरकारी ऋणों पर ब्याज के भुगतान में उपयोग किया गया। इस प्रकार, अर्थ-साहाय्य/अनुदान प्राप्त करने का यथार्थ उद्देश्य ही विफल हो गया।

(अनुच्छेद 2.10)

2.1 प्रस्तावना

राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड (आरएसएससीएल) का निगमन सरकारी कम्पनी के रूप में 28 मार्च 1978 को राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम के तहत अपने कृषि क्षेत्रों में तथा बीज उत्पादकों के अभिकरण के माध्यम से प्रमाणित बीजों के उत्पादन तथा उनका कृषकों को उचित मूल्य पर वितरण के मुख्य उद्देश्य से किया गया था। 20 जुलाई 1979 एवं 29 मार्च 1996 के मध्य यह 619 (बी) कम्पनी रही, जब सरकार की अंशधारिता 51 प्रतिशत से कम (46.8 प्रतिशत) थी, तथापि, ऋणों को इक्विटी में परिवर्तन करने के बाद अंशधारिता बढ़कर 88.45 प्रतिशत हो जाने पर, यह 30 मार्च 1996 से सरकारी कम्पनी बन गई ।

2.2 संगठनात्मक ढाँचा

आरएसएससीएल एक निदेशक मण्डल (एक अंशकालिक अध्यक्ष एवं एक प्रबन्ध निदेशक सहित) द्वारा प्रबन्धित है। 31 मार्च 1999 को निदेशक मण्डल में 10 निदेशक (दो राज्य सरकार द्वारा, दो एनएससीएल* द्वारा मनोनीत एवं छः सामान्य निकाय द्वारा चयनित) थे। प्रबन्ध निदेशक कम्पनी का मुख्य अधिकारी है; कम्पनी के कार्यकलापों के प्रबन्ध हेतु जिसकी सहायता एक महाप्रबन्धक, छः क्षेत्रीय प्रबन्धक, पाँच वरिष्ठ

---

* राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

प्रबन्धक, एक कम्पनी सचिव, एक जनसम्पर्क अधिकारी एवं 13 संयंत्र प्रबन्धक करते हैं।

2.3 उद्देश्य

आरएसएससीएल के मेमोरेण्डम ऑफ एसोशियेशन में वर्णित मुख्य उद्देश्यों में निम्नांकित शामिल है:-

- राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम के भाग के रूप में राज्य बीज परियोजना का क्रियान्वयन;
- वैज्ञानिक एवं वाणिज्यिक तरीके से प्रमाणित बीजों का उत्पादन, संसाधन, भण्डारण एवं संरक्षण करना ताकि कृषकों को उचित मूल्य पर उन्नत बीज उपलब्ध करवाए जा सकें;
- सामान्य रूप से कृषि के अनुसंधान कार्य एवं मुख्य रूप से बीज प्रोसेसिंग, संरक्षण एवं भण्डारण तकनीकों को क्रमोन्नत करने के कार्य को हाथ में लेना;
- उत्पादकों को आधार बीजों की आपूर्ति की व्यवस्था करना एवं
- परीक्षण प्रयोगशालाओं का स्वामित्व लेना एवं उन्हें चलाना।

2.4 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

आरएसएससीएल के कार्यकलापों की गत समीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1984-85 -राजस्थान सरकार में की गई थी। इस समीक्षा का राजकीय उपक्रम समिति द्वारा नवम्बर 1991 में परीक्षण किया गया था तथापि, समिति की सिफारिशें अभी प्रतीक्षित थी (अगस्त 1999)। आरएसएससीएल के वर्ष 1994-95 से 1998-99 की अवधि के कार्यकलापों की समीक्षा अक्टूबर 1998 से मार्च 1999 के दौरान लेखापरीक्षा में की गई तथा समीक्षा के परिणामों की विवेचना अनुवर्ती अनुच्छेदों में की गई है।

2.5 वित्त के स्रोत

अपने कार्यकलापों के लिए आरएसएससीएल ने राज्य सरकार/राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड से पूँजी अंशदान के अतिरिक्त राज्य सरकार से ऋण भी ले रखे हैं। 31 मार्च 1999 को आरएसएससीएल की 123.30 लाख रुपये की अंश आवेदन राशि

सहित प्रदत्त पूँजी 729.78 लाख रुपये (राज्य सरकार: 605.50 लाख रुपये, एनएससीएल: 103.93 लाख रुपये एवं अन्य: 20.35 लाख रुपये) थी। इसके अतिरिक्त 31 मार्च 1999 को 1000 लाख रुपये का ऋण तीन समान किश्तों में जो कि 2001, 2002 एवं 2003 में देय थीं पुनर्भुगतान हेतु बकाया था।

2.6 वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणाम

परिचालन लाभ 249.37 लाख रुपये (1995-96) से असाधारण रूप से घटकर 44.41 लाख रुपये (1998-99) रह गया था।

31 मार्च 1999 को समाप्त होने वाले पाँच वर्षो के लिए आरएसएससीएल की वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणाम अनुबन्ध-8 में दिए गए हैं। यह देखा जा सकता है कि कम्पनी ने इन सभी वर्षो में लाभ कमाया जो कि 1996-97 से 1998-99 के दौरान 221.31 लाख रुपये से 258.83 लाख रुपये तक विचरित हुआ। तथापि, जैसा कि लेखापरीक्षा में विश्लेषित किया गया, यह लाभ मुख्यत: अतिरेक कोषों के निवेश पर ब्याज से प्राप्त आय के कारण था जो कि प्रमाणित बीजों के उच्च स्तर पर विक्रय मूल्य के निर्धारण एवं अनुदान/अर्थ-साहाय्य के अनुपयोजन के कारण उपलब्ध हुए थे, जिससे निगम के गठन का यथार्थ उद्देश्य ही विफल हो गया जिसका विवेचन क्रमश: अनुच्छेद संख्या 2.8.3 एवं 2.10 में किया गया है। ब्याज से प्राप्त आय एवं अन्य आय को अलग करने के बाद आरएसएससीएल का परिचालन लाभ 249.37 लाख रुपये (1995-96) से तेजी से घटकर 44.41 लाख रुपये (1998-99) रह गया तथा 1997-98 के दौरान लेखों में दर्शाये गए 221.31 लाख रुपये के लाभ के विरुद्ध 5.32 लाख रुपये की हानि हो गई थी।

2.7 उत्पादन निष्पादन

2.7.1 बीज बहुगुणन प्रक्रिया एवं कार्यकलाप

आरएसएससीएल कृषि विश्वविद्यालयों एवं अनुसंधान केन्द्रों जिन्हें केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा एक विशिष्ट प्रतिशत (दालों एवं तिलहन बीजों के लिए 100 प्रतिशत तथा कपास के बीजों के लिए 50 प्रतिशत) तक अर्थ-साहाय्य मिलती है, से प्रजनक बीज प्राप्त करता है। इन प्राप्त प्रजनक बीजों को पंजीकृत बीज उत्पादकों को आधार बीजों के उत्पादन हेतु वितरित कर दिया जाता है। आधार बीजों को कच्चे प्रमाणित बीज प्राप्त करने हेतु पुन: उगाया जाता है और फिर इन्हें प्रोसेसिंग संयंत्र में प्रोसेस किया जाता है तथा उसके बाद प्रमाणित बीज प्राप्त करने हेतु अनुमोदित राज्य बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं में इनकी जाँच की जाती है। इन प्रमाणित बीजों को कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए कृषकों को बेचा जाता है।

2.7.1.1 बहुगुणन के लिए उत्पादकों का चयन

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऐसे कृषकों को जिनके पास अपनी स्वयं की कृषि योग्य भूमि/कृषि क्षेत्र हो, समुचित सिंचाई की सुविधाएँ हों एवं बीजों के बहुगुणन के लिए सहमत हों, उन्हें बीज उत्पादकों के रूप में पंजीकृत किया जाता है। इन उत्पादकों को बीजों के वितरण के पूर्व यद्यपि बहुगुणन कार्यक्रम को स्वीकार करने के लिए एक अनुबन्ध निष्पादित किया जाता है तो भी अनुबन्ध में किसी भी उपबन्ध के अभाव में उत्पादकों को, कम्पनी द्वारा दिए गए प्रजनक बीजों से उनके द्वारा बहुगुणित आधार/प्रमाणित बीजों की सम्पूर्ण मात्रा की आपूर्ति करने को बाध्य नहीं किया जा सकता था। इसके परिणामस्वरूप, जैसा कि अनुबन्ध 9 एवं 9अ में दिखाया गया हैं एवं अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है, कम्पनी प्रजनक बीजों से 0.25 लाख क्विण्टल एवं आधार बीजों से 5.43 लाख क्विण्टल आपेक्षित उपज को प्राप्त नहीं कर सकी। चूंकि उत्पादक कम्पनी को बीजों की सम्पूर्ण मात्रा को वापस नहीं कर रहा है, इन बीजों को बाजार में निजी प्रतियोगियों को पहुँचाये जाने की सम्भावना को नकारा नहीं जा सकता।

2.7.2 लक्ष्यों का निर्धारण

आरएसएससीएल प्रत्येक वर्ष के प्रत्येक मौसम (रबी एवं खरीफ) के लिए राज्य के कृषि विभाग द्वारा बताई गई प्रत्येक वर्ष की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तथा गत वर्षों के बीजों के उत्पादन एवं उनके विक्रय के आधार पर प्रमाणित बीजों के उत्पादन कार्यक्रम तैयार करती है।

2.7.3 प्रजनक बीज

प्रजनक बीज फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए अनुसंधान के बाद विकसित किये जाते हैं। इनकी उपलब्धता सीमित होने से यह आधार/प्रमाणित बीजों के लिए मातृ बीज एवं मूल्यवान होते हैं। वर्ष के दौरान क्रय किये गये प्रजनक बीज को वर्ष की उस फसल के प्रमाणित बीज के विक्रय मूल्य से 21 प्रतिशत अतिरिक्त वसूली कर बीज उत्पादकों को बेच दिया जाता है एवं इसके बदले में आरएसएससीएल उत्पादकों से पूर्व निर्धारित कीमतों पर आधार बीज खरीदता है।

कुल मामलों में प्रजनक बीजों का वितरण बहुत ही कम हुआ था।

अनुबन्ध-9 में दिये गये विवरणानुसार यह देखा गया कि 1995-96 से 1998-99 के दौरान आरएसएससीएल, प्राप्त/उपलब्ध प्रजनक बीज उत्पादकों को प्रत्येक वर्ष वितरित नहीं कर सका तथा विक्रय के लिए प्राप्त/उपलब्ध उन बीजों के वितरण की प्रतिशतता खरीफ एवं रबी की फसलों के लिए क्रमशः 62.36 से 79.71 एवं 78.57 से 99.43 के मध्य विचरित रही थी। तथापि, कुछ मामलों में यह प्रतिशतता केवल 6.89 से 37.12 थी। कीमती प्रजनक बीजों के कम वितरण के कारण आरएसएससीएल बीजों

के बहुगुणन के लाभ से वंचित रहा तथा इन बीजों के निस्तारण में उसे 4.68 लाख रुपये की हानि भी उठानी पड़ी क्योंकि उनकी अंकुरण क्षमता समाप्त हो चुकी थी।

लेखापरीक्षा में विश्लेषण से यह देखा गया कि प्रजनक बीजों के कम वितरण का मुख्य कारण बीज उत्पादकों को समय पर आधार बीज उत्पादन कार्यक्रम उपलब्ध नहीं कराना था।

सरकार ने विस्तृत विवरण दिए बिना ही बताया (जुलाई 1999) कि कृषि विश्वविद्यालयों से माँगी गई मात्रा प्राप्त नहीं होने एवं प्रजनक बीजों के विलम्ब से प्राप्त होने के कारण उत्पादन कार्यक्रम प्रभावित हुआ। उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि आरएसएससीएल उसके पास पहले से ही उपलब्ध प्रजनक बीज भी वितरित नहीं कर सका था।

2.7.4 प्रजनक बीज से उपज

प्रजनक बीजों से अपेक्षित पैदावार का निर्धारण आरएसएससीए* द्वारा खेत में फसल के निरीक्षण के बाद एवं फसल की दशा एवं स्थिति को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

प्रजनक बीजों से प्राप्त औसत उपज अपेक्षित उपज से कम थी।

तथापि, यह देखा गया कि वास्तविक उपज (64539.41 क्विण्टल) अपेक्षित उपज (89922.24 क्विण्टल) से कम थी परिणामस्वरूप 1995-96 से 1998-99 की अवधि के दौरान उपज में 25382.83 क्विण्टल (302.36 लाख रुपये) की कमी आयी। तथापि, उपर्युक्त अवधि के दौरान वास्तविक उपज की अपेक्षित उपज से प्रतिशतता खरीफ फसल के लिए 59.07 एवं 89.69 तथा रबी की फसल के लिए 68.04 एवं 79.40 के मध्य विचरित हुई। कुछ मामलों में, विशेषत: दालों के लिए (खरीफ), यह प्रतिशतता केवल 18.77 एवं 56.29 के मध्य विचरित हुई।

लेखापरीक्षा में किये गये विश्लेषण से प्रकट हुआ कि बीज उत्पादकों द्वारा खेती के मानकों का पालन नहीं करना तथा बुवाई क्षेत्र का निरीक्षण नहीं करना कम उत्पादन के मुख्य कारण थे।

सरकार ने बताया (जुलाई 1999) कि मौसमी परिस्थितियों ने पूर्वानुमानित उपज को प्रभावित किया था। इसके अतिरिक्त उत्पादकों द्वारा समग्र उत्पादन की आपूर्ति नहीं करना, जिसके लिए कोई कानूनी तरीका नहीं था जिससे उत्पादकों को बाध्य किया जा सके, कम उपज का मुख्य कारण था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि:-

- विशिष्ट क्षेत्र की मौसम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही अनुमान बनाए गए थे,

---

* राजस्थान राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसी

– अनुबन्ध में दण्ड से सम्बन्धित उपबन्ध को शामिल कर किसानों को उनके समग्र उत्पादन की आपूर्ति करने हेतु दबाव डाला जा सकता था।

2.7.5 आधार बीज

आधार बीज की आवश्यकता का आँकलन प्रत्येक मौसम के लिए प्रमाणित बीजों के फसल उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार कुल कृषि योग्य भूमि के अनुमानित क्षेत्र के आधार पर किया जाता है। आधार बीजों को उत्पादकों को प्रमाणित बीजों के उत्पादन के लिए निश्चित दरों पर पुनः बेच दिया जाता है।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि:-

आधार बीज के वितरण की कम प्रतिशतता के परिणामस्वरूप बीजों का संचय हुआ जिससे उनकी अंकुरण क्षमता समाप्त हो जाने के कारण पुनर्वधिकरण नहीं किया जा सका।

(i) उपर्युक्त अनुच्छेद 2.7.3 में विवेचना के अनुसार प्रजनक बीज की तरह आरएसएससीएल 1995-96 से 1998-99 के दौरान किसी भी वर्ष में प्रत्येक फसल के लिए उपलब्ध आधार बीज का भी वितरण नहीं कर सका एवं उनके वितरण की उपलब्ध बीज से प्रतिशतता खरीफ एवं रबी मौसम के लिए क्रमशः 35.59 से 65.24 एवं 59.98 से 74.73 के मध्य विचरित हुई थी। फलस्वरूप यह देखा गया कि 1995-96 से 1997-98 के दौरान अवितरित आधार बीजों का 23.29 लाख रुपये का भण्डार एकत्र हो गया था जिसे उनकी अंकुरण क्षमता समाप्त हो जाने के कारण पुनर्वधिकरण नहीं किया जा सका था। लेखापरीक्षा के आँकलन के अनुसार कम वितरण का मुख्य कारण उत्पादकों के क्षेत्रों में इस कार्य के लिए अर्थ-साहाय्य प्राप्त होने के बाद भी समुचित आधारभूत सुविधा (श्रेणीकरण सुविधा) का अभाव था जैसा कि अनुच्छेद 2.10.2 में चर्चा की गई है।

आधार बीजों से कच्चे बीजों की उपज कम थी।

(ii) आधार बीज से कच्चे बीज की उपज की मात्रा फसल की सम्पूर्ण अवधि के दौरान जलवायु परिस्थितियों तथा समुचित सिंचाई सुविधाओं को ध्यान में रखने के बाद निर्धारित की जाती है। कच्चे बीजों की वास्तविक उपज (8.27 लाख क्विण्टल) अपेक्षित उपज (13.70 लाख क्विंटल) से कम थी जिसके परिणामस्वरूप अनुबन्ध-9अ में दिये गये विवरणानुसार 1995-96 से 1998-99 के दौरान पैदावार में 5.43 लाख क्विण्टल (6317.97 लाख रुपये) की कमी आई। तथापि, उपर्युक्त अवधि में वास्तविक उपज की अपेक्षित उपज से प्रतिशतता खरीफ फसल के मामले में 32.19 एवं 50.23 तथा रबी फसल के मामले में 62.55 एवं 77.49 के मध्य विचरित हुई जबकि कुछ मामलों में यह केवल 18.70 एवं 29.41 प्रतिशत के मध्य थी। आरएसएससीएल ने कम उपज के कारणों की जाँच नहीं की थी। तथापि, लेखापरीक्षा विश्लेषण से प्रकट हुआ कि आधार बीजों से अपेक्षित उपज प्राप्त नहीं होने का आरोपित कारण बीज उत्पादकों द्वारा खेती के मानकों का पालन नहीं करना था किन्तु आरएसएससीएल ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की थी।

(iii) मजेदार बात यह भी देखी गयी कि आरएसएससीएल ने कृषकों को मूल्यवान आधार बीज का वितरण प्रमाणित बीज की तरह कर दिया एवं 1995-96 से 1997-98 के दौरान 20.80 लाख रुपये की हानि उठाई।

सरकार ने बताया (जुलाई 1999) कि आधार बीजों का वितरण अच्छी किस्म के बीज उपलब्ध कराने की सामाजिक प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए किया गया था तथा कृषक भी अपनी उपज क्षमता में सुधार के लिए आधार बीजों को ही प्राथमिकता देते हैं। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि आधार बीजों को प्रमाणित बीजों के उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जाता है एवं प्रमाणित बीजों की तरह सीधे ही नहीं बेचा जाता है।

2.7.6 प्रमाणित बीज

प्रमाणित बीज को आधार बीज से प्राप्त किया जाता है एवं प्रयोगशाला में परीक्षण के बाद फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषकों को वितरित किया जाता है।

2.7.6.1 प्रमाणित बीजों के वितरण का लक्ष्य

राज्य की वार्षिक योजना में आरएस एससीएल के अंशदान में कमी करने के बावजूद भी, वर्ष दर वर्ष, आरएसएससीएल लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका।

प्रमाणित बीजों के वितरण हेतु राज्य की वार्षिक योजना में राज्य सरकार द्वारा आरएसएससीएल के लिए यथा निर्धारित समग्र अंशदान में गिरावट का रुख था जो 1995-96 से 1998-99 के वर्षो के लिए क्रमशः 67.38, 53.03, 54.55 तथा 48.04 प्रतिशत था। इन लक्ष्यों के विपरीत लक्ष्य प्राप्ति 1995-96 में 82.80 प्रतिशत, 1996-97 में 96.51 प्रतिशत एवं 1997-98 में 87.66 प्रतिशत थी एवं कुछ निश्चित फसलों के मामलों में लक्ष्य प्राप्ति निर्धारित लक्ष्यों की केवल 33.98 प्रतिशत से 69.78 प्रतिशत थी। इस प्रकार, आरएसएससीएल राज्य सरकार द्वारा वर्ष दर वर्ष लक्ष्यों में कमी किए जाने के बाद भी प्रमाणित बीजों के वितरण के लक्ष्य की प्राप्ति में असफल रहा जो कि मुख्यतः निम्न चर्चित कारणों से था।

2.7.6.2 प्रमाणित बीजों का वितरण

वर्ष 1995-96 से 1998-99 के दौरान 8.99 लाख क्विटल (खरीफ: 2.99 लाख क्विण्टल एवं रबी: 6.00 लाख क्विण्टल) के लक्ष्य के विपरीत 7.98 लाख क्विण्टल (खरीफ: 2.61 लाख क्विण्टल एवं रबी: 5.37 लाख क्विण्टल) प्रमाणित बीजों का उत्पादन हुआ। प्रमाणित बीजों के वितरण का विवरण अनुबन्ध-10 में दिया गया है। उससे यह देखा जा सकता है कि प्रत्येक वर्ष (दोनों मौसम में) सभी तरह के प्रमाणित बीजों का उत्पादन लक्ष्य से कम था एवं लक्ष्य प्राप्ति की प्रतिशतता खरीफ मौसम के लिए 61.43 एवं 82.53 तथा रबी मौसम के लिए 79.22 एवं 97.39 के मध्य रही थी। तथापि, फसलवार विश्लेषण से यह प्रकट हुआ कि अन्न एवं दालों के उत्पादन की प्रतिशतता क्रमशः 1995-96 (खरीफ) में 50.90 एवं 37.28, 1996-97

(खरीफ) में 29.23 एवं 37.17 तथा 1997-98 (खरीफ) में 43.82 एव 31.11 थी। जैसा कि लेखापरीक्षा में देखा गया लक्ष्य प्राप्ति में कमी के मुख्य कारण, निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार उत्पादकों को प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम के लिए आधार बीजों का वितरण नहीं करना, बुवाई क्षेत्रों, जिसके लिए उत्पादन कार्यक्रम दिया गया था, का निरीक्षण नहीं करना तथा बीजों के उत्पादन के लिए उत्पादकों द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने के कारण कृषि युक्त क्षेत्र को अस्वीकार करना, थे।

2.7.7 उत्पादकों से प्रमाणित बीजों के प्रापण में हानि

बीजों के क्रय मूल्य की गलत गणना के परिणामस्वरूप 139.20 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

आरएसएससीएल की प्रमाणित बीजों की प्रापण नीति के अनुसार बीजों का क्रय मूल्य सम्बन्धित मण्डियों में प्रचलित मासिक औसत उच्चतम दर के आधार पर निर्धारित किया जाता है। मासिक औसत उच्चतम दर सम्बन्धित मण्डियों में उस दिन के अधिकतम बोली वाले तीन ढेरों की दैनिक औसत दर के आधार पर निकाली जाती है। इस नीति से हटते हुए वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 के दौरान महीने में तीन ढेरों के स्थान पर प्रत्येक दिन की एक ढेर की उच्चतम दर पर बीज प्राप्त किए गए (गंगानगर इकाई को छोड़कर) जिसके परिणामस्वरूप आरएसएससीएल के आँकलन के अनुसार आरएसएससीएल ने 139.20 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय किया।

2.8 कृषकों को प्रमाणित बीजों का विक्रय

कृषको को प्रमाणित बीजों का विक्रय इसके उत्पादन के 70 प्रतिशत से भी कम था।

आरएसएससीएल अपने स्वयं के विक्रय डिपो (प्रत्येक मौसम के लिए अस्थाई रूप से बनाए गए) एवं अधिकृत डीलरों (सहकारी एवं निजी क्षेत्र) के माध्यम से प्रमाणित बीजों का विक्रय किया करता है। जैसा कि अनुच्छेद 2.7.6 में वर्णित है, आरएसएससीएल वितरण के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार प्रमाणित बीजों का उत्पादन करने में समर्थ नहीं था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि इन उत्पादित प्रमाणित बीजों का भी विक्रय नहीं कर सका था क्योंकि यह लगभग सभी किस्मों के बीजों में खरीफ मौसम में इसके उत्पादन के 70 प्रतिशत से भी कम था। यह न केवल उत्पादन कार्यक्रम में आरएसएससीएल की असफलता का सूचक है वरन विपणन कौशल का अभाव भी दर्शाता है। आरएसएससीएल ने कृषकों को प्रमाणित बीजों के वितरण में कमी के कारणों का विश्लेषण नहीं किया था, तथापि, यह देखा गया कि विक्रय के लिए अधिकृत व्यापारियों का मात्रात्मक लक्ष्य निर्धारित नहीं करना एवं विभिन्न किस्मों के बीजों का विक्रय मूल्य का ध्यान नहीं रखना, कम विक्रय के मुख्य कारण थे।

विक्रय से सम्बन्धित अभिलेखों की संवीक्षा से यह प्रकट हुआ कि:-

- आरएसएससीएल ने अपने स्वयं के डिपों द्वारा विक्रय किये गए बीजों के साथ-साथ उनके विरुद्ध वहन किये गए व्यय का कोई वर्षवार अभिलेख/विवरणं संधारित नहीं किया था जिससे प्रत्येक डिपो की वर्षवार लाभप्रदता को लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

- बीज नियंत्रण आदेश 1983 के अन्तर्गत बीजों का विक्रय, आयात एवं निर्यात केवल लाइसेंसधारी व्यक्तियों द्वारा ही किया जा सकता है। लेखापरीक्षा की नमूना जाँच में यह देखा गया कि 1994-95 से 1998-99 के मध्य आरएसएससीएल ने 90 (कोटाः 20 एवं भरतपुरः 70) अधिकृत व्यापारियों को नियुक्त किया जिनके पास उक्त नियंत्रण आदेश के अंतर्गत बीज का व्यापार करने का लाइसेंस नहीं था। इसके अतिरिक्त, आरएसएससीएल ने विशेष तिथियों पर केवल बीजों के विशिष्ट विक्रय और वह भी ऑफ सीजन में भाग लेने हेतु अधिकृत व्यापारी नियुक्त किये थे (क्रमशः जनवरी 1996 एवं जनवरी 1998) जिसके परिणामस्वरूप व्यापारियों ने प्रमाणित बीजों का विक्रय अनाज के रूप में किया।

ऑफ सीजन के दौरान प्रमाणित बीजों के विक्रय के परिणामस्वरूप 45.61 लाख रुपये की हानि हुई।

- 1995-96 एवं 1997-98 के दौरान आरएसएससीएल ने अवितरित (गैहूँ) बीजों (34089.42 क्विण्टल) के पुनर्वधिकरण करवाये जाने के बजाय अधिकृत व्यापारियों को 20 से 26 प्रतिशत के मध्य विचरित अतिरिक्त कमीशन की अनुमति देकर ऑफ़ सीजन के दौरान बेच दिया (जनवरी 1996/1998) एवं जिससे 45.61 लाख रुपये की हानि उठानी पड़ी।

सरकार ने बताया (जुलाई 1999) कि इन बीजों को प्रमाणित बीजों के रूप में इस आश्वासन के साथ बेचा गया था कि व्यापारी अगले मौसम में वितरण से पहले बीजों का पुनर्वधिकरण करवा लेंगे। तथापि, जैसा कि ऊपर बताया गया है व्यापारियों द्वारा इन बीजों को बुवाई मौसम के बाद उठाया गया था तथा इन पर यह निगरानी रखने की कोई व्यवस्था नहीं थी कि क्या इन बीजों का पुनर्वधिकरण करवाया गया था।

2.8.1 व्यापारियों का कमीशन

बोर्ड द्वारा बीजों के विक्रय के लिए कमीशन के भुगतान की दरें संशोधित करते समय (सितम्बर 1996) 5 लाख रुपये से अधिक के विक्रय के लिए कमीशन को 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया था। कमीशन में इस वृद्धि के कारण उन व्यापारियों ने जो 5 लाख रुपये से कम मात्रा के बीज उठाते थे, आरएसएससीएल से बीज उठाना बन्द कर दिया तथा थोक व्यापारियों जिनकी बिक्री 5 लाख रुपये से अधिक की थी, से सीधे ही खरीदना शुरू कर दिया क्योंकि ये व्यापारी उन व्यापारियों से, जिनकी बिक्री 5 लाख रुपये से अधिक की थी, सीधे ही कमीशन प्राप्त

कर रहे थे। इस प्रकार, कमीशन की अविवेकपूर्ण नीति के कारण बीजों की विक्रय मात्रा में वृद्धि के बिना ही व्यापारियों के कमीशन की देयता में वृद्धि हो गई थी।

सरकार ने बताया (जुलाई 1999) कि थोक विक्रेताओं एवं वितरकों के माध्यम से विक्रय में वृद्धि के लिए कमीशन की दरों को बढ़ाया गया था लेकिन तथ्य यह है कि प्रमाणित बीजों का विक्रय वर्ष 1995-96 के 1.71 लाख क्विण्टल से कम होकर 1997-98 में 1.63 लाख क्विंटल रह गया।

2.8.2 कमीशन का भुगतान

प्रतिबद्ध मात्रा को नहीं उठाने पर भी व्यापारियों को कमीशन दे दिया गया।

आरएसएससीएल ने 1998-99 के दौरान 29 निजी अधिकृत व्यापारियों से कमीशन की प्रचलित दर पर उनके द्वारा स्वीकार्य मात्रा एवं मूल्य तक प्रमाणित बीजों के विक्रय के लिए अनुबन्ध किया। व्यापारियों के द्वारा विक्रय हेतु बीजों की अग्रिम बुकिंग पर 3 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कमीशन का भुगतान भी किया गया। यद्यपि व्यापारियों ने अनुबन्ध के अनुसार प्रतिबद्ध मात्रा नहीं उठाई थी, उन्हें 18.66 लाख रुपये का अतिरिक्त कमीशन अग्रिम बुकिंग के आधार पर प्रदान किया गया था। इस प्रकार, बीजों की सम्मत मात्रा को उठाया जाना सुनिश्चित किये बिना ही केवल अग्रिम बुकिंग के आधार पर कमीशन से सम्बन्धित उपबन्ध को शामिल किया जाना न्यायसंगत नहीं था।

सरकार ने बताया (जुलाई 1999) कि अग्रिम बुकिंग योजना अधिकतम विक्रय करने के उद्देश्य से क्रियान्वित की गई थी। लेकिन सरकार ने प्रतिबद्ध मात्रा को उठाये बिना ही कमीशन के भुगतान किये जाने के कारणों का उल्लेख नहीं किया था।

2.8.3 विक्रय मूल्य का उच्च दरों पर निर्धारण

मण्डल द्वारा अपनाई गई नीति के अनुसार प्रमाणित बीजों का विक्रय मूल्य प्रापण लागत पर वास्तविक उपरिव्ययों को जोड़कर निर्धारित किया जाना था। तथापि, यह देखा गया कि अनुवर्ती वर्षो में उपरिव्ययों में कमी के बावजूद भी (1994-95 में 43.87 प्रतिशत से 1995-96 में 31.76 प्रतिशत, 1996-97 में 39.22 प्रतिशत, 1997-98 में 37.64 प्रतिशत एवं 1998-99 में 35.35 प्रतिशत) आरएसएससीएल ने प्रमाणित बीजों का विक्रय मूल्य नहीं घटाया एवं 1994-95 के उपरिव्ययों पर आधारित मूल्य ही वसूलता रहा। इसके अतिरिक्त अन्य बीज उत्पादन करने वाली एजेंसियों की बाजार में प्रचलित दरों को ध्यान में रखे बिना ही दरें निर्धारित की गई थीं।

परिचालन लाभ 249.37 लाख रुपये (1995-96) से असाधारण रूप से घटकर 44.41 लाख रुपये (1998-99) रह गया था।

सरकार ने बताया (जुलाई 1999) कि अन्य एजेंसियाँ आरएसएससीएल द्वारा दरों की घोषणा करने के बाद ही अपनी दरों की घोषणा करती हैं जो कि हमेशा कम होती है, इसके अतिरिक्त, उनके बीजों की गुणवत्ता भी घटिया होती है। सरकार का जवाब स्वयं ही यह इंगित करता है कि आरएसएससीएल बाजार की प्रवृत्ति के साथ नहीं

चल सका था। जहाँ तक गुणवत्ता का सम्बन्ध है, अन्य एजेंसियों के बीजों को भी आरएसएससीए द्वारा प्रमाणित किया जाता है, इस प्रकार, सरकार का जवाब सही नहीं माना जा सकता है।

2.8.3.1 कृषकों को अर्थ-साहाय्य का लाभ नहीं देना

कृषकों को 397.69 लाख रुपये की अर्थ-साहाय्य का लाभ नहीं दिया गया।

यह देखा गया कि प्रमाणित बीजों का विक्रय मूल्य निर्धारित करते समय सरकार से दालों एवं तिलहन के प्रमाणित बीजों के उत्पादन पर प्राप्त अर्थ-साहाय्य (157.65 लाख रुपये) एवं बाजार अर्थ-साहाय्य (240.04 लाख रुपये) का ध्यान नहीं रखा गया। इस प्रकार, 1994-95 से 1998-99 के दौरान कृषकों को 397.69 लाख रुपये का अतिरिक्त भार वहन करना पड़ा।

सरकार ने बताया (जुलाई 1999) कि उत्पादन अर्थ-साहाय्य कुछ निश्चित फसलों तक ही सीमित था तथा जिसकी आनुपातिक मात्रा बहुत कम होने के कारण विक्रय मूल्य की गणना करते समय अर्थ-साहाय्य का ध्यान नहीं रखा गया। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि आरएसएससीएल का यह निर्णय सरकार द्वारा अर्थ-साहाय्य उपलब्ध कराने के यथार्थ उद्देश्य के ही विपरीत था।

2.8.4 सरकार को आपूरित बीजों के मामले में विक्रय मूल्य का गलत निर्धारण

बीजों की नई किस्मों को उन्नत करने/लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से सरकार कृषकों को विभिन्न प्रकार के बीजों का मिनिकिट कार्यक्रम के तहत वितरण करती है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए आरएसएससीएल द्वारा सरकार को बीजों की आपूर्ति की जाती है। यह देखा गया कि 1996-97 एवं 1997-98 के दौरान सरकार को बीजों की आपूर्ति करते समय बीजों के विक्रय मूल्य में 30 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी (15 प्रतिशत पैकिंग प्रभार एवं 15 प्रतिशत व्यापारियों को कमीशन)। इन प्रभारों की वृद्धि न्यायोचित नहीं थी क्योंकि पैकिंग प्रभार उपरिव्ययों में पहले से ही शामिल कर लिए गए थे तथा यह ध्यान रखते हुए कि सरकार को इनकी सीधे ही आपूर्ति की गई थी, कोई व्यापारिक कमीशन सम्मिलित नहीं था। इस प्रकार विक्रय मूल्य के स्वैच्छिक निर्धारण के परिणामस्वरूप वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 के दौरान 230.42 लाख रुपये की अधिक राशि का दावा सरकार से किया गया।

सरकार ने बताया (जुलाई 1999) कि कृषि विभाग केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की गई दरों के आधार पर मिनिकिटों का भुगतान करता है एवं केन्द्र सरकार आरएसएससीएल के लागत ढाँचे के आधार पर दरों का निर्धारण नहीं करती बल्कि एनएससीएल, एसएफसीआई* एवं बाजार में प्रचलित दर तथा अन्य राज्यों में लागत के आँकड़ों के आधार पर करती है। उत्तर इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार्य नहीं है कि यदि

---

* स्टेट फार्मस् कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

आरएसएससीएल ने मिनिकिट कार्यक्रम के तहत बीजों के उचित मूल्य प्रभारित किए होते तो सरकार कृषकों को वितरित करने हेतु अधिक मात्रा का प्रापण कर सकती थी। इस प्रकार नई किस्मों को लोकप्रिय बनाने का उद्देश्य अधिक प्रभावी रूप से प्राप्त किया जा सकता था।

राज्य में बीजों के कुल वितरण में आरएसएससीएल का योगदान 50 प्रतिशत से भी कम था।

2.9 राज्य में बीजों के वितरण में आरएसएससीएल का योगदान

आरएसएससीएल के मार्च 1999 को समाप्त होने वाले चार वर्षों के दौरान राज्य में प्रमाणित बीजों के वितरण में योगदान को निम्नलिखित तालिका में संक्षेपित किया गया है:-

वर्ष	फसल	राज्य में बीजों का कुल वितरण	आरएसएससीएल का योगदान	प्रतिशतता
			(क्विंटलों में)	
1995-96	खरीफ	124502	38653	31.05
	रबी	219844	132128	60.10
	योग	344346	170781	49.60
1996-97	खरीफ	132019	39041	29.57
	रबी	270097	125480	46.46
	योग	402116	164521	40.91
1997-98	खरीफ	149916	36081	24.07
	रबी	278279	127012	45.14
	योग	428195	163093	38.09
1998-99	खरीफ	151091	43748	28.95
	रबी	280153	149976	53.53
	योग	431244	193724	44.92

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि राज्य में बीजों के कुल वितरण की तुलना में आरएसएससीएल का योगदान 1995-96 में 49.60 प्रतिशत से घट कर 1997-98 के दौरान 38.09 प्रतिशत रह गया था, तथापि, 1998-99 के दौरान यह बढ़कर 44.92 प्रतिशत हो गया था। इस प्रकार, किसानों को उचित मूल्य पर बीज उपलब्ध कराने के लिए आरएसएससीएल के गठन का उद्देश्य पूरी तरह प्राप्त नहीं किया जा सका। पूर्व-चर्चानुसार कम योगदान के मुख्य कारण विपणन कौशल के अभाव के साथ इसके संयोजित प्रतिस्पर्द्धियों की तुलना में बीजों की अधिक दरें थी।

2.10 अर्थ-साहाय्य का उपयोग नहीं करना

कृषकों को उचित कीमत पर प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केन्द्र/राज्य सरकार आरएसएससीएल को प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु विभिन्न प्रकार की अर्थ-साहाय्य उपलब्ध कराती है। लेखापरीक्षा की नमूना जाँच में ध्यान में आई अर्थ-साहाय्य के उपयोग में अनियमितताओं की विवेचना नीचे की गई है।

2.10.1 राष्ट्रीय बीज परियोजना-III के तहत अनुदान

480 लाख रुपये के प्राप्त अनुदान में से केवल 195.57 लाख रुपये की राशि का ही उपयोग किया गया।

राष्ट्रीय बीज योजना-III के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य योजना (एएपी) को क्रियान्वित करने के लिए आरएसएससीएल, राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के मध्य आपसी समझौता (एमओयू) (जनवरी 1997) किया गया। इस परियोजना के अंतर्गत आरएसएससीएल ने पूँजीगत अनुदान के रूप में 480 लाख रुपये प्राप्त किए (मई 1995 में 200 लाख रुपये एवं अप्रैल 1997 में 280 लाख रुपये)।

इस प्रकार प्राप्त अनुदान को आरएसएससीएल द्वारा बीजों की गुणवत्ता एवं विपणन क्षमता में सुधार, प्रोसेसिंग सुविधाओं में विस्तार, फसलवार लागत प्रणाली एवं वित्तीय लेखों का संधारण, सूचना तकनीक का विकास एवं संगठनात्मक विस्तार हेतु (मार्च 1999 तक) उपयोग किया जाना था।

अभिलेखों की संवीक्षा से यह प्रकट हुआ कि आरएसएससीएल ने प्रोसेसिंग सुविधाओं में सुधार के लिए 195.57 लाख रुपये की राशि का उपयोग किया (मार्च 1999 तक) एवं शेष को स्थायी जमा में रखा एवं 112.97 लाख रुपये का ब्याज कमाया (1995-96: 25.81 लाख रुपये 1996-97: 24.98 लाख रुपये, 1997-98: 30.48 लाख रुपये एवं 1998-99: 31.70 लाख रुपये) जिससे अनुदान का यथार्थ उद्देश्य ही विफल हो गया।

2.10.2 बीज ग्राम अर्थ-साहाय्य

315.30 लाख रुपये के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी किये गये थे, यद्यपि आरएसएससीएल ने 95.86 लाख रुपये की राशि को अपने स्वयं के उपयोग में लिया था।

आरएसएससीएल ने दालों एवं तिलहन के प्रमाणित बीजों के उत्पादन के लिए 1994-95 से 1998-99 के दौरान 200 रुपये प्रति क्विण्टल की दर से 315.30 लाख रुपये की बीज ग्राम अर्थ-साहाय्य प्राप्त की (केन्द्र सरकार : 236.47 लाख रुपये, राज्य सरकार: 78.83 लाख रुपये)। अर्थ-साहाय्य के मार्गदर्शक बिन्दुओं के अनुसार 150 रुपये प्रति क्विण्टल बीज उत्पादकों को हस्तान्तरित किए जाने थे जिसमें से 100 रुपये प्रति क्विण्टल बीज उत्पादकों के क्षेत्रों में आधारभूत एवं अन्य सुविधाओं में सुधार के लिए थे। लेखापरीक्षा में देखा गया कि आरएसएससीएल ने बीज उत्पादकों के क्षेत्रों में कोई आधारभूत अथवा अन्य सुविधाएँ उपलब्ध नहीं कराई थी एवं 95.86 लाख रुपये की राशि को अपने स्वयं के उपयोग में ले लिया था यद्यपि उपयोगिता प्रमाण पत्र समग्र राशि के लिए जारी किया गया था।

सरकार ने बताया (जुलाई 1999) कि प्रोसेसिंग संयंत्र के निकट के गाँवों का चयन करके आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई थी एवं निधियों का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया था जिसके लिए उन्हें स्वीकृत किया गया था। तथापि, लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि 95.86 लाख रुपये की अर्थ-साहाय्य का, जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, को अपने स्वयं के उपयोग में लेने के अतिरिक्त 31 मार्च 1999 को 61.79 लाख रुपये का अप्रयुक्त शेष सावधि जमा में पड़ा हुआ था।

2.10.3 सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए बीजों के उत्पादन में निधियों का दुरूपयोग

विभिन्न किस्मों के खाद्यान्नों की फसलों के लिए प्रमाणित बीजों की उपलब्धता बढ़ाने के मौलिक उद्देश्य हेतु भारत सरकार द्वारा 260 लाख रुपये का अनुदान केन्द्रीय क्षेत्र बीज उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए रिवॉल्विंग फण्ड बनाने के लिए जारी किया गया (मार्च 1996) जिसे प्रमाणित बीजों के विक्रय के बाद पुनर्भरण किया जाना था। रिवॉल्विंग फण्ड बनाए जाने के बाद से आरएसएससीएल ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों (डीपीए) में कोई बीज उत्पादन कार्यक्रम आरम्भ नहीं किया। पृथक अभिलेखों के अभाव में उस उद्देश्य को जिसके लिए अनुदान का उपयोग किया गया, लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका, तथापि, नवम्बर 1997 में प्राप्त 95 लाख रुपये का उपयोग सरकारी ऋणों पर ब्याज के भुगतान में किया गया जो कि योजना के क्षेत्र से बाहर था।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते समय बताया (जुलाई 1999) कि बीज क्रियाकलाप मौसमी होने से डीपीएपी के लिए पृथक लेखों का संधारण संभव नहीं था।

2.11 कृषि क्षेत्र क्रियाकलाप

राज्य सरकार ने अगस्त 1983 से नवम्बर 1984 के मध्य 13 राज्य कृषि क्षेत्र आरएसएससीएल को पट्टा आधार पर हस्तान्तरित किए। इन क्षेत्रों का कुल क्षेत्रफल 681 हैक्टेयर (438 हैक्टेयर सिंचित तथा 243 हैक्टेयर असिंचित) था। आरएसएससीएल ने अपने बीज विकास कार्यक्रम के लिए 1994 (खरीफ) तक इन कृषि क्षेत्रों का उपयोग किया। तथापि, यह विचार करते हुए कि यह कृषि क्षेत्र वांछित परिणाम नहीं दे रहे थे एवं हानि उठा रहे थे, इन कृषि क्षेत्रों को पट्टे पर देने का निर्णय लिया गया (दिसम्बर 1994)। तद्नुसार इन कृषि क्षेत्रों को बीजों के उत्पादन के लिए विभिन्न पार्टियों को ठेके के आधार पर दे दिया गया (रबी 1994-95)। पट्टा विलेख के अनुसार इन कृषि क्षेत्रों में उत्पादित बीजों को आरएसएससीएल को बेचा जाना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा में ध्यान में आया कि:-

- वर्ष 1996-97 के लिए रसियावास कृषि क्षेत्र 3.21 लाख रुपये की राशि पर, जो कि चार समान किश्तों में वसूल की जानी थी, ठेके के आधार पर पट्टे पर दे दिया गया। ठेकेदार ने देय तिथि पर केवल एक किश्त का भुगतान किया एवं उसके बाद किसी भी राशि के भुगतान में असफल रहा। क्षेत्रीय कार्यालय ने संविदा को भंग करने के स्थान पर ठेकेदार को फसल काटने (खरीफ एवं रबी दोनों फसलों के लिए) एवं 2.41 लाख रुपये की शेष राशि की वसूली किए बिना ही उत्पादन को उठा ले जाने की अनुमति प्रदान कर दी। कृषि क्षेत्र में संभावित उत्पादन के आँकलन करने हेतु किसी प्रणाली/अभिलेख के अभाव में पट्टाधारी द्वारा उठा ले जाई गई उत्पादन की मात्रा को लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

- आरएसएससीएल ने कृषि क्षेत्रों से प्राप्त पैदावार का इकाईवार अभिलेख संधारित नहीं किया जिसके अभाव में लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि ठेकेदारों से आरएसएससीए द्वारा अनुमानित सम्पूर्ण पैदावार को प्राप्त कर लिया गया था। चार कृषि क्षेत्रों (कवई, सुल्तानपुर, खेमरी एवं पदमपुर) के अभिलेखों की नमूना जाँच में यह प्रकट हुआ कि यद्यपि ठेकेदारों ने सम्पूर्ण पैदावार को हस्तांतरित नहीं किया था फिर भी अनुबन्ध के अनुसार 13.34 लाख रुपये का जुर्माना नहीं लगाया गया एवं वसूल नहीं किया गया।

2.12 विविध देनदार

31 मार्च 1999 को विविध देनदारों के विरुद्ध बकाया राशि 334.75 लाख रुपये थी जिसमें से 205.41 लाख रुपये सरकार (कृषि विभाग) से, 18.47 लाख रुपये हैण्डलिंग अभिकर्ताओं से एवं 110.87 लाख रुपये अन्य से बकाया थे।

आरएसएससीएल के पास 1994-95 से पूर्व की अवधि से सम्बन्धित देनदारों (181.55 लाख रुपये) एवं उत्पादकों के विरुद्ध बकाया (41.86 लाख रुपये) का कोई विवरण नहीं था।

लेखापरीक्षा में ध्यान में आया कि 334.75 लाख रुपये में से 181.55 लाख रुपये 1994-95 से पूर्व की अवधि से सम्बन्धित थे जिसका आरएसएससीएल के पास कोई विवरण उपलब्ध नहीं था एवं इस प्रकार वसूली की संभावनाएँ बहुत क्षीण हैं। बकाया की समय पर वसूली नहीं करने के परिणामस्वरूप आरएसएससीएल को मार्च 1999 तक 87.15 लाख रुपये* के ब्याज की हानि उठानी पड़ी।

उसी प्रकार, 31 मार्च 1999 को बीज उत्पादकों से 147.75 लाख रुपये की राशि बकाया थी जिसमें से 41.86 लाख रुपये की राशि 1994-95 से पूर्व की अवधि से सम्बन्धित थी जिसका आरएसएससीएल के पास कोई विवरण नहीं था जिसके कारण वसूली की शायद ही कोई संभावना थी। बीज उत्पादकों से बकाया की वसूली नहीं

* 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से गणना की गई।

करने के परिणामस्वरूप आरएसएससीएल को मार्च 1999 तक 20.09 लाख रुपये के ब्याज की हानि उठानी पड़ी।

2.13 अन्य रुचिकर प्रकरण

2.13.1 निरीक्षण प्रभारों की हानि

आरएसएससीए के अनुरोध पर आरएसएससीएल उनकी स्व-प्रमाणीकरण योजना के अन्तर्गत अपना योग्य स्टॉफ उपलब्ध कराने को सहमत हो गया था लेकिन उनके बीजों के निरीक्षण के लिए 4 रुपये प्रति एकड़ की दर से एवं ग्रेडिंग इत्यादि के लिए 2 रुपये प्रति क्विण्टल की दर से निरीक्षण प्रभारों, जैसा कि आरएसएससीए द्वारा अन्य पक्षकारों को भुगतान किया जा रहा था, के भुगतान हेतु आग्रह नहीं किया। इसके कारण आरएसएससीएल को 1995-96 से 1997-98 के दौरान अपने स्टॉफ द्वारा निष्पादित किए गए निरीक्षण (40247.20 एकड़) एवं ग्रेडिंग (3.01 लाख क्विण्टल) कार्य हेतु 7.64 लाख रुपये की आय से वंचित रहना पड़ा।

सरकार ने बताया (जुलाई 1999) कि आरएसएससीए में स्टॉफ की कमी से निबटने के लिए आरएसएससीए व आरएसएससीएल के मध्य विचार-विमर्श के बाद आरएसएससीएल के स्टॉफ की सेवाएँ उपलब्ध करवाये जाने की सहमति हो गई थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि आरएसएससीएल ने उक्त प्रस्ताव को स्वीकार करते समय अपने हितों की रक्षा नहीं की।

2.13.2 सिविल कार्यों का निष्पादन

कृषि क्षेत्रों में आधारभूत विकास कार्यो के लिए आरएसएससीएल ने आवास विकास संस्थान (एवीएस) को सिविल कार्यों के निर्माण के लिए 158.79 लाख रुपये में, वास्तविक पर 15 प्रतिशत जोड़कर, कार्य-आदेश प्रदान किया (जनवरी 1996) जिसमें से 124.95 लाख रुपये की राशि अग्रिम के रूप में दी गई (दिसम्बर 1995: 79.39 लाख रुपये एवं जनवरी 1997: 45.56 लाख रुपये)। कार्यादेश के अनुसार एवीएस को दिये गये सभी कार्य मार्च 1997 तक पूर्ण हो जाने चाहिए थे, तथापि, दिसम्बर 1997 में एवीएस ने कार्य को अधूरा छोड़ दिया। कार्यो के पूरा नहीं होने के कारण न केवल यथा अभिकल्पित आधारभूत सुविधाओं का विकास ही किया जा सका अपितु आरएसएससीएल को 22.27 लाख रुपये की हानि भी वहन करनी पड़ी (गोदाम किराया: 10.33 लाख रुपये, सामान की क्षति: 8 लाख रुपये एवं कृषि क्षेत्र से प्राप्त राजस्व की हानि: 3.94 लाख रुपये) जिसे एवीएस से वसूल नहीं किया जा सका क्योंकि कार्य बिना कोई अनुबन्ध किए ही आवंटित किया गया था। इसके अतिरिक्त,

किए गए कार्य के किसी भी विवरण के अभाव में अग्रिम राशि का भी समायोजन नहीं किया जा सका।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (जुलाई 1999) कि एवीएस द्वारा किए गए कार्य का सही मूल्यांकन करने के लिए पंजीकृत आँकलनकर्ताओं की सेवाएँ प्राप्त करने हेतु प्रयास किए जा रहे थे।

निष्कर्ष

आरएसएससीएल का गठन राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम के अन्तर्गत उच्च गुणवत्ता के बीजों के उत्पादन एवं कृषकों को वितरण के उद्देश्य से किया गया था। अपने मुख्य उद्देश्य से हटते हुए इसने अनुपयोगित अनुदान/अर्थ-साहाय्य को सावधि जमा में निवेश कर एवं बीजों का विक्रय मूल्य उच्च दरों पर निर्धारित कर लाभ कमाना शुरू कर दिया। तथापि, आरएसएससीएल का परिचालन लाभ 1995-96 से 1998-99 तक असाधारण रूप से कम हुआ था। राज्य में बीजों के वितरण में आरएसएससीएल का योगदान सार्थक नहीं था, इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में कि अब निजी कम्पनियों द्वारा वाणिज्यिक रूप से अच्छी गुणवत्ता के बीजों को उपलब्ध करवाया जा रहा है एवं उनकी निष्पादकता भी सरकारी बीज निगम से जिसकी स्थापना उस समय हुई थी जब इस कार्यक्षेत्र में निजी क्षेत्र अनुपस्थित था, अति उत्कृष्ट है; आरएसएससीएल को वर्तमान स्वरूप में ही चलाये जाने पर पुनर्विचार की आवश्यकता है एवं सरकार को उन क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए जहाँ निजी क्षेत्र व्यापार नहीं कर रहे हैं।

अध्याय-III

सांविधिक निगम से सम्बन्धित समीक्षाएँ

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल

3.अ सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) में विद्युत क्षेत्र का भौतिक एवं वित्तीय कार्य निष्पादन

3.ब प्रेषण एवं वितरण प्रणाली

राजस्थान वित्त निगम

3.स वसूली निष्पादन

अध्याय-III अ

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) में विद्युत क्षेत्र का भौतिक एवं वित्तीय कार्य निष्पादन

अनुच्छेद संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
	झलकियाँ	47
3अ.1	प्रस्तावना	48
3अ.2	लेखापरीक्षा का क्षेत्र	48
3अ.3	योजना प्रारूप व वास्तविक व्यय	48
3अ.4	लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ	49
3अ.5	भौतिक निष्पादन	51
3अ.6	वित्तीय निष्पादन	61
3अ.7	अन्य रूचिकर प्रकरण	62
	निष्कर्ष	63

अध्याय-III अ

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल

3अ. सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) में विद्युत क्षेत्र का भौतिक एवं वित्तीय कार्य निष्पादन

झलकियाँ

सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए विद्युत क्षेत्र का कुल (संशोधित) प्रारूप 916.19 करोड़ रुपये था। जिसके विरूद्ध मण्डल* ने 992.06 करोड़ रुपये के कोष आवंटित कर दिये जबकि वास्तविक व्यय 970.13 करोड़ रुपये का हुआ।

(अनुच्छेद 3अ.3)

मण्डल ने विद्युत उत्पादन के लक्ष्य अर्जित कर लिये थे। तथापि, निवेश में 611.70 करोड़ रुपये की कमी के कारण प्रसारण लाइनों के निर्माण की उपलब्धि लक्ष्यों से काफी पिछड़ गई थी।

(अनुच्छेद 3अ.4 तथा 3अ.5.4.2)

11 परियोजनाओं को उनकी निर्धारित चालू करने की तिथियों के 22 से 96 माह के पश्चात् 499.22 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत लगाकर पूरा किया गया था।

(अनुच्छेद 3अ.5.2.1)

मण्डल के अनिश्चयात्मक एवं अनुचित आयोजन के फलस्वरूप जाखम परियोजना की कार्यान्विति नहीं हो पाई जिससे 1985-86 से 80.03 लाख रुपये

* राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल

अवरूद्ध रहे। परियोजना पूर्ण नहीं किये जाने से 331.91 लाख इकाई (477.95 लाख रुपये) उत्पादन की भी हानि हुई।

(अनुच्छेद 3अ.5.2.2)

विद्युत के लागत से कम में विक्रय के कारण योजनावधि के दौरान मण्डल की परिचालन हानि 45.57 करोड़ रुपये (1985-86) से बढ़कर 151.38 करोड़ रुपये (1989-90) हो गई थी।

(अनुच्छेद 3अ.6)

3अ.1 प्रस्तावना

भारत सरकार की ऊर्जा नीति के उद्देश्य न्यूनतम लागत पर यथेष्ठ ऊर्जा आपूर्ति एवं ऊर्जा आपूर्ति में स्वालम्बन की सुनिश्चितता के रहे हैं। केन्द्र सरकार ऊर्जा शक्ति के प्रतिपादन करने एवं नीतिगत निर्णय लेने एवं उनका संचालन करने, ऊर्जा आपूर्ति हेतु अधिनियम/नियम बनाने, परियोजना क्रियान्वयन की प्रगति का अनुश्रवण करने तथा विनियोजन के निर्णय आदि के कार्य करती है।

मण्डल* राजस्थान में ऊर्जा क्षेत्र का ढाँचागत आधार बनाये रखता है जो राज्य में विद्युत का उत्पादन, क्रय, प्रेषण एवं वितरण करता है।

3अ.2 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

वर्तमान समीक्षा में सातवीं पंचवर्षीय योजना में विद्युत मण्डल के भौतिक व वित्तीय लक्ष्य व उपलब्धियाँ सन्निहित है। इसमें, पूर्ववर्ती पंचवर्षीय योजनाओं से चली आ रही परियोजनाओं तथा सातवीं योजना में प्रारम्भ की गई परियोजनाऐं जो अगली योजना अवधि तक खिसका दी गई है को भी सम्मिलित किया गया है।

3अ.3 योजना प्रारूप व वास्तविक व्यय

योजना आयोग ने सातवीं पंचवर्षीय योजना हेतु ऊर्जा क्षेत्र के लिए राज्य प्रारूप के 3000 करोड़ रुपये (संशोधित 3105 करोड़ रुपये) के विरूद्ध 920.76 करोड़ रुपये (संशोधित 916.19 करोड़ रुपये) अनुमोदित किये थे।इस प्रकार ऊर्जा क्षेत्र पर प्रारूप

* राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल

राज्य के संशोधित प्रारूप का 29.51 प्रतिशत था। इस प्रारूप के आधार पर मण्डल ने योजना विभाग के परामर्श तथा उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुये वार्षिक योजनाओं में कार्यों के कार्यान्वयन के लिए निधियों का आवंटन किया था। निम्नलिखित तालिका योजना प्रारूप, सातवीं योजना अवधि (1985 से 1990) के दौरान वास्तविक व्यय की तुलना में, पांच वार्षिक योजनाओं में आवंटित निधियों को दर्शाती है।

क्रियाकलाप	योजना प्रारूप (संशोधित)	बजट के अनुसार कोष आवंटन (संशोधित)	वस्तविक व्यय	संशोधित योजना से अधिक आवंटन	संशोधित योजना से व्यय का आधिक्य (+)/कमी(-)
		(रुपये करोड़ों में)			
1.उत्पादन (आस्थगित लागत सहित)	491.88 (53.69)	491.97 (49.59)	471.52 (48.60)	0.09	(-)20.36
2.प्रेषण व वितरण	284.49 (31.05)	306.66 (30.91)	333.54 (34.38)	22.17	(+)49.05
3.ग्रामीण विद्युतिकरण (आर.ई.)	138.77 (15.15)	192.38 (19.39)	164.62 (16.97)	53.61	(+)25.85
4.सर्वेक्षण एवं अनुसंधान	1.05 (0.11)	1.05 (0.11)	0.45 (0.05)	-	(-)0.60
योग	**916.19**	**992.06**	**970.13**	**75.87**	**(+)53.94**

कोष्ठक में दर्शाये गये आंकड़े प्रतिशतता के द्योतक है।

उपरोक्त से यह प्रकट होता है कि संशोधित योजना प्रारूप से वास्तविक व्यय अधिक था क्योंकि आर.ई. योजनाओं के अन्तर्गत सेवा कनेक्शन हेतु आवश्यक 11 के.वी./33 के.वी. के सहायक कार्यों की तुलना में ग्रामों व कुओं के विद्युतिकरण के लिए निर्धारित उच्च लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पूर्व योजना आवंटन पर्याप्त नहीं था। तथापि, बजट आवंटन की तुलना में वास्तविक व्यय कम था परिणामस्वरूप अनुच्छेद 3अ.5.6.2 में विवेचनानुसार ट्यूबवेलस्/पम्प सेटों के विद्युतिकरण में कमी आई।

3अ.4 लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

राज्य योजना में उपलब्ध/आवंटित निधियों के आधार पर ऊर्जा उत्पादन एवं प्रेषण लाइनों आदि के लक्ष्य निश्चित किये जाते हैं। वार्षिक योजना/पंचवर्षीय योजना प्रतिपादित करते समय अभिकल्पित कार्यो के अतिरिक्त, चल रही परियोजनाओं के कार्यो को भी ध्यान में रखा जाता है।

निम्नलिखित तालिका सातवीं योजना अवधि (1985-90) के दौरान उत्पादन क्षमता, विद्युत उत्पादन, प्रेषण एवं वितरण लाइनों आदि के निर्धारित लक्ष्यों एवं उनके समक्ष उपलब्धियों को दर्शाती है:

क्र. सं.	विवरण	इकाई	लक्ष्य	वास्तविक	उपलब्धियों की प्रतिशतता
1.	उत्पादन क्षमता (योजनावधि मे परिवर्धन)	एम.डब्ल्यू.[1]	590.57	569.00	96.35
2.	विद्युत उत्पादन	एम.यू.[2]	24570	26865.81[4]	109.34
3.	प्रेषण लाइनें				
	अ. इ.एच.टी-				
	-(i)200 के.वी.	सी.के.एम. एस.[3]	1668	866.86	51.97
	(ii)132 KV	-"-	1059	830.09	78.38
	ब.एच.टी..-(i)33 के.वी.	-"-	2900	960.17	33.11
	(ii)11 के.वी.	-"-	निर्धारित नहीं	26274.15	-
4.	वितरण लाइनें	-"-	निर्धारित नहीं	29287.11	-
5..	विद्युतिकरण				
	अ. गाँवों का	संख्या में	6300	6678	106.00
	ब. हरिजन बस्तियाँ	संख्या में	6000	5979	99.65
	स. पम्प सेट्स	संख्या में	79000	74685	94.54
6.	मार्ग हानि (टीएण्डडी हानि)	प्रतिशत	23.75 से 22.75	23.67 से 24.73	-

उपरोक्त तालिका से यह देखा गया कि विद्युत उत्पादन के मामले में उपलब्धि लक्ष्य से अधिक थी किन्तु यह प्रेषण लाइनों के निर्माण में लक्ष्य से बहुत पीछे थी। इस असमानता के फलस्वरूप प्रेषण व वितरण हानियों में वृद्धि हुई, जैसा कि अनुच्छेद 3अ.5.5 में चर्चा की गयी है।

इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया कि :

(अ) थर्मल ऊर्जा उत्पादन के उपलब्ध स्थापित मानकों (एक वर्ष में 6000 घण्टे) के अनुसार योजना अवधि मे मण्डल के थर्मल स्टेशनों की उपलब्ध उत्पादन क्षमता 8070

[1] मेगावाट

[2] इकाई दस लाख इकाईयों में

[3] परिधि किलोमीटर में

[4] इसम्में संयुक्त परियोजनाओं में मण्डल का हिस्सा भी शामिल है।

मिलियन इकाई थी जिसके विरूद्ध वास्तविक ऊर्जा उत्पादन 7307.140 मिलियन इकाई था जो उपयोगिता क्षमता के 90.55 प्रतिशत का द्योतक है।

ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य राज्य में ऊर्जा की आवश्यकता के अनुरूप नहीं थे।

(ब) सीईए* के मूल्यांकन के अनुसार योजनावधि के दौरान राज्य की ऊर्जा आवश्यकता 53988 मिलियन इकाई थी जिसके विरूद्ध समस्त स्रोतों से उपलब्ध ऊर्जा 32279.31 मिलियन इकाई थी (अनुबन्ध-11)। इस प्रकार 21708.69 मिलियन इकाई का घाटा था जो कुल आवश्यकता के 40.21 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता था। इस परिपेक्ष में यह स्पष्ट है कि उत्पादन क्षमता में वृद्धि की योजना, राज्य में ऊर्जा की आवश्यकता के अनुरूप नहीं थी, जो आवश्यक निधियों की अनुपलब्धता के कारण बताया गया। इस समस्या का समाधान, असाधारण समय अतिवृद्धि के कारण परियोजनाओं पर अतिरिक्त लागत तथा अविवेकपूर्ण निर्णयों के कारण निधियों की अवरूद्धता, जैसा कि अनुच्छेद 3अ.5.1 से 3अ.5.2.2 तथा 3अ.5.4.2 में विस्तार से चर्चा की गई हैं, पर उचित आयोजना/अनुश्रवण द्वारा किया जा सकता था।।

(स) प्रेषण लाइनों के निर्माण की उपलब्धि लक्ष्यों से बहुत कम थी जो मुख्यत: ऊर्जा की उत्पादन क्षमता में वृद्धि के अनुरूप ही लाइनों के आवंटन में वृद्धि करने में मण्डल की असफलता के कारण थी, जैसा कि अनुच्छेद 3अ.5.4.2. में विवेचित हैं।

3अ.5 भौतिक निष्पादन

3अ.5.1 उत्पादन क्षमता

छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त में राज्य की स्थापित उत्पादन क्षमता 1747.86 मैगावाट थी जिसमें मण्डल की 251.58 मैगावाट (220 मैगावाट थर्मल तथा 31.58 मैगावाट लघु डीजल); अन्तर राज्य साझेदारी से 932.75 मैगावाट (125 मैगावाट थर्मल एवं 807.75 मैगावाट हाइडल) तथा अन्य केन्द्रीय ऊर्जा परियोजनाओं से 563.53 मैगावाट (123.53 मैगावाट थर्मल एवं 440 मैगावट आणविक) सम्मिलित थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1059.04 मैगावाट अतिरिक्त क्षमता परिकल्पित थी जिसके विरूद्ध मण्डल का हिस्सा 590.57 मैगावाट(420 मैगावाट थर्मल, 167.57 मैगावाट हाइडल एवं 3 मैगावाट गैस) था तथा शेष अन्य स्त्रोतों से था। उत्पादन क्षमता की स्थिति अनुबन्ध -12 में अंकित की गई है।

पंचवर्षीय योजना के दौरान 590.57 मैगावाट की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु मण्डल ने पूर्व योजनाओं से आगे लाई गई 149 मैगावाट की 4 परियोजनाओं सहित 12 परियोजनाओं को पूर्ण करने का निर्णय लिया था। मण्डल द्वारा

* केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण

12 परियोजनाओं में से, 199.67 करोड़ रुपये के अनुमान के विरूद्ध 659.45 करोड़ रुपये (मार्च 1998 अनन्तिम) की लागत से योजना अवधि में 569 मैगावाट की 5 परियोजनायें (4 आगे लाई गई सहित) ही पूर्ण की जा सकी। इन परियोजनाओं के पूर्ण करने में नियत तिथि से 22 से 26 माह तक का अधिक समय लिया गया। सातवीं योजना में पूर्ण की जाने वाली 16.57 मैगावाट की 6 परियोजनायें (मिनि हाइडल) आगे खिसका कर 39.44 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत से मार्च 1991 एवं मार्च 1995 के मध्य पूर्ण की गई थीं तथा समय अति वृद्धि 33 से 96 माह के मध्य थी। 5 मैगावट (मूलत: 9 मैगावाट) की एक परियोजना (जाखम) अभी तक भी चालू नहीं हुई थी (अगस्त 1999)। इन सभी परियोजनाओं का विवरण अनुच्छेद-13 में दिया गया है।

3अ.5.2 परियोजनाओं का क्रियान्वयन

3अ.5.2.1 पूर्ण हुई परियोजनायें

499.22 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत से नियत तिथि से 22 से 96 माह के पश्चात् परियोजनायें पूर्ण की गई थी।

पूर्ण हुई 11 परियोजनाओं में से 10 परियोजनाओं की समय-समय पर की गई समीक्षायें भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में सम्मिलित की जा चुकी है जैसा कि अनुबन्ध-13 में विस्तृत है। ऊपर दर्शायेनुसार इन परियोजनाओं के पूर्ण होने में 22 से 96 माह के बीच का असाधारण विलम्ब हुआ था। फलस्वरूप 499.22 करोड़ रुपये की लागत अति वृद्धि हुई थी। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के विभिन्न प्रतिवेदनों में विवेचित इन परियोजनाओं के समय व लागत अति वृद्धि के बताये गये मुख्य कारण थे:

(अ) मशीनों के लिए आदेश देने, ठेके प्रदान करने, आरेखों को अन्तिम रूप देने एवं उनके अनुमोदन में, कार्य स्थलों को सौंपने में विलम्ब,

(ब) स्थल तथा जलकपाट के संरेखण, परिरूप एवं खाकों में परिवर्तन,

(स) सिविल कार्यो के लिए निविदा जारी करने मै विलम्ब,

(द) भू-अधिग्रहण में विलम्ब,

(य) अधिक जल प्लावन, अभिकल्पित जल प्रवाह में कमी,

(र) रामगढ़ गैस विद्युत गृह के प्रकरण में गैस आपूर्ति के प्रबन्धन में विलम्ब करना।

3अ.5.2.2 अपूर्ण परियोजना

जाखम परियोजना

योजना आयोग ने अक्टूबर 1984 में चितौड़गढ़ जिले में जाखम बाँध पर 1292.94 लाख रुपये की अनुमानित लागत से प्रति 4.5 मैगावाट की दो इकाई वाले एक विद्युत गृह के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की थी। योजना में जलाशय के दाहिने छोर पर जाखम बांध पर ऊपरी ओर एक अन्त:ग्रही ढ़ांचे तथा जाखम नदी को पार करती एक 3.38 कि.मी. लम्बी अंत-प्रवाह सुरंग के निर्माण का प्रावधान था। अप्रेल 1985 में विस्तृत भूगर्भीय अनुसंधान करवाया गया जिससे प्रकट हुआ कि जाखम नदी को पार करती लम्बी अंत-प्रवाह सुरंग निर्माण के दौरान जल प्लावन परिचालन में बाधायें आ रही थी। फलस्वरूप सीडब्ल्यूसी* एवं सीईए से परामर्श कर अंत-प्रवाह सुरंग की पुन: रूपरेखा तैयार की गई तथा परियोजना प्रतिवेदन संशोधित किया गया (अप्रेल 1985)। संशोधित परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार प्रति 2.5 मैगावाट की दो इकाईयों पर 1600.62 लाख रुपये की लागत का अनुमान लगाया गया। राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् मण्डल ने सिंचाई विभाग को अन्त:ग्रहित ढांचे की रूपरेखा बनाने का कार्य सौंपा जिसे 1985-86 में 60.84 लाख रुपये की लागत से कर दिया गया था।

परियोजना प्रतिवेदन में संशोधन/पुनर्परिरूप एवं वन विभाग द्वारा वन क्षेत्र में भूमि आवश्यकता को पुन: कम करने के आग्रह (सितम्बर 1986) के कारण मण्डल ने भूमि की आवश्यकता को तीन बार, जून 1985 में 30 हेक्टेयर से मार्च 1989 में 9.6 हेक्टेयर, संशोधित किया । भारत सरकार द्वारा भूमि की आवश्यकता में इस कमी को भी नामंजूर कर दिया गया।

अन्त:तोगत्वा नवम्बर 1994 में भारत सरकार 15.60 लाख रुपये की लागत पर 5 हेक्टेयर भूमि हेतु सहमत हो गयी, मण्डल द्वारा भुगतान कर दिया गया (नवम्बर 1995)। मण्डल ने परियोजना पर 3.59 लाख रुपये के विविध व्यय भी वहन किये।

निजी क्षेत्र में नई उत्पादन परियोजनाओं के विकास की नीति के कारण मण्डल ने योजना को निजी क्षेत्र में क्रियान्वित करने का निर्णय लिया (अप्रेल 1995)। प्राप्त बोलियाँ (16 दिसम्बर 1995) किसी निर्णय को प्रेरित नहीं कर पाई क्योंकि बोलीदाताओं (दो) ने कम पानी उपलब्धता की स्थिति में उत्पादन मान लिये जाने की मांग स्वीकार नहीं करने एवं 2.40 रुपये प्रति के.डब्ल्यू.एच. की संतुलित उदृत दर को उच्च माने जाने के कारण अपने प्रस्ताव वापस ले लिये। इस तरह निजी क्षेत्र में परियोजना क्रियान्वयन का विचार समाप्त कर दिया गया। बाद में मण्डल ने 9 मैगावाट के स्थान पर 5 मैगावाट की परियोजना स्वयं अपने स्तर पर क्रियान्वित/निष्पादित करने

* केन्द्रीय जल आयोग

का निर्णय लिया (सितम्बर 1998) जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया (नवम्बर 1998)। परियोजना का संशोधित अनुमान 4300.19 लाख रुपये निकाला गया है तथा 1999-2000 से 2 इकाईयों को चालू करने के लिए 4 से 5 वर्ष का समय माना गया है। संशोधित अनुमान मण्डल के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत नहीं किये गये हैं (सितम्बर 1999)। परियोजना का निष्पादन कार्य जल्दी ही शुरू करना बताया गया है (सितम्बर 1999)। इस प्रकार मण्डल की अनिर्णयात्मक एवं दोषपूर्ण आयोजना के परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष 477.95 लाख रुपये की 331.99 लाख इकाई के औसत उत्पादन की हानि के अलावा 80.03 लाख रुपये की निधियाँ (निर्माण काल के दौरान ब्याज को छोड़ते हुये) अवरूद्ध रही।

3अ.5.3 ऊर्जा उत्पादन

सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान सीईए द्वारा निर्धारित राज्य में ऊर्जा आवश्यकता के सम्बन्ध में लक्ष्यों एवं उपलब्धियों की समैकित स्थिति, वास्तविक ऊर्जा उत्पादन (साझेदारी परियोजनाओं सहित), ऊर्जा का गौण उपभोग, केन्द्रीय परियोजनाओं एवं अन्य राज्यों से क्रय, विक्रय के लिए उपलब्ध ऊर्जा, प्रेषण एवं वितरण हानियाँ एवं लक्ष्यों में आधिक्य/कमी की तुलना में मिलियन इकाईयों में (एमयू) ऊर्जा विक्रय की स्थिति अनुबन्ध-11 में दी गई है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि:

- विभिन्न परियोजनाओं के प्रारम्भ करने में विलम्ब के फलस्वरूप जैसा कि पूर्व में चर्चा की गई है, मण्डल ने ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य 26813 मिलियन इकाई से 24570 मिलियन इकाई तक कम कर लिये थे। तथापि कुल उत्पादन 26865.81 मिलियन इकाई था जो योजनागत लक्ष्यों से अधिक था। लक्ष्य से अधिक ऊर्जा उत्पादन कोटा में 210 मैगावाट का नया ताप विद्युत गृह, जो कि उत्पादन के अनुमानों में सम्मिलित नहीं था, लगाये जाने के कारण था।

केटीपीएस में मानकों से अधिक गौण खपत के परिणामस्वरूप 524.02 लाख रुपये के सम्भावित राजस्व की हानि हुई।

- सीईए ताप विद्युत गृहों के लिए गौण खपत का मानक स्तर उत्पादित इकाईयों का 10 प्रतिशत निर्धारित किया था। इस मानक के विरूद्ध योजना अवधि में कोटा ताप विद्युत गृह में समस्त गौण खपत की प्रतिशतता 9.90 एवं 12.69 के मध्य विचरित थी। सीईए द्वारा निर्धारित मानक से अधिक गौण खपत के कारण 73.70 मिलियन इकाई की हानि हुई, जिसके फलस्वरूप 524.02 लाख रुपये की राशि के सम्भावित राजस्व की हानि हुई।

- ताप विद्युत गृह कोटा (640 मैगावाट की 4 इकाईयाँ) का उत्पादन निर्धारित लक्ष्यों से काफी कम था और उपलब्धि की प्रतिशतता 1988-89 में 59.15 व 1989-90 में 88.69 प्रतिशत थी। इन दो वर्षों में उपलब्धि में यह कमी कोयला खदानों से घटिया किस्म के कोयले की प्राप्ति, 1988-89 के दौरान तीसरी इकाई में

राख निस्तारण में अनुभव की गई समस्याओं, के कारण थी। उत्पादन में कमी के फलस्वरूप 9291.38 लाख रुपये मूल्य की 1206.43 मिलियन ऊर्जा इकाईयों की हानि हुई।

– सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान साझेदारी* परियोजना (थर्मल) के वांछित लक्ष्य कभी भी प्राप्त नहीं हुये और उपलब्धि की प्रतिशतता 70.02 एवं 91.61 प्रतिशत के मध्य विचरित रही जबकि सम्पूर्ण उपलब्धि का प्रतिशत 82.93 रहा। उपलब्धि में कमी, जैसा कि मण्डल ने पाया (फरवरी 1988), 1985-86 एवं 1986-87 के दौरान संयुक्त साझेदारी परियोजना में भार घटक की अपर्याप्तता तथा 1987-88 से 1989-90 के दौरान अपर्याप्त वर्षा के कारण शीतलन कार्य हेतु पानी की उपयुक्त मात्रा की अनुपलब्धता के कारण थी। संयुक्त परियोाजनाओं की वर्ष 1990-91 से 1994-95 के दौरान उत्पादन की औसत उपलब्धि 85.22 प्रतिशत थी जबकि 1995-96 से 1998-99 के दौरान यह इन वर्षो के निर्धारित लक्ष्यों से 113.80 प्रतिशत थी। इस प्रकार, सातवीं योजना एवं 1990-95 के दौरान उत्पादन लक्ष्यों की उपलब्धियाँ प्राप्त नहीं होने से 10835.84 लाख रुपये मूल्य की ऊर्जा (1199.963 मिलियन इकाईयाँ) की हानि हुई।

– हाइडल परियोजनाओं का निष्पादन भी अपर्याप्त था तथा लक्ष्यों की तुलना में उत्पादन उपलब्धि की प्रतिशतता 1985-86 के दौरान 17.29 तथा 1987-88 से 1989-90 के दौरान 57.70 से 75.50 प्रतिशत थी जबकि सातवीं योजना के दौरान समग्र उपलब्धि 1215 मिलियन इकाई के लक्ष्यों के समक्ष 71.07 प्रतिशत रही थी। 1985-86 एवं 1986-87 के दौरान अनूपगढ़ लघु हाइडल संयंत्र (9 मैगावाट) में संयंत्र के चालू नहीं होने के कारण उत्पादन नहीं था तथा परियोजना के लक्ष्य के विरूद्ध समग्र उपलब्धि योजनावधि में मात्र 3.03 प्रतिशत थी। हाइडल उत्पादन में कमी मुख्यत: विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब, मशीन में ट्रिपिंग हो जाने से ग्रिड के असफल हो जाने, समय पर मूल निर्माताओं की सेवा उपलब्ध नहीं होने, गर्द वाले वातावरण के कारण इलेक्ट्रोनिक नियामकों का ठीक तरह से कार्य नहीं करने एवं पानी के अभाव आदि, के कारण थी। समग्र हाइडल उत्पादन उपलब्धि वर्ष 1990-91 से 1994-95 के दौरान लक्ष्यों (2000 मिलियन इकाई) के विरूद्ध 85.42 प्रतिशत थी जबकि 1995-96 से 1998-99 के दौरान लक्ष्यों (1459 मिलियन इकाई) के विरूद्ध यह 103.39 प्रतिशत थी। सातवीं योजना से मार्च 1999 के दौरान हाइडल उत्पादन के लक्ष्यों को उपलब्ध नहीं करने के फलस्वरूप 7073.44 लाख रुपये की ऊर्जा (774.269 मिलियन इकाईयाँ) की हानि हुई।

---

* साझेदारी परियोजना से आशय ऐसे सामान्य निकाय की परियोजना से है जिनका क्रियान्वयन विभिन्न राज्य बिजली मण्डलों ने सम्मिलित रूप से किया है तथा परियोजनाओं के विद्युत उत्पादन में हिस्सा रखते है।

– इसी तरह रामगढ़ में गैस परियोजना के क्रियान्वयन में विलम्ब के फलस्वरूप 1987-88 से 1994-95 के दौरान कोई उत्पादन नहीं हुआ। इस प्रकार 1087.29 लाख रुपये की 108 मिलियन ऊर्जा इकाईयों की हानि हुई। 1995-96 से 1998-99 के दौरान 594 मिलियन इकाईयों के लक्ष्यों के विरूद्ध परियोजना में 182.49 प्रतिशत उत्पादन हुआ। क्रियान्वयन में देरी के फलस्वरूप कम ऊर्जा उत्पादन के कारण औद्योगिक विकास के लिए ऊर्जा उपलब्ध करवाने एवं ग्रामीण विद्युतिकरण आदि के सामाजिक उद्देश्य अर्जित नहीं किये जा सके।

3अ.5.4 प्रेषण एवं वितरण लाइनें

3अ.5.4.1 लाइनों का चयन

प्रत्याशित लाभ प्राप्त करने हेतु मुख्यत: वोल्टेज नियंत्रण को सुधारने, प्रेषण व वितरण हानियों में बचत, विशिष्ट क्षेत्रों में भविष्य में भार वृद्धि का सामना करने तथा उपभोक्ता को विश्वस्त ऊर्जा आपूर्ति को सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में मण्डल को 220 के.वी./132 के.वी.लाइनों एवं 220/132 के.वी. जीएसएस* के निर्माण की विशिष्ट प्राथमिकताओं को बनाये रखना था। इन मानदण्डों के आधार पर निर्माण/नई लाईन खड़ी करने एवं जीएसएस बनाने हेतु प्राथमिकता बनाये रखने के लिए मण्डल ने कोई नीति निर्धारित नहीं की थी। इन विस्तृत जानकारियों के अभाव में लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि मण्डल ने योजनावधि में लाइनों के निर्माण से प्रत्याशित लाभ अर्जित किये।

3अ.5.4.2 लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

निम्नांकित तालिका सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में विभिन्न क्षमताओं की समस्त प्रेषण लाइनों की स्थिति, सातवी योजना में निर्धारित लक्ष्य एवं अर्जित उपलब्धियाँ तथा

---

* ग्रिड सब स्टेशन

सीकेएम में कमी व लक्ष्यों के सन्दर्भ में कमी की प्रतिशततंा को दर्शाती है:

प्रेषण लाइनें	सातवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य		सातवीं योजना के प्रारम्भ में स्थिति	सातवीं योजना के अंत में स्थिति	सातवीं योजना में शुद्ध वृद्धि	लक्ष्यों के संदर्भ में कमी		कमी की प्रतिशतता	
	मूल	संशोधित				मूल	संशोधित	मूल	संशोधित
(सर्कट किलोमीटरों में)									
ई..एच.टी. लाइने									
220 के.वी.	1668	953.50	2665.63	3532.49	866.86	801.14	86.64	48.03	9.09
132 के.वी.	1059	671.37	5987.32	6817.41	830.09	228.91	(+)158.72	21.62	(+)23.64
66 के.वी.	उपलब्ध नही	उपलब्ध नही	303.06	303.06	उपलब्ध नही	उपलब्ध नही	उपलब्ध नही	उपलब्ध नही	उपलब्ध नही
योग	2727	1624.87	8956.01	10652.96	1696.95	1030.05	(+) 72.08	37.77	(+) 4.44
एच.टी. लाइनें									
33 के.वी.	2900	1850	15875.95	16836.12	960.17	1939.83	889.83	66.89	48.10
11 के.वी.	निर्धारित नही		71998.50	98272.65	26274.15	उपलब्ध नही	उपलब्ध नही	उपलब्ध नही	उपलब्ध नही
योग	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	87874.45	115108.77	27234.32	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
वितरण लाइनें	निर्धारित नही		101541.90	130829.01	29287.11	उपलब्ध नही	उपलब्ध नही	उपलब्ध नही	उपलब्ध नही

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि योजना की मध्यावधि समीक्षा के समय मण्डल ने संयंत्र की उत्पादन क्षमता में 210.17 मैगावाट जोड़कर लक्ष्य में वृद्धि कर दी थी। इसके समक्ष, जैसा कि ऊपर वर्णित है, प्रसारण लाइनों के लक्ष्य बहुत कम कर दिये थे। राजाध्यक्ष समिति ने ऊर्जा क्षेत्र में उत्पादन पर 50 प्रतिशत, प्रेषण पर 25 प्रतिशत, उप-प्रेषण पर 12.50 प्रतिशत तथा ग्रामीण विद्युतिकरण पर 12.50 प्रतिशत के अनुपात में निवेश ढॉंचे की सिफारिश की थी। मण्डल के स्थिति पत्र (फरवरी 1988) के अनुसार अनुशंसित ढॉंचे के समक्ष सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रेषण व वितरण के निवेश में कमी 611.70 करोड़ रुपये की हो जायेगी। अत: मण्डल उत्पादन क्षमता वृद्धि के अनुरूप प्रेषण व वितरण लाइनों के निर्माण हेतु योजना आवंटन में वृद्धि करने में असफल रहा। पर्याप्त टीएण्डडी लाइनों की तादाद के अभाव में टीएण्डडी हानियाँ कम करने के उद्देश्य प्राप्त नहीं किये जा सके, जैसा कि अनुच्छेद 3अ.5.5 में विस्तृत है, फलत: उद्योगों में वृद्धि एवं ग्रामों मै विद्युतिकरण आदि के लिए निरन्तर आपूर्ति के सामाजिक उद्देश्य अपूर्ण रहे।

योजना में सम्मिलित नहीं की गई लाइनों पर मण्डल ने 353.92 लाख रुपये का व्यय किया।

मण्डल को, सातवीं पंचवर्षीय योजना में अभिकल्पित कार्यो की प्रगति प्रस्तुत करते समय बताया गया था कि 220 के.वी. व 132 के.वी. की लाइनों के चालू करने हेतु आवश्यक एल्यूमिनियम कन्डक्टर की कीमतों में भारी वृद्धि के कारण कन्डक्टर एवं इसके उपकरणों के आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति में विलम्ब उपलब्धियों में कमी के मुख्य

घटक थे यद्यपि, चरमराते संसाधनों ने भी लाइनों की कमी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, तथापि, इन समस्याओं से उबरने के लिए प्रतिकारी कार्य योजनायें प्रतिपादित नहीं की गई। तथापि, लेखापरीक्षा में देखा गया कि सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि में 132 के.वी. की प्रेषण लाइनें विभिन्न स्थानों पर क्रियान्वयन हेतु ली गई थी, यद्यपि मूल संशोधित योजना में यह योजनायें सम्मिलित नहीं थी। मण्डल ने इन लाइनों पर 353.92 लाख रुपये का खर्च वहन किया। दो 132 के.वी. लाइनों के निर्माण के अभिलेखों की नमूना जांच में निम्नलिखित तथ्य प्रकट हुये:-

(अ) सवाईमाधोपुर से गंगापुरसिटी तक 132 के.वी. लाइन का निर्माण

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उपरोक्त लाइन के निर्माण पर 35.28 लाख रुपये का शुद्ध व्यय वहन किया गया यद्यपि यह योजना प्रस्तावों में प्रस्तावित नहीं थी। बाद में, सदस्य (टी एण्ड डी) के ध्यान दिलाये जाने पर (अप्रैल 1991) कि एक सब-स्टेशन सहित दौसा से हिण्डौन तक 220 के.वी. लाइन प्रस्तावित है तथा 132 के.वी. सवाईमाधोपुर से गंगापुरसिटी लाइन की अब और आवश्यकता नहीं थी अत: लाइन का निर्माण कार्य बन्द कर दिया गया। उपरोक्त लाइन पर 52.56 लाख रुपये मूल्य की सामग्री अनुपयोगी रह गई थी जिसे अन्य परियोजनाओं में उपयोग हेतु स्थानान्तरित कर दिया गया था। इस प्रकार बिना समुचित विचार एवं योजना के लाइन कार्य प्रारम्भ किये जाने के परिणामस्वरूप 35.28 लाख रुपये का निष्फल व्यय हुआ जिसके लिए कोई औचित्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं थे।

(ब) सांगोद से झालावाड तक 132 के.वी. लाइन का निर्माण

कोटा, मोडक, झालावाड तथा भवानी मण्डी के मध्य प्रसारण व्यवस्था को उन्नत करने एवं एक एच.टी. उपभोक्ता (मंगलम सीमैन्ट) की अतिरिक्त मांग की पूर्ति हेतु अध्यक्ष ने 304.60 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 132 के.वी. सांगोद से झालावाड़ तक लाइन के निर्माण कार्य का अनुमोदन कर दिया (मई 1987) तथा मण्डल के अनुमोदन के बिना ही, जो जुलाई 1991 में प्राप्त हुआ था, कार्य प्रारम्भ कर दिया गया (वर्ष 1988-89 से लेखों में व्यय दर्ज)। यद्यपि, यह लाइन सातवी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं थी, तथापि, उक्त लाइन पर 232.94 लाख रुपये व्यय कर दिये गये (मार्च 1994)। पूर्ण होने पर यह लाइन बिना भार के चालू कर दी गई थी (मार्च 1993)। लेखापरीक्षा में इस लाइन की उपयोगिता के उद्देश्य को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। इस कार्य-निष्पादन को नियमित करने के लिए मण्डल ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों में इस लाइन को सम्मिलित कर लिया। इस प्रकार, मार्च 1994 से 232.94 लाख रुपये की निधियाँ अवरूद्ध रही।

इससे प्रकट होता है कि मण्डल ने योजनाबद्ध तरीके से कार्य नहीं किया और स्वयं ही अपने साधनों को चरमरा दिया।

3अ.5.4.3 समय व लागत अतिवृद्धि

विभिन्न लाइनों आदि को पूर्ण करने में असाधारण विलम्ब के फलस्वरूप 4477.73 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत आई।

मण्डल ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किसी भी समय प्रत्येक प्रस्तावित लाइन के पूर्ण करने की समय सारिणी निर्धारित नहीं की थी। समय सारिणी के अभाव में योजनावधि में पूर्ण किये गये कार्यो में समय अतिवृद्धि का सत्यापन नहीं किया जा सका। तथापि, 14 लाइनों के अभिलेखों की नमूना जांच से ज्ञात हुआ कि लाइन व जीएसएस कार्यो के क्रियान्वयन की प्रगति धीमी थी तथा 220 के.वी. व 132 के.वी. लाइनों के कार्यो में क्रमशः 17 एवं 33 माह तथा 14 एवं 37 माह के मध्य विचरित समय लिया गया जबकि 132 के.वी. लाइन प्रभारित करने के बाद 132 के.वी. जीएसएस 4 से 42 माह के पश्चात् प्रभारित किये गये। मण्डल ने नियोजित लागत की तुलना में लाइनों एवं जीएसएस पर क्रमशः 3008.02 लाख रुपये (65.64 प्रतिशत) तथा 1469.71 लाख रुपये (64.31 प्रतिशत) अतिरिक्त लागत वहन की जो कार्य पूर्ण करने में असाधारण समय वृद्धि के कारण थी जैसा कि अनुबन्ध-14 में विस्तृत है।

यह देखा गया कि लाइनों/जीएसएस के समय व लागत में अति वृद्धि मुख्यतः सीमैन्ट के उपलब्ध नहीं होने, विभिन्न सामग्री व टावर की कमी, भू-अनुपलब्धता, भू-भराव में विलम्ब, ट्रान्सफार्मरों की अनुपलब्धता के कारण थीं। उपरोक्त समस्याओं को उचित/अग्रिम नियोजन कर टाला जा सकता था।

3अ.5.5 प्रेषण एवं वितरण हानियाँ

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1989-90 के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) के भाग-III के अनुच्छेद 3.2 में यह विशेष रूप से उल्लेखित था कि सामान्य हानियों से प्रणाली की हानियाँ ज्यादा थी; इस सम्बन्ध में कोई सुधार नहीं हुआ।

मानकों से अधिक टीएण्डडी हानियों के फलस्वरूप 3278.61 लाख (441.31 मिलियन इकाईयाँ) की हानि हुई।

योजनावधि के प्रारम्भ (1985-86) में टीएण्डडी हानियों की प्रतिशतता विक्रय हेतु उपलब्ध ऊर्जा की 24 प्रतिशत थी। योजना आयोग ने योजनावधि में प्रति वर्ष 0.25 प्रतिशत से टीएण्डडी हानियाँ कम करना निर्धारित किया था जिसके अनुसार वर्ष 1989-90 तक टीएण्डडी हानियाँ 22.75 प्रतिशत तक कम की जानी थी। लेखापरीक्षा में देखा गया कि कमी के स्थान पर टीएण्डडी हानियाँ वर्ष दर वर्ष बढ़ती गई जो विक्रय हेतु उपलब्ध ऊर्जा के 23.67 से 24.73 प्रतिशत के मध्य तक थीं जो यह दर्शाता है कि मण्डल ने टीएण्डडी हानियाँ कम करने के लिए कोई उचित कदम नहीं उठाये। यह टीएण्डडी हानियाँ मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल एवं गुजरात विद्युत मण्डल की हानियों से अधिक थी जो कि 1987-88 से 1989-90 के दौरान क्रमशः 21.02 प्रतिशत से 22.54 प्रतिशत तथा 20.02 प्रतिशत से 22.05 प्रतिशत के मध्य थी तथा यह सम्पूर्ण भारत के औसत 21.74 प्रतिशत (1985-86) से 23.28 प्रतिशत (1989-90) के मध्य विचरित से भी अधिक थी। योजना आयोग के मानकों से अधिक टीएण्डडी हानियों के फलस्वरूप 3278.61 लाख रुपये मूल्य की 441.31

मिलियन ऊर्जा इकाईयों की हानि हुई जिसने औद्योगिक विकास एवं ग्रामीण विद्युतिकरण इत्यादि के लिए अतिरिक्त ऊर्जा उपलब्ध करवाने के सामाजिक उद्देश्य की प्राप्ति पर विपरीत प्रभाव डाला।

3अ.5.6 ग्रामीण विद्युतिकरण कार्य

342214 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल से आवृत राजस्थान राज्य संयुक्त भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। राज्य में गाँव बिखरे हुये एवं दूरस्थ स्थानों पर स्थित है अत: इनके विद्युतिकरण के लिए प्रेषण एवं वितरण लाइनें डालने पर भारी निवेश की आवश्यकता होती है। ग्रामीण विद्युतिकरण का कार्यक्रम मण्डल के लिए वित्तीय रूप से लाभप्रद नहीं था किन्तु सम्पूर्ण समाज को इससे अत्यधिक लाभ होता है, तथा इस कथित साम्यानुमान पर मण्डल ने विशाल स्तर पर ग्रामीण विद्युतिकरण कार्यक्रम राज्य के सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों के प्रोत्साहन हेतु हाथ में लिया था।

योजना अवधि में गाँवों तथा ट्यूबवेलों/पम्प सेटों के विद्युतिकरण के सम्बन्ध में अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

3अ.5.6.1 गाँवों का विद्युतिकरण

सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्त में 37124 गाँवों (34968 बसे हुये व 2156 बिना बसे हुये) के समक्ष 26965 गाँवों (26278 बसे हुये व 687 बिना बसे हुये) का विद्युतिकरण किया गया था जो 72.63 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है जबकि बसे हुये तथा बिना बसे हुए गाँवों के विद्युतिकरण की प्रतिशतता क्रमश: 75.75 व 31.86 प्रतिशत थी। बसे हुये गाँवों की प्रतिशतता मार्च 1989 के अन्त के 78.6 प्रतिशत की राष्ट्रीय औसत से काफी कम थी। मार्च 1999 के अन्त में बसे हुए एवं बिना बसे गांवों के विद्युतिकरण की प्रतिशतता क्रमश: 92.21 व 56.01 प्रतिशत थी।

3अ.5.6.2 ट्यूबवेलों/पम्प-सेटों का विद्युतिकरण

विद्युतिकरण हेतु उपलब्ध छ: लाख पम्प सेटों में से 347565 पम्प सेटों (57.93 प्रतिशत) का विद्युतिकरण किया गया (मार्च 1990) जो मार्च 1989 के अन्त में राष्ट्रीय औसत के 65.2 प्रतिशत से कम था।

वार्षिक लक्ष्यों के साथ उपलब्धियों की तुलना से पता चला कि वर्ष 1985-86, 1987-88 एवं 1989-90 में लक्ष्य अर्जित नहीं किये गये थे और उपलब्धि की प्रतिशतता 89.91 एवं 91.05 के बीच रही थी। कम उपलब्धि के कारण अभिलेखित नहीं थे। तथापि, लेखापरीक्षा में सामने आया कि संशोधित योजना बजट में प्रावधित 192.38 करोड़ रुपये के विरूद्ध मण्डल, मार्च 1990 तक सिर्फ 162.62 करोड़ का ही उपयोग कर सका जिसके लिए कोई कारण अभिलेखित नहीं थे।

3अ.6 वित्तीय निष्पादन

परिचांलन हानि 45.57 करोड़ रुपये (1985-86) से 151.38 करोड़ रुपये (1989-90) तक बढ़ गई।

1985-86 से 1989-90 तक की अवधि के दौरान प्रति ईकाई लागत, राजस्व एवं हानि का विवरण अनुबन्ध -15 में दिया गया है। लेखापरीक्षा में प्रकट हुआ कि 69.53 से 102.66 पैसा प्रति इकाई लागत के समक्ष राजस्व वसूली 59.75 से 81.54 पैसा थी। परिणामस्वरूप, परिचालन हानि 1985-86 में 45.57 करोड़ रुपये से बढ़ कर 1989-90 में 151.38 करोड़ रुपये हो गई। यह मुख्यत: घरेलू व कृषि उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ कम होने के कारण थी जो क्रमश: 53 एवं 63 पैसे तथा 24 एवं 28 पैसे के बीच विचरित थी।

मण्डल ने योजनावधि में प्रति वर्ष हानियाँ वहन की। इस अवधि में कुल घाटा 344.19 करोड़ रुपये राशि का था। घाटे के मुख्य कारण, विक्रय प्राप्तियों की तुलना में उच्च टीएण्डडी हानियाँ तथा ऊर्जा की उच्च लागत, थे।

3अ.6.1 लघु हाइडल परियोजनाओं की उत्पादन लागत

परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार लघु हाइडल योजनाओं की उत्पादन लागत एवं योजनावधि के दौरान अभिकल्पित वास्तविक लागत नीचे तालिकाबद्ध है:-

क्र.सं.	लघु हाइडल संयंत्र का नाम	परियोजित प्रति इकाई उत्पादन लागत	1996-97 के दौरान प्रति इकाई वास्तविक लागत
		(रुपयों में)	
1.	अनूपगढ़	0.31	5.86
2.	सूरतगढ़	0.62	5.14
3.	पूगल I व II	0.98	39.55
4.	आरएमसीII (गनोरा)	1.55	18.30
5.	मांगरोल	0.58	3.42

हाइडल परियोजनाओं को पूर्ण करने में असाधारण विलम्ब के परिणामस्वरूप प्रति इकाई लागत में असाधारण रूप से वृद्धि हुई।

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि प्रति इकाई उत्पादन की परियोजना लागत की तुलना में प्रति इकाई उत्पादन लागत असाधारण रूपसे अधिक रही थी तथा वर्ष 1996-97 के उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर यह 3.42 रुपये से 39.55 रुपये के मध्य विचरित थी जो मुख्यत: परियोजनाओं के समय पर पूर्ण नहीं होने के कारण थीं।

3अ.6.2 ऊर्जा-विक्रय

आर्थिक क्रिया-कलापों के लिए ऊर्जा एक आवश्यक निवेश है तथा ऊर्जा का प्रति व्यक्ति उपभोग आर्थिक विकास का पर्याय है। निम्न तालिका सातवीं पंचवर्षीय योजना

के प्रति वर्ष के दौरान ऊर्जा की प्रति व्यक्ति उपलब्धता के साथ ही ऊर्जा के उपभोग व ऊर्जा की हानि को दर्शाती है:

प्रति व्यक्ति	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90
			(इकाइयों में)			
(अ) ऊर्जा की उपलब्धता	154.31	161.81	172.14	178.99	204.24	226.92
(ब) ऊर्जा उपभोग	118.64	124.00	135.23	140.70	159.39	175.88
(स) ऊर्जा की हानि	35.67	37.81	36.91	38.29	44.85	51.04

यद्यपि, प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त में 119 इकाईयों से बढ़कर सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में 176 इकाईयाँ हो गया, तो भी यह राष्ट्रीय औसत 191 इकाईयों से कम था।

छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त में 35.67 इकाइयों से सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में 51.04 इकाइयों की ऊर्जा की प्रति व्यक्ति हानि में वृद्धि विशाल टीएण्डडी हानि एवं ऊर्जा चोरी आदि के कारण से थी। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा विश्लेषण से प्रकट हुआ कि औद्योगिक उपभोक्ता, जिनके लिए टैरिफ की उच्च दर थी और जो मण्डल के लिए लाभकर थे, को विक्रय की गई विद्युत की प्रतिशतता 1985-86 में 45.93 से घटकर 1989-90 में 45.06 प्रतिशत रह गयी जबकि अलाभकर घरेलू उपभोक्ताओं को विक्रय 9.63 प्रतिशत से 11.21 प्रतिशत तक बढ़ गया।

3अ.7 विविध रूचिकर प्रकरण

अनावश्यक लाइन को न उतारना

सत्तर के दशक में केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण सहायता से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल (यूपीएसईबी) एवं राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने आपसी समझौता कर, मथुरा एवं भरतपुर के मध्य अन्तर-राज्यीय 132 के.वी. सिंगल सर्कट लाइन का निर्माण किया था। तदनन्तर, 1982 में सिंगरोली उच्च ताप विद्युत गृह से अपना ऊर्जा हिस्सा प्राप्त करने हेतु यूपीएसईबी की ऊर्जा प्रणाली के जरिये भरतपुर को 220 के.वी. लाइन द्वारा आगरा से जोड़ दिया गया। इसके कारण 1982 से ही मथुरा-भरतपुर की अन्तर-सम्बन्ध 132 के.वी. लाइन व्यर्थ हो गई थी। मण्डल ने, विलम्ब से, अनावश्यक लाइन को हटाने के लिए केन्द्र सरकार के अनुमोदन हेतु अनुरोध किया (अक्टूबर 1987)। अनुमोदन जून 1988 में प्राप्त हो गया। यद्यपि, यूपीएसईबी ने अपने

क्षेत्र में पड़े हिस्से की लाइन को उतार लिया तो भी राराविमं पर्याप्त स्टॉफ के अभाव में अपने क्षेत्र के हिस्से को नहीं उतार सका।

जुलाई 1991 में मण्डल ने प्रारम्भिक चरण में 496.80 लाख रुपये की अनुमानित लागत से, डीग में 132/33 के.वी. सब स्टेशन सहित, भरतपुर से कामा तक एक 132 के.वी.एस/सी लाइन के निर्माण की अनुमति प्रदान की थी। एजेण्डा में दिये गये विवरण के अनुसार मामूली बदलाव के साथ अनावश्यक लाइन का कुछ भाग 220 तथा 132 के.वी. सब-स्टेशन भरतपुर के मध्य द्वितीय अन्तर-सम्बन्ध के रूप में उपयोग किये जाने की सम्भावना को खोजा जाना था तथा लाइन के शेष हिस्से को उतार कर सामग्री को अन्यत्र उपयोग में लेने अथवा उसका निस्तारण करना था। लाइन के हिस्से के उपयोग की तथा 50 लाख रुपये मूल्य की सामग्री की स्थिति से लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया (मई 1999)। यदि लाइन उतार ली जाती तथा सामग्री का उपयोग कर लिया जाता तो इससे लाइन के निर्माण में कमी को कम करने में सहयोग मिलता।

निष्कर्ष

सातवीं योजना के दौरान ऊर्जा उत्पादन की उपलब्धि लक्ष्यों से अधिक थी किन्तु यह प्रेषण लाइनों के निर्माण के प्रकरण में काफी पीछे थी। तथापि, सातवीं योजना में परियोजनाओं के विलम्ब से क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप न्यूनतम लागत पर पर्याप्त ऊर्जा आपूर्ति आश्वस्त करने एवं ऊर्जा में आत्मनिर्भरता अर्जित करने के उद्देश्य समय व लागत में अतिवृद्धि के कारण प्राप्त नहीं किये जा सके थे। इसके अतिरिक्त प्रेषण एवं वितरण तंत्र में वृद्धि उत्पादन क्षमता वृद्धि के समानुरूप नहीं थी जिसका परिणाम अधिक टीएण्डडी हानियाँ व लागत से कम पर ऊर्जा विक्रय था। सातवीं योजनावधि के दौरान घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं के लिए सस्ती टैरिफ होने के कारण परिचालन हानियाँ एवं घाटा प्रभावी रूप से बढ़ा। अतः सरकार को ऊर्जा की कमी को दूर करने के लिए अतिरिक्त निधियाँ उपलब्ध/व्यवस्था कराने एवं समुचित आयोजन के द्वारा उपरोक्त समस्याओं से उबरने के लिए उपयुक्त कदम उठाने चाहिये।

अध्याय-III ब

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल

प्रेषण एवं वितरण प्रणाली

अनुच्छेद संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
	झलकियाँ	**67**
3ब.1	प्रस्तावना	68
3ब.2	संगठनात्मक ढांचा	69
3ब.3	लेखापरीक्षा का क्षेत्र	69
3ब.4	प्रेषण एवं वितरण हानिँ	69
3ब.5	प्रेषण एवं वितरण प्रणाली की संवृद्धि	71
3ब.6	प्रेषण परियोजनाओं की निगरानी/ समय व लागत में अतिवृद्धि	73
3ब.7	प्रणाली सुधार योजनाऐं	75
3ब.8	एल.टी. लाइनों में कमी	77
3ब.9	ऊर्जा अंकेक्षण	77
3ब.10	अन्य रूचिकर प्रकरण	80
	निष्कर्ष	**82**

अध्याय-III ब

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल

प्रेषण एवं वितरण प्रणाली

झलकियाँ

– प्रेषण एवं वितरण प्रणाली, ऊर्जा उत्पत्ति स्त्रोत एवं मूल उपभोक्ता के बीच मौलिक सम्पर्क बनाऐ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इस प्रणाली के सफल संचालन हेतु यह आवश्यक है कि प्रेषण एवं वितरण लाइनों का उचित विस्तार कर, ट्रांसफार्मरों व कन्डक्टरों का परिमाण, उपयुक्त स्तर पर उचित वोल्टेज तथा ऊर्जा घटक बनाये रखकर इसका उत्पादन से सामंजस्य बनाये रखा जाना चाहिए।

– प्रेषण व वितरण की हानियों के 15.5 प्रतिशत स्वीकार्य मानकों के विरूद्ध 1994-95 से 1997-98 की अवधि में प्रेषण व वितरण हानियाँ 24.99 तथा 28.31 प्रतिशत के बीच विचरित रहीं। स्वीकार्य मानकों से हानियाँ 1409.86 करोड़ रुपये मूल्य की 7852.077 मिलियन इकाईयाँ अधिक पायी गई।

{अनुच्छेद 3ब.4(अ) व (ब)}

–प्रेषण व वितरण प्रणाली, विक्रय हेतु उपलब्ध ऊर्जा के साथ सामंजस्य नहीं बनाये रख सकी। ट्रांसफार्मर्स की क्षमता प्रति मिलियन विद्युत ईकाईयों में 1994-95 के 1.266 से बढ़कर 1996-97 में 1.349 हो गई जबकि प्रेषण लाइनें प्रति मिलियन विद्युत इकाइयों पर 1994-95 के 0.803 से घटकर 1997-98 में 0.753 हो गई।

{अनुच्छेद 3ब.5(ब) (ii)}

–विभिन्न प्रेषण लाइनों को पूर्ण करने में समय अतिवृद्धि 12 माह तथा 39 माह के बीच विचरित थी जिसके परिणामस्वरूप मण्डल 17.49 करोड़ रुपये राशि की 89.96 मिलियन विद्युत इकाईयों की प्रत्याशित बचत के लाभ से वंचित रहा।

(अनुच्छेद 3ब.6)

तिनवाडी में ट्रांसफार्मर क्षमता में वृद्धि न किये जाने के कारण 323 लाख रु व्यय निष्फल रहा।

{अनुच्छेद 3ब.6

-शहरी प्रणाली एवं ग्रामीण विद्युतिकरण योजना के सुधार के लिये विभिन्न का को पूर्ण करने में विलम्ब हुआ जिसके परिणामस्वरूप 30.69 करोड़ रुपये मू 155.919 मिलियन विद्युत इकाईयों की बचत का लाभ प्राप्त नहीं किया जा सका

{अनुच्छेद 3ब.7(अ) व

3ब.1 प्रस्तावना

न्यूनतम क्षति की सुनिश्चतता हेतु प्रेषण एवं वितरण प्रणाली का ऊर्जा उत्पादन से सामंजस्य बनाये रखा जाना चाहिए।

प्रेषण एवं वितरण प्रणाली (टीएण्डडी) ऊर्जा उत्पत्ति स्त्रोत एवं मूल उपभोक्ता के सम्पर्क बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इस प्रणाली के संचालन के लिये यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रसारित एवं वितरित ऊ न्यूनतम क्षति हो। विद्युत उत्पादन केन्द्रों पर विद्युत 11 के.वी. पर उत्पादित की है एवं ऊर्जा ट्रांसफार्मरों द्वारा अंत:प्रेषण तथा वितरण उपकेन्द्रों को प्रे 132/220/440 के.वी. पर उच्चायी की जाती है तथा फिर 66/33/11 के.वी. अवचायी की जाती है। प्राथमिक व अनुपूरक फीडर्स के द्वारा 132 के.वी., 66 या 11 के.वी. पर उच्च दाब (एच.टी.) उपभोक्ताओं को तथा वितरण ट्रांस अपचायी करने के बाद 400/230 वोल्ट पर निम्न दाब (एल.टी.) के उपभोक्ता विद्युत आपूर्ति की जाती है। प्रेषण एवं वितरण लाइनों का उचित विस्ता ट्रांसफार्मरों एवं कन्डक्टरों का परिमाण, प्रेषण प्रणाली को सशक्त बनाने हेतु वोल्टेज तथा ऊर्जा घटक बनाये रखकर प्रेषण प्रणाली का उत्पादन से सामंजस्य रखा जाना चाहिए।

मण्डल* की विद्युत उत्पादन प्रणाली में थर्मल ऊर्जा (850 मैगावाट), हाईडल (163.315 मैगावाट) तथा गैस टरबाइन ऊर्जा (38.50 मैगावाट) का समावेश मण्डल का अन्तर्राज्यीय साझा परियोजनाओं द्वारा उत्पादित ऊर्जा, भाखड़ा परियोजना (622.90 मैगावाट), सतपुडा थर्मल ऊर्जा केन्द्र (125 मैगावाट) तथा हाईडल विद्युत परियोजना (193 मैगावाट), में भी हिस्सा है। ऊर्जा की मां उपलब्धता के बीच अन्तर को कम करने हेतु मण्डल, अन्य राज्यों/केन्द्र की से भी ऊर्जा क्रय करता है। उत्पादन केन्द्रों पर उत्पादित ऊर्जा तथा क्रय की प्रेषण एवं वितरण तंत्र द्वारा उपभोक्ता तक पहुँचाई जाती है। 31 मार्च 199

* राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल

प्रेषण (1.77 लाख सर्कट किलोमीटर) एवं वितरण (1.93 लाख सर्कट किलोमीटर) के व्यापक तंत्र द्वारा 48.25 लाख उपभोक्ताओं (कनैक्टेड लोड-10077 मैगावाट)को ऊर्जा आपूर्ति की गई थी।

3ब.2 संगठनात्मक ढांचा

मण्डल की प्रेषण एवं वितरण शाखा, सदस्य (टीएण्डडी) के नेतृत्व में कार्य करती है जो लाइन डालने सहित प्रेषण एवं वितरण तंत्र के आयोजना/कार्यान्वियन, ग्रिड सब स्टेशन (जीएसएस) का निर्माण, ट्रांसफार्मरों की स्थापना इत्यादि के लिए उत्तरदायी है। सदस्य (टीएण्डडी) की सहायता के लिये 14 मुख्य अभियन्ता हैं।

3ब.3 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

मण्डल की विद्युत प्रणाली हानियों की गत समीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवदेन (वाणिज्यिक) वर्ष 1989-90, राजस्थान सरकार, के अध्याय 3.2 में सम्मिलित की गई थी। समीक्षा को मई 1997 में राजकीय उपक्रम समिति (कोपू) द्वारा परीक्षित मान लिया गया था। तथापि, प्रचलित परिपाटी के अनुसार राजकीय उपक्रम समिति उन मामलों में भी जहाँ समीक्षा परीक्षित मान ली जाती है अपनी सिफारिशें देता है। तथापि, अभी तक कोई सिफारिशें प्राप्त नहीं हुई थी (मार्च 1999)। वर्तमान समीक्षा वृत/इकाई कार्यालयों (17) के लेखों की नमूना जांच के आधार पर मण्डल के वर्ष 1994-95 से 1997-98 तक की प्रेषण एवं वितरण प्रणाली के स्वरूप तथा प्रेषण एवं वितरण हानियों के वित्तीय प्रभाव की व्याख्या करती है। (वर्ष 1997-98 के आँकड़े अनन्तिम है)। लेखापरीक्षा के परिणामों की विवेचना अनुवर्ती अनुच्छेदों में की गई है।

3ब.4 प्रेषण एवं वितरण (टीएण्डडी) हानि

ऊर्जा उत्पादन केन्द्र से उपभोक्ता तक प्रेषण एवं वितरण तंत्र द्वारा ऊर्जा पहुँचाये जाने की प्रक्रिया में इस प्रणाली हेतु स्थापित उपकरणों की अंतर्निहित विशिष्टताओं के कारण तथा उपभोक्ता परिसर तक प्रेषण में वाल्टेज को उच्चायी अथवा अपचायी करने से कुछ ऊर्जा या तो उपभोग हो जाती है या नष्ट हो जाती है। ऊर्जा उत्पादन के प्रथम चरण से उपभोक्ता तक वितरण के अन्तिम चरण के मध्य की ऊर्जा क्षति को प्रेषण एवं वितरण की हानियाँ कहा जाता है। हानियाँ मुख्यत: दो प्रकार की मानी गई है, यथा, तकनीकी हानियाँ तथा वाणिज्यिक हानियाँ। तकनीकी हानियाँ मुख्यतया

प्रेषण/वितरण में प्रयोग किये जाने वाले उपकरणों की अंतर्निहित विशिष्टताओं की वजह से होती है जबकि वाणिज्यिक या अस्पष्टीकृत हानियाँ ऊर्जा की चोरी, जिसमें चोरी अपराध, खराब मीटर, उपभोक्ता को बिना मीटर के ऊर्जा की आपूर्ति इत्यादि शामिल है, के कारण होती है।

(अ) प्रेषण हानि

प्रेषण हानि की प्रतिशतता 4 प्रतिशत मानकों के समक्ष 8.55 से 11.51 प्रतिशत तक विचरित रही।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने प्रेषण हानियों की स्वीकार्य सीमा 4 प्रतिशत निर्धारित की थी (जुलाई 1991)। मण्डल के पास प्रेषण हानियों की अलग से गणना हेतु कोई व्यवस्था नहीं है जिसके अभाव में प्रत्येक फीडर की प्रेषण हानियों को लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका। तथापि, ऊर्जा अंकेक्षण शाखा द्वारा वितरण हानियों की गणना को देखते हुऐ प्रेषण हानियाँ वर्ष 1994-95 से वर्ष 1997-98 के मध्य 8.55 प्रतिशत से 11.51 प्रतिशत के मध्य विचरित रहीं जिसके परिणामस्वरूप उक्त अवधि में स्वीकार्य मानकों से 833.65 करोड़ रुपये मूल्य की 4661.365 मिलियन विद्युत ईकाईयों की अधिक हानि हुई, जिसका विवरण अनुबन्ध 16 में दिया गया है।

(ब) वितरण हानि

अंत:प्रेषण एवं वितरण हानियों की प्रतिशतता 11.5 प्रतिशत मानकों के समक्ष 13.42 से 17.05 प्रतिशत के मध्य विचरित रही।

सीईए द्वारा यथा निर्धारित अंत:प्रेषण व वितरण हानियों के 11.5 प्रतिशत के स्वीकार्य सीमा के विरूद्ध वर्ष 1994-95 से 1997-98 के दौरान वास्तविक हानि 13.42 प्रतिशत से 17.05 प्रतिशत के मध्य विचरित रही, परिणामस्वरूप उक्त अवधि में मानकों से 576.21 करोड़ रुपये मूल्य की 3190.712 मिलियन विद्युत ईकाईयों की अधिक हानि हुई।

उक्त अवधि में कुल प्रेषण एवं वितरण हानियाँ जो 24.93 प्रतिशत से 28.31 प्रतिशत के मध्य विचरित थी, गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्य में हानियों से जो वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 के लिए 15.29 से 18.36 प्रतिशत के मध्य विचरित थी, कहीं ज्यादा थीं। निवेश ढाँचे में असंतुलन, प्रेषण योजनाओं पर अपर्याप्त निगरानी, प्रणाली सुधार योजनाओं को पूर्ण करने में विलम्ब, ऊर्जा मीटरों की स्थापना न करना, लघु क्षमता के ट्रांसफार्मरों की स्थापना न करना, दोषपूर्ण मीटरों की प्रतिस्थापना न करना तथा ऊर्जा की चोरी एवं हेराफेरी, प्रेषण एवं वितरण की अधिक हानियों के मुख्य कारण थे, जिनकी अनुच्छेद 3ब.5 से 3ब.9 में विवेचना की गई है।

मण्डल ने प्रेषण, अंत:प्रेषण व वितरण की प्रत्येक चरण में हानियों की गणना नहीं की इस प्रकार मण्डल कमजोर क्षेत्रों की, जहाँ हानियाँ असाधारण रूप से अधिक थी, पहचान नहीं कर सका।

3 ब.4.1 हानियों की कम संगणना

मण्डल ने विक्रय के लिये उपलब्ध ऊर्जा तथा वास्तविक विक्रय की गई ऊर्जा के मध्य अन्तर के आधार पर सम्पूर्ण प्रणाली हानि की संगणना की थी। लेखापरीक्षा संवीक्षा में यह पाया कि प्रेषण एवं वितरण हानियाँ निम्न कारणों से कम बतायी गयी थी:-

(i) जिन उपभोक्ताओं के मीटर दोषपूर्ण अथवा अक्रियाशील थे उनके विद्युत उपभोग का निर्धारण सामान्यत: वास्तविक उपभोग के विरूद्ध ऊर्जा के मोटे अनुमान/औसत उपभोग के आधार पर किया जाता है। मण्डल के पास, उपभोक्ता के स्थल पर दोषपूर्ण मीटर की स्थिति ज्ञात करने की कोई व्यवस्था नहीं है, तथापि, जैसा कि लेखापरीक्षा में मूल्यांकन किया गया 31 मार्च 1998 को 9 वृतों* में 1.25 लाख मीटर प्रतिस्थापना की प्रतीक्षा में थे।

(ii) असंगत संगणना के कारण ऊर्जा उत्पत्ति केन्द्रों पर हुई प्रेषण हानियाँ गौण उपभोग में भी शामिल कर ली गई (183.410 मिलियन इकाईयाँ), परिणामस्वरूप प्रेषण हानियाँ 0.43 से 0.54 प्रतिशत तक कम दर्शायी गयी।

(iii) प्रेषण हानियों की संगणना में ईएचवी एवं 33/11 के.वी. जीएसएस पर हुए गौण उपभोग को बहिष्कृत करने के परिणामस्वरूप हानियाँ 1994-95 से 1997-98 के दौरान 0.21 से 0.23 प्रतिशत तक कम दर्शायी गयी।

(iv) कृषि उपभोक्ताओं को समान दर पर ऊर्जा आपूर्ति में प्रेषण एवं वितरण हानियों के समाविष्ट होने की बहुत अधिक संभावना रहती है क्योंकि वास्तविक उपभोग के बजाय कृषकों द्वारा उपयोग की जाने वाली मोटरों के हार्स पावर (एचपी) के आधार पर बिल बनाये जाते हैं।

3ब.5 प्रेषण एवं वितरण प्रणाली की संवृद्धि

(अ) बजट

वर्ष 1994-95 से 1997-98 की अवधि के दौरान उत्पादन, प्रेषण, अंत:प्रेषण व वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में बजट आवंटन तथा उपगत व्यय का विवरण अनुबन्ध-17 में दिया गया है।

* 1. अजमेर 2. अलवर 3. बाड़मेर 4. भरतपुर 5. चुरू 6. हनुमानगढ़ 7. जयपुर 8. झालावाड़ 9. झुंझुनूं

अनुबन्ध से यह देखा गया कि :

(i) योजनागत व्यय बजट अनुमान के करीब था जबकि 20.57 करोड़ रुपये की सीमा तक के उत्पादन हेतु गैर-योजनागत व्यय के लिए यह काफी नीचे था वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 के दौरान यह 15.49 करोड़ रुपये के बजट अनुमान के समक्ष केवल 3.04 करोड़ रुपये था। तथापि, प्रेषण सुविधाओं की सृष्टि के सम्बन्ध में योजनागत व्यय वर्ष 1994-95 से 1997-98 की अवधि में 59.04 करोड़ रुपये से बढ़ गया था।

(ii) ग्रामीण विद्युतिकरण योजना के अंतर्गत किया गया व्यय बजट अनुमान से काफी कम था। वर्ष 1994-95 से 1997-98 की अवधि में 420.20 करोड़ रुपये के योजनागत व्यय के विरूद्ध 406.14 करोड़ रुपये व्यय किये गये थे।

(ब) निवेश का असंतुलित ढांचा

ऊर्जा पर राज्याध्यक्ष समिति ने उत्पादन, प्रेषण, वितरण एवं ग्रामीण विद्युतिकरण पर 4:2:1:1 अनुपात के पूंजी प्रारूप के लिए सिफारिश की थी (1980)। तथापि, 50 प्रतिशत ऊर्जा बाहरी स्त्रोतों से क्रय किये जाने को ध्यान में रखते ऊर्जा मंत्री की अध्यक्षता में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त उच्चाधिकार समिति द्वारा इस निवेश का अनुपात 2:2:1:1 होने के लिए सिफारिश की गई थी(मार्च 1995)। मानक अनुपात 2:2:1:1 के विरूद्ध उत्पादन, प्रेषण, वितरण एवं ग्रामीण विद्युतिकरण के सम्बन्धों में अर्जित वास्तविक अनुपात 4.3:2.6:2.0:1.1 था। इस प्रकार यह निवेश के ढाँचे में असंतुलन को दर्शाता है।

निम्नांकित तालिका 1997-98 तक के चार वर्षो के लिए ऊर्जा उपलब्धता के साथ-साथ प्रेषण एवं वितरण सुविधाओं की संवृद्धि के प्रवाह को दर्शाती है:

क्र. सं.	विवरण	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98 (अनन्तिम)
1.	उत्पादन/क्रय				
	(अ) स्वंय का उत्पादन (मिलियन इकाईयाँ)	8773.83	9927.90	10383.53	10853.61
	(ब) क्रय (मिलियन इकाईयाँ)	8272.86	9985.56	9531.27	10940.03
	(स) कुल उपलब्ध ऊर्जा (मिलियन इकाईयाँ)	17046.69	19913.46	19914.80	21793.64
2.	प्रेषण एवं वितरण लाइनें				
	(i)एचटी/ईएचटी लाइनें (सीकेएम)	13697.29	14300.24	15181.99	16405.00
	(ii)अंत:प्रेषण लाइनें (सीकेएम)	142736.95	148206.92	154499.43	160973.00
	(iii)एलटी लाइनें (सीकेएम)	172162.15	179090.75	185698.67	192719.00
	(iv)कुल लाइनें (सीकेएम)	328596.39	341597.91	355380.09	370097.00
3.	ट्रांसफार्मर क्षमता (एमवीए)	21587.57	24451.31	26880.43	उपलब्ध नही
4.	कुल उपलब्ध ऊर्जा की प्रति मिलियन इकाईयों में प्रेषण लाइनें	0.803	0.718	0.762	0.753
5.	कुल उपलब्ध ऊर्जा की प्रति मिलियन इकाईयों में ट्रांसफार्मर क्षमता	1.266	1.228	1.349	उपलब्ध नही

उक्त से पाया गया कि:

(i) सीईए* द्वारा अनुशंसित एचटीएल/एलटीएल** के 1:1 के अनुपात के समक्ष, वर्ष 1994-95 से 1997-98 में एचटीएल/एलटीएल अनुपात 1:1.08 तथा 1:1.10 के मध्य विचरित रहा जो यह दर्शाता है कि एलटी का अनुपात इन तमाम चार वर्षो में सामान्य से अधिक था परिणामस्वरूप ट्रांसफार्मरों पर अतिभार को नीचे नहीं लाया जा सका।

(ii) ट्रांसफार्मरों की क्षमता में प्रति मिलियन इकाई विद्युत उपलब्धता वर्ष 1994-95 में 1.266 से बढ़कर 1996-97 में 1.349 हो गई जबकि प्रेषण लाइनों में प्रति मिलियन इकाई विद्युत उपलब्धता वर्ष 1994-95 में 0.803 से घटकर 1997-98 में 0.753 हो गई जो दर्शाती है कि प्रेषण लाइनें, ऊर्जा उपलब्धता तथा ट्रांसफार्मरों की क्षमता के अनुरूप नहीं थी। अतः मण्डल समस्त स्थापित ट्रांसफार्मरों की क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं कर सका।

3ब.6 प्रेषण परियोजनाओं की निगरानी/समय व लागत में अतिवृद्धि

परियोजना को पूर्ण करने में विलम्ब (12 से 39 माह) के कारण 17.49 करोड़ रुपये की प्रत्याशित (89.96 मिलियन ईकाईयाँ) बचत प्राप्त नहीं की जा सकी।

मण्डल ने परियोजनाओं के नियंत्रण तथा नियमित निगरानी हेतु कार्यकलापों के प्रारम्भ तथा पूर्ण किये जाने की निर्धारित तिथि को दर्शाने वाला 'पर्ट चार्ट' अथवा अग्रगामी विवेचनात्मक तरीके पर आधारित कार्यप्रणाली की किसी भी पद्धति को प्रवर्तित नहीं किया। इसके अतिरिक्त, अभिलेखों के अनुपयुक्त संधारण के कारण मण्डल के पास प्रत्येक परियोजना/लाइन/सब-स्टेशन की अलग से लागत उपलब्ध नहीं है जिसके अभाव में प्रत्येक कार्य पर अतिरिक्त लागत का लेखापरीक्षा में आँकलन नहीं किया जा सका।

वर्ष 1994-95 से 1997-98 के दौरान निर्मित 76 लाइनों (3042.80 किलोमीटर) व 61 जीएसएस (2178.50 एमवीए) में से 10 प्रेषण लाइनों (728 किलोमीटर) तथा 237.5 एमवीए क्षमता के चार जीएसएस के अभिलेखों की नमूना जाँच से पाया गया कि 12 से 39 माह के मध्य विचरित समय अतिवृद्धि के कारण मण्डल 17.49 करोड़ रुपये मूल्य की 89.96 मिलियन इकाइयों की प्रत्याशित बचत का लाभ प्राप्त नहीं कर सका। लेखापरीक्षा में यथा-अवलोकित विलम्ब, मुख्यतः निविदा आमंत्रण में विलम्ब, ठेकेदार को सामान की अनुपलब्धता, अतिरिक्त कार्य को अन्तिम रूप देने, संविदा प्रदान करने, कार्य की सम्पूर्ण रूपरेखा के अनुमोदन तथा जीएसएस की भू-अवाप्ति

* केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण

** उच्च दाब लाइनें/निम्न दाब लाइनें

इत्यादि में विलम्ब, के कारण से था जैसा कि अनुबन्ध-18 में वर्णित है। अन्य ध्यान में आये रूचिकर प्रसंग नीचे विवेचित है:

3ब.6.1 जोधपुर-तिनवाडी-डेचू लाइन का निर्माण

तिनवाड़ी में ट्रांसफार्मर क्षमता में वृद्धि न करने के फलस्वरूप लाइन पर 323 लाख रुपये का किया गया व्यय निष्फल रहा।

तिनवाडी के कृषि प्रधान क्षेत्रों में बढ़ती मांग का सामना करने तथा 132 के.वी. सब स्टेशन की निरन्तर वृद्धि को टालने के उद्देश्य से मण्डल ने जोधपुर से तिनवाडी तक 40 किलोमीटर 220 के.वी.एस/सी की लाइनें बिछाने के साथ तिनवाडी में 100 एमवीए क्षमता के 220 के.वी. जीएसएस के निर्माण (अनुमानित लागत 13.37 करोड़ रुपये) के लिये अनुमोदन प्रदान किया (जनवरी 1993)। विश्व बैंक/पावर फाइनेन्स कॉरपोरेशन द्वारा इस परियोजना के लिए वित्त व्यवस्था की जानी थी। विश्व बैंक द्वारा वित्त सहायता प्राप्त करने के प्रत्याशित विलम्ब को दृष्टिगत रखते हुए मण्डल ने मध्यवर्ती अवधि में कृषि के लिए तात्कालिक माँग का सामना करने हेतु 120 किलोमीटर 132 के.वी.एस/सी जोधपुर-तिनवाड़ी-डेचू की एक दूसरी लाइन के निर्माण (969.10 लाख रुपये की अनुमानित लागत) की अनुमति दी (जून 1994)। इसका कार्य आदेश (निर्माण लागत: 61.75 लाख रुपये) 6 जून 1995 को एनबीसीसी* लिमिटेड, नई दिल्ली को 5 अप्रेल 1996 तक कार्य पूरा किये जाने के लिये प्रदान किया गया। यह कार्य 40 किलोमीटर तक नवम्बर 1996 में तथा 80 किलोमीटर तक अप्रेल 1998 में पूरा हुआ था तथा 132 के.वी. जीएसएस तिनवाड़ी से लाइन प्रभारित कर दी गई थी।

इसी दौरान 220 के.वी.एस/सी जोधपुर-तिनवाड़ी लाइन (40 किलोमीटर) के निर्माण हेतु ऊर्जा इन्जीनियर्स (प्रा.) लिमिटेड वडोदरा को नवम्बर 1996 तक कार्य पूरा करने के लिये कार्यादेश दिया गया था(नवम्बर 1995) जिसे 44.95 लाख रुपये की निर्माण लागत से पूरा कर दिया गया था (अक्टूबर 1997) तथा इसे 220 के.वी. जीएसएस तिनवाड़ी से प्रभारित कर दिया गया था (नवम्बर 1997)।

इस प्रकार, यह जानते हुये भी कि अंत:त्तोगत्वा 220 के.वी. लाइन का निर्माण किया जाना है, स्वीकृति के एक वर्ष पश्चात् कार्य प्रदान करने तथा जोधपुर तिनवाड़ी के बीच 132 के.वी. लाइन (40 किलोमीटर) का निर्माण पूरा करवाने से तिनवाड़ी में कृषि भार हेतु तीव्रगति से बढ़ती हुई तात्कालिक माँग की पूर्ति करने का यथार्थ उद्देश्य ही विफल हो गया क्योंकि नवम्बर 1997 तक तिनवाड़ी में ट्रांसफार्मर क्षमता में वृद्धि नहीं की गई थी। इससे 132 के.वी. जोधपुर-तिनवाड़ी (40 किलोमीटर) लाइन के निर्माण पर किया गया अनुपातिक अनुमानित 323 लाख रुपये का व्यय निष्फल रहा।

* राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम

3ब.6.2 400 के.वी. सूरतगढ़ ताप विद्युत गृह से रतनगढ़ लाइन

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 400 के.वी. पर ऊर्जा के निकास हेतु 8561 लाख रुपये की लागत से सूरतगढ़ ताप विद्युत गृह से रतनगढ़ तक 400 के.वी. की दो सिंगल सर्कट लाइनों के निर्माण की योजना को अनुमोदित किया था (अगस्त 1991)। मण्डल ने जुलाई 1995 में इसकी अनुमति प्रदान कर दी। ये लाइनें अप्रेल 1996 तथा जून 1996 में क्रमशः पूर्ण तथा स्थापित की जानी थी तथा प्रारम्भ में 220 के.वी. पर प्रभारित की जानी थी। दोनों लाइनें नवम्बर व दिसम्बर 1997 में 4473.36 लाख रुपये की लागत से (मार्च 1998 तक लेखांकित राशि) तथा क्रमशः 21 जनवरी 1998 व 19 अप्रेल 1998 को स्थापित कर दी गई थी (220 के.वी. पर)। तथापि, इन लाइनों को 400 के.वी. पर विद्युतिकरण नहीं किया जा सका क्योंकि सूरतगढ़ व रतनगढ़ में 400/220 के.वी. जीएसएस क्रमशः अक्टूबर 2002 व 2003 में पूर्ण किये जाने है।

इस प्रकार, अनुकूल उप-केन्द्रों के निर्माण के बिना प्रेषण लाइनों के निर्माण के कारण 4473.36 लाख रुपये के निवेश (मार्च 1998 तक का लेखांकित व्यय) से आपेक्षित लाभ वर्ष 2002 तथा 2003 में ही प्राप्त हो सकेगा।

3ब.7 प्रणाली सुधार योजनाएँ

केन्द्रीय विकास प्राधिकरण ने दीर्घावधि तथा अल्पावधि उपायों के माध्यम से प्रेषण एवं वितरण प्रणाली में सुधार किये जाने की आवश्यकता पर बल दिया (जुलाई 1991)।

दीर्घावधि उपायों में, आवश्यकता आदि की पूर्ति हेतु वितरण एवं सम्बन्धित प्रेषण प्रणाली में सुधार तथा क्रमबद्ध सशक्त बनाने हेतु दीर्घ-कालीन योजनाएँ बनाना शामिल है। अल्पावधि उपायों में वितरण प्रणाली में कमजोर क्षेत्रों की पहचान, परिचालित वोल्टेज का उच्च-श्रेणीकरण, एलटी लाइनों की लम्बाई में कमी, कम क्षमता के ट्रांसफार्मरों की स्थापना तथा पावर फेक्टर में सुधार के लिये शन्ट कैपिसिटर्स स्थापित करना शामिल है। कुछ सुधार योजनाओं की विवेचना नीचे की गई है:-

(अ) शहरी प्रणाली योजनाएँ

विद्यमान ईएचवी प्रेषण, अत:प्रेषण तथा वितरण प्रणाली में सुधार करने और प्रेषण एवं वितरण हानियों में कमी करने हेतु मण्डल ने वर्ष 1994-95 के दौरान 267.48 करोड़ रुपये की लागत से 18 शहरी प्रणाली सुधार योजनाएँ अनुमोदित की। इनमें से, 5 योजनाएँ दो वर्ष में, 10 योजनाएँ तीन वर्ष में तथा तीन चार वर्ष में पूर्ण की जानी थीं (मार्च 1999)। इन योजनाओं के पूर्ण होने पर मण्डल ने मार्च 1999 तक 156.04 करोड़ रुपये की 736.587 मिलियन इकाईयों की प्रेषण एवं वितरण हानियाँ कम करने का पुर्वानुमान लगाया था।

सभी योजनाएँ (जयपुर योजना के अलावा) प्रगति में थी (मार्च 1999)। मण्डल द्वारा संशोधित अनुमान नहीं बनाये गये थे तथा इस प्रकार योजनाओं को पूर्ण करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप बजट पर पड़ने वाले भार का लेखापरीक्षा में पता नहीं लगाया जा सका। लेखापरीक्षा में 10 योजनाओं के निष्पादन की स्थिति की समीक्षा करने पर पाया गया कि:

- मार्च 1998 तक पूर्ण की जानी वाली शहरी सुधार योजना बारां, 3.18 करोड़ रुपये मूल्य की सामग्री प्राप्त करने के वाबजूद अभी तक प्रारम्भ नहीं की गई (मार्च 1999)।

विभिन्न शहरी प्रणाली सुधार योजनाओं के प्रारम्भ/पूर्ण न होने के कारण 28.71 करोड़ रुपये की प्रत्याशित बचत (132.919 मिलियन ईकाईयाँ) प्राप्त नहीं की जा सकी।

- छः योजनाएँ (अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, पाली, सवाईमाधोपुर तथा सीकर) 1995-96 में प्रारम्भ की जानी थी तथा मार्च 1999 तक पूर्ण की जानी थी, अभी भी प्रगति में थी (मार्च 1999)। तथापि, 15.42 करोड़ रुपये (वर्ष 1995-96: 4.87 करोड़ रुपये, वर्ष 1996-97 : 10.55 करोड़ रुपये) की सामग्री, आवश्यकता से पूर्व ही प्राप्त कर लेने से इन वर्षो के दौरान निष्क्रिय पड़ी रही।

- चितौडगढ़ योजना के सम्बन्ध में भूमि के अभाव में, जो कि मई 1998 में आवंटित की गई थी, एक 33 के.वी./11 के.वी. जीएसएस का निर्माण नहीं हो सका था। तथापि, मण्डल ने मार्च 1999 तक इस भूमि पर कार्य प्रारम्भ नहीं किया था। 33/11 के.वी. जीएसएस के निर्माण के अभाव में योजना के अन्य सम्बन्धित कार्यो में निवेशित किये गये 5.28 करोड़ रुपये के कोषों का उपयोग नहीं किया जा सका।

- ब्यावर तथा श्रीगंगानगर योजनाओं के मामले में यद्यपि सभी योजनागत कार्यो को 13.72 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण किया जा चुका था, भूमि के अभाव में 33/11 के.वी. जीएसएस का निर्माण न किये जाने के कारण इनका उपयोग नहीं किया जा सका। इस प्रकार, योजना के अभिष्ट लाभ अप्राप्त रहे।

उपरोक्त वर्णित परियोजनाओं के समय पर प्रारम्भ/पूर्ण न किये जाने के परिणास्वरूप मण्डल प्रेषण एवं वितरण हानियों में 28.71 करोड़ मूल्य की 132.919 मिलियन इकाईयों की प्रत्याशित बचत का लाभ नहीं उठा सका।

(ब) ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएँ

ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के पूर्ण करने में विलम्ब के कारण 1.98 करोड़ रुपये की बचत (23.02 मिलियन ईकाईयाँ) प्राप्त नहीं की जा सकी।

वर्ष 1994-95 से 1997-98 की अवधि के दौरान मण्डल ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 199.61 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 162 ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएँ प्रतिपादित की, जिसमें 33 के.वी. एवं 11 के.वी. लाइनों के निर्माण, 33 के.वी./11 के.वी. सब-स्टेशन के निर्माण, गाँवों के विद्युतिकरण तथा कुओं के ऊर्जाकरण करने के कार्य सम्मिलित थे। इन योजनाओं के लिए वित्त व्यवस्था आंशिक रूप से ग्रामीण विद्युतिकरण निगम (आरईसी) द्वारा तथा आंशिक रूप से मण्डल द्वारा स्वयं के स्त्रोतों से की जानी थी तथा इन्हें 12 से 24 महीने के बीच पूर्ण किया जाना था। इन

योजनाओं की वित्त व्यवस्था हेतु आरईसी से 359.75 करोड़ रुपये ऋण के रूप में प्राप्त किये गये थे। तथापि, 31 मार्च 1999 को 692.01 करोड़ रुपये की राशि (अनन्तिम) (पूर्व वर्षो में प्राप्त ऋण सहित) चुकायी जानी थी। इन योजनाओं के पूर्ण होने पर 21.89 करोड़ रुपये के संभावित राजस्व की 201.295 मिलियन विद्युत इकाईयों की वार्षिक बचत प्रत्याशित थी। 162 योजनाओं में से वर्ष 1997-98 तक 131 योजनाएँ पूर्ण हो चुकी थी तथा 31 योजनाएँ प्रगति पर थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 31 मार्च 1996 तक स्वीकृत 31 योजनााएँ (9 योजनाएँ 1994-95 में तथा 22 योजनाएँ 1995-96 में) मार्च 1996 तथा मार्च 1998 के बीच पूर्ण की जानी थी; पूर्ण नहीं की गई (मार्च 1999)। इस प्रकार 1.98 करोड़ रुपये की संभावित राजस्व की 23.0 मिलियन विद्युत इकाईयों की प्रत्याशित बचत प्राप्त नहीं की जा सकी।

3ब.8 एल.टी.लाइनों में कमी

हानियों को कम करने के लिये, कम क्षमता के ट्रांसफार्मरों की स्थापना द्वारा 11 के.वी. के वितरण तंत्र का विस्तार करने का विचार किया गया। यह पाया गया कि 100 केवीए के 7363 तथा 63 केवीए के 15370 ट्रांसफार्मरस जो कि पर्याप्त मात्रा में 40 केवीए तथा 25 केवीए के ट्रांसफार्मरों की स्थापना द्वारा बदले जाने थे (जनवरी 1999), इसके समक्ष मण्डल ने जनवरी 1999 तक 3418 (100 केवीए) तथा 2442 (63 केवीए) के ट्रांसफार्मरों को बदलने की स्वीकृत प्रदान की। इसके विरूद्ध 1654 (100 केवीए) तथा 1360 (63 केवीए) ट्रांसफार्मरों को ही बदला जा सका (जनवरी 1999)। उपभोक्ता के प्रतिष्ठान के पास ही कम क्षमता के ट्रांसफार्मरों की स्थापना की धीमी प्रगति के कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे।

3ब.9 ऊर्जा अंकेक्षण

मण्डल द्वारा अधिशाषी निदेशक (मीटर्स एवं प्रोटेक्शन शाखा) के नियंत्रण में एक ऊर्जा लेखापरीक्षा कक्ष स्थापित किया गया था (जनवरी 1987)। ऊर्जा लेखांकन तथा लेखापरीक्षा हेतु जारी विस्तृत आदेशों में, अन्य के अलावा, (i) ऊर्जा निवेश, उत्पादन तथा सभी वृत्तों (टीसीसी एवं ओएण्डएम) द्वारा हानियों तथा प्रत्येक स्तर पर प्रेषण एवं वितरण हानियों का वैज्ञानिक मूल्यांकन करने की मदद हेतु वाणिज्यिक गतिविधियों का संकलन एवं प्रतिवेदन; (ii) अधिक प्रेषण एवं वितरण हानियों वाले इलाके/क्षेत्रों की पहचान; (iii) ऊर्जा मीटरों की स्थापना की सुनिश्चितता एवं शीघ्र निष्पादन; (iv) मीटरों के निरीक्षण तथा परीक्षण एवं मीटर लगाने पर सख्त नियंत्रण एवं विशेष

रूप से अधिक हानि/चोरी प्रवृत क्षेत्रों के दोषपूर्ण मीटरों को बदलना तथा (v) सतर्कता नियंत्रण इत्यादि का भी प्रबंधन शामिल है।

इस सम्बन्ध में लेखापरीक्षा में निम्न टिप्पणियाँ की जाती है:

(i) आँकड़ों का संकलन तथा अधिक हानियों के क्षेत्र की पहचान

वर्ष 1994-95 से 1997-98 के लिए अतिरिक्त निदेशक द्वारा वृत्त वार संधारित ऊर्जा खातों से, तथापि, देखा गया कि विभिन्न वृत्तों में औसत हानि 18.01 से 27.15 प्रतिशत के बीच विचरित रही जो कि सीएई द्वारा निर्धारित 11.5 प्रतिशत से अधिक थी (फलस्वरूप 1359.90 करोड़ रुपये की ऊर्जा की हानि हुई)। लेखापरीक्षा में 12 मण्डलों* की विस्तृत जांच से पाया गया कि इन वृत्तों में हानियों की प्रतिशतता 25.01 से 52.49 के बीच थी। मण्डल ने इन वृत्तों में हो रही असाधारण हानियों के कारणों की जांच नहीं की।

वृत्तों में अधिक हानियों की प्रतिशतता को ध्यान में रखते हुए मण्डल के अध्यक्ष ने इन हानियों को कम से कम राज्य औसत (25 प्रतिशत के आसपास) के स्तर के बराबर लाने के लिये सभी वृतों में एक कार्य योजना बनाने का विचार किया (अक्टूबर 1998)। तथापि, इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का उपक्रम नहीं किया गया (मार्च 1999)।

(ii) ऊर्जा मीटरों की स्थापना न करना

मण्डल ने ईएचटी अंत:प्रेषण एवं वितरण उपकेन्द्रों पर ऊर्जा मीटर स्थापित कर दिये थे परन्तु 33 के.वी./11 के.वी. जीएसएस के निर्गत फीडरों पर ऊर्जा मीटरों की स्थापना का कार्य प्रगति पर था (मार्च 1999)। 33 के.वी./11 के.वी. जीएसएस के निर्गत फीडरों पर मीटर उपकरणों की स्थापना के अभाव में उपभोक्ताओं को विभिन्न फीडरों से वास्तव में आपूर्तित तथा प्रत्येक फीडर से आपूर्ति की हानियों को लेखापरीक्षा में सुनिश्चित/पता नहीं किया जा सका।

(iii) मीटरों का परीक्षण एवं निरीक्षण

मीटरों का निरीक्षण/परीक्षण निर्धारित लक्ष्यों के केवल 9.42 प्रतिशत तक ही किया गया था।

मण्डल के विभिन्न अधिकारियों द्वारा उपभोक्ता के परिसर के मीटरों के परीक्षण/निरीक्षण के लिए वर्ष 1994-95 से 1997-98 के निर्धारित भौतिक (18.47 लाख) तथा वित्तीय (745.20 करोड़ रुपये) लक्ष्यों के विरूद्ध वास्तविक् उपलब्धि क्रमश: 9.42 तथा 7.64 प्रतिशत ही थी {1.74 लाख (भौतिक) तथा 56.97

* 1. बाड़मेर 2. भरतपुर 3. बीकानेर 4. चुरू 5. हनुमानगढ़ 6. झालावाड 7. जोधपुर शहर 8. जोधपुर जिला 9. नागौर 10. सवाईमाधोपुर 11. श्रीगंगानगर 12. सीकर

करोड़ रुपये (वित्तीय)}। अपेक्षित सीमा तक निरीक्षण नहीं किये जाने के कारण अभिलेखित नहीं थे।

(iv) दोषपूर्ण मीटरों को बदलना

सम्पूर्ण मण्डल के लिए दोषपूर्ण मीटरों की स्थिति की जानकारी हेतु व्यवस्था नहीं थी। तथापि, लेखापरीक्षा में देखा गया कि 9 वृत्तों** में बदलने की प्रतीक्षा में दोषपूर्ण मीटरों की संख्या वर्ष 1994-95 में 93581 से बढ़कर 1997-98 में 125178 हो गई। समय पर दोषपूर्ण मीटरों को न बदले जाने के कारण तथापि, अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे।

(v) ऊर्जा की हेराफेरी एवं चोरी

ऊर्जा की हेराफेरी एवं चोरी, प्रेषण एवं वितरण हानियों के उच्च विस्तार के लिए एक सहयोगी कारण है। इन हानियों को रोकने के लिये मण्डल ने अतिरिक्त निदेशक (सुरक्षा एवं सतर्कता) के पदभार के अधीन ऊर्जा की हेराफेरी/चोरी/अपराध के संदिग्ध मामलों का पता लगाने के लिये एक केन्द्रीय सतर्कता कक्ष की स्थापना की।

मण्डल ने सतर्कता कक्ष के लिये पहली बार वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किये (जून 1994)। तथापि, वर्ष 1997-98 के बाद से भौतिक और वित्तीय दोनों लक्ष्य निर्धारित किये। तथापि, लेखापरीक्षा में देखा गया कि:

(i) वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान सतर्कता कक्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किये गये तथा क्रमशः 910 लाख रुपये एवं 1092 लाख रुपये के लक्ष्यों के समक्ष उपलब्धियों की प्रतिशतता 50.71 तथा 80.33 रही।

इस प्रकार, लक्ष्य प्राप्त नहीं करने के परिणामस्वरूप वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान 663.26 लाख रुपये की ऊर्जा की चोरी का पता नहीं लगाया जा सका।

सतर्कता जाँच के लिए निर्धारित लक्ष्य एक प्रतिशत से कम थे।

(ii) वर्ष 1994-95 से 1998-99 के दौरान उपभोक्ताओं के जाँचे गये परिसरों की प्रतिशतता बहुत कम रही जो मण्डल के कुल उपभोक्ताओं की 0.47 से 0.63 प्रतिशत के बीच विचरित रही, परिणामस्वरूप सतर्कता कक्ष वर्ष 1997-98 एवं 1998-99 के दौरान अपने भौतिक लक्ष्यों को क्रमशः 135.31 एवं 110.04 प्रतिशत तक ही प्राप्त करने में समर्थ रहा। वर्ष 1997-98 और 1998-99 के दौरान क्रमशः 27.27 करोड़ रुपये तथा 36.36 करोड़ रुपये के वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति 91.42 और 54.90 प्रतिशत रही। उक्त वर्षों में वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त नहीं करने के परिणामस्वरूप 18.74 करोड़ रुपये की ऊर्जा चोरी का पता नहीं लगाया जा सका। मार्च 1999 तक जाँच किये गये मामलों में, 19755 उपभोक्ताओं से 21.55 करोड़

** 1. अजमेर 2. अलवर 3. बाड़मेर 4. भरतपुर 5. चुरू 6. हनुमानगढ़ 7. जयपुर 8. झालावाड़ 9. झुंझुनु

रुपये की राशि बकाया थी (अगस्त 1999), जिसमें से 9.66 करोड़ रुपये 1985 से 1996-97 की अवधि से सम्बन्धित थे। वसूली में धीमी प्रगति के कारण, तथापि, अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे।

(iii) जुलाई 1999 तक जाँच किये गये उपभोक्ता विद्युत सम्बन्धों के 19524 मामलों में निर्धारण नहीं किया गया था (अगस्त 1999)। इसके फलस्वरूप कम बिलिंग हुई तथा मण्डल की देयताओं की समय पर वसूली नहीं की जा सकी जिसकी सीमा अनिश्चय है। तथापि, निर्धारण नहीं करने के कोई कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे।

(iv) मार्च 1999 तक जाँच किये गये उपभोक्ता विद्युत सम्बन्धों के 16569 मामलों में एफआईआर दायर नहीं की गई जिसमें से 10284 मामले वर्ष 1985 से 1997-98 की अवधि से सम्बन्धित थे। तथापि, एफआईआर* दायर नहीं किये जाने के कोई कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे।

3ब.10 अन्य रूचिकर प्रकरण

3ब.10.1 कूकस में 220 के.वी. जीएसएस का निर्माण

वोल्टेज असुविधा को ध्यान में रखते हुऐ, मण्डल ने 12.09 करोड़ की अनुमानित लागत से कुण्डा की ढाणी में अलवर एवं हीरापुरा के बीच 220 के.वी. लाईन के अंतर्लूप एवं बाह्यलूप द्वारा 220/132 के.वी. जीएसएस के निर्माण तथा विद्यमान 132 के.वी. जीएसएस से अन्त:सम्बद्ध करने के लिए 200 एमवीए क्षमता के 220 के.वी./132 के.वी. जीएसएस की स्थापना हेतु प्रशासकीय अनुमति प्रदान की। इस हेतु कुण्डा की ढाणी में विद्यमान 132 के.वी. जीएसएस के ठीक पीछे की 29 बीघा 13 बिस्वा जमीन के आवंटन के लिये जिलाधीश जयपुर से सम्पर्क किया गया (मई 1989)। जिलाधीश ने 132 के.वी. जीएसएस के निकट आधा किलोमीटर तथा वर्तमान जीएसएस के 250 मीटर की परिधि में तीन भूमि के टुकड़े प्रस्तावित किये (जुलाई 1993) जो कि मण्डल द्वारा उपयुक्त नहीं समझे गये। इसके कोई कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। मण्डल ने विलम्ब से, स्थल के लागत लाभों के मूल्यांकन के बिना कूकस में 22.25 करोड़ रुपये की लागत से कुण्डा की ढाणी में वर्तमान 132 के.वी. जीएसएस से जोड़ने के लिए 132 के.वी. की 5 किलोमीटर दोहरी सर्कट लाइन डालकर 220 के.वी. जीएसएस के निर्माण (पूर्व में प्रस्तावित स्थल तथा कुण्डा की ढाणी में वर्तमान 132 के.वी. जीएसएस से 5 किलोमीटर की दूरी पर) करने का निश्चय किया (अगस्त 1997)। इस उद्देश्य से कूकस में 51 बीघा एवं 10

---

* प्रथम सूचना रिपोर्ट

बिस्वा नाप की जमीन अवाप्त की गई थी तथा 12.65 करोड़ रुपये की लागत से जीएसएस का निर्माण कार्य 31 मार्च 1998 को पूरा कर लिया गया था (मार्च 1999 तक लेखांकित व्यय)।

इस प्रकार, कुण्डा की ढाणी में वर्तमान 132 के.वी. जीएसएस के पास 250 मीटर/500 मीटर की परिधि में जमीन के जिलाधीश के प्रस्ताव को अस्वीकार करने तथा दोनों स्थलों पर लागत लाभों का मूल्यांकन नहीं करने के कारण मण्डल को 3.44 करोड़ रुपये का, अतिरिक्त लाइन के निर्माण पर (0.90 करोड़ रुपये), कूकस में 22 बीघा भूमि के क्रय इत्यादि पर (1.01 करोड़ रुपये) तथा कन्ट्रोल रूम व क्वाटर्स पर (1.52 करोड़ रुपये), अतिरिक्त व्यय वहन करना पडा।

3ब.10.2 निष्फल व्यय

भरतपुर एवं सवाई माधोपुर (परिचालन एवं अनुरक्षण) वृत्तों में तकनीकि तथा अधिक प्रेषण एवं वितरण हानियों को कम करने के यथेष्ठ क्षेत्र को देखते हुए, मण्डल ने इन दोनों वृत्तों के ऊर्जा के अंत:प्रेषण एवं वितरण प्रबन्धन का कार्य निजी उद्यमियों को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया (जनवरी 1996)। इस प्रबन्धन के हस्तांतरण में मण्डल की सम्पत्तियों का हस्तांतरण शामिल नहीं था। उक्त निर्णय के अनुसार प्रबन्धन संविदा की रूपरेखा अनुमोदित की गई (फरवरी 1996) तथा निविदाऐं आमंत्रित की गई (मार्च 1996), जिनकी खोलने की तिथि 16 अप्रैल 1996 थी जो कि कई बार बढ़ाई गई और अन्त में 17 दिसम्बर 1996 निर्धारित की गई।

इसी बीच में, मण्डल ने तीन और वृत्तों (जोधपुर, जोधपुर जिला तथा पाली) के अंत:प्रेषण एवं वितरण प्रणाली को समान रूपरेखा पर संयुक्त उद्यम व्यवस्था के अंतर्गत देने के प्रस्ताव का निर्णय लिया (नवम्बर 1996) जिसके लिये प्रस्ताव आमंत्रित किये गये (दिसम्बर 1996), जिनको खोलने की तिथि 14 मार्च 1997 रखी गई।

प्रेषण एवं वितरण हानियों को कम करने के क्षेत्र की पहचान के बाद भी मण्डल की अनिर्णयता के परिणामस्वरूप आईसीआईसीआई को किया गया भुगतान निष्फल रहा ।

इस सन्दर्भ में परामर्श सेवाऐं प्रदान करने हेतु मण्डल ने बिना निविदाऐं आमंत्रित किये, भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम लिमिटेड (आईसीआईसीआई) को 15000 रुपये प्रति आठ घंटे के कार्यदिवस और जयपुर में यात्रा व्यय के लिए 6000 रुपये प्रति कार्यदिवस की दर के पारिश्रमिक पर सलाहकार नियुक्त किया (फरवरी 1997)। मण्डल ने परामर्श सेवाओं के लिये आईसीआईसीआई को 45.51 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया।

सलाहकार ने भरतपुर एवं सवाईमाधोपुर वृतों की अंत:प्रेषण एवं वितरण प्रणाली के लिये प्रबन्धन संविदा का प्रारूप प्रस्तुत किया (मई 1997)। इस बीच में, मण्डल ने निर्णय किया (मई 1997) कि भरतपुर एवं सवाईमाधोपुर वृत्तों के प्रबन्धन संविदा प्रस्तावों पर आगे कार्यवाही न की जाये जबकि तीन वृतों (जोधपुर, जोधपुर जिला तथा

पाली) के संयुक्त उद्यम धारणा के अंतर्गत अंत:प्रेषण एवं वितरण के हस्तांतरण से सम्बन्धित प्राप्त निविदा प्रस्ताव (फरवरी 1997) कभी खोले ही नहीं गये थे।

इस प्रकार प्रेषण एवं वितरण हानियों को कम करने के क्षेत्रों की पहचान कर लेने के पश्चात् भी मण्डल की अनिर्णयता के कारण कोई सुधार नहीं किया जा सका तथा आईसीआईसीआई को 45.51 लाख रुपये का भुगतान निष्फल साबित हुआ।

निष्कर्ष

उत्पादन एवं प्रेषण के निवेश ढाँचे में असंतुलन, लाइनें बिछाने से सम्बन्धित निर्माण कार्य में धीमी एवं मन्द प्रगति, शहरी प्रणाली सुधार योजनाओं तथा ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के क्रियान्वयन के कारण, ऊर्जा के वितरण की सुविधा, राज्य में ऊर्जा की बढ़ती हुई मांग/उपलब्धता से सामंजस्य नहीं रख पायी। जिसके फलस्वरूप प्रणाली हानियाँ निर्धारित मानकों से अधिक रहीं तथा मण्डल को ऊर्जा की क्षति के कारण यथेष्ठ वित्तीय हानि वहन करनी पड़ी। ऊर्जा मीटरों को स्थापित न करना तथा सतर्कता शाखा के लक्ष्य कम निर्धारित करना आदि ने भी ऊर्जा हानि में वृद्धि की।

अत: सरकार/मण्डल को प्रेषण एवं वितरण योजनाओं के समय पर क्रियान्वयन, प्रणाली के सुधार की अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन तथा प्रणाली हानियों को सामान्य श्रेणी के अन्दर लाने के लिये सुधार के विभिन्न उपकरणों की स्थापना तथा सतर्कता जाँच व निरीक्षण प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए उपयुक्त कदम उठाये जाने को सुनिश्चित करना चाहिये।

ये सभी तथ्य मई 1995 में सरकार के ध्यान में लाये गये थे परन्तु उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (नवम्बर 1999)।

अध्याय-III स

राजस्थान वित्त निगम

वसूली निष्पादन

अनुच्छेद संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
	झलकियाँ	**85**
3स.1	प्रस्तावना	86
3स.2	संगठनात्मक ढांचा	86
3स.3	लेखापरीक्षा का क्षेत्र	87
3स.4	वित्त के स्रोत	87
3स.5	ऋण वितरण	88
3स.6	वसूली निष्पादन	92
3स.7	बकाया ऋणों का वर्गीकरण	102
3स.8	ऋणों का पुनर्सारणीकरण	103
3स.9	रुग्ण इकाइयों का पुनर्वास	104
3स.10	अधिग्रहित इकाइयों के निस्तारण में विलम्ब	105
3स.11	सहायता-प्राप्त इकाइयों की सम्पत्तियों की अनुपलब्धता	105
3स.12	राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा 32-जी के अन्तर्गत भू-राजस्व बकायों की तरह वसूली	106
	निष्कर्ष	**106**

अध्याय-III स

राजस्थान वित्त निगम

वसूली निष्पादन

झलकियाँ

राजस्थान वित्त निगम (आरएफसी) की स्थापना 17 जनवरी, 1955 को राज्य में लघु एवं मध्यम क्षेत्र के उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान कर विकास करने के मुख्य उद्देश्य से की गई थी।

(अनुच्छेद 3स.1)

वर्ष 1998-99 के अन्त में आरएफसी की संचित हानियाँ 80.33 करोड़ रुपये थी जिसके कारण इसकी समग्र प्रदत्त पूंजी 67.53 करोड़ रुपये का क्षय हो चुका था। हानियों के मुख्य कारण; अनुपयुक्त ऋण वितरण के कारण अपर्याप्त वसूली होना, निगरानी/निरीक्षण का अभाव, ऋण वसूली में अकर्मण्यता तथा आरएफसी के वित्तीय हितों के विरूद्ध मामलों का निपटारा करना, थे।

(अनुच्छेद 3स.4)

1998-99 के अन्त में 20,653 इकाइयों में बकाया 991.16 करोड़ रुपये के विरूद्ध, 13,345 इकाइयों में 230.13 करोड़ रुपये अतिदेय थे। 1998-99 तक के अन्तिम पांच वर्षों के दौरान वसूली की शुद्ध प्राप्य राशि से प्रतिशतता 47.25 तथा 49.97 के बीच विचरित थी। तथापि, पुरानी देयताओं की वसूली की प्राप्य राशि से प्रतिशतता मात्र 23.19 से 30.07 तक ही रही। अकार्यशील सम्पत्तियों का प्रतिशत जहाँ 31 मार्च 1995 को 44.21 था, वह 31 मार्च 1999 को बढ़कर 53.87 हो गया, जो कि ऋण के अनुचित वितरण एवं निर्देशन के प्रयत्नों में कमी को इंगित करता है।

(अनुच्छेद 3स.6 एवं 3स.7)

आरएफसी ने अक्टूबर 1993 से मार्च 1999 तक ओटीएस योजना के अन्तर्गत 7946 मामलों का निपटारा किया एवं 39.04 करोड़ रुपये की हानि वहन की।

(अनुच्छेद 3 स.6.3)

प्रवर्तकों की सम्पत्तियों के विवरण के अभाव में अदालत द्वारा 1.39 करोड़ रुपये की (66 मामले) जारी डिक्रियों का निष्पादन नहीं करवाया जा सका था तथा देयताओं की वसूली की कार्यवाही भू-राजस्व की बकाया की वसूली की तरह नहीं की जा सकी।

(अनुच्छेद 3स.6.4 एवं 3स.12)

3स.1 प्रस्तावना

राजस्थान वित्त निगम (आरएफसी) की स्थापना 17 जनवरी 1955 को राज्य वित्त निगम (आरएफसी) अधिनियम, 1951 की धारा 3(i) के अंतर्गत राज्य में लघु व मध्यम क्षेत्र के उद्योगों, लिमिटेड कम्पनियों/पंजीकृत सहकारी समितियों व अन्य को क्रमशः 1.50 करोड़ रुपये व 0.90 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान कर विकास करने के यथार्थ उद्देश्य से की गई थी। सितम्बर 1996 से यह सीमा बढ़ाकर क्रमशः 2.40 करोड़ रुपये व 1.20 करोड़ रुपये कर दी गई ।

3स.2 संगठनात्मक ढांचा

आरएफसी का प्रबन्धन एक निदेशक मण्डल में निहित है। 31 मार्च 1999 को 12 निदेशक थे, इनमें से अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (सीएमडी) सहित पांच निदेशक राज्य सरकार द्वारा तथा शेष भारतीय जीवन बीमा निगम एवं अंशधारियों सहित वित्तीय संस्थाओं द्वारा नियुक्त किये गये थे। सीएमडी मुख्य अधिकारी है जिसकी सहायता एक अधिशाषी निदेशक, आठ मुख्य प्रबन्धक, 25 उप-मुख्य प्रबन्धक एवं 41 शाखा प्रबन्धक करते है। इस समीक्षा की अवधि के दौरान अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशकों का कार्यकाल निम्नानुसार 3 माह से 32 माह तक विचरित रहा :-

प्रबन्ध निदेशक का नाम	कार्यकाल	कुल कार्यकाल माह
1. श्री एन.के.बैरवा	6.1.93 से 18.9.95	32
2. श्री पवन चौपड़ा	18.9.95 से 10.4.97	19
3. श्री ओ.पी. बिहारी	14.5.97 से 3.6.98	13
4. श्री राजीव महर्षी	3.6.98 से 25.9.98	3
5. श्री सुरेन्द्र कुमार	25.9.98 से 16.3.99	6
6. श्रीमति कुशल सिंह	17.3.99 से अब तक	

उत्तम उपभोक्ता सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने उदयपुर, कोटा एवं अलवर में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने की सिफारिश की थी (अक्टूबर 1998)। तथापि, अभी तक इस हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई थी (अगस्त 1999)।

3स.3 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

आरएफसी द्वारा स्वीकृत ऋणों की वसूली के निष्पादन से सम्बन्धित गत समीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 1987-88 में की गई थी, जिसे राजकीय उपक्रम समिति (सीओपीयू) द्वारा परीक्षित मान लिया गया था(नवम्बर 1995)। प्रचलित परिपाटी के अनुसार राजकीय उपक्रम समिति उन मामलों में भी जहाँ समीक्षा परिक्षित मान ली जाती है, अपनी सिफारिशें देता है, लेकिन इस मामले में सिफारिशें प्रतिक्षित थी (सितम्बर 1999)।

वर्तमान समीक्षा आरएफसी द्वारा स्वीकृत ऋणों की वसूली निष्पादन की व्याख्या करती है। निगम के मुख्य कार्यालय व सात शाखाओं {अलवर, ब्यावर, भिवाड़ी, जयपुर (विकेआईए, शहरी एवं ग्रामीण) तथा कोटा} द्वारा संधारित 1998-99 तक के अन्तिम पांच वर्षो के अभिलेखों की सितम्बर 1998 से मार्च 1999 तक की गई नमूना जाँच के दौरान पायी गई कमियों व त्रुटियों की विवेचना अनुवर्ती अनुच्छेदों में की गई है।

3स.4 वित्त के स्रोत

प्रदत्त-पूँजी 67.53 करोड़ रुपये के विरूद्ध संचित हानि 80.33 करोड़ रुपये थी।

1998-99 तक के अन्तिम पांच वर्षो के लिए वित्त के स्रोत एवं उनका उपयोग अनुबन्ध-19 में दिया गया है। अनुबन्ध से यह देखा गया कि 1998-99 तक के अन्तिम पांच वर्षो के दौरान आरएफसी ने 597.81 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किये जबकि इस अवधि में 410.59 करोड़ रुपये की वसूली की थी जो कि वितरित राशि के 68.68 प्रतिशत का द्योतक है। इस अन्तर को पूरा करने के लिए आरएफसी को उच्च ब्याज दर पर कोष उधार लेने पड़े। परिणामस्वरूप ब्याज भार वर्ष 1994-95 में 57.38 करोड़ रुपये से बढ़कर 1998-99 में 77.65 करोड़ रुपये हो गया। इसने आरएफसी की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाला, परिणामस्वरूप वर्ष 1995-96 में 7.08 करोड़ रुपये के लाभ के विरूद्ध वर्ष 1996-97 में 17.14 करोड़, वर्ष 1997-98 में 15.38 करोड़ व वर्ष 1998-99 में 5.46 करोड़ रुपये की हानि हुई । 31 मार्च 1999 को आरएफसी की प्रदत्त-पूँजी 67.53 करोड़ रुपये के विरूद्ध संचित हानि 80.33 करोड़ रुपये थी। लेखापरीक्षा में यथा विश्लेषित हानियों के मुख्य कारण, अनुपयुक्त वितरण के कारण अपर्याप्त वसूली, सहायता प्राप्त इकाइयों की

निगरानी /निरीक्षण का अभाव, ऋण वसूली में अकर्मण्यता व आरएफसी के वित्तीय हितों के विरूद्ध एकमुश्त निपटारा योजना के अंतर्गत मामलों का निपटारा, रहे जैसा कि अनुच्छेद 3स.5 व 3स.6 में क्रम से दिया गया है।

3स.5 ऋण वितरण

आरएफसी नवीन औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना के साथ ही वर्तमान इकाईयों के विस्तार, परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। यथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार परियोजना की तकनीकी एवं आर्थिक व्यवहार्यता तथा प्रवर्तकों की परियोजना परिचालन हेतु साख योग्यता एवं व्यवसायिक क्षमता से संतुष्ट होने पर दी जाती है। प्रारम्भिक वितरण बंधक मूल प्रत्याभूति के स्पष्ट स्वामित्व को सुनिश्चित करते हुए एक समझौता होने के बाद किया जाता है। तथापि ऋण का अनुवर्ती वितरण परियोजना की प्रगति की निगरानी के पश्चात् किया जाता है।

वर्ष 1994-95 में वित्त-पोषित इकाइयों की संख्या 1534 (120.72 करोड़ रुपये) से वर्ष 1998-99 में वित्त पोषित ईकाईयों की संख्या तेजी से गिर कर 662 (95.67 करोड़ रुपये) रह गई।।

1998-99 तक के पांच वर्षो के दौरान ऋण आवेदन पत्रों की प्राप्ति एवं वितरण का तुलनात्मक विवरण अनुबन्ध-20 में दर्शाया गया है। अनुबन्ध से यह देखा जा सकता है कि उपरोक्त अवधि में आरएफसी द्वारा स्वीकृत ऋणों एवं वितरण की राशि क्रमशः 766.91 एवं 597.81 करोड़ रुपये थी। विश्लेषण आगे दर्शाता है कि आरएफसी से वित्त पोषित इकाइयों की संख्या वर्ष दर वर्ष कम हुई है लेकिन वर्ष 1994-95 की तुलना में जब 1534 इकाइयाँ 120.72 करोड़ रुपये से वित्त पोषित थी, वर्ष 1998-99 के दौरान ऐसी इकाइयों की संख्या (662) में, साथ ही साथ वितरित राशि (95.67 करोड़ रुपये) में भी तेजी से गिरावट आई।

प्रबन्धकों ने बताया (जुलाई 1999) कि अर्थ-व्यवस्था में समग्र मंदी व अस्थिर बाजार की परिस्थितियों में सख्त प्रतिस्पर्द्धा तथा अक्रियाशील सम्पत्तियों के प्रजनन को टालने हेतु प्रवर्तकों के योगदान के मानकों की वृद्धि आदि, वितरण में कमी के मुख्य कारण थे।

तथापि, लेखापरीक्षा विश्लेषण से प्रकट हुआ कि वितरण में कमी का मुख्य कारण अपने आन्तरिक स्रोत (अनुच्छेद 3से.4 में यथा विवेचित) उत्पन्न करने में प्रबन्धन की विफलता थी।

ऋण के अनियमित वितरण के कुछ मामलों पर नीचे चर्चा की गई है:

3स.5.1 श्री डाटामैटिक्स एवं अन्य सहोदर संस्थान, कोटा

आरएफसी द्वारा पाँच सहोदर संस्थानों (एक ही तापड़िया परिवार के) को विभिन्न किराये के परिसरों में कम्प्यूटर पर ठेके के कार्य करने हेतु 10.42 लाख रुपये का सावधि ऋण जून 1988 से दिसम्बर 1991 के दौरान (अगस्त 1988 तक पहली इकाई

को 2.00 लाख रुपये, दिसम्बर 1988 तक दूसरी इकाई को 1.99 लाख रुपये, फरवरी 1989 तक तीसरी इकाई को 2.00 लाख रुपये, जून 1989 तक चौथी इकाई को 2.00 लाख रुपये, दिसम्बर 1991 तक पांचवी इकाई को 2.43 लाख रुपये) जारी किया ।

पहले से ही वित्त पोषित इकाईयों के संतोषजनक कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन किये बिना ही ऋण वितरण के कारण 34.45 लाख रुपये की हानि हुई।

ऋण प्राप्त करने के बाद उक्त सहोदर संस्थानों द्वारा विभिन्न किरायें के परिसरों से कम्प्यूटर व्यवस्था को एक स्थान पर ले आया गया। इन इकाइयों ने कार्य निष्पादन सही तरीके से नहीं किया एवं आरएफसी के बकाया के पुनर्भुगतान करने में चिरकालिक बकायादार रही लेकिन इन इकाइयों का अधिग्रहण कर बकाया 34.66 लाख रुपये की वसूली हेतु कार्यवाही विलम्ब से जुलाई 1994 से नवम्बर 1995 के बीच की गई । इन इकाइयों को कई बार नीलामी में रखा गया, लेकिन एक इकाई, जो केवल 0.21 लाख रुपये में बेची गई, के अलावा अन्य इकाइयों को पर्याप्त प्रस्ताव के अभाव में निस्तारित नहीं किया जा सका।

इस प्रकार एक ही परिवार की विभिन्न इकाइयों को उनके प्रवर्तकों के सम्बन्धों के बारे में सही जानकारी किये बिना, पूर्व में वित्त पोषित इकाईयों के सन्तोषप्रद कार्य निष्पादन के मूल्यांकन किये बिना एवं प्रवर्तक की व्यक्तिगत प्रतिभूतियों को भुनाये बिना, वित्तीय सहायता प्रदान करने के कारण आरएफसी को 34.45 लाख रुपये की हानि वहन करनी पड़ी।

सरकार ने बताया (सितम्बर 1999) कि एसएफसी अधिनियम की धारा 31(i) एवं 32(जी) के अन्तर्गत प्रवर्तकों/जमानतदारों से वसूली किये जाने के प्रयास किये जा रहे थे।

3स.5.2 जयपुर इलेक्ट्रो (प्रा.) लिमिटेड, जयपुर

जयपुर इलेक्ट्रो (प्रा.) लिमिटेड, जयपुर (जेईएल) को मई एवं सितम्बर 1979 के बीच वितरण ट्रांसफार्मरों का निर्माण करने हेतु 3.23 लाख रुपये का ऋण वितरित किया गया। जेईएल को भूमि एवं भवन गिरवी रखे बिना ही, संयंत्र एवं मशीनों को बन्धक रखकर ऋण प्रलेखों निष्पादन की इस आधार पर अनुमति दे दी गई थी कि जहाँ भवन का निर्माण किया जाना था वहाँ सीवर लाइन थी तथा स्थल मानचित्र में संशोधन करने में समय लगना था। आगे भी इकाई को जनरेटिंग सेट्स के क्रय हेतु भी 0.91 लाख रुपये का ऋण वितरण कर दिया गया था (मार्च 1982)।

इकाई आरएफसी की देयताओं का भुगतान करने में प्रारम्भ से ही दोषी रही एवं रूग्ण हो गई। इसने पुनरूत्थान सहायता हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे निरस्त कर दिया गया। 1 जनवरी 1991 तक 12.15 लाख रुपये की भारी संचित अतिदेयताओं के कारण इकाई को 4 फरवरी 1991 को अधिग्रहित करने का निश्चय किया गया।

इकाई का अधिग्रहण नहीं किया जा सका क्योंकि इकाई अरबन कॉ-ऑपरेटिव बैंक (यूसीबी), जयपुर के आधिपत्य में थी । नवम्बर 1994 में आधिपत्य समाप्त हो गया था। विलम्ब से जनवरी 1997 में निरीक्षण करने पर यह पाया गया कि अधिकतर मशीनें गायब थी।

फरवरी 1997 तक 30.62 लाख रुपये की संचित हुई अतिदेयताओं को वसूल करने के लिए कानूनी नोटिस जारी करने(जनवरी 1997) के बाद इकाई का अधिग्रहण करने का निश्चय किया गया (मार्च 1997) लेकिन अधिग्रहण नहीं किया गया, जिसके अभिलेखों में कारण उपलब्ध नहीं थे।

इस प्रकार, भू-भाग जहाँ कारखाना स्थापित किया जाना था की पहचान किये बिना, इकाई द्वारा ऋण से स्थापित सम्पत्तियों को आरएफसी के पास गिरवी रखे बिना एवं ऋण वितरण पर तथा इसके बाद निरीक्षण किये बिना ऋणों के वितरण के परिणामस्वरूप आरएफसी को 40.52 लाख रुपये की हानि हुई (मार्च 1999)।

आरएफसी ने बताया (अगस्त 1999) कि समय-समय पर इकाई का निरीक्षण किया गया था एवं आगामी ऋण उचित मूल्यांकन के उपरान्त ही वितरित किये गये थे । तथापि, इकाई का अधिग्रहण नहीं किया जा सका क्योंकि ओटीएस योजना के अंतर्गत खातों के निपटारे हेतु बकाया देयताओं के भुगतान तथा संयंत्र व मशीनरी के सत्यापित करवाने हेतु इकाई को आग्रह किया जा रहा था। लेकिन इकाई उपरोक्त प्रसंगों को मूर्तरूप देने हेतु आगे नहीं आई। अन्त:तोगत्वा इकाई के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने का निर्णय लिया गया (मई 1998)। तथापि, एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई (सितम्बर 1999)।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि निरीक्षण करने में ही 27 माह से 73 माह तक का असाधारण विलम्ब था। यदि निरीक्षण समय पर किया जाता तो यूसीबी द्वारा इकाई की सम्पत्तियों को जब्त किये जाने की वास्तविकता, इकाई के सन्तोषप्रद प्रचालन में निरोध तथा सम्पत्तियों के गायब होने आदि का आरएफसी को पूर्व में ही पता चल जाता। तथापि उत्तर में, जब उद्यमी 1 जनवरी 1997 से आरएफसी के संदर्भो पर प्रतिक्रिया प्रदर्शित नहीं कर रहा था, तो इकाई के विरूद्ध तुरन्त एफआईआर दर्ज नहीं कराने तथा ऋण वितरण से पूर्व भूमि एवं भवन गिरवी न रखवाये जाने आदि के कारण सूचित नहीं किये गये।

3अ.5.3 पहाडिया इम्प्रेशन्स (इंडिया) लिमिटेड, जयपुर

श्री मूलचन्द पहाडिया (जैन), राजेन्द्र कुमार पहाडिया पुत्र श्री मूलचन्द पहाडिया एवं कु. ललिता पहाडिया पुत्री श्री मूलचन्द पहाडिया द्वारा प्रवर्तित पहाडिया इम्प्रेशन्स (इंडिया) लिमिटेड, जयपुर (पीआईएल) के अभ्यास पुस्तिका, रजिस्टर, लेखन सामग्री आदि बनाने के लिए एक इकाई स्थापित करने हेतु 34.31 लाख रुपये के ऋण के

निवेदन (23 दिसम्बर 1994) को, प्रवर्तकों के पूर्व में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को चलाने में अकुशलता के आधार पर निरस्त कर दिया गया (4 मार्च 1995)। प्रवर्तकों की पुनर्विचार की प्रार्थना (7 मार्च 1995) पर मामले को पुनः खोला गया एवं 29.75 लाख रुपये का सावधि ऋण स्वीकृत किया गया (27 अप्रेल 1995) तथा जून 1996 तक 24.56 लाख रुपये का वितरण कर दिया गया। इकाई को नई एसएसआई इकाई मानते हुए मार्च/जून 1996 में 7.56 लाख रुपये का अर्थ-साहाय्य भी वितरित कर दिया गया। इकाई प्रारम्भ से ही पुनर्भुगतान में दोषी रही। मार्च/दिसम्बर 1997 में एसएफसी अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत कानूनी नोटिस जारी किये गये लेकिन यह नोटिस वितरित नहीं किये जा सके क्योंकि इकाई बन्द कर दी गई थी एवं प्रवर्तकों का पता-ठिकाना उपलब्ध नहीं था। एक प्रवर्तक (मूलचन्द पहाडिया) जिसने ब्यावर स्थित अपनी सम्पत्ति की समानान्तर जमानत दी थी, की 9 फरवरी 1998 को मृत्यु हो गई। पीआईएल ने इकाई को गोपाल शर्मा के पक्ष में आपसी विक्रय के लिए निगम को प्रस्ताव प्रस्तुत किया (जून 1998)। यह प्रस्ताव निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया (जुलाई 1998) लेकिन क्रेता द्वारा आपसी विक्रय की निबंधन और शर्तो का पालन नहीं करने के कारण, बावजूद इसके कि इकाई क्रेता के अधिकार में थी एवं आरएफसी को भी इसका ज्ञान था, निरस्त कर दिया गया (26 अक्टूबर 1998)। इसके बावजूद भी, आरएफसी ने इकाई के अधिग्रहण करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की। मामले के वास्तविक प्रतिवेदन को निदेशक मण्डल को प्रस्तुत करते समय (दिसम्बर 1998) इकाई की रूग्णता के आरोपित कारण, प्रबन्धकों की असफलता कार्यशील पूँजी की अनुपलब्धता, बाजार का अभाव, मशीनों की प्रकृति एवं प्रवर्तकों द्वारा भवन निर्माण में भारी निवेश, थे।

संवीक्षा के दौरान निम्न लिखित रूचिकर प्रसंग ध्यान में आये:-

(i) प्रवर्तक, एक टैक्सटाइल मील (कृष्णामील) जो 1988 में बन्द हो गई थी, को कपास, कल-पुर्जे आदि की आपूर्ति से सम्बन्धित विभिन्न कार्यो में लगे हुए थे, आरएफसी ने प्रवर्तकों के 1988 से 1994 तक के क्रिया-कलापों के बारे में जाँच-पड़ताल नहीं की।

(ii) प्रवर्तकों की सम्पत्ति जयपुर के उत्कृष्ट स्थान पर थी जहाँ उनका पंजीकृत कार्यालय स्थित था लेकिन आरएफसी ने ब्यावर की सम्पत्ति को समानान्तर जमानत के रूप में स्वीकार किया, इसके लिए कारण अभिलिखित नहीं थे।

(iii) प्रवर्तकों की साख योग्यता की जानकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्यावर, एसबीएस फोरजिंग्स प्राइवेट लिमिटेड तथा आर.के. मार्बल्स लिमिटेड से की गई थी जिनका इन प्रवर्तकों से व्यवसायिक लेनदेन नहीं रहा था।

(iv) निर्धारित मानकों के अनुसार प्रत्येक इकाई का एक वर्ष में एक बार निरीक्षण करना था, किन्तु इस मामले में इकाई का ऋण वितरण (जून 1996) के बाद केवल एक बार (मार्च 1998) ही निरीक्षण किया गया था।

(v) जैसा कि ऋण प्रस्ताव में अभिकल्पित था आरएफसी ने कार्यशील पूंजी सहायता हेतु इकाई का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जयपुर के साथ हुए सम्बन्ध को सुनिश्चित नहीं किया।

इस प्रकार प्रवर्तकों की साख योग्यता की जानकारी किये बिना, बैंकों से उपयुक्त कार्यशील पूंजी सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना ऋण वितरण, इकाई का निरीक्षण नहीं किये जाने एवं इकाई का अधिग्रहण नहीं करने के परिणामस्वरूप 30 जून 1999 तक की बकाया देयताओं (48.69 लाख रुपये) व अर्थ-साहाय्य (7.56 लाख रुपये) की वसूली नहीं की जा सकी।

3स.6 वसूली निष्पादन

ऋण की किश्तों की वसूली, सम्बन्धित शाखा कार्यालयों द्वारा की जाती है तथापि मुख्य कार्यालय आरएफसी की समग्र वसूली की स्थिति का अनुश्रवण करता है। बकाया की स्थिति में एसएफसी अधिनियम 1951 की धारा 29 सहायता प्राप्त इकाइयों की सम्पत्तियों का प्रबन्धन/आधिपत्य या दोनों को लेने तथा अपनी देयताओं की वसूली हेतु प्रतिभूत/बंधकित/बंधक सम्पत्तियों के विक्रय या पट्टे पर हस्तांतरण का अधिकार प्रदान करती है। उपरोक्त अधिनियम की धारा 31 (1)(एए) के अन्तर्गत आरएफसी देय तिथियों तक पुनर्भुगतान हेतु प्रवर्तकों की व्यक्तिगत प्रत्याभूतियों को भुना सकती है। सम्पत्तियों के निस्तारण के पश्चात् शेष देयताओं की वसूली के लिए उक्त अधिनियम की धारा 32 (जी) के अंतर्गत भू राजस्व की बकाया की तरह देयताओं की वसूली के अलावा यह सिविल वाद प्रस्तुत कर सकती है।

निगम ने 1998-99 तक 51,508 इकाइयों को 1489.62 करोड़ रुपये की राशि वितरित की, इनमें से 31 मार्च 1999 को 20653 सहायता प्राप्त इकाईयों में कुल 991.16 करोड़ रुपये (मूल 680.56 करोड़ रुपये व ब्याज : 310.60 करोड़ रुपये) बकाया थे। 31 मार्च 1999 को बकाया राशि में से 230.13 करोड़ रुपये (मूल:107.16 करोड़ रुपये व ब्याज:122.97 करोड़ रुपये) की राशि 13345 इकाइयों से अतिदेय थी। वसूली योग्य देय राशि (ब्याज सहित), निर्धारित लक्ष्य तथा 1998-99 तक के अन्तिम पांच

वर्षों के दौरान वसूली गई राशि का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:-

विवरण	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
					(राशि रुपये करोड़ों में)
I. बकाया राशि	751.90 (27777)	834.94 (25876)	887.94 (23853)	941.86 (21867)	991.16 (20653)
II. वसूली हेतु अतिदेय राशि					
(अ) वर्ष के प्रारम्भ में अतिदेय राशि	158.13 (23016)	169.45 (19066)	178.40 (17461)	195.01 (15478)	211.02 (14030)
(ब) वर्ष के दौरान देय हुई राशि	217.88	236.15	241.27	261.64	275.76
(स) वसूली योग्य सकल राशि (अ +ब)	**376.01**	**405.60**	**419.67**	**456.65**	**486.78**
(द) पुनर्सशोधित/आस्थगित/ समायोजित एवं अधिग्रहित इकाईयों में निहित राशि	50.40	50.62	29.89	49.65	50.51
(ई) वसूली योग्य शुद्ध राशि (स-द)	**325.61**	**354.98**	**389.78**	**407.00**	**436.27**
III. वसूली का लक्ष्य	155.00	175.00	200.00	230.00	205.00
लक्ष्यों का शुद्ध वसूली योग्य राशि पर प्रतिशत	47.60	49.30	51.31	56.51	46.99
IV. वसूली गई राशि					
(अ) पुरानी देयतायें	44.14	50.96	50.85	46.87	48.93
(ब) चालू देयतायें	112.03	125.62	143.93	149.11	157.21
(स) योग (अ+ब)	**156.17**	**176.58**	**194.78**	**195.98**	**206.14**
V. वर्ष के अन्त में अतिदेय राशि	**169.44 (19066)**	**178.40 (17461)**	**195.01 (15478)**	**211.02 (14030)**	**230.13 (13345)**
VI. वसूली का प्रतिशत, निम्न के समक्षः					
(अ) शुद्ध वसूली योग्य राशि	47.96	49.74	49.97	48.15	47.25
(ब) अतिदेयताएँ (पुरानी देयताएँ)	27.91	30.07	28.50	24.03	23.19
(स) चालू देयताएँ	51.42	53.20	59.66	56.99	57.01
(द) लक्ष्य	100.75	100.90	97.39	85.21	100.56

नोट- कोष्टक के आँकड़े इकाइयों की संख्या दर्शाते हैं।

इस सम्बन्ध में निम्न टिप्पणियाँ की जाती है:

(i) यह देखा जा सकता है कि निगम द्वारा वसूली हेतु निर्धारित किये गये लक्ष्य वसूली योग्य राशि के केवल 46.99 से 56.51 प्रतिशत तक विचरित रहे। इस प्रकार वसूली में बेहतर उपलब्धि दर्शाने हेतु अपने आप में लक्ष्य ही बहुत कम निर्धारित किये गये । वसूली की कम प्रतिशतता को ध्यान में रखते हुए निगम द्वारा नियुक्त (मई 1995) सलाहकार, ए.एफ. फर्ग्यूसन एण्ड कम्पनी ने सिफारिश दी कि (फरवरी 1996) पुनर्वित्त पर निर्भरता से बचने के लिए वसूली के लक्ष्यों को बढ़ाकर शुद्ध वसूली योग्य राशि के 75 से 90 प्रतिशत तक किया जाना चाहिये। शुद्ध वसूली योग्य

राशि पर वसूली का प्रतिशत सभी वर्षो में 50 प्रतिशत से कम रहा। निगम ने बत (अगस्त 1999) कि कम वसूली हाल ही के वर्षो में औद्योगिक मंदी के कारण रही

(ii) पुरानी व चालू देयताओं की वसूली के लक्ष्य अलग-अलग निर्धारित नहीं कि गये जिससे पुरानी देयताओं की वसूली पर विपरीत प्रभाव पड़ा, जैसे कि 1998-99 तक के पांच वर्षो में अतिदेयताओं (पुरानी देयताओं) की वसूली प्रतिशतता वसूली योग्य राशि की केवल 23.19 प्रतिशत से 30.07 प्रतिशत थी, इस तुलना में चालू देयताओं की वसूली का प्रतिशत 51.42 प्रतिशत से 59.66 प्रति तक था। पुरानी बकाया की कम वसूली इस बात को दर्शाती है कि चिरकालि दोषियों से वसूली के साकार प्रयास नहीं किये गये।

(iii) 31 मार्च 1999 को 230.13 करोड़ रुपये की अतिदेयताओं में से 160. करोड़ रुपये दो वर्ष से अधिक की अवधि से अतिदेय है जो कुल बकाया के 69. प्रतिशत का द्योतक है।

वसूली निष्पादन में कमी को ध्यान में रखते हुए आईडीबीआई ने अपने निष्पा मूल्यांकन प्रतिवेदन (अक्टूबर 1998) में सिफारिश की है कि निगम को अतिदेयता की वसूली पर विशेष जोर देना चाहिए। इस सिफारिश पर कार्यवाही के लिए प्रय नहीं किये गये (जुलाई 1999)।

3स.6.1 निगरानी/निरीक्षण का अभाव

प्रतिवेदनो के बिना निरीक्षण, निरीक्षण के यथार्थ उद्देश्य को विफल कर देता है।

ऋण वितरण प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक सहायता प्राप्त इकाइयों का कम से कम 6 मा में एक बार वितरण/तकनीकी शाखा के अधिकारियों के एकदल द्वारा योजना क्रियान्वयन में प्रगति, धीमी प्रगति के क्षेत्र की पहचान, धीमी प्रगति के कारण, योजन को शीघ्र पूरा करने के लिए की गई कार्यवाही एवं ऋण की उपयोगिता उसी यथा उद्देश्य के लिए किए जाने जिसके लिए स्वीकृत किया गया था कि सुनिश्चितता जानकारी के लिए निरीक्षण किया जाना आवश्यक है। अभिलेखों के अनुसार निगम इकाइयों का निरीक्षण किया लेकिन योजना की प्रगति से सम्बन्धित निरीक्षण के तथ्यों से सम्बन्धित शाखा प्रबन्धक को अवगत नहीं कराया गया तथा इस प्रकार इसमें श होता है कि क्या कभी निरीक्षण भी किया गया था। इस प्रकार निरीक्षण का यथा उद्देश्य ही विफल हो गया । इसके अतिरिक्त अनुपयुक्त निगरानी एवं निरीक्षण के अभाव के परिणामस्वरूप निगम, प्रवर्तकों के पते-ठिकाने तथा सम्पत्तियों का पता नहीं कर सका जैसाकि अनुच्छेद 3स.12 एवं 3स.13 में विवेचन किया गया है। अनुपयुक्त निगरानी के कुछ प्रसंग नीचे दिये गये हैं:-

3स.6.1.1 बबपेक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, भिवाड़ी

निरीक्षण में विलम्ब ने 68.46 लाख रुपये की वसूली के अवसर दूरस्थ कर दिये।

बबपेक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, भिवाड़ी को 27.85 लाख रुपये का सावधि ऋण औद्योगिक क्षेत्र, भिवाड़ी में ताम्बे की सिल्लियाँ, सरिये व पत्तियाँ बनाने के लिए एक इकाई स्थापित करने हेतु जारी किया गया (1 सितम्बर 1993 तक)। इकाई को 5.42 लाख रुपये का अर्थ-साहाय्य भी जारी किया गया (25 अगस्त 1992 तक)। यह इकाई प्रारम्भ से ही आरएफसी को देयताओं के पुनर्भुगतान करने में दोषी रही, तथापि, आरएफसी अधिनियम 1951 की धारा 29 के अन्तर्गत कानूनी नोटिस केवल दिसम्बर 1995 में जारी किया गया। इकाई का प्रथम बार निरीक्षण 1 मार्च 1997 को किया गया एवं यह पाया गया कि इकाई बन्द कर दी गई है। 31 मार्च 1999 को इकाई के विरूद्ध 68.46 लाख रुपये बकाया थे। इस प्रकार इकाई के निरीक्षण में विलम्ब होने के कारण 68.46 लाख रुपये की बकाया की वसूली के अवसर कम हो गये ।

सरकार ने बताया (सितम्बर 1999) कि इकाई को अप्रेल 1999 में अधिगृहित कर लिया गया था लेकिन सम्पत्तियों का निस्तारण नहीं किया जा सका क्योंकि इकाई द्वारा सम्पत्तियों के निस्तारण न किये जाने की अपील राज्य स्तरीय समिति के समक्ष विचाराधीन थी। तथापि, आरएफसी ने इकाई के प्रारम्भ से ही दोषी होते हुए भी समय पर कार्यवाही प्रारम्भ नहीं के कारण नहीं बताये।

3स.6.1.2 विमल एग्रो एण्ड फूड्स कम्पनी, अलवर

विमल एग्रो एण्ड फूड्स कम्पनी, अलवर को पशु आहार तैयार करने की इकाई स्थापित करने हेतु 16.25 लाख रुपये का सावधि ऋण स्वीकृत किया गया (जुलाई 1992) जिसके विरूद्ध 7.80 लाख रुपये की राशि वितरित कर दी गई थी (जुलाई 1993 तक)। आरएफसी ने दिसम्बर 1995 तक इकाई की गतिविधियों पर निगरानी नहीं रखी एवं जनवरी 1996 में पहली बार इकाई का निरीक्षण किया एवं पाया गया कि साझेदारों के मध्य किसी विवाद के कारण इकाई चालू नहीं की जा सकी एवं बन्द कर दी गई ।

इकाई का आधिपत्य 13 दिसम्बर 1996 को ही ले लिया गया था। इस इकाई को 13 बार नीलामी हेतु प्रस्तुत किया गया लेकिन कोई भी खरीददार नहीं आया। इस प्रकार ऋण वितरण के पश्चात इकाई की निगरानी/निरीक्षण नहीं करने के परिणामस्वरूप 17.63 लाख रुपये बकाया देयताओं की वसूली नहीं की जा सकी।

3स.6.2 वसूली में निष्क्रियता

किसी भी वित्तीय संस्थान के लिए कोषों के पुनरावर्तन हेतु बकाया की वसूली अति आवश्यक है, अत: वसूली निष्पादन में सुधार करने के लिए अत्यन्त सावधानी एवं सभी सम्भव प्रयास/उपाय की आवश्यकता होती है। तथापि यह देखाा गया कि

आरएफसी इस सम्बन्ध में समय पर कार्यवाही नहीं कर रहा था। ऐसे कुछ मामले जिनमें बकाया की वसूली की कार्यवाही नहीं की गई, नीचे दिये जा रहे हैं।

3स.6.2.1 उम्मैद टेक्सटाइल्स मिल्स (प्राइवेट) लिमिटेड, जोधपुर

आरएफसी ने उम्मैद टेक्सटाइल मिल्स, जोधपुर को हैवी इण्डस्ट्रीयल एरिया, जोधपुर में सिंथेटिक फैब्रिक्स के प्रोससिंग हेतु एक प्रोसेसिंग इकाई स्थापित करने हेतु 29.50 लाख रुपये का सावधि ऋण वितरित किया (सितम्बर 1980 तक)। इकाई आरम्भ से ही ऋण के पुनर्भुगतान करने में दोषी रही। वसूली हेतु धारा 30 के अन्तर्गत, विलम्ब से, कानूनी नोटिस अक्टूबर 1989 में जारी किया गया। शास्तिक ब्याज की समझौता वसूली से खिन्न प्रवर्तकों ने राहत के लिए उच्च न्यायालय की शरण ली (जनवरी 1990)। माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि आरएफसी को शास्तिक ब्याज वसूलने का अधिकार था, जिसके लिए समझौता नहीं किया जाना चाहिए। उक्त निर्णय के आधार पर अक्टूबर 1997 में वसूली योग्य शुद्ध शेष 32.05 लाख रुपये निकाला गया। तथापि, न्यायालय का निर्णय आरएफसी के हित में होने के बावजूद भी इसने बकाया की वसूली हेतु कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की।

इसी दौरान प्रवर्तक ने अपने खाते के निपटान के लिए आरएफसी की ओटीएस योजना का सहारा लिया (21 अगस्त 1997) एवं पूर्ण एवं अंतिम निपटान के रूप में 15 लाख रुपये का एक मुश्त भुगतान कर दिया (3 अक्टूबर 1997) जो कि निपटान के समय वसूली योग्य 18.76 लाख रुपये की मूल राशि के समक्ष ही अपर्याप्त था। इस प्रकार इकाई को आरएफसी की ओटीएस योजना के अंतर्गत निपटान की अनुमति प्रदान करने से आरएफसी को 17.05 लाख रुपये की हानि वहन करनी पड़ी।

सरकार ने बताया (सितम्बर 1999) कि मामला प्रवर्तकों के निवेदन पर शास्तिक ब्याज की छूट देकर एवं प्रलेखित रियायती ब्याज दर पर वसूली कर निपटारा किया गया है, जिसके लिए मण्डल को पूर्ण अधिकार था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि इस प्रसंग में उच्चतम न्यायालय पहले ही बिना समझौता किए शास्तिक ब्याज लेने के मण्डल के अधिकार को अनुमोदित कर चुका था इस प्रकार छूट ऋणी के प्रति अनावश्यक पक्षपात था तथा आरएफसी के हितों के विरूद्ध था।

3स.6.2.2 मनोज इण्डस्ट्रीज, वीकेआईए, जयपुर

1.23 करोड़ रुपये वसूल करने हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुमति के अभाव में कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई।

आरएफसी द्वारा मार्च 1988 में 22.51 लाख रुपये की देयताओं को वसूल करने के क्रम में मनोज इण्डस्ट्रीज को अधिकार में ले लिया गया। 2 लाख रुपये एवं एक-एक लाख रुपये के तीन अग्रिम तिथियों के चैक प्राप्त करने के बाद इकाई प्रवर्तकों को वापस सौंप दी गई (अप्रेल 1988)। अग्रिम तिथियों के प्राप्त चैक बैंक द्वारा अनादरित कर दिये गये, जिसके लिए विनिमैय प्रपत्र अधिनियम के अंतर्गत आपराधिक मामला शुरू करने की कार्यवाही (सितम्बर 1999) नहीं की गई। आरएफसी द्वारा इकाई की

सम्पत्तियों के अधिग्रहण से बचने के लिए प्रवर्तकों ने मामले में न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त करने हेतु सिविल दावा प्रस्तुत किया। न्यायालय ने इकाई को 31 जुलाई 1988 तक 3.50 लाख रुपये भुगतान करने का निर्देश दिया, तथापि, यह राशि जमा नहीं करायी गई । इस दौरान बकाया अतिदेय राशि 1 अप्रेल 1995 को 68.29 लाख रुपये से बढ़कर 1 अक्टूबर 1998 को 118.65 लाख रुपये हो गई। साढे आठ वर्षो तक इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई जिसके लिए कारण न तो अभिलेखित थे और न ही लेखापरीक्षा को सूचित किये गये थे। बकाया की वसूली हेतु कानूनी नोटिस बहुत विलम्ब से जारी किया गया (जनवरी 1997) तथा एसएफसी अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई जिसे न्यायालय द्वारा स्थगित कर दिया गया (फरवरी 1997) तथा तदनन्तर सितम्बर 1998 में इसे निरस्त कर दिया। आरएफसी की शाखा ने इकाई की सम्पत्तियों के अधिग्रहण की अनुमति हेतु निवेदन किया (सितम्बर 1998), तथापि, उपयुक्त प्राधिकारी की अनुमति के अभाव में इकाई के विरूद्ध बकाया की वसूली हेतु जो मार्च 1999 में बढ़कर 1.23 करोड़ रुपये हो गई थी, कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं की गई।

सरकार ने बताया (सितम्बर 1999) कि न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश निरस्त करने के बाद भी (सितम्बर 1998) इकाई की सम्पत्तियों का अधिग्रहण नहीं किया गया क्योंकि प्रवर्तक ने ओटीएस योजना के अंतर्गत निपटारा करने का प्रस्ताव किया था तथा आरएफसी द्वारा (फरवरी 1999) प्रलेखित साधारण ब्याज दर पर 0.36 करोड़ रुपये पर मामले का निपटारा करने का फैसला किया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पूर्व में पार्टी द्वारा प्रतिबद्ध आश्वासन का पालन नहीं करने के अप्रिय अनुभव के बावजूद भी आरएफसी ने पार्टी के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया, जिसके परिणाम में 0.87 करोड़ रुपये की हानि हुई ।

3स.6.3बकाया के एक मुश्त भुगतान की योजना

ओटीएस योजना के अन्तर्गत 84.22 करोड़ रुपये की देयताओं के विरूद्ध 39.04 करोड़ रुपये की राहत दी गई।

आरएफसी ने अक्टूबर 1993 में एकमुश्त भुगतान (ओटीएस) योजना प्रवर्तित की। प्रारम्भ में योजना 25000 रुपये तक के ऋण मामलों में फरवरी 1994 तक के लिए लागू की गई एवं 2 लाख रुपये तक के ऋण मामलों को सम्मिलित करने हेतु इसे समय-समय पर बढ़ाकर मार्च 1996 तक कर दिया गया जिसे तद्नन्तर 50 लाख तक (दिसम्बर 1996) बढ़ा दिया। नवम्बर 1997 से इस योजना को वितरण अवधि तथा वित्तीय मूल्यों को ध्यान में रखे बिना सभी मामलों पर लागू कर दिया गया। योजना के अन्तर्गत इकाईयों से उनके ऋण खाते के वर्गीकरण/श्रेणी के अनुसार ब्याज सहित मूल राशि (शास्तिक ब्याज को छोड़कर) वसूल की जानी थी। तथापि, अपवादित मामलों में प्रत्येक मामले की योग्यता के आधार पर मूल ऋण या मूल ऋण के भाग की वसूली कर निपटारे की अनुमति दी गई थी।

अक्टूबर 1993 से मार्च 1999 तक आरएफसी ने 84.22 करोड़ रुपये की निहित राशि के 7946 बकाया मामलों का, जिनमें 45.18 करोड़ रुपये की वसूली कर एवं 39.04 करोड़ रुपये की राहत देकर, निपटारा कर दिया।

योजना क्रियान्वयन में निम्न लिखित अनियमिततायें ध्यान में आई:-

(i) आरएफसी ने मूल ऋण, ब्याज, शास्तिक ब्याज तथा अन्य राशि के प्रति दी गई राहत के अभिलेख संधारित नहीं किये। तथापि, यह देखा गया कि वर्ष 1997-98 के दौरान निस्तारित 297 मामलों में 2.04 करोड़ रुपये की मूल ऋण राशि की भी छूट दी गई थी।

(ii) यह योजना प्रामाणिक दोषियों की सहायतार्थ थी, तथापि, 121 ऐसे ऋणियों के मामले (बकाया 1.69 करोड़ रुपये) जो पुनर्भुगतान में नियमित थे, तथा आदर्श देनदारों की श्रेणी में थे, का भी निपटारा 1.37 करोड़ रुपये में कर दिया गया, फलस्वरूप आरएफसी को 0.32 करोड़ रुपये की हानि वहन करनी पड़ी जिसका औचित्य अभिलेखों में नहीं था।

बिना कोई राशि प्राप्त किये मामलों का निस्तारण कर दिया गया, जिसके कारण 1.90 करोड़ रुपये की हानि हुई।

(iii) वर्ष 1993-94 से 1997-98 तक के दौरान आरएफसी द्वारा स्वनिर्णय से 1.90 करोड़ रुपये के 722 मामले ऋणियों से बिना कोई राशि प्राप्त किए निस्तारित कर दिये तथा उन्हें 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' जारी कर दिये एवं इस प्रकार 1.90 करोड़ रुपये की हानि वहन की।

(iv) आरएफसी ने 7 मामले (बकाया राशि 1.96 करोड़ रुपये)0.66 करोड़ रुपये में निस्तारित कर दिये जिनकी सम्पत्तियों का बाजार वसूली मूल्य आरएफसी द्वारा 4.07 करोड़ रुपये निर्धारित था। इस प्रकार, आरएफसी को 1.30 करोड़ रुपये की हानि वहन करनी पड़ी।

(v) ओटीएस योजना के अंतर्गत मामलों के निस्तारण के समय आरएफसी ने अग्रिमों पर औसत लाभ एवं उधार ली गई निधियों की औसत लागत दर्शाते हुए लागत लाभ विश्लेषण नहीं किया। नमूना जाँच में लेखापरीक्षा ने पाया कि 38 मामलों को 0.28 करोड़ रुपये की लागत के विरूद्ध 0.13 करोड़ रुपये वसूल करके निस्तारित कर दिया गया।

(vi) मूलत: योजना को एक निश्चित अवधि के लिए क्रियान्वित करना था जिसको बाद में सभी मामलों के लिए बिना किसी सीमा/अवधि के नियमित/निरंतर जारी योजना के रूप में कर दिया गया जिसने ऋणियों को केवल ओटीएस पैकेज के अन्तर्गत ही भुगतान करने हेतु प्रेरित कर दिया। इसके परिणाम ने आदर्श सम्पत्तियों को भी दोषी सम्पत्तियों में परिवर्तित कर दिया तथा हानिप्रद सम्पत्तियाँ जो मार्च 1995 के अन्त में 165.72 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 1999 के अन्त में 267.30 करोड़ रुपये हो गई; तथा

(vii) ओटीएस के अन्तर्गत 39.04 करोड़ रुपये की हानि होने के अतिरिक्त वसूली निष्पादन में नकारात्मक प्रवृति दिखाई दी जैसा कि पुरानी देयताओं की वसूली की प्रतिशतता वर्ष 1994-95 में 27.91 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 1998-99 में 23.19 प्रतिशत तक गिर गई।

आरएफसी ने बताया कि ओटीएस योजना उन संस्थाओं से रुकी हुई राशि वसूलने के लिए प्रवर्तित की गई थी जो आरएफसी की बकाया का भुगतान नहीं कर रही थी तथा ऐसे मामलों का इस योजना के प्रावधानों के अंतर्गत निपटारा किया गया था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि ऊपर बिन्दु संख्या (ii) व (iii)में दर्शायेनुसार इसमें ऐसे मामलों का भी निपटान किया गया जो कि नियमित रूप से भुगतान कर रहे थे या ऋणियों ने कोई निवेदन नहीं किया था। आरएफसी ने तथापि उपरोक्त वर्णित तथ्यों का कोई उत्तर नहीं दिया।उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि इस योजना के क्रियान्वयन ने व्यापक रूप से कर्जदारों को अनुचित लाभ प्रदान किया।

इस योजना का उल्लंघन कर निपटाये गये कुछ मामलों की विवेचना नीचे की गई है:-

3स.6.3.1 ग्रिप इंडिया, वीकेआईए, जयपुर

योजना के क्षेत्र में न आने वाले मामले का निपटारा करने पर 23.25 लाख रुपये का अनुचित लाभ पहुँचाया गया।

ग्रिप इण्डिया, वीकेआईए, जयपुर के प्रवर्तकों ने अपने खातों में प्रारम्भ से ही संशोधन कर ओटीएस योजना के अन्तर्गत अपने ऋण खातों (कुल बकाया: 96.84 लाख रुपये, 86.54 लाख रुपये के ब्याज सहित) के निपटाने हेतु निवेदन किया (जनवरी 1996)। निपटान के समय (फरवरी 1996) यह मामला ओटीएस योजना में नहीं आता था क्योंकि ऋण 2.00 लाख रुपये की उच्चतम सीमा से ज्यादा था। तथापि, आरएफसी ने मामले का 21.09 लाख रुपये (मूल :10.30 लाख रुपये तथा ब्याज 10.79 लाख रुपये) में निपटारा कर दिया। कर्जदार अपनी भूमि के एक टुकड़े का विक्रय कर अपनी देनदारियों से मुक्त हो गया।

यहाँ पर यह चर्चा करना उपयुक्त होगा कि बकाया का निपटान करते समय (फरवरी 1996) बन्धक सम्पत्तियों की एमआरवी 34.34 लाख रुपये थी। इसके अतिरिक्त, कर्जदार ने भी आरएफसी के बकायों के भुगतान हेतु 10 लाख रुपये की कीमत के अपने मकान के विक्रय का भी प्रस्ताव (जुलाई 1996) दिया था। इस प्रकार 44.34 लाख रुपये के प्रस्ताव के विरूद्ध आरएफसी ने मात्र 21.09 लाख रुपये वसूल किये एवं कर्जदार को 23.25 लाख रुपये का अनुचित लाभ पहुँचाया।

सरकार ने बताया (सितम्बर 1999) कि निदेशक मण्डल को किसी भी खाते का निपटान करने सम्बन्धी पूरा अधिकार है और तकनीकी अधिकारियों द्वारा यथा निर्धारित एमआरवी (17.50 लाख रुपये) से कहीं ज्यादा पर मामले का निपटारा किया गया एवं प्रवर्तकों को भूमि की विक्रय आय से खातों का निपटान करने की अनुमति दी ।

प्रवर्तकों द्वारा अपने आवासीय मकान को बेचकर भुगतान करने के प्रस्ताव को इसलिए व्यवहार में नहीं लाया गया क्योंकि आवासीय मकान समानान्तर प्रतिभूति के रूप में नहीं था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि यह आरएफसी के हितों को ध्यान में रखे बिना पार्टी को अनुचित लाभ प्रदान करने का सूचक था, जैसे कि :-

(अ) आरएफसी द्वारा भूमि भवन तथा प्लान्ट व मशीनरी की 17.50 लाख रुपये की निर्धारित एमआरवी इस कारण से वास्तविक नहीं थी कि विक्रय की गई भूमि के एक हिस्से (1101 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर पर 824 वर्गमीटर) के आधार पर केवल भूमि (2500 वर्गमीटर) की कुल कीमत ही 27.50 लाख रुपये होती थी।

(ब) इस प्रकार ऋण के पुनर्भुगतान हेतु प्रवर्तकों के व्यक्तिगत रूप से जमानती होने पर भी प्रवर्तकों के आवासीय मकान का विक्रय कर ऋण भुगतान करने के प्रस्ताव को न मानने का निर्णय अविवेकी था।

3स.6.3.2 युनाइटेड एजेन्सीज लिमिटेड, जयपुर

1994-95 से देयताओं के पुनर्भुगतान में निरन्तर दोषी होने के कारण आरएफसी द्वारा 58.88 लाख रुपये (जुलाई 1996)की बकाया देयताओं की वसूली हेतु युनाइटेड एजेन्सीज का अधिग्रहण कर लिया गया (जनवरी 1997) और नीलामी में 100 लाख रुपये की नकद भुगतान के आधार पर बोली प्राप्त हुई। तथापि, प्रवर्तकों की प्रार्थना पर, निगम ने अपने वित्तीय हितों की उपेक्षा करते हुए इकाई के विक्रय को स्थगित कर दिया एवं मामले का 77.46 लाख रुपये (अक्टूबर 1997) की बकाया के विरूद्ध 23.28 लाख रुपये में निपटारा कर दिया (मार्च 1998), परिणामस्वरूप 54.18 लाख रुपये की हानि हुई, जिसका औचित्य अभिलेखों में उल्लेखित नहीं था।

सरकार ने बताया (सितम्बर 1999) कि प्रवर्तकों की अपने खातों के निपटान हेतु प्राप्त निवेदन के पश्चात ही मामले का निपटारा किया गया एवं निपटारा राशि प्राप्त करने के बाद ही जुलाई 1999 में इकाई को वापस अधिकार में दे दिया गया । उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि प्रवर्तक की प्रार्थना पर आरएफसी के हितों की सुरक्षा किये बिना कार्यवाही करना न्यायोचित निर्णय नहीं था।

3स.6.3.3 होटल गोयल, जयपुर

आरएफसी ने अपनी देयताओं (39.60 लाख रुपये) की वसूली हेतु 12 दिसम्बर 1996 को इकाई की सम्पत्तियों को अपने अधिकार में ले लिया। कर्जदार को ओटीएस योजना के अंतर्गत शास्तिक ब्याज में 30 प्रतिशत की छूट की अनुमति इस शर्त पर दी गई कि सम्पूर्ण बकाया का 31 मार्च 1997 तक निस्तारण कर दिया जाय। प्रवर्तक ने पुन: निवेदन कर (11 अगस्त 1997) आरएफसी से सम्पूर्ण शास्तिक ब्याज

(10.36 लाख रुपये) की छूट के लिए प्रस्ताव किया। आरएफसी के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक ने कार्यप्रणाली व दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए एवं डीजीएम (आर) की सलाह तथा पूर्व में जनवरी 1997 में लिये गये निर्णय की अवहेलना करते हुए प्रवर्तक की सुविधानुसार इकाई के खातों को शुरू से पुनः संशोधित करवाया (30 सितम्बर 1997) तथा 10.36 लाख रुपये का अनुचित लाभ पहुंचाया जो कि न्यायोचित नहीं था।

सरकार ने बताया (सितम्बर 1999) कि खाते का मान्य ओटीएस योजना के अंतर्गत निपटारा किया गया था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि ओटीएस योजना वास्तविक दोषी रूग्ण इकाइयों की मदद करने के उद्देश्य से प्रवर्तित की गई थी। इस प्रकार निरन्तर लाभ कमाने वाली इकाई के खाते का निपटान करना ओटीएस योजना के यथार्थ उद्देश्यों के विपरीत था।

3स.6.3.4 सनराईज रबर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड वीकेआईए, जयपुर

आरएफसी ने अपनी बकाया (ब्याज सहित 23.77 लाख रुपये) वसूल करने के लिए सन राइज रबर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड की सम्पत्तियों को अधिकार में ले लिया (31 जुलाई 1996) एवं नीलामी के लिए रखा। नीलामी में (अप्रेल 1997) कुल बकाया 23.77 लाख रुपये के विरूद्ध 45.25 लाख रुपये स्थगित भुगतान आधार पर एवं 39.85 लाख रुपये नकद भुगतान आधार पर बोली प्राप्त हुई। आरएफसी ने यह अवसर खो दिया एवं प्रवर्तक की प्रार्थना पर ओटीएस योजना के अंतर्गत 13.80 लाख रुपये में मामले का निपटारा करते हुए प्रवर्तक को इकाई का अधिकार वापस दे दिया (अगस्त 1997)। 13.80 रुपये में से 5.00 लाख रुपये नगद प्राप्त हुए। प्रवर्तक द्वारा दिया गया 8.80 लाख रुपये का चैक (अगस्त 1997)बैंक द्वारा तथापि अनादरित कर दिया गया (सितम्बर 1997)। आरएफसी ने न तो चैक अनादरित होने पर विनिमैय प्रपत्र अधिनियम के अंतर्गत और न ही इकाई के अधिग्रहण हेतु कार्यवाही प्रारम्भ करने का उपक्रम किया।

इस प्रकार सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु अवसर का लाभ न उठाने के कारण आरएफसी ने 18.77 लाख रुपये की हानि वहन की जो कि न्यायोचित नहीं था।

3स.6.4 घाटा राशि का वसूल न होना

31 मार्च 1998 तक विक्रय की गई 43.66 करोड़ रुपये के घाटे की सूचक 1336 इकाइयों की नमूना जाँच में यह देखा गया कि -

(i) आरएफसी ने 1016 मामलों में 37.32 करोड़ रुपये की वसूली हेतु निजी प्रत्याभुओं के विरूद्ध सिविल दावे दाखिल करने की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की और भू-राजस्व की बकाया की तरह वसूली हेतु मामले की प्रक्रिया के बिना ही 1994-95

जमानतदारों से वसूली हेतु 37.32 करोड़ रुपये (1016 मामले) के लिए सिविल दावे प्रस्तुत नहीं किये गये तथा प्रवर्तकों की सम्पत्तियों के विवरण के अभाव में 1.39 करोड़ रुपये (66 मामले) की जारी डिक्रियों का निष्पादन नहीं करवाया गया।

से 1997-98 के दौरान 15.92 करोड़ रुपये की राशि (459 कर्जदार) को अपलेखित कर दिया।

(ii) शेष 320 मामलों में (6.34 करोड़ रुपये) जिनमें सिविल दावे दाखिल किये गये थे, प्रवर्तकों की सम्पत्तियों के विवरण के अभाव में न्यायालय द्वारा 1.39 करोड़ रुपये (66 मामले) की जारी डिक्रियों का निष्पादन नहीं करवाया जा सका एवं मामले अभी तक न्यायाधीन थे।

आरएफसी ने बताया (अगस्त 1999) कि प्रवर्तकों की सम्पत्तियों के विवरण ढूंढ निकालने के प्रयास किये जा रहे थे। वर्ष 1999-2000 के लिए घाटा/डिक्री राशि वसूल करने के अलग से लक्ष्य निर्धारित करने की व्यवस्था शुरू की जा चुकी है।

3स.6.4.1 आरएफसी द्वारा 58.65 लाख रुपये का भुगतान करने में दोषी होने के कारण श्री निवास मैटल्स लिमिटेड, जयपुर की सम्पत्तियाँ फरवरी 1997 में अधिकार में ली गई थी। इन सम्पत्तियों को 38.06 लाख रुपये के नकद भुगतान के आधार पर प्रताप ऑटो मोबाइल्स को बेच दिया गया था (जनवरी 1998)। 20 माह का समय व्यतीत हो जाने के बावजूद जमानतदारों से 20.59 लाख रुपये की घाटा राशि की वसूली हेतु कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई।

सरकार ने बताया (सितम्बर 1999) कि घाटा राशि की वसूली हेतु, भू-राजस्व के बकाया की वसूली की तरह, एसएफसी अधिनियम की धारा 32-(जी) के अन्तर्गत पार्टी को नोटिस जारी किये जा रहे थे।

3स.7 बकाया ऋणों का वर्गीकरण

वित्तीय निगमों के मामले में आईडीबीआई ने ऋणों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया है यथा, आदर्श[1], अवसामान्य[2], संदिग्ध[3] एवं घाटे की सम्पदायें[4] जो कि ऋणों की वसूली की सम्भावनाओं पर आधारित है। आईडीबीआई के इन निर्देशनों के आधार पर आरएफसी ने 31 मार्च 1999 तक के गत पांच वर्षो के दौरान अपने ऋणों को

---

[1] पुनर्भुगतान नियमित है।

[2] ऋण एवं ब्याज एक वर्ष से अधिक लेकिन दो वर्ष से कम समय से अतिदेय है।

[3] ऋण एवं ब्याज दो वर्ष से अधिक समय से अतिदेय है।

[4] ऐसे ऋण जिनकी घाटे के रूप में पहचान कर ली गई है लेकिन पूर्ण अथवा आंशिक रूप से अभिलेखित नहीं किये गये है।

निम्नानुसार वर्गीकृत किया है:-

	विवरण	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
				(रुपये करोड़ों में)		
(i)	वर्ष के अन्त में बकाया ऋण	574.61	628.19	662.80	688.48	680.56
(ii)	ऋणों का वर्गीकरण					
(अ)	आदर्श	320.57	320.12	349.40	356.84	313.95
(ब)	अवसामान्य	88.32	115.13	104.55	100.35	99.31
(स)	संदिग्ध	154.94	173.79	178.31	194.41	247.98
(द)	अप्राप्य (हानि)	10.78	19.15	30.54	36.88	19.32
(य)	अवसामान्य, संदिग्ध एवं अप्राप्य सम्पदाओं की कुल वसूली योग्य देयताओं पर प्रतिशतता	44.21	49.04	47.28	48.17	53.87

– उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि अक्रियाशील सम्पत्तियाँ, (अवसामान्य, संदिग्ध तथा घाटे वाली सम्पत्तियाँ) कुल वसूली योग्य राशि की वर्ष 1994-95 में 44.21 प्रतिशत से बढ़कर 1998-99 में 53.87 प्रतिशत हो गई जो ऋणों के अनुचित वितरण के साथ ही साथ वसूली के प्रयासों में अभाव को दर्शाती है।

अक्रियाशील सम्पत्तियों में वृद्धि ने आरएफसी की वित्तीय दशा पर विपरीत प्रभाव पड़ा।

– ऋणों की अपर्याप्त वसूली के परिणामस्वरूप अक्रियाशील सम्पत्तियों का संचय वित्तीय स्थिति पर इस सीमा तक विपरीत प्रभाव डाल रहा था कि अप्राप्य राशि वर्ष 1994-95 में 169.44 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 1998-99 में 230.13 करोड़ रुपये हो गई, निगम को उधार कोषों से वित्तीय संस्थाओं/बैंकों को भुगतान करना पड़ा, परिणामस्वरूप ब्याज भार वर्ष 1994-95 में 57.38 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 1998-99 में 77.65 करोड़ रुपये हो गया।

– यहाँ यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि आरएफसी ने बकाया ब्याज (31 मार्च 1999 को 310.60 करोड़ रुपये) का उपर्युक्त श्रेणियों में वर्गीकरण नहीं किया। लेखापरीक्षा ने देखा कि 310.60 करोड़ में से 89.78 करोड़ रुपये की राशि संदिग्ध सम्पत्तियों की श्रेणी में आती है, जिनकी वसूली के अवसर दूरगामी थे।

आरएफसी ने बताया (अगस्त 1999) कि विभिन्न स्तरों पर वसूली कार्य निष्पादन की निगरानी हेतु नोडल/संपर्क अधिकारी नियुक्त करने की व्यवस्था प्रवर्तित की जा चुकी है।

3स.8 ऋणों का पुनर्सारणीकरण

आरएफसी, भुगतान में आगे दोषों को रोकने के लिए राहत के रूप में ऋण किश्तों के साथ ही साथ ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु पुनर्सारणीकरण स्वीकृत करता है। वर्ष

1998-99 तक के गत पांच वर्षो के दौरान 378 मामलों में कुल 47.10 करोड़ रु के ऋणों एवं ब्याज का पुनर्सारणीकरण किया गया।

पुनर्सारणीकरण के 0.31 करोड़ रुपये शास्तिक ब्याज की राहत सहित, 18.64 क रुपये (मूल:ऋण 18.26 करोड़ रुपये व ब्याज: 0.38 करोड़ रुपये) के 111 मामलों अध्ययन से प्रकट हुआ कि पुनर्सारणीकरण के उपरान्त भी कर्जदार (94) निरन्तर रहे एवं 31 मार्च 1999 को 12.83 करोड़ रुपये की राशि (मूल: 8.14 करोड़ र एवं ब्याज: 4.69 करोड़ रुपये) अतिदेय थी। पुनर्सारणीकरण के बाद इकाईयों के निष्पादन पर नजर रखने की कोई व्यवस्था न होना वास्तव में देयताओं के संचय मुख्य कारण था। इस प्रकार पुनर्सारणीकरण का यथार्थ उद्देश्य ही असफल रहा।

सरकार ने बताया (सितम्बर 1999) कि पुनर्सारणीकृत ऋणों के मामलों में उनके दोषी न होने की सुनिश्चितता के लिए नियमित रूप से समीक्षा की जा रही तथापि, लेखापरीक्षा के दौरान देखे गये मामलों में इस बात का संकेत नहीं मिला उन मामलों के पुन: दोषी होने को टालने के लिए समीक्षा की कार्यवाही की गई

3स.9 रूग्ण इकाइयों का पुनर्वास

आरएफसी, लघु एवं मध्यम क्षेत्र की रूग्ण एवं बंद इकाईयों को, आईआरबीआ आईडीबीआई[2] एवं एसआईडीबीआई[3] आदि के सहयोग से उन्हें क्रियात्मक रूप जीवनक्षम बनाने के उद्देश्य से उनकी कार्यशील पूंजी, प्राथमिक खर्चे एवं सुरक्षित इत्यादि की आवश्यकताओं की पूर्ति कर उनके पुनर्वास/पुनरोत्थान के 11.5 प्रतिशत तक रियायती ब्याज दर पर अतिरिक्त सहायता उपलब्ध करवाता है।

वर्ष 1993-94 से 1998-99 के दौरान आरएफसी ने पुनर्वास/पुनरोत्थान हेतु संभ जीवनक्षम 133 रूग्ण इकाइयों, जिनके विरूद्ध 27.84 करोड़ रुपये बकाया थे, विचार किया। 133 इकाइयों में से 76 इकाइयों को 2.82 करोड़ रुपये की पुन वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई ।

38 इकाइयों की नमूना जाँच में यह देखा गया कि 0.51 करोड़ रुपये की वि सहायता के अतिरिक्त, ब्याज में छूट (1.33 करोड़ रुपये), ब्याज निधीव (2.80 करोड़ रुपये) एवं ऋण के पुनर्सारणीकरण (3.68 करोड़ रुपये) के रूप में राहत भी प्रदान की गई । लेखापरीक्षा ने पाया कि 31 मार्च 1999 को 26 इका जिन्हें 0.43 करोड़ रुपये की पुनर्वास सहायता प्रदान की गई थी, 31 मार्च 1999 ब्याज सहित 7.93 करोड़ रुपये की राशि (बकाया:8.85 करोड़ रुपये) के अ

---

[1] भारतीय औद्योगिक पुनर्निमाण बैंक

[2] भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

[3] भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

ऋणों के पुनर्भुगतान में निरन्तर दोषी रहीं। इन 26 इकाइयों में से 8 इकाइयों कार्यशील पूंजी एवं प्रवर्तकों की आवश्यक हिस्सेदारी के अभाव में पुनरोत्थान पेकेज पर अमल नहीं कर सकी जबकि 18 इकाइयाँ पुन: बन्द हो गई, जिनमें से सात इकाइयाँ मार्च 1990 एवं मई 1993 के बीच बीआईएफआर को भेज दी गई, पांच इकाइयाँ जनवरी 1997 से जून 1998 के दौरान आरएफसी द्वारा अधिगृहित कर ली गई तथा छ: इकाइयों को आरएफसी द्वारा अधिकार में लिया जाना शेष है (जुलाई 1999)। यह तथ्य इस बात को दर्शाते हैं कि पुनर्वास के लिए इकाईयों का चयन पुनर्वास हेतु राहत स्वीकृत करने से पूर्व परियोजनाओं की जीवन क्षमता के विश्लेषण किये बिना ही कर लिया गया था।

3स.10 अधिगृहित इकाइयों के निस्तारण में विलम्ब

31 मार्च 1999 को 164.39 करोड़ रुपये राशि की देयताओं की वसूली हेतु 1141 इकाइयाँ आरएफसी के अपने अधिकार में थी, इनमें से 498 इकाइयाँ (62.10 करोड़ रुपये) 3 वर्ष से अधिक समय से अधिकार में थी । ये इकाइयाँ उपयुक्त खरीददारों के अभाव में, भूमि विवाद या न्यायाधीन इत्यादि के कारण निस्तारण की प्रतीक्षा में थी । आरएफसी इन इकाइयों की रखवाली एवं सुरक्षा पर प्रतिवर्ष 4.66 करोड़ रुपये खर्च कर रही थी।

निगम ने बताया (अगस्त 1999) कि इन अधिगृहित इकाइयों की सम्पत्तियों की निगरानी/शीघ्र निस्तारण को सुनिश्चित करने हेतु एक नयी व्यवस्था प्रवर्तित कर दी गई है।

3स.11 सहायता प्राप्त इकाइयों की सम्पत्तियों की अनुपलब्धता

15.87 करोड़ रुपये की वसूली हेतु सम्पत्तियाँ गायब थी अथवा प्रवर्तकों की जानकारी उपलब्ध नहीं थी।

वर्ष 1998-99 तक के गत पांच वर्षो के दौरान आरएफसी ने 951 इकाइयों के विरूद्ध जहाँ सम्पत्तियाँ पूर्ण रूप से गायब थी, प्रवर्तकों के पते-ठिकाने उपलब्ध नहीं थे, 3.90 करोड़ रुपये (ब्याज सहित) अपलेखित कर दिये थे। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि 1047 इकाइयों के मामले में जिनके विरूद्ध 31 मार्च 1999 को 15.87 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी, या तो कुछ सम्पत्तियां गायब थी या प्रवर्तकों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं थी। यह तथ्य इस बात के सूचक हैं कि इस योजना के क्रियान्वयन के दौरान एवं बाद में उपयुक्त निगरानी/निरीक्षण की व्यवस्था नहीं थी।

सरकार ने बताया (सितम्बर 1999) कि नीति के अनुसार ऐसी सम्पत्तियों के लिए एफआईआर दर्ज करवाई जा रही थी। उत्तर विश्वसनीय नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा उल्लेखित मामलों में योजना के क्रियान्वयन के समय ध्यानपूर्वक निगरानी नहीं

करने के कारण सूचित नहीं किये गये एवं एफआईआर दर्ज कराने के विवरण प्रेषित नहीं किये गये थे।

3स.12 राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 की धारा 32-जी के अन्तर्गत भू-राजस्व बकायों की तरह वसूली।

जिन मामलों में वसूली न की जा सकी हो, आरएफसी निर्धारित तरीके से भू-राजस्व की बकाया की तरह अपनी देयताओं की राशि की वसूली हेतु राज्य सरकार या विशिष्ट प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है। 31मार्च 1999 को 41 शाखाओं में 19.32 करोड़ रुपये देयताओं के लिए 1731 इकाईयाँ दोषी थी जहाँ आरएफसी के पास कोई प्रत्याभूति नहीं थी। इन 1731 इकाईयों में से 1992-93 से 1998-99 तक भू-राजस्व की बकाया की तरह वसूली हेतु धारा 32 जी के अन्तर्गत कार्यवाही केवल 106 दोषियों के विरूद्ध ही की गई (निगम द्वारा बकाया का निर्धारण नहीं किया गया) लेकिन कर्जदारों/प्रतिभूति दाताओं की सम्पत्तियों/पते-ठिकानों के विवरण के अभाव में कोई राशि वसूल नहीं की जा सकी।

सरकार ने बताया (सितम्बर 1999) कि भू-राजस्व की बकाया की तरह वसूली उद्यमियों की सम्पत्तियों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। उत्तर उपयुक्त निगरानी के अभाव को दर्शाता है।

निष्कर्ष

आरएफसी की स्थापना लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयों को ऋण प्रदान कर राज्य में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने की दृष्टि से की गई थी । निगम के अकुशल प्रबन्धन ने ऋणों की स्वीकृति व वितरण की निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने में विफलता, वसूली पर निगरानी के अभाव तथा ओटीएस योजना के अंतर्गत मामलों के अविवेकपूर्ण निपटान का मार्ग प्रशस्त किया। आरएफसी ने न केवल अपने कोषों को दाँव पर लगा दिया वरन इसनें अपने निजी संसाधनों के उत्पन्न करने में भी विपरीत प्रभाव डाल दिया, परिणामस्वरूप संस्था की वित्तीय दशा पर प्रभाव पड़ा तथा ऋण वितरण के अपने कार्यकलापों को, जिसके लिए इसका गठन हुआ था, सीमित कर दिया। इस परिपेक्ष में आरएफसी को (i) अपनी ऋण स्वीकृति/वितरण में निर्धारित प्रक्रिया की प्रभावशाली पालना करने तथा (ii) उधार के कोषों पर अतिनिर्भरता कम करने हेतु उपयुक्त निगरानी द्वारा वसूली निष्पादन में सुधार आदि के लिए तुरन्त कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

अध्याय–IV

विविध रूचिकर प्रकरण

4अ. सरकारी कम्पनियों के सम्बन्ध में

4ब. सांविधिक निगमों के सम्बन्ध में

अध्याय-IV

विविध रूचिकर प्रकरण

अनुच्छेद सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
4अ	सरकारी कम्पनियाँ	111
4अ.1	सामान्य	111
4अ.1.1	विदेश यात्रा पर व्यय	111
4अ.1.2	सरकारी आदेशों का उल्लंघन कर वाहन, वातानुकूल-संयंत्र, मोबाईल फोन आदि का क्रय	114
4अ.2	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड -'पैलेस-ऑन-व्हील्स' (पीओडब्ल्यू) में अनाधिकृत यात्रा सुविधा	116
4अ.3	राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड जिला ग्रामीण औद्योगिक कार्यक्रम का क्रियान्वयन	117
4अ.4	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड भिवाड़ी में इनलैण्ड कंटेनर डिपो का विकास	118
4अ.5	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड -निर्यात संवर्द्धन औद्योगिक पार्क (ईपीआईपी) का विकास	120
4अ.6	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड -उपकरणों को चालू करने में विलम्ब	122
4ब.	सांविधिक निगम	124
4ब.1	राजस्थान वित्त निगम	124
4ब.1.1	बैंक द्वारा धनराशि जमा करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप ब्याज की हानि	124
4ब.1.2	निष्फल व्यय	125
4ब.2	राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल	126
4ब.2.1	उपभोक्ताओं का अनुचित वर्गीकरण	126
4ब.2.2	विद्युत की चोरी	127
4ब.2.3	औसत प्रभारों की कम वसूली	128
4ब.2.4	जल प्रभारों की कम वसूली	129
4ब.3	राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम	130
4ब.3.1	बैंकों से उधार	130
4ब.3.2	रियायती/निशुल्क यात्रा सुविधा	131
4ब.3.3	क्रय पर अतिरिक्त व्यय	132
4ब.3.4	बस बॉडीज का निर्माण	134
4ब.4	राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम	136
4ब.4.1	परिहार्य व्यय	136
4ब.4.2	भण्डारण प्रभारों की हानि	137

अध्याय-IV

सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों से सम्बन्धित विविध रूचिकर प्रकरण

4अ. सरकारी कम्पनियाँ

4अ.1 सामान्य

4अ.1.1 विदेश यात्रा पर व्यय

सरकार/सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों को सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों एवं मार्ग निर्देशों के अन्तर्गत देय से अधिक दैनिक भत्ते तथा अन्य व्ययों का भुगतान करने के परिणामस्वरूप 78,559 अमेरिकी डॉलर (28.68 लाख रुपये) का अधिक/अनियमित भुगतान हो गया ।

(अ) सरकारी अधिकारियों को दैनिक भत्ते का अधिक भुगतान

विदेश यात्रा के समय सरकारी अधिकारियों को दैनिक भत्ते का अतिरिक्त भुगतान

वित्त मंत्रालय के फरवरी 1993 तथा मई 1996 में जारी आदेशानुसार एक अधिकारी, सरकार में अपने नियमित पदभार के अतिरिक्त किसी सार्वजनिक उपक्रम (पीएसयू) स्वायत्तशाषी निकाय के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/निदेशक का पदभार भी संभालता है तो वह सरकारी नियमों के अन्तर्गत सरकार में स्वीकार्य यात्राभत्ता/दैनिक भत्ता पाने का अधिकारी होता है। तथापि, 1994-95 से 1997-98 की अवधि के लेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में यह देखा गया कि दो सार्वजनिक उपक्रमों (राजस्थान राज्य होटल्स् निगम लिमिटेड तथा राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड) के तीन सरकारी अधिकारियों को जिन्होंने नवम्बर 1994 तथा मार्च 1998 के मध्य में विदेश यात्रा की, उन्हें सार्वजनिक उपक्रमों की दर से दैनिक भत्ते का भुगतान किया गया । इसके परिणामस्वरूप अनुबन्ध-21 में दिये गये विवरण के अनुसार, दैनिक भत्ते एवं अन्य व्ययों के रूप में 12483 अमेरिकी डालर (4.33 लाख रुपये) का अधिक भुगतान हो गया था । इसमें 2350 अमेरिकी डालर (0.85 लाख रुपये) की राशि भी शामिल है

जो इन अधिकारियों को उनके अनुमोदित यात्रा-कार्यक्रम से अधिक विदेश में रुकने के कारण भुगतान की गई थी।

सरकार ने बताया (सितम्बर 1999) कि एक अधिकारी को विदेश यात्रा की अनुमति राजस्थान राज्य होटल्स् निगम लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक की हैसियत में दी गई थी तथा इस प्रकार सार्वजनिक उपक्रम के अधिकारी के रूप में स्वीकार्य भत्ते सही थे। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि ऊपर वर्णित भारत सरकार के फरवरी 1993 तथा मई 1996 के आदेश के अनुसार उस अधिकारी के पास उस पद का अतिरिक्त प्रभार था । सरकार का यह तर्क कि विमान का वापसी टिकट सुनिश्चित नहीं होने के कारण अधिकारी को और रूकना पड़ गया, भी तर्कसंगत नहीं है क्योंकि अधिक प्रवास सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं था।

(ब) सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों को दैनिक भत्ते का अधिक/अनियमित भुगतान

भारत सरकार के आदेशों (सितम्बर 1995, अगस्त/नवम्बर 1996)के अनुसार सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों को दैनिक भत्ता विदेश मंत्रालय द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए यथा-निर्धारित दरों से दिया जाता है। इसके अलावा, सूचीबद्ध होटलों में आवास हेतु कमरे के वास्तविक किराये का पुनर्भरण, यात्रा भत्ता बिलों के साथ होटल के समर्थक बिलों/रसीदों को प्रस्तुत करने पर किया जाता है। तथापि, 1995-96 से 1997-98 की अवधि के यात्रा भत्ता बिलों की नमूना जाँच से निम्नांकित बातें ज्ञात हुई :

बिना समर्थक विपत्र प्रस्तुत किये अधिकारियों को 20.18 लाख रुपये (56078.39 अमेरिकी डालर) का पुनर्भरण कर दिया गया था।

(i) इन सार्वजनिक उपक्रमों (राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड तथा राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड) के 18 अधिकारियों ने नवम्बर 1994 तथा नवम्बर 1998 के बीच विदेश यात्रा की व उन्हें बिना समर्थक विपत्र प्रस्तुत किये ही 73685 अमेरिकी डॉलर (26.25 लाख रुपये) की समैकित राशि का दैनिक भत्ते व व्ययों के रूप में भुगतान कर दिया गया । इस प्रकार, समर्थक विपत्रों के अभाव में इन अधिकारियों को भुगतान की गई राशि की सत्यता लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं की जा सकी। इसके परिणामस्वरूप, अनुबन्ध-22 (अ) में दिये गये ब्यौरे के अनुसार, 56078.39 अमेरिकी डॉलर (20.18 लाख रुपये) का अनियमित भुगतान हो गया ।

राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने बताया (अक्टूबर 1999) कि सम्बन्धित अधिकारियों को विस्तृत लेखा प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गए है, जबकि राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड के बारे में सरकार ने बताया (सितम्बर 1999) कि कम्पनी द्वारा अनुमोदित दैनिक भत्ता भारतीय रिजर्व बैंक की दरों से कम था व इस प्रकार समर्थक विपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं था । उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि भारत सरकार के आदेश (सितम्बर 1995) के अनुसार

न केवल सरकारी अधिकारियों, बल्कि सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों को भी विदेश यात्राओं से लौटकर लेखे प्रस्तुत करने चाहिए थे जो कि नहीं किये गये ।

विदेश में बिताये गये दिनों से एक दिन अधिक का दैनिक भत्ते का भुगतान किया गया।

(ii) एक सार्वजनिक उपक्रम (राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड) के मामले में, तीन अधिकारियों द्वारा मई 1995 तथा अक्टूबर 1996 के बीच विदेश यात्राएँ की गई तथा विदेश में बिताये गये दिनों से एक दिन अधिक के दैनिक भत्ते का दावा किया गया जिसके परिणामस्वरूप, अनुबन्ध-22 (ब) में दिये गये ब्यौरे के अनुसार, 750 अमेरिकी डालर (0.24 लाख रुपये) का अधिक भुगतान हो गया ।

सरकार ने बताया (सितम्बर 1999) कि अधिक भुगतान की वसूली की कार्यवाही की जा रही थी।

सामान खो जाने तथा मनोरंजन भत्ते आदि के दावों का गलत भुगतान कर दिया गया।

(iii) एक सार्वजनिक उपक्रम (राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लिमिटेड) के मामले में, इसके प्रबन्ध निदेशक 6-10-95 से 9-10-95 तक विदेश यात्रा पर थे तथा इनका यात्रा, आवास तथा परिवहन आदि का व्यय प्रायोजक संस्था को वहन करना था। तथापि, उन्होंने एक-चौथाई दर के बजाय पूरी दर से दैनिक भत्ता (0.42 लाख रुपये) उठा लिया था। उन्होंने समैकित राशि के अलावा सामान की हानि (0.09 लाख रुपये), मनोरंजन व्यय (0.12 लाख रुपये) तथा वाहन प्रभार (0.09 लाख रुपये), भी उठा लिये जो कि सरकारी नियमानुसार देय नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप उनको, अनुबन्ध-22 (स) में दिये गए विवरणानुसार, 1772.61 अमेरिकी डॉलर (0.61 लाख रुपये) का अधिक भुगतान हो गया ।

सरकार ने बताया (सितम्बर 1999) कि श्री देव के बजाय श्री एन.एस.बोहरा को राजकीय मैहमान माना गया था, इसलिए श्री देव को किये गये पूरे दैनिक भत्ते का भुगतान सही था। तथापि, सरकार द्वारा अभी तक (सितम्बर 1999) ऐसे कोई आदेश जारी नहीं किये गये थे। अन्यथा भी, श्री देव सार्वजनिक उपक्रमों की दरों पर पूरे दैनिक भत्ते के अधिकारी नहीं हैं।

यद्यपि अधिकारी राजकीय अतिथि थे, पूर्ण दर से दैनिक भत्ते का भुगतान कर दिया गया।

एक सार्वजनिक उपक्रम (राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड) के मामले में इसके अध्यक्ष और प्रबन्धक क्रमशः 18.8.95 से 28.8.95 तथा 17.8.95 से 28.8.95 तक राजकीय अतिथि के रूप में केन्या के दौरे पर थे तथा केवल एक चौथाई दैनिक भत्ता पाने के हकदार थे, जिसके विरूद्ध दोनों अधिकारियों ने मनोरंजन भत्ते तथा दैनिक भत्ते के रूप में 7100 अमेरिकी डालर (2.27 लाख रुपये) की एकमुश्त राशि उठा ली थी। इसके फलस्वरूप, अनुबन्ध 22 (स) में दिये गये ब्यौरे के अनुसार 5575 अमेरिकी डालर (1.79 लाख रुपये) का अतिरिक्त भुगतान हो गया।

(iv) एक सार्वजनिक उपक्रम (राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड) के तीन अधिकारियों द्वारा (अनुबन्ध-22 के 'द' में उल्लिखित) ऐसे स्थानों की यात्रा की गई जो कि अनुमोदित यात्रा कार्यक्रम में शामिल नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप, एक

अधिकारी को भारत में रहते हुए विदेशी मुद्रा में किये गये दैनिक भत्ते के भुगतान सहित, 1900 अमेरिकी डॉलर (0.63 लाख रुपये) का अनियमित भुगतान हो गया था।

सरकार ने बताया (सितम्बर 1999) कि इसने श्री देव के 11 अक्टूबर 1995 से 13 अक्टूबर 1995 तक के कार्यक्रम को पहले ही नियमित कर दिया है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि श्री देव 12 अक्टूबर 1995 को 00.35 बजे दुबई पहुँचे थे। इस प्रकार 10 से 11 अक्टूबर का यह दावा अनुमोदित कार्यक्रम से भिन्न था तथा अनियमित था।

विदेशी दूतावास द्वारा किये गये वाहन प्रभारों के व्यय की वसूली नहीं की गई थी।

(v) एक सार्वजनिक उपक्रम (राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड) के मामले में, तीन अधिकारियों ने (अनुबन्ध-22 के 'ई' में दिये गये विवरण के अनुसार), 22 मई 1997 से 2 जून 1997 तक विदेश यात्राएँ की जिनके लिए विदेशी दूतावास द्वारा भी 0.90 लाख रुपये वाहन प्रभारों के रूप में व्यय किये गये जो कि उनसे वसूलनीय थे लेकिन उन्हें वसूल नहीं किया गया था।

इस प्रकार सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों को, सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों तथा मार्ग-निर्देशों के अनुसार देय से अधिक दर से भुगतान किये गए दैनिक भत्ते व व्ययों के परिणामस्वरूप 78559 अमेरिकी डॉलर (28.68 लाख रुपये) का अधिक/अनियमित भुगतान कर दिया गया था।

4अ.1.2 सरकारी आदेशों का उल्लंघन कर वाहन, वातानुकूल संयंत्र, मोबाईल फोन इत्यादि का क्रय

चार कम्पनियों तथा एक सांविधिक निगम द्वारा 22.46 लाख रुपये मूल्य की विभिन्न वस्तुओं का क्रय किये जाने से राज्य सरकार द्वारा खर्च में मितव्ययिता लागू करने हेतु लगाये गए प्रतिबन्ध का यथार्थ उद्देश्य ही विफल हो गया था।

प्रशासनिक व्ययों में मितव्ययिता लाने तथा सार्वजनिक उपक्रमों में अनुत्पादक/अनावश्यक खर्चो को टालने के लिये राजस्थान सरकार के राजकीय उपक्रम विभाग ने वाहन, वातानुकूल-संयंत्र, डेजर्ट कूलर, वाटर कूलर, फर्नीचर तथा फिक्सचर, फोटोकापियर, सजावट की समस्त वस्तुओं तथा नये टेलीफोन इत्यादि के क्रय पर सम्पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया था (फरवरी 1997 तथा दिसम्बर 1997)।

तथापि, लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया (नवम्बर 1998) कि उपरोक्त निर्देशों की अवहेलना करते हुए चार कम्पनियों (राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड तथा राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड) तथा एक निगम

(राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम) द्वारा 22.46 लाख रुपये मूल्य के वाहन, वातानुकूल संयंत्र, मोबाईल फोन, रंगीन टेलीविजन आदि का क्रय किया गया (1996-97 तथा 1997-98)।

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड (0.14 लाख रुपये) तथा राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (0.18 लाख रुपये) द्वारा 0.32 लाख रुपये मूल्य के दो मोबाईल फोन खरीद कर (फरवरी/अगस्त 1998) राज्य के मंत्रियों को उनके उपयोग हेतु जारी कर दिये गए थे। इस प्रकार, मोबाईल फोन का क्रय इन कम्पनियों के यथार्थ उपयोग के लिये नहीं किया गया था। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड तथा राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम ने बताया (मार्च तथा अप्रैल 1999) कि वाहनों का क्रय नकारा हो चुके वाहनों के बदले में किया गया था तथा राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड ने बताया (जून 1997) कि सरकार के निर्देश परामर्शात्मक थे न कि आदेशात्मक । उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि निर्देशों के अनुसार प्रतिबन्धित वस्तुओं के क्रय हेतु मुख्य मंत्री का अनुमोदन आवश्यक था जो कि किसी भी मामले में प्राप्त नहीं किया गया था। इस प्रकार, खर्चे में मित्तव्ययिता लागू करने हेतु प्रतिबन्ध लगाने का यथार्थ उद्देश्य ही विफल हो गया था।

फरवरी 1999 में यह मामला सरकार के ध्यान में ला दिया गया था तथापि, राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम/राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के मामलों में इन्हीं के दृष्टिकोण को राज्य सरकार द्वारा पृष्ठांकित किये जाने (अप्रैल/अगस्त 1999) को छोड़कर, उत्तर प्रतीक्षित थे (अगस्त 1999)।

4अ.2 राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड

पैलेस-ऑन-व्हील्स में अनाधिकृत यात्रा सुविधा

अनाधिकृत व्यक्तियों के लिए 38.93 लाख रुपये की अनुपूरक यात्राओं का प्रबन्ध किया गया ।

'पैलेस-ऑन-व्हील्स' रेलगाड़ी को आठ महीने (सितम्बर से अप्रैल) के लिए चलाया जाता है तथा इसके पटरी पर परिचालन तथा रखरखाव का खर्चा रेलवे वहन करता है और रहने एवं खाने-पीने, यात्रियों को दर्शनीय-स्थल दिखाने, विपणन एवं प्रचार के खर्चो को आरपीवीएन** उठाता है।

मीलों दूर प्रचार लाभ प्राप्ति हेतु मीडिया तथा यात्रा अभिकर्ताओं व अन्य परामर्शकर्ताओं के आतिथेय के लिए आरपीवीएन के संचालक मण्डल ने आरपीवीएन के प्रबन्ध निदेशक को, किसी मीडिया प्रयास या जनसम्पर्क प्रयास के अतिरिक्त, प्रति ट्रिप चार 'पैक्स' (यात्री) (दो रेलवे के तथा दो आरपीवीएन के) पैलेस आन-व्हील में अनुपूरक यात्रा की अनुमति देने हेतु प्राधिकृत किया था (जून 1995)। वर्ष 1997- से, यह कोटा, प्रति ट्रिप आठ 'पैक्स' (चार रेलवे के तथा चार आरपीवीएन के) तक बढ़ा दिया गया तथा जो पूर्व ट्रिप में उपयोगित कोटा के सकल आधार पर था तथापि, आरपीवीएन द्वारा व्यक्तियों को व्यापार संवर्द्धन के लिए अनुपूरक यात्रा सुविधा देने को दर्शाने वाले कोई अभिलेख संधारित नहीं किये गये।

38.93 लाख रुपये की अविवेकपूर्ण अनुपूरक यात्रा सुविधा प्रदान कर दी गयी।

1997-98 के दौरान जिन 179 'पैक्स' को अनुपूरक यात्रा करने की अनुमति दी गई थी उनके अभिलेखों की लेखापरीक्षा ने नमूना जांच (फरवरी 1999) की तथा यह पाया कि इन 179 अनुपूरक यात्राओं में से 32 आरपीवीएन/पयर्टन विभाग तथा 27 व्यक्ति रेलवे मण्डल द्वारा अनुशंसित थे तथा जिनका प्रचार अभियान से कोई सम्बन्ध नहीं था। इन व्यक्तियों को अनुपूरक यात्रा सुविधा प्रदान करने पर हुआ 38.93 लाख रुपये का व्यय, 3.61 लाख रुपये के भोजन इत्यादि की लागत सहित, किसी भी प्रकार से आरपीवीएन के व्यापारिक हितों की दृष्टि से लाभदायक नहीं था तथा न ही उस उद्देश्य को पूरा करता था जिसके लिये प्रबन्ध निदेशक को अनुपूरक यात्रा प्रदान करने हेतु प्राधिकृत किया गया था।

सरकार ने बताया (सितम्बर 1999) कि औसतन अनुपूरक यात्राएँ निर्धारित कोटा से अधिक नहीं हुई थी। उत्तर प्रासंगिक नहीं है क्योंकि यह सुविधा ऐसे व्यक्तियों को दी गई जो कि अनुपूरक पास के दायरे में ही नहीं आते थे।

** राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड

4अ.3 राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड

जिला ग्रामीण औद्योगिक कार्यक्रम का क्रियान्वयन

'ड्रिप' योजना के क्रियान्वयन हेतु प्राप्त 180 लाख रुपये के कोषों में से 10.91 लाख रुपये की राशि प्रशासनिक खर्चो पर व्यय की गयी तथा इस योजना के अंतर्गत क्रय किये गये यार्न (61.74 लाख रुपये) को अन्य योजनाओं के लिए उपयोग में ले लिया गया था।

नौ जिलों; अजमैर, अलवर, बीकानेर, दौसा, जोधपुर, कोटा, सवाईमाधोपुर, सीकर तथा उदयपुर के 1205 पंजीकृत बुनकरों को सुनिश्चित आधार पर पूरे वर्ष रोजगार उपलब्ध करवाने की दृष्टि से, आरएसएचडीसी* ने अप्रैल 1995 में बैंक ऑफ राजस्थान से 180 लाख रुपये का ऋण लिया तथा 'ड्रिप'** की एक योजना प्रारम्भ की। योजना के अनुसार, आरएसएचडीसी को त्रैमासिक आधार पर बुनकरों को कपड़ा बुनवाने हेतु यार्न उपलब्ध करवाना था जिसके लिए निर्धारित दरों पर बुनाई प्रभारों का भुगतान करना था। इस प्रकार उत्पादित कपड़ा आरएसएचडीसी द्वारा अपने विपणन संसाधनों के माध्यम से बेचकर उससे प्राप्त विक्रय राशि को, बुनकरों को आपूर्ति हेतु यार्न खरीदने पर उपयोग में लाना था। यार्न प्रवाह एवं उत्पादित कपड़े तथा विक्रय राशि के पुनर्भरण के अलग से अभिलेख भी रखे जाने थे।

लेखापरीक्षा में देखा गया (जुलाई 1998) कि 180 लाख रुपये की ऋण राशि में से 169.09 लाख रुपये मई 1995 तथा दिसम्बर 1995 के बीच यार्न क्रय करने (हैंक सूती यार्न : 80.64 लाख रुपये तथा ऊनी यार्न: 88.45 लाख रुपये) हेतु काम में लिये गए। शेष 10.91 लाख रुपये की राशि प्रशासनिक खर्चे पूरे करने हेतु उपयोग में ली गई। 107.35 लाख रुपये मूल्य का यार्न (हैंक सूती यार्न : 70.68 लाख रुपये तथा ऊनी यार्न: 36.67 लाख रुपये) योजना के अनुसार बिना उपयुक्त पहचान किये, आठ जिलों के बुनकरों को जारी किया गया। 61.74 लाख रुपये मूल्य का यार्न उन उद्देश्यों में लगाया गया जो कि योजना के अन्तर्गत नहीं आते थे।

आगे यह भी देखा गया कि हैंक सूती यार्न की खरीद पर आरएसएचडीसी द्वारा भारत सरकार की एक पृथक योजना 'हैंक यार्न मूल्य अनुदान योजना' के अन्तर्गत भी 19.08 लाख रुपये का अनुदान प्राप्त किया गया था (31 मार्च 1996)। इस प्रकार प्राप्त अनुदान बुनकरों को हस्तांतरित किया जाना था लेकिन उसे भी प्रशासनिक व्ययों की पूर्ति हेतु उपयोग में लिया गया ।

---

* राजस्थान राज्य हाथकरधा विकास निगम लिमिटेड

** जिला ग्रामीण औद्योगिक कार्यक्रम

बुनकरो को हस्तांतरित किये जाने वाले अनुदान का उपयोग प्रशासनिक व्ययों की पूर्ति में किया गया।

आरएसएचडीसी ने प्रत्येक बुनकर के सम्बन्ध में यार्न की आपूर्ति, बुनकर के पास बकाया यार्न, उत्पादित कपड़े, बेचे गए कपड़े आदि के लिए पृथक लेखे संधारित नहीं किये। परिणामस्वरूप योजना के यार्न प्रापण हेतु जिस तरीके से विक्रय राशियों का पुनर्भरण किया गया उसका लेखापरीक्षा में सत्यापन नहीं किया जा सका।

अगस्त 1998 में मामला सरकार/आरएसएचडीसी को सूचित कर दिया गया था लेकिन उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था(जून 1999)।

4अ.4 राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड

भिवाड़ी में इनलैण्ड कंटेनर डिपो का विकास

स्थल के चयन/कार्य पूरा होने में हुए असाधारण विलम्ब के परिणामस्वरूप आरएसआईसी को न केवल 94.37 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा बल्कि 250.84 लाख रुपये के सम्भावित राजस्व की भी हानि उठानी पड़ी।

निर्यात प्रोत्साहन तथा भिवाड़ी/अलवर के निर्यातकों को विकास समर्थन देने हेतु कम्पनी के महाप्रबन्धक (निर्यात) ने अधारभूत सेवाएँ, यथा, कस्टम निरीक्षण सुविधा, माल के लदान तथा निर्यातकों को एक ही छत के नीचे कस्टम निपटारे की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए आईसीडी* की स्थापना के उपयुक्त स्थल का चुनाव करने हेतु एक अधिकारी नियुक्त किया (मई 1995)। कथित अधिकारी ने इस उद्देश्य के लिए खुसखेड़ा को एक आदर्श स्थल बताया (जून 1995)। बाद में (जून 1995) आरएसआईसी ने राजकॉन को व्यवहार्यता अध्ययन हेतु नियुक्त किया उसने भी इस उद्देश्य हेतु 144 लाख रुपये की अनुमानित लागत (भूमि तथा स्थल विकास:74 लाख रुपये, भवन एवं सिविल कार्य: 53 लाख रुपये, विविध स्थायी परिसम्पत्तियाँ: 10 लाख रुपये तथा प्रासांगिक व्यय: 7 लाख रुपये) पर खुसखेड़ा की सिफारिश की। परियोजना को राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान से वित्त पोषित किया जाना था तथा आईसीडी को 1996-97 से अपना वाणिज्यिक परिचालन प्रारम्भ करना था। इस व्यवहार्यता प्रतिवेदन के आधार पर आरएसआईसी ने, निदेशक (संरचना), वाणिज्यिक मंत्रालय, नई दिल्ली को भिवाड़ी (खुसखेड़ा) में आईसीडी की स्थापना की अनुमति प्रदान करने हेतु आवेदन कर दिया (दिसम्बर 1995)। फरवरी 1997 तक आईसीडी की स्थापना हेतु स्थल के चयन को अंतिम रूप देने की कोई कार्यवाही नहीं की गयी। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा परियोजना मार्च 1997 में अनुमोदित कर दी गयी।

---

* इनलैण्ड कंटेनर डिपो

महाप्रबन्धक ने अधिकारियों के, आरएसबीसीसी** के एक अधिशाषी अभियन्ता सहित, एक अन्य दल को भिवाड़ी, खुसखेड़ा अथवा किसी अन्य निकटवर्ती स्थान पर आईसीडी की स्थापना करने हेतु उपयुक्त स्थल का चयन करने के लिए प्रतिनियुक्त किया। दल ने आईसीडी की स्थापना या तो भिवाड़ी, ऐसे स्थान पर जहाँ यूआईटी# की भूमि उपलब्ध थी, या फिर टपूकड़ा जहाँ रीको*** द्वारा एक अन्य ईपीआईपी@ की स्थापना प्रस्तावित थी, में करने का प्रस्ताव किया। प्रबन्ध निदेशक ने स्थल की भिवाड़ी से निकटता की दृष्टि से आईसीडी की स्थापना हेतु बिना कोई तुलनात्मक लागत-लाभ विश्लेषण किये ही, भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में उपलब्ध यूआईटी की भूमि का अनुमोदन कर दिया (21 मार्च 1997) क्योंकि वहाँ अधिकांश निर्यातक स्थित थे जबकि टपूकड़ा में भूमि 150 रुपये प्रति वर्गमीटर सस्ती थी। अन्ततः आरएसआईसी ने 15000 वर्गमीटर भूमि (नवम्बर 1997) तथा 9112.40 वर्ग मीटर भूमि (जुलाई 1998) 535 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से यूआईटी से खरीद ली तथा भिवाड़ी में आईसीडी के लिए सिविल कार्य निर्माण हेतु 98 लाख रुपये अनुमानित लागत का कार्य-आदेश आरएसबीसीसी को प्रदान कर दिया। 'पर्ट' चार्ट के अनुसार कार्य दिसम्बर 1997 में प्रारम्भ होकर मार्च 1998 तक पूर्ण हो जाना था। खुसखेड़ा की व्यवहार्यता प्रतिवेदन के अनुसार 144 लाख रुपये की अनुमानित लागत की तुलना में कार्य वास्तव में दिसम्बर 1998 में 94.37 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत से पूर्ण किया गया। आईसीडी ने 2 फरवरी 1999 से अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया था।

94.37 लाख रुपये की अतिवृद्धि लागत; वाणिज्यिक मंत्रालय के अनुमोदन प्राप्त करने, स्थल का चयन करने तथा आरएसबीसीसी द्वारा कार्य पूर्ण करने में असाधारण विलम्ब के परिणामस्वरूप थी। कार्य आदेश में दण्ड हेतु शर्त के उपबन्ध की अनुपस्थिति में आरएसबीसीसी के विरूद्ध विलम्ब के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी थी।इसके अलावा आईसीडी का कार्य निर्धारित समय में पूरा नहीं कर पाने के कारण आरएसआईसी को 250.84 लाख रुपये (1996-97 में 69.65 लाख रुपये, 1997-98 में 85.90 लाख रुपये तथा 1997-98 में 95.29 लाख रुपये) के प्रत्याशित लाभ से वंचित रहना पड़ा।

सरकार ने बताया (सितम्बर 1999) कि अविकसित होने के कारण खुसखेड़ा का स्थल आईसीडी की स्थापना के उपयुक्त नहीं समझा गया तथा आरएसबीसीसी को सिविल कार्य पूरा करने हेतु अनुमत चार माह की समयावधि कार्य को यथासम्भव शीघ्रता से करने के लिए थी, यद्यपि, इतनी बड़ी परियोजना इतनी कम समयावधि में पूर्ण करना

** राजस्थान राज्य पुल एवं निर्माण निगम लिमिटेड

नगर विकास न्यास

*** राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड

@ निर्यात संवर्द्धन औद्योगिक पार्क

कोई आसान काम नहीं था। बीच-बीच में बरसात ने भी कार्य की प्रगति को धीमा कर दिया। इसके अतिरिक्त परामर्शदाओं द्वारा परियोजित 144 लाख रुपये का अनुमान खुसखेड़ा में आईसीडी की स्थापना का था न कि भिवाड़ी में। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि प्राधिकारियों को कार्य के क्षेत्र को देखते हुए उपयुक्त समय निर्धारित करना चाहिए था। सरकार ने, तथापि, स्थल के चयन में लगे असाधारण समय के लिए कोई औचित्य प्रस्तुत नहीं किया। इसके अलावा, भिवाड़ी में आईसीडी की स्थापना हेतु कोई लागत विश्लेषण नहीं किया गया तथा प्रतिमाह 225 टीईयू* का संचालन का प्रबन्धन प्रायोजन भी अप्राप्त रहा क्येांकि आठ माह में (फरवरी से सितम्बर 1999) भिवाड़ी आईसीडी द्वारा केवल 5 टीईयू का ही निपटारा किया जा सका था।

4अ.5 राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड

निर्यात संवर्द्धन औद्योगिक पार्क (ईपीआईपी) का विकास

ईपीआईपी के क्रियान्वयन में हुए विलम्ब के परिणामस्वरूप 1155.40 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत उठानी पड़ी। उच्च दरों पर प्लाटों का आवन्टन करने से उद्यमियों को उचित दरों पर प्लॉट उपलब्ध करवाने का मूल उद्देश्य ही विफल हो गया था।

निर्यात को उच्च प्राथमिकता देने के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, जैसा कि आठवीं पंचवर्षीय योजना मै अभिकल्पित था, भारत सरकार ने उच्च स्तर की आधारभूत सुविधाओं के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देकर निर्यात प्रयासों में राज्य सरकार की भागीदारी के उद्देश्य से ईपीआईपी@ विकसित करने की एक योजना प्रवर्तित की। केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता 10 करोड़ रुपये तक के पूँजीगत व्यय के 75 प्रतिशत की सीमा तक उपलब्ध थी तथा शेष 25 प्रतिशत राज्य सरकार को वहन करना था। 'रीको'** को राज्य सरकार ने इस योजना के क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेन्सी नियुक्त किया था तथा सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में ईपीआईपी के विकास कार्य करने हेतु प्रस्तावित किया था। अपने उत्पादन का 33 प्रतिशत भाग निर्यात करने वाली औद्योगिक इकाईयाँ इस पार्क में स्थापित होने के योग्य थी।

'रीको' ने 2684.38 लाख रुपये की अनुमानित लागत से ईपीआईपी, सीतापुरा का विकास करने का अनुमोदन प्रदान किया (मार्च 1995) जिसे बाद में जून 1997 में

---

* इकाई के बराबर टनेज

@ निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क

** राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड

संशोधित करके 4529.20 लाख रुपये कर दिया गया।मार्च 1999 तक, 3839.78 लाख रुपये व्यय करके ईपीआईपी को सितम्बर 1997 में विकसित किया गया था। इसके विरूद्ध, राज्य सरकार तथा भारत सरकार से क्रमशः 333 लाख रुपये तथा 1000 लाख रुपये के अनुदान प्राप्त किये गये थे। जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा विश्लेषण करने से ज्ञात हुआ, परियोजना की लागत में वृद्धि तथा इसको पूरा करने में हुए विलम्ब के मुख्य कारण भूमि अवाप्ति में 9 माह का विलम्ब, सिविल कार्य प्रदान करने की प्रक्रिया में 10 माह तक का समय एवं अधिक समय लगना तथा परियोजना के निर्माण के दौरान ब्याज (555.20 लाख रुपये) का अधिक भार पड़ना, थे। सरकार ने बताया (जुलाई 1999) कि मामले की प्रक्रिया में विलम्ब तकनीकी एवं वित्तीय बोली प्रणाली को पहली बार अपनाये जाने के कारण हुआ था।

भारत सरकार द्वारा 1994-95 से 1996-97 के दौरान दिये गये 1000 लाख रुपये के अनुदान में से राज्य सरकार ने 800 लाख रुपये पीडी खाते* (ब्याज रहित) में इस शर्त के साथ डाल दिये थे कि राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना आहरण नहीं किया जा सकेगा। राज्य सरकार ने 400 लाख रुपये 6 दिसम्बर 1995 को मुक्त कर दिये थे तथा शेष राशि अभी तक (जून 1999) पीडी खाते में पड़ी हुई थी। इस प्रकार, कम्पनी, निधियों का उपयोग अपने कार्य हेतु नहीं कर सकी थी। इसके अलावा, जून 1999 तक कम्पनी को 189 लाख रुपये ब्याज की हानि उठानी पड़ी क्योंकि इसे अन्य स्रोतों से निधियों की व्यवस्था करनी पड़ी।

लेखापरीक्षा में देखा गया (जनवरी 1999) कि विकसित 385 प्लॉटों में से रीको दिसम्बर 1998 तक केवल 138 प्लाट ही; 125[x] प्लाट (2.19 लाख वर्गमीटर माप के) 400 रुपये प्रति वर्गमीटर तथा 13 प्लॉट (0.26 लाख वर्गमीटर माप के) 500 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से, आवन्टित कर सका था। 1333 लाख रुपये के अर्थ-साहाय्य को सम्मिलित करने के बाद उद्यमियों से वसूलनीय शुद्ध विकास प्रभार 347 रुपये प्रति वर्गमीटर बनते थे। इस प्रकार, 138 उद्यमियों से विकास प्रभारों के रूप में 155.85 लाख रुपये अधिक वसूल कर लिये गए जिससे उचित दरों पर प्लॉट उपलब्ध करवाने का यथार्थ उद्देश्य ही विफल हो गया था। शेष प्लाट माँग के अभाव में आवन्टित नहीं किये जा सके। सरकार ने बताया (जुलाई 1999) कि निकटवर्ती क्षेत्र की दरों को दृष्टिगत रखकर आवंटन की दरें निर्धारित की गई थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र के विकास पर किये गए व्ययों को ध्यान में रखते हुए प्लाट आवंटन हेतु विकास प्रभारों की दरें अलग से निर्धारित की जाती है।

यह भी देखा गया कि राज्य सरकार ने 5534 लाख रुपये की अनुमानित लागत से एक अन्य ईपीआईपी टपूकड़ा में भी जुलाई 1997 में स्वीकृत की थी। यद्यपि, सीतापुरा

---

* निजी निक्षेप खाता

x नीलामी द्वारा आवंटित एक वाणिज्यिक प्लाट को छोड़कर

विकास प्रभारों का आँकलन करते समय अर्थ-साहाय्य का ध्यान नहीं रखा गया और उद्यमियों से 155.85 लाख रुपये अधिक वसूल कर लिये गये ।

की ईपीआईपी, जो कि 1155.40 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत से पूर्ण हुई थी, को अभी (सितम्बर 1999) परिचालित ही नहीं किया गया था, राज्य सरकार ने मार्च 1998 तक 300 लाख रुपये का अनुदान इस अनुमान से जारी कर दिया कि प्रथम ईपीआईपी सफलतापूर्वक परिचालित कर ली जाएगी। दूसरी ईपीआईपी की स्वीकृति भारत सरकार के इन निर्देशों की अवहेलना थी कि दूसरी ईपीआईपी तब तक स्थापित नहीं की जावे जब तक कि पहली ईपीआईपी सफलतापूर्वक परिचालित न हो जाये।

4अ.6 राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लिमिटेड

उपकरणों को चालू करने में विलम्ब

चार 'हाईड्रोलिक प्रेसों' को चालू करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप 7.82 लाख रुपये के कोष अवरूद्ध रहे जिससे 9.07 लाख रुपये ब्याज की परिणामी हानि उठानी पड़ी।

कम्पनी* ने सलाहकार की सिफारिश पर झामर-कोटड़ा एकीकृत परियोजना के लिए विभिन्न क्षमताओं की 6 हाईड्रोलिक प्रेस 15.62 लाख रुपये की लागत से युनाईटेड इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली (यूईसी) से मार्च 1992 में क्रय की। उपकरण प्राप्त होने पर 90 प्रतिशत राशि का 14.06 लाख रुपये का भुगतान यूईसी को कर दिया गया । यूईसी द्वारा मशीनों की स्थापना तथा चालू करने का कार्य नि:शुल्क किया जाना था। तथापि, यूईसी द्वारा निष्पादन बैंक गारण्टी प्रस्तुत न करने के कारण कम्पनी ने उसकी 1.56 लाख रुपये की राशि रोक ली थी। फिर भी आपूर्तिकर्ता उपकरणों को चालू करने नहीं आया था। जिसके फलस्वरूप हाईड्रोलिक प्रेसों में से केवल एक प्रेस को ही जुलाई 1994 में चालू किया गया था।

लेखापरीक्षा में देखा गया (फरवरी 1999) कि वरिष्ठ प्रबन्धक (अभियान्त्रिकी) ने समूह महाप्रबन्धक को सूचित किया (जुलाई 1995) कि समय बीतने से प्रेस में अवरोध/जंग आनी शुरू हो गई थी और यदि इन्हें तुरन्त चालू नहीं किया गया तो इनकी भारी मरम्मत करवानी पड़ सकती है। अक्टूबर 1998 तक, जब दूसरी प्रेस को चालू किया गया, इस प्रेस को चालू करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई। शेष 7.82 लाख रुपये मूल्य की 4 हाईड्रोलिक प्रेस को इनके खराब पुर्जो को बदले जाने की आवश्यकता के कारण चालू नहीं किया जा सका था (जून 1999)। इस प्रकार, प्रेस चालू करने की कार्यवाही समय पर नहीं करने से उनके प्रापण का उद्देश्य ही विफल

* राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड

हो गया तथा मार्च 1992 से 7.82 लाख रुपये के कोष अवरूद्ध रहे। इसके परिणामस्वरूप जून 1999 तक 16 प्रतिशत की दर से आँकलित 9.07 लाख रुपये ब्याज की हानि हो गई थी।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए सरकार ने बताया (अप्रैल 1999) कि वांछित पुर्जो के प्रापण की कार्यवाही की जा रही थी तथा आगे कहा (जुलाई 1999) कि उस फर्म को काली सूची में रखने की कार्यवाही सक्रिय विचाराधीन थी। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि हाईड्रोलिक प्रेस एक नियमित उत्पादन उपकरण नहीं होने से इसे जब आवश्यक हुआ कार्यशाला के औजार के रूप में उपयोग किया गया। उत्तर इस तथ्य का द्योतक है कि वास्तविक आवश्यकता का मूल्यांकन किये बिना ही उपकरणों का क्रय कर लिया गया था।

4ब. सांविधिक निगम

4ब.1 राजस्थान वित्त निगम

4ब.1.1 बैंक द्वारा धनराशि जमा करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप ब्याज की हानि

निर्धारित प्रणाली का ध्यान नहीं रखने तथा समाधान के समय ज्ञात हुई कमियाँ तुरन्त सूचित नहीं करने के परिणामस्वरूप बैंक द्वारा कोष जमा करने में असाधारण विलम्ब हुआ।

निगम विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों में चालू खाते रखता है। निगम की प्रत्येक शाखा ऋणियों से प्राप्त राशियाँ जमा कराने के लिए एक खाता रखती है। इस खाते में से शाखाएँ किसी भी राशि के आहरण हेतु प्राधिकृत नहीं है। कोषों का अनुकूलतम उपयोग करने की दृष्टि से निगम ने अपने बैंकों को निर्देश दे रखे थे कि 10,000 रुपये से अधिक की शेष राशियों को निगम के प्रधान कार्यालय को स्थानान्तरित कर दिया जावे ताकि उनको ब्याज अर्जित करने के लिए निवेशित किया जा सके। क्रियाविधिक दिशा-निर्देशों में, अन्य की तरह, अपने शाखा कार्यालयों द्वारा आगामी माह के दूसरे दिन दैनिक शेष राशि का विवरण पत्र तथा प्रत्येक सोमवार को प्रधान कार्यालय को प्रेषण की गई राशियों का साप्ताहिक विवरण पत्र प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान था। प्रधान कार्यालय, इकाइयों द्वारा प्रेषित विवरणियों एवं बैंक विवरण पत्रों की नियमितता का ध्यान रखने तथा पाक्षिक बैंक समाधान विवरण-पत्र तैयार करने का उत्तरदायी था।

लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष 1997-98 के अभिलेखों की नमूना जाँच से ज्ञात हुआ (सितम्बर 1998) कि इसकी चार शाखाओं से प्रेषित राशियों (10.70 लाख रुपये से 54.80 लाख रुपये तक) को मुख्यालय स्थित निगम के संग्रह खाते में जमा करने में, सात दिनों की अनुग्रह अवधि देने पर भी, 78 से 290 दिनों तक का विलम्ब पाया गया था। विलम्बं के आरोपित कारण, नियमित रूप से बैंक समाधान विवरण पत्र बनाने तथा ज्ञात कमियों को यथा समय बैंक को सूचित करने के सम्बन्ध में निर्धारित प्रणाली की अनुपालना नहीं करना थे। इसके फलस्वरूप आरएफसी को 10.20 लाख रुपये ब्याज की हानि हुई क्योंकि यह कोष अनुपयोगित रहे।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 1999) कि शाखाओं से सूचना प्राप्ति में विलम्ब तथा बैंक खाते की प्रतिलिपी की अनुपलब्धता, प्रेषित राशि के मिलान में विलम्ब के कारण थे। तथापि, इन कमियों से पार पाने हेतु प्रणाली को और सुदृढ़ बनाने के प्रयास किये जायेंगे।

4ब.1.2 निष्फल व्यय

एक अधिकारी की सेवा-मुक्ति से सम्बन्धित अभिलेख न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करने के परिणामस्वरूप निगम को 11.47 लाख रुपये का निष्क्रिय भुगतान करना पड़ा।

एक उप-प्रबन्धक की नियुक्ति परीक्षण के तौर पर दो वर्ष के लिए की गई थी (21 फरवरी 1983)। परीक्षणावधि के दौरान कथित अधिकारी की सेवाएँ असंतोषजनक पायी गई व इसलिए उसे आरएफसी (स्टॉफ) विनियम 1958 के परिनियम संख्या 15 के प्रावधानों के अन्तर्गत सेवा मुक्ति का नोटिस तथा नोटिस अवधि के बदले में एक माह के पारिश्रमिक का एक चैक दे दिया गया था (फरवरी 1985)।

उक्त अधिकारी ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जयपुर के समक्ष अपनी सेवा-मुक्ति के आदेश को इस आधार पर चुनौती देते हुए एक सिविल वाद दायर किया (मार्च 1985) कि आदेश सक्षम प्राधिकारी (अर्थात बोर्ड) के द्वारा पारित नहीं किया गया था। न्यायालय ने वाद पर डिक्री देते हुए (सितम्बर 1990) निगम द्वारा पारित सेवा मुक्ति आदेश को यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि यह सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया था। तथापि, लेखापरीक्षा में देखा गया (सितम्बर 1998) कि निगम ने संचालक मण्डल द्वारा सेवा समाप्ति से सम्बन्धित अभिलेख न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये थे।

निगम ने माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ के समक्ष अपील प्रस्तुत की (अक्टूबर 1994) तथा अवर-न्यायालय में अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने के कारणों का उल्लेख नहीं किया गया। निगम ने सम्बन्धित दस्तावेज माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिये जिन्हें इस आधार पर अभिलेखित नहीं किया जा सका कि विवादों के समझौते के समय अथवा इससे पूर्व इन दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं करने के कोई वैध कारण नहीं बताये गए थे। निगम की एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई अपील (जून 1997) भी इस आधार पर खारिज कर दी गई (जुलाई 1997)।

उक्त अधिकारी की सेवाएँ उप प्रबन्धक के पद पर बहाल कर दी गई जिसने 26 जुलाई 1997 को कार्यभार ग्रहण कर लिया तथा उसे 1989-90 वर्ष के पदोन्नति

कोटा में, प्रबन्धक के पद पर पदोन्नत कर, बहाली पर देय सभी परिणामी लाभ भी दिये गये। इस प्रकार अवर-न्यायालय के समक्ष संचालक मण्डल के अनुमोदन को प्रस्तुत नहीं करने के कारण निगम को इस अधिकारी को पद-मुक्ति की तिथि से बहाल करने की तिथि तक की अवधि के लिए 11.47 लाख रुपये का निष्क्रीय भुगतान करना पड़ा। निगम ने बताया (जून 1999) कि दोषी अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जाँच प्रारम्भ कर दी गई थी। तथापि, जाँच अधिकारी की रिपोर्ट पर अनुशासनात्मक प्राधिकारी का निर्णय प्रतीक्षित था (जुलाई 1999)।

4ब.2 राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल

4ब.2.1 उपभोक्ताओं का अनुचित वर्गीकरण

उपभोक्ताओं का मौसमी उपभोक्ता के रूप में अनुचित वर्गीकरण करने के कारण मण्डल को 5.95 लाख रुपये की हानि उठानी पड़ी।

समय-समय पर यथा-संशोधित विद्युत आपूर्ति टैरिफ, 1985 की धारा 3 (7), के अनुसार मौसमी कारखाने से तात्पर्य उन कारखानों से है जो अपने उत्पादन की प्रकृति की विशिष्टता के कारण वर्ष के अधिकतम आठ महीनों की अवधि के दौरान निरन्तर काम कर सकते हों तथा जिनका अकार्यशील मौसम आठ माह की मौसमी अवधि की समाप्ति के बाद प्रारम्भ होता हो, तथा गैर मौसम के दौरान मासिक विद्युत उपभोग पूर्ववर्ती मौसमी अवधि के औसत मासिक उपभोग के 25 प्रतिशत से अधिक न हो। वर्तमान उपभोक्ताओं के मामले में मौसम की अवधि के समाप्त होने के पश्चात् जब कभी भी उसका मासिक उपभोग पूर्ववर्ती मौसमी अवधि के औसत मासिक उपभोग के 50 प्रतिशत से बढ़ जाता है तो उस माह से लगातार आठ माह के लिये मौसमी अवधि का प्रारम्भ होना मान लिया जाता है। मण्डल ने तेल मीलों, जिनिंग एवं प्रोसेसिंग कारखानों, चीनी मिलों इत्यादि को इस श्रेणी के अंतर्गत रखने के योग्य माना था।

लेखापरीक्षा जांच से ज्ञात हुआ (सितम्बर 1998) कि:

(अ) गंगानगर वनस्पति रिफाईनरी प्राईवेट लिमिटेड (जीवीआरपीएल) को 375 एच.पी. का उच्च दाब कनेक्शन प्रदान किया गया था(मार्च 1998)। उपभोक्ता ने अपने प्रतिष्ठान को मौसमी कारखाने के रूपमें माने जाने हेतु आवेदन किया (नवम्बर 1995)। बिना इस तथ्य का सत्यापन किये ही कि उपभोक्ता तेल उत्पादन हेतु कच्ची तिलहन को संसाधित नहीं करता, उपभोक्ता की श्रेणी को मौसमी में बदल

दिया गया। उपभोक्ता वस्तुत: कच्चे तेल को परिष्कृत करने हेतु संसाधित करता था। इसके अतिरिक्त, उसका गैर-मौसम के दौरान उपभोग भी हमैशा मौसमी अवधि के औसत उपभोग के 25 प्रतिशत से अधिक था।

लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान दिलाये जाने पर (सितम्बर 1998), इस मामले की मुख्य लेखाधिकारी (वाणिज्यिक) द्वारा जांच की गई (अक्टूबर 1998) तथा यह पाया गया (नवम्बर 1998) कि उपभोक्ता तिलहन से तेल निकालने के बजाय कच्चे तेल को परिष्कृत करने के काम में लेता था। तदनुसार, उपभोक्ता तेल मील की श्रेणी में नहीं आता था तथा रिफाईनरी होने के कारण मौसमी उपभोक्ता श्रेणी में वर्गीकृत होने का पात्र नहीं था। इस प्रकार, अनुचित वर्गीकरण के परिणामस्वरूप 2.17 लाख रुपये की हानि उठानी पड़ी।

(ब) मैवाड़ चीनी मिल्स, भोपालसागर (एमएसएम) को जनवरी 1971 में औद्योगिक कार्यो के लिए मौसमी कारखाने के रूप में कनेक्शन प्रदान किया गया था। तथापि, उपभोक्ता जनवरी 1995 से दिसम्बर 1998 तक की अवधि में ऐसा लाभ पाने का अधिकारी नहीं था, क्योंकि उसका गैर-मौसमी अवधि के दौरान का औसत उपभोग मौसमी अवधि के औसत उपभोग के 50 प्रतिशत से अधिक था। इस प्रकार मण्डल ने उपभोक्ता को अनुचित लाभ प्रदान किया तथा 3.78 लाख रुपये की हानि वहन की।

इन तथ्यों को सितम्बर 1998 में सरकार के ध्यान में ला दिया गया था। सरकार ने अपने उत्तर (मई 1999) में अनुच्छेद में उठाये गए प्रसंगों का जवाब नहीं दिया था।

4ब.2.2 विद्युत की चोरी

विद्युत चोरी के 9210 मामलों में कोई कार्यवाही नहीं करने से मण्डल को न केवल 92.10 लाख रुपये के राजस्व से वंचित होना पड़ा बल्कि ऐसे मामलों के निपटारे हेतु प्रारम्भ की गई एक योजना का यथार्थ उद्देश्य ही विफल हो गया ।

मण्डल ने विद्युत चोरी के मामले में क्षतिपूर्ति के निर्धारण की एक योजना प्रारम्भ की (जुलाई 1990) जिसे फरवरी 1991 तथा जनवरी 1995 में संशोधित किया गया। योजना के अनुसार विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 की धारा 39 के अन्तर्गत पाये गए विद्युत चोरी के मामले पुलिस को सूचित नहीं किये जाते, यदि दोषी मामले के निपटारे का इच्छुक हो तथा स्वेच्छा से चोरी का पता चलने के सात दिनों के भीतर निर्धारित दरों से प्रभारों का भुगतान कर देता हो। अन्यथा निरपवाद रूप से एफआईआर* दायर

* प्रथम सूचना रिपोर्ट

की जानी थी। यदि एफआईआर दर्ज कराने के बाद भी किसी भी समय निपटारा प्रभार जमा कराने के लिए दोषी आगे आता है तो इन आदेशों के अन्तर्गत ऐसे निर्धारित प्रभारों के 4 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से अतिरिक्त प्रभारों के भुगतान करने पर मामले को निपटाने की अनुमति दी जा सकती थी।

मण्डल के सुरक्षा एवं सतर्कता समूह के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान (जनवरी 1999) यह देखने में आया कि वर्ष 1995-96 से 1998-99 की अवधि में पकड़े गए अनुपभोक्ताओं से सम्बन्धित विद्युत चोरी के 9210 मामलों में मण्डल द्वारा एफआईआर दायर करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई थी जबकि, उनके द्वारा जून 1999 तक भी निपटारा प्रभारों का भुगतान नहीं किया गया था। दोषियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण भी अभिलेखित नहीं पाये गए थे।

विद्युत चोरी के मामलों में निर्धारित प्रक्रिया, यथा, एफआईआर दर्ज कराना व निपटारा प्रभार लगाना, नहीं अपनाने के कारण न केवल अनुपभोक्ताओं द्वारा विद्युत चोरी को प्रोत्साहन मिला बल्कि मण्डल को भी 1000 रुपये प्रति मामला प्रति एच.पी. की दर से न्यूनतम निपटारा प्रभारों पर 92.10 लाख रुपये के राजस्व से भी वंचित रहना पड़ा। इससे चोरी इत्यादि के मामलों के निपटारे हेतु प्रवर्तित योजना का यथार्थ उद्देश्य ही विफल हो गया था।

सरकार ने बताया (मई 1999) कि कार्य की अधिकता के कारण पुलिस अधिकारी मामले दर्ज करने में विफल रहे तथा मामलों का त्वरित अन्वेषण नहीं कर सके थे। विद्युत चोरी के लिए पृथक पुलिस थाना बनाने के लिए मामला विचाराधीन था। पुलिस महानिदेशक द्वारा पुलिस अधीक्षकों को तत्परता से मामले दर्ज करने हेतु निर्देश भी दिये जा चुके थे (फरवरी 1999)। तथापि, सरकार ने योजना के प्रावधानों के अनुरूप मामलों को मौके पर ही नहीं निपटाने के कोई कारण नहीं बताये थे।

4ब.2.3 औसत प्रभारों की कम वसूली

औसत प्रभारों के गलत निर्धारण के फलस्वरूप उपभोक्ताओं से 10.97 लाख रुपये की वसूली कम हो पाई थी।

टेरिफ तथा विद्युत आपूर्ति की सामान्य शर्तो के प्रावधानानुसार सीधी आपूर्तियों के लिए निर्धारण, मापक उपकरणों के खराब रहने की अवधि सहित, पूर्ववर्ती तीन माह के औसत उपभोग के आधार पर किया जाना चाहिए था। तथापि, लेखापरीक्षा में देखा गया (अप्रेल 1995) कि जून 1995 में थापड़ दुग्ध उत्पाद, अलवर के परिसर में संस्थापित मापक यंत्रों के खराब होने की सूचना सहायक अभियन्ता (डीएसडी),

आरएसईबी*, अलवर से प्राप्त होने पर अधिशाषी अभियन्ता (एमटी) आरएसईबी, अलवर ने मापक उपकरणों की जांच करवाई (जून 1995) तथा पाया कि पोटेन्सियल ट्रांसफार्मर (पीटी), वोल्टेज को शून्य मानकर, सही उपभोग दर्ज नहीं कर रहा था। जीएसएस, अलवर की लॉग शीट के आधार पर यह निर्धारित किया गया कि पीटी 16 जून 1995 को क्षतिग्रस्त हो गया था तथा अधीक्षण अभियन्ता द्वारा बिना उपयुक्त प्राधिकारी की अनुमति लिये ही उपभोक्ता को 26 जुलाई 1995 तक सीधी आपूर्ति कर दी गई थी। परिशोधित उपकरण की स्थापना हेतु नियमानुसार 7 अनुमत दिनों के समक्ष असामान्य विलम्ब करने के तथा उपयुक्त प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त नहीं करने के, कारण अभिलेखित नहीं थे। 24 अप्रेल 1995 के, जब से मीटर उपभोग गलत दिखा रहा था, पूर्ववर्ती तीन माह का औसत उपभोग का परिकलन करने के बजाय मण्डल के प्राधिकारियों द्वारा बिल माह फरवरी 1995 से मई 1995 तक के चार माह के औसत उपभोग के आधार पर विद्युत प्रभारों के निर्धारण का परिकलन किया गया तथा 24 अप्रेल से 15 जून 1995 तक की अवधि की उपेक्षा करते हुए 16 जून 1995 से 23 जुलाई 1995 तक की अवधि का बिल भेजा गया । इसके परिणामस्वरूप 10.97 लाख रुपये की कम वसूली हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा अप्रेल 1998 में बताये जाने पर, उपभोक्ता को अगस्त 1998 में बिल भेजे गये थे लेकिन इनकी वसूली प्रतीक्षित थी (अप्रेल 1999)।

4ब.2.4 जल प्रभारों की कम वसूली

निम्नतर दरों से जल प्रभारों की वसूली के परिणामस्वरूप 15.16 लाख रुपये की वसूली कम हुई।

मण्डल$ के आवासीय सुविधाओं के किराया निर्धारण एवं वसूली अधिनियम, 1998 के नियम-24 के प्रावधानानुसार किरायेदारों (मण्डल के कर्मचारी) द्वारा उपभोगित जल की लागत की वसूली समय-समय पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा निर्धारित दरों से की जानी थी।

मण्डल की संस्थापन शाखा तथा 35 ईकाईयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया (दिसम्बर 1998 तथा फरवरी 1999 के बीच) कि जल प्रभारों की वसूली की मण्डल में कोई समान नीति नहीं थी तथा जल प्रभारों की वसूली जन- स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा निर्धारित 14 रुपये से 30 रुपये के बीच विचरित दरों से कम दरों पर की गई थी। परिणामस्वरूप 31 इकाइयों में अप्रेल 1990

* राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल

$ राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल

से जून 1999 की अवधि में 15.16 लाख रुपये की कम वसूली हुई थी। कम दरों से वसूली करने के कारण न तो अभिलेखित थे और न ही लेखापरीक्षा को बताये गए थे।

सरकार ने बताया (जून 1999) कि लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाने पर जल प्रभारों की वसूली किश्तों में करने के निर्देश जारी कर दिये गए थे (अप्रेल 1999) किन्तु वसूली नहीं की गई थी (जून 1999)।

4ब.3 राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम

4ब.3.1 बैंकों से उधार

राज्य सरकार द्वारा अपने निर्देशों के अनुसार आरएसआरटीसी[$] द्वारा जुटाये गए कोषों के अंतरीय ब्याज के भुगतान में विलम्ब करने के परिणामस्वरूप 6.23 लाख रुपये ब्याज की हानि हो गई थी।

राज्य सरकार ने आरएसआरटीसी को 100 करोड़ रुपये तक के कोष जुटाने के निर्देश इस शर्त के साथ दिये थे (दिसम्बर 1997) कि निजि निक्षेप खाते (पीडी अकाउन्ट) पर स्वीकार्य ब्याज व उधार देने वाली संस्थाओं के भुगतान योग्य ब्याज की वास्तविक दर का जो अन्तर होगा उसकों सरकार द्वारा त्रैमासिक अनुदानित कर दिया जायेगा। तद्नुसार, आरएसआरटीसी ने अप्रेल 1997 तथा जनवरी 1998 के मध्य वित्तीय संस्थाओं से कुल 87 करोड़ रुपये के ऋण प्राप्त कर लिये तथा उनको राज्य सरकार के ब्याजधारित पीडी खाते में जमा करा दिया था।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया (अक्टूबर 1998) कि आरएसआरटीसी द्वारा जून 1997 से मार्च 1998 को समाप्त तिमाहियों के लिए अंतरीय ब्याज के 405.66 लाख रुपये का भुगतान किया गया था। इसमें से, राज्य सरकार ने 31 मार्च 1998 को केवल 385.49 लाख रुपये स्वीकृत किये थे व इस राशि को ब्याज रहित पीडी खाते में जमा रख लिया था। इसे 16 मई 1998 को ब्याज धारित पीडी खाते में हस्तांतरित किया गया था । सरकार द्वारा ब्याज देने में विलम्ब के परिणामस्वरूप 6.23 लाख रुपये ब्याज की हानि हुई थी। शेष राशि (20.17 लाख रुपये) का पुनर्भरण जनवरी 1999 में किया गया था।

$ राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम

आरएसआरटीसी ने बताया (मई 1999) कि राज्य सरकार ने अन्तरीय ब्याज के भुगतान में विलम्ब किया था। सरकार ने आरएसआरटीसी के दृष्टिकोण को ही पृष्ठांकित कर दिया था (जून 1999)। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि कोष सरकार के निर्देश पर जुटाये गए थे एवं पीडी खाते में जमा करवाये गये थे तथा इस प्रकार, सरकार को अंतरीय ब्याज का नियत तिथि पर पुनर्भरण कर देना चाहिए था।

4ब.3.2 रियायती/निःशुल्क यात्रा सुविधा

राज्य सरकार द्वारा आरएसआरटीसी के निःशुल्क/रियायती यात्रा सुविधाओं की सीमा पर नियन्त्रण लगाने के प्रस्ताव को औपचारिक स्वीकृति नहीं दिये जाने से, आरएसआरटीसी को विगत छः वर्षो में 12 करोड़ रुपये की बचत से वंचित रहना पड़ा।

आरएसआरटीसी कुछ वर्गो के यात्रियों को रियायती/निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान करता है। यह रियायती/निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करने से पड़ने वाले वित्तीय भार के पुनर्भरण के मामले पर राज्य सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई योजना एवं विकास समन्वय समिति की बैठक (जुलाई 1992) में विचार विमर्श किया गया था। सरकार ने आरएसआरटीसी पर पड़ने वाले वित्तीय भार के पुनर्भरण में अपनी असमर्थता जताई थी। तथापि, आरएसआरटीसी को ऐसी रियायतों के परिसीमन/कमी के प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया था। जून 1993 में सरकार, तथापि, 1987-88 से 1991-92 के वर्षो के 35 करोड़ रुपये के समक्ष 27.23 करोड़ रुपये की एकमुश्त राशि के भुगतान हेतु सहमत हो गई एवं जिसका मार्च 1995 में भुगतान/समायोजन कर दिया गया था।

आरएसआरटीसी ने अक्टूबर 1992 में इस भार के वार्षिक प्रभाव को 691 लाख रुपये से घटाकर 491 लाख रुपये कर देने से 200 लाख रुपये की बचत की प्रत्याशा में विभिन्न वर्गो के यात्रियों को दी जा रही रियायती/निःशुल्क यात्रा सुविधा की सीमा घटाने का अनुमोदन कर दिया। तद्नुसार, राज्य सरकार से इसका औपचारिक अनुमोदन करने हेतु निवेदन किया गया (नवम्बर 1992)। बार-बार अनुसरण के बावजूद भी सरकार का अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ था (जून 1999)। लेखापरीक्षा में देखा गया (अक्टूबर 1998) कि आरएसआरटीसी ने राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने पर भी वैसी ही सुविधाएँ प्रदान करना जारी रखा तथा 2 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की दर से वर्ष 1993-94 से 1998-99 की अवधि के लिए 12 करोड़ रुपये की बचत से वंचित रहना पड़ा।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए (जून 1999) औपचारिक अनुमोदन प्रदान नहीं करने के कारणों का उल्लेख नहीं किया था।

4ब.3.3 क्रय पर अतिरिक्त व्यय

प्रामाणिक न्यूनतम तथा तकनीकि रूप से स्वीकार्य साधनों से पिस्टन असेम्बली तथा गीयर-पुर्जो के क्रय के अनुपात को सीमित कर देने के फलस्वरूप 9.81 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

(अ) पिस्टन असेम्बली (टाटा 697) का क्रय

आरएसआरटीसी के क्रय मण्डल ने एस्कोर्ट महले लिमिटेड, नई दिल्ली (चतुर्थ न्यूनतम) को एकमात्र मौलिक उपकरण (ओई) आपूर्तिकर्ता मानते हुए 8442.43 रुपये प्रति असेम्बली की दर से पिस्टन असेम्बली (टाटा 697) की सम्पूर्ण आवश्यकता (142 सेट) की आपूर्ति हेतु आदेश देने का निर्णय लिया था (2 जून 1997)।

मैनन पिस्टन, कोल्हापुर (प्रथम न्यूनतम) ने अपना पक्ष रखते हुए कहा (जून 1997) कि वे टेल्को को टाटा 697 पिस्टनों की ओई आवश्यकता के अनुसार नियमित रूपसे आपूर्ति करते रहे हैं तथा उनका ओई स्तर मई 1997 में एएसआरटीयू द्वारा प्रमाणित कर दिया गया था। तथापि, क्रय मण्डल ने मैनन पिस्टन, कोल्हापुर को उनके अपरिक्षित होने के आधार पर केवल 30 प्रतिशत आपूर्ति हेतु 5932.34 रुपये प्रति असेम्बली की दर से तथा 70 प्रतिशत के लिए 2510.09 रुपये प्रति असेम्बली तक की अधिक दर पर एस्कोर्ट महले लिमिटेड को आदेश प्रदान करने का निर्णय लिया था (जुलाई 1997)। आरएसआरटीसी ने अगस्त 1997 तथा जुलाई 1998 के बीच इसी अनुपात से पिस्टन असेम्बलियों का क्रय जारी रखा तथा एस्कोर्ट महले लिमिटेड से 385 पिस्टल असेम्बली व मैनन पिस्टन से 158 पिस्टल असेम्बली क्रय की थी।

उपरोक्त अवधि में मैनन पिस्टन से पिस्टन असेम्बलियों के क्रय आदेशों को 30 प्रतिशत तक सीमित रखने के पीछे कोई औचित्य नहीं था क्योंकि मैनन पिस्टन को मई 1997 से ओई मान्यता प्राप्त थी व उनकी दरें एस्कोर्ट महले लिमिटेड की दरों की तुलना में काफी कम थी। यदि इस 30 प्रतिशत के अनुपात को बढ़ाकर 70 प्रतिशत कर दिया गया होता तो आरएसआरटीसी को पिस्टन असेम्बलियों के क्रय पर 5.57 लाख रुपये की बचत हो जाती ।

सरकार ने बताया (जुलाई 1999) कि केवल 30 प्रतिशत आवश्यकता के लिए ही मैनन पिस्टल को आदेश दिया गया था, क्योंकि फर्म को केवल टाटा 697 पिस्टनों के लिए ही ओई की मान्यता प्राप्त थी न कि सम्पूर्ण पिस्टन असेम्बली के लिये । उत्तर इस तथ्य की दृष्टि से तर्कसंगत नहीं है कि बाद में (दिसम्बर 1998) क्रय मण्डल ने सम्पूर्ण पिस्टल असेम्बली के लिए 100 प्रतिशत आदेश मैनन पिस्टन को ही दिये थे।

(ब) गियर पुर्जों का क्रय

क्रय मण्डल ने गियर-पुर्जो के क्रय को चैसिस निर्माताओं (अशोक लीलेण्ड तथा टेल्को) तथा सुपरीक्षित फर्मो, यथा, गुजरात आटोमैटिव गीयर्स तथा गजरा बावेल गीयर्स तक ही सीमित रखने का निर्णय लिया था (17 फरवरी 1997)। उच्च दरों के वाबजूद भी चैसिस निर्माताओं से क्रय करने का निर्णय इस आधार पर लिया गया था कि गीयर-पुर्जे चैसिस निर्माताओं के अपनी दुकान निर्मित वस्तु थे तथा प्रेषण परिशुद्धता लिये हुये थे। लीलेण्ड गीयर-पुर्जो के लिए 60 प्रतिशत मात्रा का अशोक लीलेण्ड को (शेष 40 प्रतिशत गुजरात ऑटोमैटिव गीयर्स को) आदेश देने का निर्णय किया, जबकि टाटा गीयर-पुर्जो के लिये 40 प्रतिशत मात्रा का टेल्को को (शेष 42 प्रतिशत गुजरात ऑटोमैटिव को व 18 प्रतिशत गजरा बावेल गीयर्स को) आदेश देने का निर्णय किया गया।

अशोक लीलेण्ड को उच्च दरों पर 60 प्रतिशत आदेश देने का निर्णय, टेल्को को दिये गए 40 प्रतिशत आदेशों के समक्ष, निम्नांकित कारणों से अविवेकी था:

(i) जैसा कि 17 फरवरी 1997 को हुई क्रय मण्डल की बैठक में प्रतिवेदित किया गया था, गुजरात ऑटोमोटिव गीयर्स एएसटीआरयू के साथ संविदागत दरों पर था तथा उनकी आपूर्ति की स्थिति संतोषजनक होने के साथ फील्ड रिपोर्ट भी प्रतिकूल नहीं थी।

(ii) अशोक लीलेण्ड की गुणवत्ता को उनकी उच्च दरों के अनुरूप बेहतर प्रमाणित करने हेतु कोई वास्तविक अभिलेख संधारित नहीं किये गये थे।

आरएसआरटीसी ने बताया (जनवरी 1999) कि बाड़े में लीलेण्ड की गाड़ियों के उच्च अनुपात तथा उनके शहरी यातायात सेवा में संचालन की दृष्टि से लीलेण्ड गीयर-पुर्जो की टूट-फूट अधिक थी। तथापि, उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि लीलेण्ड गीयर-पुर्जो की अधिक आवश्यकता क्रय की जाने वाली मात्रा से सम्बन्धित है लेकिन स्वीकार्य स्त्रोतों से आदेशित मात्रा का अनुपात तुलनात्मक दरों एवं आपूर्ति स्थिति के आधार पर विवेकपूर्ण तरीके से निर्धारित किया जाना चाहिए था। सरकार ने आगे बताया (जुलाई 1999) कि चूंकि लीलेण्ड गीयर पुर्जो के केवल दो ही स्वीकार्य स्रोत थे इसलिए 60 प्रतिशत मात्रा अशोक लीलेण्ड से लेने के पक्ष में निर्णय लिया गया था। तथापि, दरों में अन्तर की दृष्टि से अशोक लीलेण्ड को 60 प्रतिशत आदेश दिये जाने में विवेक का अभाव था। यदि अशोक लीलेण्ड से लीलेण्ड गीयर-पुर्जो के क्रय को 40 प्रतिशत तक सीमित रखा गया होता, जैसा कि टाटा गियर-पुर्जो के मामले में किया गया था, तो आरएसआरटीसी 1997-98 के दौरान लीलेण्ड के गीयर-पुर्जो के क्रय पर किये गये 4.24 लाख रुपये के अतिरिक्त व्यय को टाला जा सकता था।

4ब.3.4 बस बॉडीज का निर्माण

उच्च-तकनीकी बस बॉडीज के निर्माण के मान्य निम्नतर प्रस्ताव की अवहेलना कर सुपर एक्सप्रेस बस बॉडी के निर्माण के दौरान विशिष्टताओं में परिवर्तन करने के कारण आरएसआरटीसी को 27.23 लाख रुपये की हानि उठानी पड़ी।

(अ) सुपर एक्सप्रेस बस बॉडीज का निर्माण

आरएसआरटीसी ने जनवरी तथा मार्च 1996 के बीच 57 लीलेण्ड तथा 28 टाटा चैसिसों पर सुपर एक्सप्रेस बस बॉडीज के निर्माण का कार्य, दो फर्मो से निर्मित करवायी गई सुपर एक्सप्रेस बसों के आदि प्रारूप के आधार पर अंतिम रूप दी गई विशिष्टियों व आरेखों के अनुरूप, आठ फर्मो को आवन्टित किया था। आठों फर्मो से निष्पादित समझौते के अनुसार प्रत्येक चैसिस पर बस बॉडी का निर्माण, चैसिस आवन्टन से 60 दिनों के भीतर किया जाना था।

बस बॉडीज के निर्माण के दौरान 9 फरवरी तथा 12 जून 1996 के बीच आरेखणों एवं विशिष्टियों में निम्नांकित परिवर्तन किये गये थे:

लीलेण्ड चैसिस पर बस बॉडीज	टाटा चैसिस पर बस बॉडीज
9 फरवरी 1996 (निर्माण के द्वितीय चरण की 8 मदों के लिए)	30 अप्रेल 1996 (संरचनात्मक विवरणों में सम्पूर्ण परिवर्तन सम्मिलित)
18मार्च 1996 (निर्माण के द्वितीय चरण की 10 मदों के लिए)	12 जून 1996 (केब फर्श तथा आगे व पिछले सिरे की संरचना में परिवर्तन सम्मिलित)
30 अप्रेल 1996 (निर्माण के द्वितीय चरण की चार व तृतीय चरण की एक मद के लिए)	

तदनुसार, सुपुर्दगी की अनुबन्धित अवधि में सात दिनों की माफी अवधि की अनुमति प्रदान की तथा परिणामस्वरूप आरएसआरटीसी को 16.14 लाख रुपये की परिचालन आय की हानि उठानी पड़ी।

सरकार ने बताया (जुलाई 1999) कि सुपर एक्सप्रेस बस बॉडीज का निर्माण एक नवीन विचार था व किये गए परिवर्तन आवश्यकता आधारित थे जिनका पुर्वानुमान नहीं किया जा सकता था। तथापि, यह उत्तर संतोषप्रद नहीं है क्योंकि दो आदि प्रारूप सुपर एक्सप्रेस बस बॉडीज, एक मुडवां सैक्शन संरचना युक्त तथा दूसरी नलिकाकार संरचना युक्त, के निर्माण के बाद विस्तृत आरेखणों व विशिष्टियों को अंतिम रूप

दिया गया था। इसके अतिरिक्त आरएसआरटीसी वर्षो से विभिन्न प्रकार की बसों का निर्माण करवाती रही है तथा इस मामले में तकनीकी निपुणता अर्जित कर ली है, इस प्रकार, मूल आरेखण एवं विशिष्टियों के आयोजन के समय ही मध्य चरण में किये गये परिवर्तनों का सहज ही पूर्वानुमान लगाया जा सकता था।

(ब) उच्च तकनीक वाले कोचेज का निर्माण

कोचेज का निर्माण 11.09 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत से करवाया गया था।

आरएसआरटीसी की बॉडी निर्माण समिति ने टाटा चैसिस पर 8 नॉन एसी उच्च तकनीकी कोचेज, ऑटो कारपोरेशन ऑफ गोवा लिमिटेड (एसीजीएल), गोवा से बिक्री कर सहित 651735 रुपये प्रति कोच न्यूनतम/नेगोसिएटेड दर पर निर्माण करवाने का निर्णय लिया (12 फरवरी 1997)। तथापि, चैसिस की उपलब्धता के लम्बित रहते कार्य आदेश नहीं दिया गया था।

यह पता चलने पर कि एसीजीएल के कारखाने में हड़ताल चल रही थी, आरएसआरटीसी ने 19 फरवरी 1997 को वास्तविक स्थिति की जानकारी की तथा इसके जवाब में एसीजीएल ने बताया (25 फरवरी 1997) कि श्रमिक असंतोष की समस्या थी परन्तु उन्होंने आरएसआरटीसी को समस्या के शीघ्र ही समाधान का आश्वासन भी दिया था। इस तथ्य के बावजूद भी कि, आदेशित 8 टाटा चैसिस, लागू बिक्री कर की दर संबंधी विवाद के कारण शीघ्र ही प्राप्त होने की संभावना नहीं थी, बॉडी निर्माण समिति ने कार्य आदेश, एसीजीएल की 651735 रुपये प्रति कोच की दर के समक्ष 790400 रुपये प्रति कोच की उच्च दर पर रूबी कोच बिल्डर्स लिमिटेड (आरसीबी), मुम्बई के पक्ष में देने का निर्णय ले लिया (13 मार्च 1997); कार्य-आदेश 20 मार्च 1997 को आरसीबी के पक्ष में जारी कर दिया गया। एसीजीएल से उनके कारखाने में कार्य पुनः प्रारम्भ होने की सूचना मिलने पर (मई 1997) आरएसआरटीसी ने आरसीबी से पूछा (16 मई 1997) कि क्या वे निर्धारित समय सीमा के भीतर बस बॉडीज बनाकर सुपुर्दगी दे सकेंगे, जिसका आरसीबी ने अनुमोदन कर दिया था। चैसिस 5 जून 1997 को प्राप्त हो गये थे तथा 7 जून 1997 को आरसीबी को सुपुर्दगी दे दी गई थी।

नॉन एसी उच्च तकनीकी कोचेज के निर्माण का कार्य आदेश 138665 रुपये प्रति कोच अधिक की दर पर आरसीबी, मुम्बई के पक्ष में बदल देने के निर्णय (13 मार्च 1997) को न्यायोचित मानना मुश्किल था क्योंकि इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि 5 जून 1997 तक चैसिस ही उपलब्ध नहीं थे, जब तक एसीजीएल ने भी अपने कारखाने का परिचालन प्रारम्भ कर दिया गया था, आरएसआरटीसी के आरसीबी, मुम्बई को कार्य-आदेश देने के त्वरित निर्णय के परिणामस्वरूप 11.09 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा जिसे कि टाला जा सकता था।

सरकार ने बताया (जुलाई 1999) कि अधिक अच्छे डिजाईन व उच्च आराम स्तर के कारण आरसीबी,मुम्बई को अधिक दर का भुगतान किया गया था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि आरएसआरटीसी स्वयं ने ही एसीजीएल, गोवा को उनकी न्यूनतम दर तथा उनके नाम की टेल्को से सिफारिश किए जाने को दृष्टिगत रखते हुए आदेश देने का निर्णय लिया था (12 फरवरी 1997)।

4ब.4 राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम

4ब.4.1 परिहार्य व्यय

एसआईएस के अन्तर्गत बाढ़ की जोखिम को सम्मिलित करने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप आरएसडब्ल्यूसी को 62.45 लाख रुपये के बीमा प्रीमियम के रुप में परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

आरएसडब्ल्यूसी* के भण्डार गृहों में स्टॉक के भण्डारण की सामान्य निबंधन एवं शर्तो में, अन्य के अलावा, यह भी प्रावधान था कि स्वतः क्षतिपूरण योजना (एसआईएस) के अन्तर्गत भण्डार-गृहों की सामग्री अग्नि, चोरी, डकैती तथा राहजनी की जोखिम के विरूद्ध बीमित/क्षतिपूरित थी, जिसके लिये प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये ब्याज धारित निजि निक्षेप खाते (पीडी एकाउन्ट) में जमा करवाये जाते थे। एसआईएस के अन्तर्गत बाढ़ की जोखिम शामिल नहीं थी। तथापि, आरएसडब्ल्यूसी अपने स्व-निर्णय से भण्डार-गृहों में भण्डारित सामग्री का, यदि इसकी राय मै ऐसा कोई खतरा सन्निकट लगता हो तो दंगों, हड़तालों, सामुहिक बलवों तथा बाढ़ की जोखिम के विरूद्ध भी, बीमा करवा सकता था। सामग्री जमाकर्ताओं से इस सम्बन्ध में वहन किये गये अतिरिक्त प्रभार भी यथामूल्य आधार पर वसूली करने के लिए यह अधिकृत था।

ग्राहकों द्वारा बाढ़ की जोखिम को भी एसआईएस के अन्तर्गत सम्मिलित करने के सतत् अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए अधिशाषी समिति ने राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त कर तथा भण्डारण की सामान्य निबंधन एवं शर्तो (शर्त संख्या 12, 13, व 14)में संशोधन किये जाने के पश्चात् बाढ़ की जोखिम को भी एसआईएस के अन्तर्गत सम्मिलित करने का प्रस्ताव किया था (29 मई 1997)। साथ ही साथ राज्य बीमा विभाग से चार महीनों की अवधि (10 जून 1997 से 9 अक्टूबर 1997) के लिए भण्डार-गृहों में भण्डारित स्टॉक की अग्नि एवं बाढ़ से क्षति के विरूद्ध एक अल्पकालिक पालिसी लेने का भी निर्णय लिया गया था, जिसके लिए जून 1997 में

* राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम

प्रीमियम के 62.45 लाख रुपये का भुगतान भी कर दिया गया था। इस प्रीमियम के भार को उतारने के लिए 1 जून 1997 से भण्डारण-प्रभारों में 10 प्रतिशत की वृद्धि करने का भी निर्णय लिया गया था। लेखापरीक्षा में देखा गया (दिसम्बर 1998) कि एसआईएस के अन्तर्गत बाढ़ की जोखिम को सम्मिलित करने के लिए भण्डारण की सामान्य निबंधन एवं शर्तों में किए गए संशोधन का अनुमोदन करवाने का मामला विलम्ब से (अक्टूबर 1997) राज्य सरकार को भेजा गया । सरकार ने इन प्रस्तावों का अनुमोदन (16 दिसम्बर 1997) इस शर्त के साथ किया था कि इस योजना के अन्तर्गत वांछित राशि उनके ब्याज धारित पीडी खाते में जमा करवा दी जावे व तद्नुसार अप्रैल 1998 में 50 लाख रुपये की राशि जमा करवा दी थी और एसआईएस में बाढ़ की जोखिम भी सम्मिलित हो गई थी।

इस प्रकार, ग्राहकों के सतत अनुरोध को ध्यान में रखते हुए आरएसडब्ल्यूसी तुरन्त मई 1997 के महीने में ही बाढ़ के विरूद्ध जोखिम के मामले को एसआईएस के अन्तर्गत सम्मिलित करने हेतु सरकार को प्रस्तुत कर सकता था तथा राज्य बीमा विभाग को भुगतान किये गए 62.45 लाख रुपये के प्रीमियम को टाला जा सकता था।

सरकार ने बताया (अप्रैल 1999) कि बाढ़ के जोखिम को सम्मिलित करने के लिए अतिरिक्त बीमा प्रभारों को वसूलने की अपेक्षा से भण्डारण प्रभारों में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि एसआईएस के अन्तर्गत स्टॉक को बाढ़ के विरूद्ध बीमा करवाने के बाद भी आरएसडब्ल्यूसी जमाकर्ताओं से अतिरिक्त प्रभार वसूलने का अधिकारी था।

4.ब.4.2 भण्डारण प्रभारों की हानि

आरएसडब्ल्यूसी ने अप्रैल 1996 में वर्गीकरण हेतु स्टॉक का संयुक्त निरीक्षण करने का आग्रह नहीं किया तथा एफसीआई द्वारा किया गया निम्न श्रेणीकरण स्वीकार कर लिया परिणामस्वरूप 12.36 लाख रुपये के भण्डार प्रभारों की हानि हुई ।

एफसीआई* ने आरएसडब्ल्यूसी@ की सूरतगढ़ इकाई में 11 जून 1994 तथा 1 जुलाई 1994 के बीच 13289 मीट्रिक टन बहुत बढ़िया चावल जमा करवाया था। आरएसडब्ल्यूसी ने संयुक्त निरीक्षण के बाद चावलों को भण्डारण के उद्देश्यों के लिए 'बी' श्रेणी का माना क्योंकि वे कटी-फटी व खुली हुई बोरियों में भरे हुए थे और बोरियों की बनावट कमजोर थी तथा इस प्रकार दीर्घावधि भण्डारण के योग्य नहीं थे।

* भारतीय खाद्य निगम

@ राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम

तथापि, आरएसडब्ल्यूसी ने चावलों की भण्डार योग्यता अवधि निर्धारित किये बिना ही प्रारम्भ के तीन माह के लिए इनका भण्डारण कर लिया। चावलों का एफसीआई द्वारा निरीक्षण करने (फरवरी 1996/अप्रेल 1996) पर पाया गया कि 13289 मीट्रिक टन चावलों में से 2623 मीट्रिक टन 'सी' श्रेणी के थे (स्टॉक बहिष्करण की सीमा को भी पार कर गया था)। एफसीआई द्वारा अप्रेल 1996 में किये गये निरीक्षण के परिणामों को संयुक्त निरीक्षण का आग्रह किये बिना ही स्वीकार कर लिया गया। सितम्बर 1996 से मार्च 1997 के दौरान एफसीआई ने सम्पूर्ण मात्रा उठा ली थी।

लेखापरीक्षा में देखा गया (फरवरी 1998) कि निम्न श्रेणीकृत चावलों की सुपुर्दगी लेने के बाद एफसीआई ने मार्च 1997 से अगस्त 1997 के दौरान भण्डारण-प्रभारों के व अन्य बिलों में से निम्न श्रेणीकरण के मद में 12.36 लाख रुपये काट लिये थे।

सरकार ने बताया (दिसम्बर 1998/जून 1999) कि एफसीआई की चावलों के निम्न श्रेणीकरण व 12.36 लाख रुपये की कटौती की कार्यवाही एकपक्षीय थी तथा इस मामले का एफसीआई के साथ अनुसरण किया जा रहा था।

जयपुर
दिनांक: 24 मार्च 2000

(सुनील चन्द्र)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II, राजस्थान

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक :

(वी.के.शुंगलु)
भारत के नियत्रंक-महालेखापरीक्षक

अनुबन्ध

अनुबन्ध-1

ऐसी कम्पनियों का विवरण पत्र जिनमें राज्य सरकार ने ऐसी प्रत्येक कम्पनियों की अंश पूँजी में 10 लाख रुपये से अधिक का निवेश किया है परन्तु जिनकी लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अधीन नहीं है।

(प्रस्तावना तथा अनुच्छेद संख्या 1.10 में संदर्भित)

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	1998-99 तक इक्विटी पूँजी में निवेश की राशि
		(रुपये लाखों में)
1	जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई माधोपुर	75.00
2	जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड, जयपुर	17.46
3	मान इण्डस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर	15.00
4	मेटल कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता	25.00
5	आदित्य मिल्स लिमिटेड, किशनगढ़	16.00
6	मेवाड़ टैक्सटाइल्स मिल्स लिमिटेड, भीलवाड़ा	30.00
	योग	**178.46**

अनुबन्ध-2

31 मार्च 1999 को सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों की पूँजी, बजट से प्राप्त ऋण/इक्विटी, अन्य ऋणों तथा बकाया ऋणों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(अनुच्छेद संख्या 1.2.1 तथा 1.3 में संदर्भित)

(कॉलम 3(अ) से 4(र) तक राशि: रुपये लाखों में)

क्रम संख्या	क्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	चालू वर्ष के अंत में प्रदत्त पूँजी					वर्ष के दौरान बजट से प्राप्त इक्विटी/ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त अन्य ऋण@	1998-99 की समाप्ति पर बकाया ऋण**			1998-99 में ऋण-इक्विटी अनुपात (गत वर्ष) 4(र)/3(य)
		राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	धारित कम्पनियाँ	अन्य	योग	इक्विटी	ऋण		सरकार	अन्य	योग	
(1)	(2)	3 (अ)	3 (ब)	3 (स)	3 (द)	3 (य)	4 (अ)	4 (ब)	4 (स)	4 (द)	4 (य)	4 (र)	5
	अ. सरकारी कम्पनियाँ												
1.	कृषि एवं समवर्गी												
	(i) राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	600.73	-	-	-	600.73	-	-	-	33.40	-	33.40	0.06:1 (0.06:1)
	(ii) राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड	15.69	271.90	-	-	287.59	-	-	-	-	-	-	-
	(iii) राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड	127.00	-	-	-	127.00	-	-	-	-	-	-	-
	(iv) राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड	605.50 (123.00)	103.93	-	20-35	729.78 (123.00)	123.00	शून्य	शून्य	1000.00	-	1000.00	1.37:1 (1.58:1)
	उप-योग (1)	**1348.92 (123.00)***	**375.83**	-	**20.35**	**1745.10 (123.00)***	**123.00**	-	-	**1033.40**	-	**1033.40**	-
2.	उद्योग												
	(i) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड	15860.25 (300.00)	-	-	-	15860.25 (300.00)	300.00	2425.00	8226.23	12388.24	80152.49	92540.73	5.83:1 (5.45:1)
	(ii) राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	514.39	27.00	-	5.01	546.40		-	-	448.00	12.50	460.50	0.84:1 (0.87:1)
	उप-योग (2)	**16374.64 (300.00)***	**27.00**	-	**5.01**	**16406.65 (300.00)***	**300.00**	**2425.00**	**8226.23**	**12836.24**	**80164.99**	**93001.23**	
3.	अभियांत्रिकी												
	हाई-टेक प्रिसिजन ग्लास लिमिटेड	7.60	-	-	0.05	7.65	-	शून्य	शून्य	11.08	-	11.08	1.45:1 (1.45:1)

(1)	(2)	3 (अ)	3 (ब)	3 (स)	3 (द)	3 (य)	4 (अ)	4 (ब)	4 (स)	4 (द)	4 (य)	4 (र)	5
4.	**इलेक्ट्रोनिक्स**												
#	राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (क्र.सं. 2(i) की सहायक कम्पनी)	-	-	30.00	-	30.00	-	-	-	-	187.88	187.88	6.26:1 (6.26:1)
5.	**हाथकरघा एवं हस्तशिल्प**												
	राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड	560.00	-	-	55.00	615.00	-	-	-	949.54	153.31	1102.85	1.79:1 (1.66:1)
6.	**वन**												
	राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	19.00	-	-	-	19.00	-	-	-	-	-	-	-
7.	**खान**												
	(i) राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड	6171.60	-	-	1.00	6172.60	-	-	-	710.00	4984.28	5694.28	0.92:1 (0.65:1)
	(ii) राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	1633.00	-	-	-	1633.00	-	150.00	-	1033.10	-	1033.10	0.63:1 (0.58:1)
#	(iii) राजस्थान राज्य ग्रेनाईट्स एवं मार्बल्स लिमिटेड (क्र.सं. 7(ii) की सहायक कम्पनी)	-	-	19.00	-	19.00	-	-	-	-	21.01	21.01	1.11:1 (1.10:1)
#	(iv) राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम लिमिटेड क्र.सं. 7(ii) की सहायक कम्पनी)	-	-	133.79	-	133.79	-	-	-	-	21.16	21.16	0.16:1 (0.16:1)
	उप-योग (7)	**7804.60**	**-**	**152.79**	**1.00**	**7958.39**	**-**	**150.00**	**-**	**1743.10**	**5026.45**	**6769.55**	**-**
8.	**निर्माण**												
	राजस्थान राज्य पुल एवं निर्माण निगम लिमिटेड	1000.00	-	-	-	1000.00	-	-	122.03	-	11476.81	11476.81	11.48:1 (11.35:1)
9.	**चीनी**												
	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	360.33	-	-	4.40	364.73	-	-	-	410.00	-	410.00	1.12:1 (1.29:1)
10.	**पर्यटन**												
	(i) राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटैड	106.75	-	-	-	106.75	-	-	-	46.00	-	46.00	0.43:1 (0.43:1)
	(ii) राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	1384.96 (1.12)	-	-	-	1384.96 (1.12)	-	-	-	45.00	1145.50	1190.50	0.86:1 (0.93:1)
	उप-योग (10)	**1491.71 (1.12)***	-	-	-	**1491.71 (1.12)***	-	-	-	**91.00**	**1145.50**	**1236.50**	-

(1)	(2)	3 (अ)	3 (ब)	3 (स)	3 (द)	3 (य)	4 (अ)	4 (ब)	4 (स)	4 (द)	4 (य)	4 (र)	5
11.	ऊर्जा												
	(i) राजस्थान राज्य पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड	160.00 (30.00)	-	-	-	160.00 (30.00)	30.00	-	-	-	-	-	-
	(ii) राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड	5.00	-	-	-	5.00	-	-	-	-	-	-	-
	उप-योग (11)	**135.00 (30.00)***	-	-	-	**165.00 (30.00)***	**30.00**	-	-	-	-	-	-
	योग -अ (सरकारी कम्पनियाँ)	**29131.80 (454.12)***	**402.83**	**182.79**	**85.81**	**29803.23 (454.12)***	**453.00**	**2575.00**	**8348.26**	**17074.36**	**98154.94**	**115229.30**	**3.87:1 (3.60:1)**
ब.	सांविधिक निगम												
1.	ऊर्जा राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल	177459.00	-	-	-	177459.00	-	25501.00	102577.00	140793.00	408970.00	549763.00	3.10:1 (2.55:1)
2.	यातायात राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम	8112.50	2682.75	-	-	10795.25	-	-	21257.45	-	4067.00	4067.00	0.38:1 (0.35:1)
3.	वित्त राजस्थान वित्त निगम	4470.60	-	-	2281.90	6752.50	-	1500.00	250.00	11664.60	50258.86	61923.46	9.17:1 (9.37:1)
4.	कृषि एवं समवर्गी राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम	392.63	-	-	357.63	750.26	-	105.35	-	158.43	25.43	183.86	0.25:1 (0.16:1)
	योग -ब	**190434.73**	**2682.75**	.	**2639.53**	**195757.01**	-	**27106.35**	**124084.45**	**152616.03**	**463321.29**	**615937.32**	**3.15:1 (2.65:1)**
	कुल योग (अ+ब)	**219566.53 (454.12)***	**3085.58**	**182.79**	**2725.34**	**225560.24 (424.12)***	**423.00**	**29681.35**	**132432.71**	**169690.39**	**561476.23**	**731166.62**	**3.24:1 (2.78:1)**

टिप्पणी:-1. उन कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों, जिन्होंने अपने 1998-99 के लेखों को अन्तिम रूप दे दिया था {क्रम संख्या अ 1 (ii), 1 (iv), 2(i), 2(ii), 3, 4, 7(i), (ii), (iv) 8 व 9 तथा ब 3} के अतिरिक्त आँकड़े अनन्तिम तथा कम्पनियों द्वारा उपलब्ध करवाये गये है।

2. कालम संख्या 5 के कोष्ठक में आंकड़े पिछले वर्ष के है।

** 1998-99 की समाप्ति पर बकाया ऋण केवल दीर्घावधि ऋणों के द्योतक है।

@ इसमें बॉण्ड्स, ऋण-पत्र, अन्तर निगम जमाएँ आदि सम्मिलित है।

सहायक कम्पनियाँ।

* यह वर्ष के दौरान इक्विटी पूँजी में वृद्धि को दर्शाती है।

अनुबन्ध-3

सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों के उस नवीनतम वर्ष के संक्षेपित वित्तीय परिणाम जिसके लेखों को अंतिम रूप दिया जा चुका था।

(अनुच्छेद संख्या 1.2.1, 1.2.2, 1.4.1, 1.5, 1.6, तथा 1.7 में सन्दर्भित)

(कॉलम 7 से 12 तक की राशि: रुपये लाखों में)

क्रम संख्या		क्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	निगमन का दिनांक	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अंतिम रूप दिया गया	शुद्ध लाभ (+)/शुद्ध हानि (-)	लेखापरीक्षा की टिप्पणियों का शुद्ध प्रभाव	प्रदत्त-पूंजी	संचित लाभ(+)/ हानि (-)	नियोजित पूंजी(अ)	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल की प्रतिशतता	वर्षो के सम्बन्ध में बकाया लेखे	कम्पनी/ निगम की स्थिति
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
अ. सरकारी कम्पनियाँ															
1.		कृषि एवं समवर्गी													
	(i)	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	कृषि	1 अगस्त 1969	1997-98	1999-2000	(-)230.23	लेखे लेखा-परीक्षाधीन थे	600.73	(-)2220.65	(-)505.68	(-)117.00	-	1 वर्ष	अप्रचलित
	(ii)	राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड	कृषि	31 मार्च 1975	1998-99	1999-2000	(-)0.18	-	287.59	(-)17.74	269.85	(-)0.18	-	-	अप्रचलित
	(iii)	राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड	कृषि	25 जनवरी 1984	1997-98	1998-1999	32.66	-	127.00	24.72	157.28	32.66	20.77	1 वर्ष	कार्यरत
	(iv)	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड	कृषि	28 मार्च 1978	1998-99	1999-2000	259.03	लाभ 6.99 लाख रुपये से अधिक दर्शाया	729.78	554.58	2284.99	359.50	15.73	-	कार्यरत
	उप योग (1)						61.28		1745.10	(-)1659.09	2206.44	274.98			
2.		उद्योग													
	(i)	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड	उद्योग	28 मार्च 1969	1998-99	1999-2000	697.22	शून्य	15860.25	769.95	112474.55	11826.80	10.52	-	कार्यरत
	(ii)	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	उद्योग	3 जून 1961	1998-99	1999-2000	482.01	लाभ 64.44 लाख रुपये से अधिक दर्शाया	546.40	86.08	2063.14	506.06	24.53	-	कार्यरत
	उप योग (2)						1179.23		16406.65	856.03	114537.69	12332.86			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.	**अभियांत्रिकी**													
	हाइटेक प्रिसिजन ग्लास लिमिटेड	अभियांत्रिकी	18 मार्च 1963	1998-99	1999-2000	(-)1.61	-	7.65	(-)18.38	0.62	(-)1.61	-	-	अप्रचलित
4	**इलैक्ट्रोनिक्स**													
	राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (क्र.सं. 2(i) की सहायक कम्पनी)	इलैक्ट्रोनिक्स	23 जनवरी 1985	1998-99	1999-2000	(-)13.69	-	30.00	(-)246.45	(-)24.20	(-)13.69	-	-	अप्रचलित
5.	**हाथकरघा एवं हस्तशिल्प**													
	राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड	हाथकरघा एवं हस्तशिल्प	3 मार्च 1984	1997-98	1998-99	(-)322.76	-	615.00	(-)1280.39	407.32	(-)217.53	-	1 वर्ष	कार्यरत
6.	**वन**													
	राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	वन	24 मई 1985	1995-96	1999-2000	(-)0.11	-	19.00	(-)15.41	3.39	(-)0.11	-	3 वर्ष	अप्रचलित
7.	**खान**													
	(i) राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड	खान	7 मई 1947 (जून 1973 से सरकारी कम्पनी)	1998-99	1999-2000	2686.32	लाभ 128.75 लाख रुपये से अधिक दर्शाया	6172.60	67.42	19687.45	3594.82	18.26	-	कार्यरत
	(ii) राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेडड	खान	27 सितम्बर 1979	1998-99	1999-2000	555.31	लेखे लेखा-परीक्षाधीन थे	1633.00	3.15	2603.23	706.04	27.12	-	कार्यरत
	(iii) राजस्थान राज्य ग्रेनाइट्स एवं मार्बल्स लिमिटेड {क्र.सं. 7(ii) की सहायक कम्पनी}	खान	2 फरवरी 1977	1997-98	1998-1999	(-)0.11	-	19.00	(-)50.72	(-)10.71	(-)0.11	-	1 वर्ष	परिसमापन के अन्तर्गत
	(iv) राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम लिमिटेड {क्र.सं. 7(ii) की सहायक कम्पनी}	खान	22 नवम्बर 1983	1998-99	1999-2000	(-)3.01	-	133.79	(-)151.61	(-)47.81	(-)3.01	-	-	अप्रचलित
	उप-योग (7)					3238.51		7958.39	(-)131.76	22232.16	4297.74			

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.	निर्माण														
	राजस्थान राज्य पुल एवं निर्माण निगम लिमिटेड		निर्माण	8 फरवरी 1979	1998-99	1999-2000	294.24	-	1000.00	132.89	16793.42	334.41	1.99	-	कार्यरत
9.	चीनी														
	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड		चीनी	1 जुलाई 1956	1998-99	1999-2000	7.62	लाभ 96.26 लाख रुपये से अधिक दर्शाया	364.73	0.04	1735.52	177.37	10.22	-	कार्यरत
10.	पर्यटन														
	(i)	राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड	पर्यटन	7 जून 1965	1997-98	1998-1999	(-)4.75	-	106.75	43.37	193.16	(-)3.05	-	1 वर्ष	कार्यरत
	(ii)	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	पर्यटन	24 नवम्बर 1978	1997-98	1998-1999	30.49	-	1383.84	41.75	3223.76	250.22	7.76	1 वर्ष	कार्यरत
	उप-योग (10)						25.74		1490.59	85.12	3416.92	247.17			
11.	ऊर्जा														
	(i)	राजस्थान राज्य पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड	ऊर्जा	6 अप्रैल 1995	1997-98	1998-1999	-	-	130.00	-	127.29	-	-	1 वर्ष	यह कम्पनी निर्माणाधीन थी
	(ii)	राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड	ऊर्जा	24 जनवरी 1997	-	-	-	-	5.00	-	-	-	-	2 वर्ष	नवगठित
	उप-योग (11)								135.00		127.29				
	योग-अ (सरकारी कम्पनियाँ)						4468.45	-	29772.11	(-)2277.40	161436.57	17431.59	10.80		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ब.	सांविधिक निगम													
	ऊर्जा													
1	राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल	ऊर्जा	1 जुलाई 1957	1997-98	1998-1999	6535.00	लाभ 17774.04 लाख रुपये से अधिक दर्शाया	177459.00	(-)17289.00	702022.00	56555.00	8.06	1 वर्ष	कार्यरत
2.	यातायात													
	राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम	यातायात	1 अक्टूबर 1964	1997-98	1998-1999	(-)2398.62	हानि 51.78 लाख रुपये से कम दर्शायी	10795.25	538.61	23152.05	(-)1530.41	-	1 वर्ष	कार्यरत
3.	वित्त													
	राजस्थान वित्त निगम	उद्योग	17 जनवरी 1955	1998-99	1999-2000	(-)543.37	-	6752.50	(-)8033.11	69242.48	7221.68	10.43	-	कार्यरत
4.	कृषि एवं समवर्गी													
	राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम	कृषि	30 दिसम्बर 1957	1997-98	1998-1999	183.17	-	725.26	0.72	2525.54	196.92	7.80	1 वर्ष	कार्यरत
	योग (ब) (सांविधिक निगम)					**3776.18**		**195732.01**	**(-)24782.78**	**796942.07**	**62443.19**	**7.84**		
	कुल-योग (अ+ब)					**8244.63**		**225504.12**	**(-)27060.18**	**958378.64**	**79874.78**	**8.33**		

(अ) नियोजित पूँजी निवल स्थायी परिसम्पत्तियों (निर्माणाधीन पूँजीगत कार्यों को सम्मिलित कर) तथा कार्यशील पूँजी के योग की द्योतक है, वित्तीय कम्पनियों एवं निगमों को छोड़कर जहाँ नियोजित पूँजी प्रदत्त पूँजी, मुक्त संचय, बॉण्ड्स, जमाएँ तथा उधारियों (पुनर्वित्त सहित) के प्रारम्भिक एवं अंतिम शेष के योग के मध्यमान से निकाली गई है।

अनुबन्ध-4

वर्ष के दौरान प्राप्त अर्थ-साहाय्य, प्राप्त गारण्टी, देयताओं का अधित्याग, ऋण वसूली के स्थगन की अनुमति, इक्विटी में परिवर्तित ऋणों तथा मार्च 1999 के अन्त में प्राप्य अर्थ-साहाय्य तथा बकाया गारण्टियों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(अनुच्छेद संख्या 1.3 तथा 1.5.1.2 में सन्दर्भित)

(कॉलम 3 अ से 7 तक की राशि: रुपये लाखों में)

क्र. सं.	सार्वजनिक उपक्रम का नाम	वर्ष के दौरान प्राप्त अर्थ-साहाय्य*				वर्ष के दौरान प्राप्त तथा वर्ष के अन्त में बकाया गारण्टी**					वर्ष के दौरान देयताओं का अधित्याग				ऋण जिनकी वसूली के स्थगन की अनुमति दी गई	वर्ष के दौरान इक्विटी में परिवर्तित ऋण
		केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	योग	बैंको से नकद साख	अन्य स्रोतो से ऋण	आयात के सम्बन्ध में बैंकों द्वारा खोले गये साख-पत्र	विदेशी परामर्शको अथवा ठेकेदारों को अनुबन्ध के अन्तर्गत देय भुगतान	योग	ऋणों के पुनर्भुगतान का अपलेखन	अधित्यागित ब्याज	शास्तिक ब्याज का अधित्याग	योग		
(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(द)	(6)	(7)
अ.	सरकारी कम्पनियाँ															
1.	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	-	182.00	-	182.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड	-	266.38	-	266.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड	-	960.52	-	960.52	-	11328.42 (67751.82)	-	-	11328.42 (67751.82)	-	-	-	-	-	-
4.	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	-	268.00	-	268.00	-	- (12.50)	-	-	- (12.50)	-	-	-	-	-	-
5..	राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड	-	74.82 (36.22)	-	74.82 (36.22)	- (128.75)	-	-	-	- (128.75)	-	-	-	-	-	-
6.	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड	-	-	-	-	-	- (1665.00)	-	-	- (1665.00)	-	-	-	-	-	-
7.	राजस्थान राज्य पुल एवं निर्माण निगम लिमिटेड	-	-	-	-	- (2399.88)	- (11476.81)	-	-	- (13876.69)	-	-	-	-	-	-
8.	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	-	-	-	-	-	- (1145.50)	-	-	- (1145.50)	-	-	-	-	-	-

* वर्ष के अन्त में प्राप्त अर्थ-साहाय्य कोष्ठकों में दर्शाये गये है।

** कोष्ठकों में दिये गये आँकड़े वर्ष के अन्त में बकाया गारण्टी को दर्शाते है।

	उप-योग अ	–	1751.72 (36.22)	–	1751.72 (36.22)	– (2528.63)	11328.42 (82051.63)	–	–	11328.42 (84580.26)	–	–	–	–	–	–
(1)	(2)	3(अ)	3(ब)	3(स)	3(द)	4(अ)	4(ब)	4(स)	4(द)	4(य)	5(अ)	5(ब)	5(स)	5(द)	(6)	(7)
ब.	सांविधिक निगम															
1.	राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल	–	27843.23 (208564.32)	–	27843.23 (208564.32)	–	134535.00 (339242.00)	–	–	134535.00 (339242.00)	–	–	–	–	–	–
2	राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम	–	–	–	–	–	20000.00 (17500.00)	–	–	20000.00 (17500.00)	–	–	–	–	–	–
3.	राजस्थान राज्य वित्त निगम	–	–	–	–	–	– (23490.00)	–	–	– (23490.00)	–	–	–	–	–	–
4.	राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम	–	164.07	–	164.07	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	योग ब	–	28007.30 (208564.32)	–	28007.30 (208564.32)	–	154535.00 (380232.00)	–	–	154535.00 (380232.00)	–	–	–	–	–	–

अनुबन्ध-5

सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(अनुच्छेद संख्या 1.2.2 में सन्दर्भित)

1. राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (रुपये करोड़ों में)

क्र.सं.	विवरण	1996-97	1997-98	1998-99 (अनन्तिम)
अ.	देयताएँ			
	इक्विटी पूँजी	1027.59	1774.59	1774.59
	सरकार से ऋण	1734.73	1152.92	1407.93
	अन्य दीर्घकालीन ऋण (बॉण्ड्स सहित)	2576.98	3320.50	4089.70
	संचय एवं अधिशेष	899.85	1114.75	1331.87
	चालू देयताएँ एवं प्रावधान	1598.55	1772.25	2285.64
	योग-अ	7837.70	9135.01	10889.73
ब.	सम्पत्तियाँ			
	सकल स्थाई सम्पत्तियाँ	4118.36	4524.68	5732.08
	घटाएँ: मूल्यह्रास	1322.57	1589.96	1876.70
	निवल स्थायी सम्पत्तियाँ	2795.79	2934.72	3855.38
	निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य	1308.51	1832.99	1158.27
	आस्थगित लागत	4.93	2.34	2.40
	चालू परिसम्पत्तियाँ	3376.97	4024.76	5181.64
	निवेश	113.26	167.31	584.95
	विविध व्यय			
	संचित हानि	238.24	172.89	107.09
	योग-ब	7837.70	9135.01	10889.73
स.	नियोजित पूँजी**	5882.72	7020.22	7909.65

** नियोजित पूँजी निवल स्थायी सम्पत्तियों (निर्माणाधीन पूँजीगत कार्यों को सम्मिलित कर) तथा कार्यशील पूँजी के योग की द्योतक है। कार्यशील पूँजी की गणना के लिए चालू परिसम्पत्तियों में से आस्थगित लागत एवं निवेश की राशि को अलग कर दिया गया है।

2. राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (रुपये करोड़ों में)

क्र.सं.	विवरण	1995-96	1996-97	1997-98
अ.	देयताएँ			
	पूँजी (पूँजी ऋण एवं इक्विटी ऋण सहित)	107.95	107.95	107.95
	उधारियाँ (सरकार)	-	-	-
	(अन्य)	37.89	19.82	113.10
	निधियाँ*	30.72	34.65	10.58
	व्यापारिक बकाया तथा अन्य देयताएँ (प्रावधानों सहित)	53.62	61.03	95.93
	योग-अ	**230.18**	**223.45**	**327.56**
ब.	सम्पत्तियाँ			
	सकल ब्लॉक	280.72	308.13	346.74
	घटाएँ: मूल्य ह्रास	111.78	139.93	169.58
	निवल स्थाई सम्पत्तियाँ	168.94	168.20	177.16
	निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य (चेसिस की लागत सहित)	2.33	2.63	3.45
	निवेश	11.40	7.49	85.02
	चालू सम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	42.17	43.70	61.70
	आस्थगित लागत	5.34	1.43	0.23
	संचित हानियाँ	-	-	-
	योग-ब	**230.18**	**223.45**	**327.56**
स.	नियोजित पूँजी**	**171.19**	**160.83**	**231.52**

* मूल्य ह्रास निधियों को अलग रखते हुए।

** नियोजित पूँजी निवल स्थायी सम्पत्तियों (निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य सहित) तथा कार्यशील पूँजी के योग की द्योतक है।

3. राजस्थान वित्त निगम (रुपये करोड़ों में)

क्र.सं.	विवरण	1996-97	1997-98	1998-99
अ.	देयताएँ			
	प्रदत्त-पूँजी	67.53	67.53	67.53
	अंश आवेदन राशि	–	–	–
	आरक्षित निधि तथा अन्य संचय एवं अधिशेष	40.76	40.76	40.76
	उधारियाँ:			
	(i) बॉण्ड्स तथा ऋण पत्र	244.82	246.52	234.90
	(ii) सावधी जमाएँ	–	–	–
	(iii) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक एवं भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक	258.89	272.22	255.58
	(iv) भारतीय रिजर्व बैंक	–	–	2.50
	(v) अंश पूँजी के बदले में ऋण			
	(अ) राज्य सरकार	13.95	13.95	13.95
	(ब) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	9.60	9.60	9.60
	(vi) अन्य (राज्य सरकार सहित)	70.27	88.27	102.70
	अन्य देयताएँ एवं प्रावधान	164.04	184.81	190.55
	योग (अ)	**869.86**	**923.66**	**918.07**
ब.	सम्पत्तियाँ			
	नगद एवं बैंक शेष	60.82	58.88	64.81
	निवेश	0.06	0.06	0.06
	ऋण एवं अग्रिम	662.80	688.48	680.56
	निवल स्थायी सम्पत्तियाँ	4.10	4.83	5.00
	अन्य सम्पत्तियाँ	59.62	69.27	60.04
	विविध व्यय			
	लाभांश घाटा	22.96	27.27	27.27
	संचित हानि	59.50	74.87	80.33
	योग-ब	**869.86**	**923.66**	**918.07**
स.	**नियोजित पूँजी****[**]	**653.43**	**685.22**	**692.42**

** नियोजित पूँजी, प्रदत्त-पूँजी, पूँजी के बदले में ऋण, सीड राशि, ऋण-पत्र, संचय (बाहरी निवेश से समर्थित विशेष रूप से जमा निधियों के अतिरिक्त), बॉण्ड्स, जमायें तथा उधारियों (पुनर्वित्त सहित) के प्रारम्भिक के एवं अतिम शेष के मध्यमान की द्योतक है। मुक्त संचय एवं अधिशेष, लाभ हानि खाते के डेबिट शेष की सीमा तक कम कर दिये गये हैं।

4. राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम (रुपये करोड़ों में)

क्र.सं.	विवरण	1996-97	1997-98	1998-99 (अनन्तिम)
अ.	देयताएँ			
	प्रदत्त-पूँजी	6.90	7.25	7.50
	संचय तथा अधिशेष	15.31	17.84	24.00
	उधारियाँ			
	सरकार	0.62	0.78	1.58
	अन्य	0.63	0.39	0.26
	व्यापारिक बकाया तथा अन्य देयताएँ (प्रावधानों सहित)	1.84	3.21	4.96
	योग-अ	25.30	29.47	38.30
ब.	सम्पत्तियाँ			
	सकल ब्लॉक	25.54	27.63	33.70
	घटाएँ: मूल्य ह्रास	8.64	9.28	10.26
	निवल स्थाई सम्पत्तियाँ	16.90	18.35	23.44
	निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य	1.44	2.59	2.21
	निवेश	1.00	1.00	1.00
	चालू सम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	5.96	7.53	11.65
	संचित हानि	-	-	-
	योग-ब	25.30	29.47	38.30
स.	नियोजित पूँजी**	22.46	25.26	32.34

** नियोजित पूँजी निवल स्थायी सम्पत्तियों (निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य सहित) तथा कार्यशील पूँजी के योग की द्योतक है।

अनुबन्ध-6

सांविधिक निगमों के कार्यचालन परिणामों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(अनुच्छेद संख्या 1.2.2 तथा 1.5 में सन्दर्भित)

1. राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (रुपये करोड़ों में)

क्र.सं.	विवरण	1996-97	1997-98	1998-99 (अनन्तिम)
(1)	(अ) राजस्व प्राप्तियाँ	2671.24	3294.49	3249.73
	(ब) राज्य सरकार से अर्थ-साहाय्य	563.14	704.88	1152.92
	योग	**3234.38**	**3999.37**	**4402.65**
(2)	राजस्व व्यय (व्यय के पूँजीकरण के बाद शुद्ध व्यय) अमूर्त सम्पत्तियों के अपलेखित किये जाने सहित किन्तु ह्रास एवं ब्याज को छोड़कर	2569.62	3175.61	3546.02
(3)	वर्ष के लिए सकल अधिशेष (+)/घाटा(-)	(+)664.76	(+)823.76	(+)856.63
(4)	पूर्वावधि समायोजन	(+)63.54	(+)9.40	(+)60.81
(5)	वर्ष के लिए अंतिम सकल अधिशेष (+)/ घाटा (-) (3+4)	(+)728.30	(+)833.16	(+)917.44
(6)	उपयोजन :			
(अ)	मूल्य ह्रास (घटाएँ: पूँजीकृत किया हुआ)	229.34	267.61	287.08
(ब)	सरकारी ऋणों पर ब्याज	229.03	239.14	176.02
(स)	अन्य ऋणों, बॉण्ड्स, अग्रिमों आदि पर ब्याज तथा वित्त प्रभार	348.20	477.51	599.69
(द)	ऋणों पर कुल ब्याज तथा वित्त प्रभार (ब+स)	577.23	716.65	775.71
(य)	घटाएँ: पूँजीकृत किया गया ब्याज	141.49	216.45	211.15
(र)	राजस्व में प्रभारित शुद्ध ब्याज (द-य)	435.74	500.20	564.56
(ल)	**कुल उपयोजन (अ+र)**	**665.08**	**767.81**	**851.64**
(7)	राज्य सरकार से प्राप्त अर्थ-साहाय्य को खातों में लेने से पूर्व अधिशेष (+)/घाटा (-) {5-6 (ल)-1(ब)}	(-)499.62	(-)639.53	(-)1087.12
(8)	शुद्ध अधिशेष (+)/घाटा (-) {5-6 (ल)}	(+)63.22	(+)65.35	(+)65.80
(9)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल*	498.96	565.55	630.36
(10)	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता	8.48	8.06	7.97

* नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल, शुद्ध अधिशेष/घाटा तथा लाभहानि खाते में कुल प्रभारित ब्याज (पूँजीकृत किये ब्याज को छोड़कर) के योग का द्योतक है।

2. राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (रुपये करोड़ों में)

क्र.सं.	विवरण	1995-96	1996-97	1997-98
(1)	परिचालन:			
(अ)	राजस्व	409.37	433.45	484.72
(ब)	व्यय	410.71	434.80	515.21
(स)	अधिशेष(+)/घाटा(-)	(-)1.34	(-)1.35	(-)31.49
(2)	अपरिचालन:			
(अ)	राजस्व	9.19	8.13	12.25
(ब)	व्यय*	0.07	2.74	5.75
(स)	अधिशेष(+)/घाटा(-)	(+)9.12	(+)5.39	(+)6.50
(3)	योग			
(अ)	राजस्व	418.56	441.58	496.97
(ब)	व्यय	410.78	437.54	520.96
(स)	अधिशेष(+)/घाटा(-)	(+)7.78	(+)4.04	(-)23.99
(4)	पूँजीगत ऋणों पर ब्याज	9.15	6.56	8.68
(5)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल	16.93	10.60	(-)15.31

* आरएसआरटीसी के लेखों में परिचालन व अपरिचालन व्यय को अलग से नहीं दर्शाया गया है। अत: अपरिचालन व्यय के अंतर्गत केवल पूर्वावधि समायोजन को ही दर्शाया गया है।

3. राजस्थान वित्त निगम (रुपये करोड़ों में)

क्र.सं.	विवरण	1996-97	1997-98	1998-99
(1).	आय			
(अ)	ऋणों पर ब्याज	111.58	106.51	108.30
(ब)	अन्य आय	3.01	2.91	5.21
	योग (1)	114.59	109.42	113.51
(2).	व्यय:			
(अ)	दीर्घावधि तथा अल्पावधि ऋणों पर ब्याज	70.98	74.77	77.65
(ब)	अनिष्पादित सम्पत्तियों के लिए प्रावधान	27.02	11.32	6.09
(स)	अन्य व्यय	30.07	38.71	35.21
	योग (2)	128.07	124.80	118.95
(3)	कर से पूर्व लाभ (1-2)	(-)13.48	(-)15.38	(-)5.44
(4)	पूर्वावधि समायोजन	-	-	-
(5)	कर प्रावधान	3.66	-	0.02
(6)	कर के बाद लाभ(+)/हानि(-)	(-)17.14	(-)15.38	(-)5.46
(7)	अन्य उपयोजन	6.50	-	-
(8)	लाभांश हेतु उपलब्ध राशि*	शून्य	शून्य	शून्य
(9)	प्रदत्त/देय लाभांश	4.30	4.30	शून्य
(10)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल	57.50	59.39	72.21
(11)	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता	8.80	8.70	10.43

* विशिष्ठ संचयों तथा कर प्रावधानों को ध्यान में रखने के बाद लाभांश हेतु उपलब्ध इस वर्ष के लाभ का द्योतक है।

4. राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था-निगम (रुपये करोड़ों में)

क्र.सं.	विवरण	1996-97	1997-98	1998-99 (अनन्तिम)
(1)	आय :			
(अ)	भण्डार प्रभार	7.59	8.70	11.64
(ब)	अन्य आय	1.43	1.80	2.56
	योग (1)	9.02	10.50	14.20
(2)	व्यय :			
(अ)	स्थापना प्रभार	4.71	5.63	6.50
(ब)	अन्य व्यय	2.09	2.94	2.63
	योग (2)	6.80	8.57	9.13
(3)	कर से पूर्व लाभ(+)/हानि(-)	(+)2.22	(+)1.93	(+)5.07
(4)	कर प्रावधान	-	-	-
(5)	पूर्वावधि समायोजन	(+)0.03	(-)0.07	(-)0.23
(6)	अन्य उपयोजन	1.99	1.65	4.62
(7)	लाभांश हेतु उपलब्ध राशि	0.26	0.21	0.22
(8)	वर्ष का लाभांश	0.26	0.21	0.22
(9)	नियोजित पूँजी पर कुल प्रतिफल	2.42	1.97	4.98
(10)	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता	10.80	7.80	15.39

अनुबन्ध-7

सांविधिक निगमों के परिचालन निष्पादन को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(अनुच्छेद संख्या 1.5.2.3 में सन्दर्भित)

1. राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (रुपये करोड़ों में)

क्र.सं.	विवरण	1996-97	1997-98	1998-99 (अनन्तिम)
	स्थापित क्षमता :	(मैगावाट)		
(अ)	थर्मल	975.00	975.00	1225.00
(ब)	हाइडल	974.87	979.22	987.69
(स)	गैस	38.50	38.50	38.50
(द)	अन्य	-	-	-
	योग	1988.37	1992.72	2251.19
	सामान्य अधिकतम माँग			
	उत्पादित ऊर्जा:	(एमकेडब्ल्यूएच)		
(अ)	थर्मल	6364.25	6966.340	6639.384
(ब)	हाइडल	3914.69	3652.328	5072.324
(स)	गैस	104.59	234.941	252.919
(द)	अन्य	-	-	-
	योग	10383.53	10853.609	11964.627
	घटाएँ : गौण खपत*			
(अ)	थर्मल (प्रतिशतता)	653.509 (86.15)	722.813 (88.70)	685.737 (78.13)
(ब)	हाइड्रोजन (प्रतिशतता)	101.879 (13.43)	90.386 (11.09)	190.003 (21.65)
(स)	गैस (प्रतिशतता)	3.16 (0.42)	1.749 (0.21)	1.961 (0.22)
(द)	अन्य (प्रतिशतता)	-	-	-
	योग (प्रतिशतता)	758.548 (100)	814.948 (100)	877.701 (100)

* विद्युत केन्द्र परिसर में हुई ट्रांसफार्मर हानियाँ सम्मिलित हैं।

क्र.सं.	विवरण	1996-97	1997-98	1998-99 (अनन्तिम)
		(एमकेडबल्यूएच)		
	शुद्ध उत्पादित ऊर्जा	9624.985	10038.661	11086.926
	क्रय की गई ऊर्जा :			
(अ)	राज्य के अन्दर			
	-सरकार	-	-	-
	-निजी	-	-	-
(ब)	अन्य राज्यों से	1091.577	835.597	936.330
(स)	केन्द्रीय ग्रिड से	8439.696	10104.429	11200.546
	बिक्री हेतु उपलब्ध कुल ऊर्जा	**19156.258**	**20978.687**	**23223.802**
	विक्रय की गई ऊर्जा :			
(अ)	राज्य के अन्दर*	13714.367	14752.238	15780.445
(ब)	राज्य के बाहर	665.882	675.600	616.238
	प्रेषण एवं वितरण हानियाँ :			
(अ)	राज्य के अन्दर	4110.640	4804.928	6012.622
(ब)	सम्पूर्ण तंत्र में	4776.009	5550.849	6628.86
	भार घटक (प्रतिशतता)	69.57	70.45	71.45
	प्रेषण एवं वितरण हानियों की विक्रय हेतु उपलब्ध कुल ऊर्जा से प्रतिशतता :			
(अ)	राज्य के अन्दर	23.06	24.57	27.59
(ब)	सम्पूर्ण तंत्र में	24.93	26.46	28.54
	विद्युतिकृत गाँवों/कस्बों की संख्या	34750	35490	36235
	ऊर्जाकृत पम्पसेटों/कुओं की संख्या	530324	554768	579574
	सब -स्टेशनों की संख्या:			
(अ)	ईएचवी जीएसएस	192	202	207
(ब)	33/11 केवी जीएसएस	1218	1330	1422
	प्रेषण/वितरण लाइनें (किलोमीटर में)			
(अ)	उच्च/मध्यम वोल्टेज	166952	175643	187365
(ब)	अल्प वोल्टेज	185699	192192	197980
	संयुक्त भार (मैगावाट में)	9259	9902	10027
	उपभोक्ताओं की संख्या	4612902	4825243	5082743
	कर्मचारियों की संख्या	56113	56293	56424
	उपभोक्ता/कर्मचारियों का अनुपात	82.21:1	85.72:1	90.08:1
	वर्ष के दौरान कर्मचारियों पर कुल व्यय (रुपये करोड़ों में)	382.61	469.70	540.43
	कर्मचारियों पर व्यय की कुल राजस्व व्यय से प्रतिशतता	11.83	11.91	12.29

* ग्रिड सब-स्टेशन पर हुई गौण खपत सम्मिलित हैं।

क्र.सं.	विवरण	1996-97	1997-98	1998-99 (अनन्तिम)
	विक्रय की गई ऊर्जा इकाइयाँ	(एमकेडब्ल्यूएच)		
(अ)	कृषि (कुल विक्रय की गई इकाईयों की प्रतिशतता)	4737.373 (32.94)	4980.353 (32.28)	6032.184 (36.79)
(ब)	औद्योगिक (कुल विक्रय की गई इकाईयों कर प्रतिशतता)	5595.438 (38.91)	5974.236 (38.73)	5708.527 (34.82)
(स)	वाणिज्यिक (कुल विक्रय की गई इकाईयों की प्रतिशतता)	750.885 (5.22)	868.752 (5.63)	844.205 (5.15)
(द)	घरेलू (कुल विक्रय की गई इकाईयों की प्रतिशतता)	2168.248 (15.08)	2435.965 (15.79)	2653.638 (16.18)
(य)	अन्य* (कुल विक्रय की गई इकाईयों की प्रतिशतता)	1128.305 (7.85)	1168.532 (7.57)	1158.129 (7.06)
	योग	14380.249	15427.838	16396.683
		(प्रति किलोवाट पैसों में)		
(अ)	राजस्व (राज्य सरकार से प्राप्त अर्थ-साहाय्य को छोड़कर)	185.76	213.54	198.19
(ब)	व्यय**	196.43	225.43	236.84
(स)	लाभ (+)/हानि(-)	(-)10.67	(-)11.89	(-)38.65
(द)	सरकार से अध्यर्थ औसत अर्थ-साहाय्य (रुपयों में)	563,14,19,270	704,87,70,000	1152,91,79,000
(य)	औसत ब्याज प्रभार (रुपयों में)	435,74,00,000	500,20,000	564,56,00,000

* अन्य में राज्य के बाहर विक्रय की गई ऊर्जा, विद्युत गृहों से सामान्य संघ को उपलब्ध करवाई गई ऊर्जा तथा जीएसएस/एसएस में हुई गौण खपत भी सम्मिलित है।

** राजस्व व्यय में मूल्य ह्रास शामिल है किन्तु दीर्घावधि ऋणों पर ब्याज शामिल नहीं है।

2. राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम

क्र.सं.	विवरण	1996-97	1997-98	1998-99 (अनन्तिम)
1.	उपलब्ध वाहनों की औसत संख्या	4557	4751	4788
2.	मार्ग पर चालू वाहनों की औसत संख्या	4111	4234	4263
3.	वाहनों के उपयोग की प्रतिशतता	90	89	89
4.	कर्मचारियों की संख्या	25723	25720	25707
5.	कर्मचारियों, वाहनों का अनुपात	5.33:1	5.13:1	5.23:1
6.	वर्ष के अन्त में परिचालित मार्गों की संख्या	2622	2673	2704
7.	मार्ग किलोमीटर	457057	480699	444717
8.	परिचालित किलोमीटर (लाखों में)			
(अ)	सकल	4574.05	4892.03	4931.18
(ब)	प्रभावी	4387.71	4703.56	4730.22
(स)	निष्फल	186.34	188.47	200.96
9.	निष्फल किलोमीटरों की सकल किलोमीटरों से प्रतिशतता	4.07	3.85	4.08
10.	प्रति बस प्रतिदिन तय किये गये औसत किलोमीटर	292	304	304
11..	प्रति किलोमीटर परिचालन राजस्व (पैसों में)	887	943	968
12.	प्रति किलोमीटर औसत व्यय (पैसों में)	913	1015	1094
13.	प्रति किलोमीटर लाभ(+)/हानि(-) (पैसों में)	(-)26	(-)72	(-)126
14.	परिचालन आगारों की संख्या	45	46	46
15.	प्रति लाख किलोमीटर पर ब्रेक डाउन की औसत संख्या	3	3	3
16.	प्रति लाख किलोमीटर पर दुर्घटनाओं की औसत संख्या	0.22	0.22	0.19
17.	परिचालित यात्री किलोमीटर (करोड़ों में)	1847.43	1730.85	1673.85
18.	अधिभोग अनुपात	74.0	65.2	63.01
19.	प्रति लीटर प्राप्त किलोमीटर :			
(अ)	डीजल ऑयल	4.77	4.78	4.80
(ब)	इंजन ऑयल	1174	1242	1394

3. राजस्थान राज्य भण्डार-व्यवस्था निगम

क्र.सं.	विवरण	1996-97	1997-98	1998-99
1.	आवृत्त स्टेशनों की संख्या	79	81	83
2.	वर्ष के अन्त तक सृजित भण्डारण क्षमता (लाख टनों में) :			
(अ)	स्वयं की	4.74	4.89	5.31
(ब)	किराये की	0.31	0.50	0.46
	योग	**5.05**	**5.39**	**5.77**
(3)	वर्ष के दौरान उपयोगित औसत क्षमता (लाख टनों में)	3.52	3.79	4.21
(4)	उपयोग की प्रतिशतता	70	70	73
(5)	औसत राजस्व प्रति टन प्रति वर्ष (रुपयों में)	256	277	337
(6)	औसत व्यय प्रतिटन प्रतिवर्ष (रुपयों में)	193	226	217
(7)	लाभ(+)/हानि(-) प्रतिटन (रुपयों में)	63	51	120

4. राजस्थान वित्त निगम (राशि: रुपये करोड़ों में)

क्र.सं.	विवरण	1996-97		1997-98		1998-99	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
4.							
1.	वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित आवेदन पत्र	74	23.75	60	8.60	14	6.64
2.	प्राप्त आवेदन पत्र	1888	277.55	1635	241.31	858	154.02
	योग	**1962**	**301.30**	**1695**	**249.91**	**872**	**160.66**
3.	स्वीकृत आवेदन पत्र	1406	167.45	1288	165.14	601	93.33
4.	निरस्त/वापिस लिए गए/अस्वीकृत/लघुकृत किये गये आवेदन पत्र	496	103.68	393	66.92	252	49.38
5.	वर्ष की समाप्ति पर लम्बित आवेदन पत्र	60	8.60	14	6.64	19	8.55
6.	संवितरित ऋण	1266	122.09	1109	127.67	662	95.67
7.	वर्ष की समाप्ति पर बकाया ऋण	-	662.80	-	688.48	-	680.56
8.	वर्ष की समाप्ति पर वसूली हेतु अतिदेय राशि						
(अ)	मूल	-	97.88	-	104.95	-	107.16
(ब)	ब्याज	-	97.13	-	106.06	-	122.97
	योग	-	**195.01**	-	**211.01**	-	**230.13**
9	प्रमाणक मामलों की वसूली में सन्निहित राशि	-	**उपलब्ध नहीं**	-	**उपलब्ध नहीं**	-	**उपलब्ध नहीं**
	योग	-	**उपलब्ध नहीं**	-	**उपलब्ध नहीं**	-	**उपलब्ध नहीं**
10.	अतिदेय की कुल बकाया ऋणों से प्रतिशतता	-	29.42	-	30.65	-	33.81

अनुबन्ध-8

राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड की वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणामों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(अनुच्छेद संख्या 2.6 में सन्दर्भित)

I वित्तीय स्थिति

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	विवरण	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
1.	अंशपूँजी	232.94	633.94	633.98	633.98	606.48
2.	संचय एवं अधिशेष	0.17	0.17	215.85	373.57	555.20
3.	अग्रिम हिस्सा राशि (अंशधारक उत्पादक)	0.79	0.79	0.76	0.30	123.30
4.	ऋण कोष : असुरक्षित	2239.80	1971.88	1771.79	1147.88	1000.00
5.	व्यापारिक देयताएँ एवं उनकी देनदारियाँ	527.84	964.77	1234.60	1636.49	1743.61
	योग	3001.54	3571.55	3856.98	3792.22	4028.59
1.	सकल ब्लॉक	928.58	950.54	935.88	973.98	927.88
2.	घटाएँ : मूल्य ह्रास	626.65	660.68	562.85	590.06	617.50
3.	शुद्ध ब्लॉक	301.93	289.86	373.03	383.92	310.38
4.	निर्माणाधीन कार्य	3.03	3.03	-	-	-
5.	स्थल पर सामग्री	3.17	3.17	-	-	-
6.	चालू सम्पत्तियाँ एवं ऋ़ण व अग्रिम	2246.12	3218.44	3483.95	3408.30	3718.21
7.	लाभ हानि खाता	447.29	57.05	-	-	-
	योग	3001.54	3571.55	3856.98	3792.22	4028.29
	नियोजित पूँजी	2026.41	2549.73	2622.38	2155.73	2284.98
	शुद्ध मूल्य	(-)213.39	577.85	850.58	1007.85	1284.98

II कार्यचालन परिणाम

(अ) आय

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	विवरण	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
1.	विक्रय	2295.00	3120.82	3153.47	3428.09	3878.06
2.	ब्याज	43.06	101.07	155.98	156.45	152.68
3.	संयंत्र एवं मशीनरी के विक्रय पर लाभ	-	-	-	2.08	-
4.	इंश्योरेंस कम्पनी से प्राप्त दावा	-	-	-	16.78	-
5.	अन्य आय*	44.62	49.80	41.25	51.32	61.74
6.	जोड़े : स्टॉक में वृद्धि (+)/कमी(-)	62.17	160.67	147.40	(-)91.16	294.66
	योग (अ)	2444.85	3432.36	3498.10	3563.56	4387.14

(ब) व्यय

1.	क्रय	1568.84	2122.73	2102.85	2230.67	2774.65
2.	प्रोसेसिंग व्यय	177.71	213.27	320.27	278.46	340.35
3.	स्टॉफ व्यय	147.81	159.04	209.32	243.84	257.92
4.	कार्यचालन एवं प्रशासनिक व्यय	53.33	64.42	96.07	80.87	132.21
5.	विक्रय एवं वितरण व्यय	164.68	303.40	289.73	369.34	478.40
6.	वित्तीय व्यय	160.43	135.14	106.15	101.63	101.42
7.	मूल्य ह्रास	39.23	33.97	37.11	35.37	30.54
8.	आयकर	-	-	-	-	3.39
9.	अन्य व्यय	0.15	0.15	86.85	2.07	9.43
	योग (ब)	2312.18	3032.12	3248.35	3342.25	4128.31
(स)	वर्ष के लिए लाभ	132.67	400.24**	249.75	221.31	258.83
(द)	कार्यचालन लाभ***	44.99	249.37	52.52	(-)5.32	44.41

---

* अन्य आय में खेतों से आय, नामांकन शुल्क एवं अन्य विविध प्राप्तियाँ शामिल है।

** वर्ष के दौरान असाधारण लाभ सह-उत्पाद (कपास) के विक्रय के कारण था।

*** कार्यचालन लाभ, विक्रय में स्टॉक में वृद्धि/कमी को जोड़/घटाकर, कुल व्यय को कम करके निकाला गया है।

अनुबन्ध-9

प्रजनक बीज की उपलब्धता/बिक्री तथा आधार बीज की अपेक्षित उपज/वास्तविक प्राप्ति को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(अनुच्छेद संख्या 2.7.3 तथा 2.7.4 में सन्दर्भित)

वर्ष	मौसम	फसल	वितरण के लिए उपलब्ध प्रजनक बीज	उत्पादकों को प्रजनक बीज का विक्रय	कच्चे आधार बीज का अनुमानित उत्पादन	कच्चे आधार बीज की वास्तविक प्राप्ति	प्रजनक बीज की उपलब्धता से वितरण की प्रतिशतता	अनुमानित उत्पादन से वास्तविक उत्पादन की प्रतिशतता
			(क्विंटलों में)					
1995-96	खरीफ	खाद्यान्न	20.324	1.40	99	69	6.89	69.70
		दालें	17.35	6.44	131	30	37.12	22.90
		तिलहन	139.14	93.71	2847	1940	67.35	68.14
		अन्य*	23.28	23.24	1574	886	99.83	56.29
		योग	200.094	124.79	4651	2925	62.36	62.89
	रबी	खाद्यान्न	389.90	323.92	14000	10446	83.08	74.61
		दालें	59.90	45.90	1354	740	76.63	54.65
		तिलहन	30.19	7.31	804	684	24.21	85.07
		योग	479.99	377.13	16158	11870	78.57	73.46
1996-97	खरीफ	खाद्यान्न	11.239	10.035	120	113	89.29	94.17
		दालें	29.64	23.12	243	180	78.00	74.07
		तिलहन	228.11	130.74	1817	1203	57.31	66.21
		अन्य*	30.73	30.01	3376	1786	97.66	52.90
		योग	299.719	193.905	5556	3282	64.70	59.07
	रबी	खाद्यान्न	378.85	378.45	12955	9701	99.89	74.88
		दालें	122.86	120.85	2016	1445	98.36	71.68
		तिलहन	3.37	2.93	845	813	86.94	96.21
		योग	505.08	502.23	15816	11959	99.43	75.61
1997-98	खरीफ	खाद्यान्न	9.33	4.18	344	187	44.80	54.36
		दालें	30.495	20.38	455	102	66.83	22.42
		तिलहन	230.26	177.76	3952	3001	77.20	75.94
		अन्य*	20.115	19.025	2069	827	94.58	39.97
		योग	290.20	221.345	6820	4117	76.27	60.37
	रबी	खाद्यान्न	506.20	498.60	19818	13137	98.50	66.29
		दालें	132.09	120.68	1715	1492	91.36	87.00
		तिलहन	2.71	2.52	406	298	92.99	73.40
		योग	641.00	621.80	21939	14927	97.00	68.04
1998-99	खरीफ	खाद्यान्न	9.31	7.66	138	83.30	82.27	60.36
		दालें	23.03	13.18	329	61.74	57.22	18.77
		तिलहन	207.46	169.01	1704.60	1606.16	81.46	94.23
		अन्य*	11.38	10.38	1596.45	1628.29	91.21	101.99
		योग	251.18	200.23	3768.05	3379.51	79.71	89.69
	रबी	खाद्यान्न	339.72	339.32	12580.30	10235.69	99.88	81.36
		दालें	144.71	99.84	2143.55	1425.16	68.99	66.49
		तिलहन	2.73	2.63	490.34	419.05	96.34	85.46
		योग	487.16	441.79	15214.19	12079.90	90.69	79.40
कुल योग			3154.423	2683.22	89922.24	64539.41	–	–

* अन्य में केवल कपास एवं ग्वार शामिल है।

अनुबन्ध-9-अ

आधार बीजों की उपलब्धता, वितरण, अनुमानित उत्पादन एवं वास्तविक उत्पादन को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(अनुच्छेद संख्या 2.7.5 में सन्दर्भित)

वर्ष	फसल	बीज की किस्म	प्रापण/ उपलब्ध	वास्तविक वितरण	कच्चे आधारभूत बीजों का अनुमानित उत्पादन	कच्चे आधारभूत बीजों की वास्तविक प्राप्ति	आधारभूत बीजों की उपलब्धता से वितरण की प्रतिशतता	अनुमानित उत्पादन से वास्तविक उत्पादन की प्रतिशतता
					(क्विंटलों में)			
1995-96	खरीफ	खाद्यान्न	189.82	104.74	4879	3046	55.18	62.43
		दालें	626.21	236.34	2473	941	37.74	38.05
		तिलहन	1486.04	1122.78	16613	9004	75.55	54.20
		अन्य*	1520.66	796.68	48460	17974	52.39	37.09
		योग	**3822.73**	**2260.54**	**72425**	**30965**	**59.13**	**42.75**
	रबी	खाद्यान्न	7363.64	5636.54	200941	130778	76.55	65.08
		दालें	1104.08	692.07	9797	4754	62.68	48.52
		तिलहन	237.37	177.45	37635	19839	74.76	52.71
		योग	**8705.09**	**6506.06**	**248373**	**155371**	**74.74**	**62.55**
1996-97	खरीफ	खाद्यान्न	142.49	30.36	1235	807	21.31	65.34
		दालें	214.56	125.11	2625	1203	58.31	45.83
		तिलहन	2394.01	1114.76	40448	11896	46.56	29.41
		अन्य*	2183.50	495.62	65595	21475	22.70	32.74
		योग	**4934.56**	**1765.85**	**109903**	**35381**	**35.78**	**32.19**
	रबी	खाद्यान्न	10346.60	7167.50	163688	130039	69.27	79.44
		दालें	1016.05	589.71	11016	7491	58.04	68.00
		तिलहन	516.88	119.91	29861	20979	23.20	70.25
		योग	**11879.53**	**7877.12**	**204565**	**158509**	**66.31**	**77.48**
1997-98	खरीफ	खाद्यान्न	243.62	103.86	7326	5695	42.63	77.74
		दालें	325.12	161.78	2636	493	49.76	18.70
		तिलहन	4255.54	1712.97	25310	21814	40.25	86.18
		अन्य*	2768.65	723.53	49869	11058	26.13	22.17
		योग	**7592.93**	**2702.14**	**85141**	**39060**	**35.59**	**45.88**
	रबी	खाद्यान्न	9396.30	5964.61	213397	148972	63.48	69.81
		दालें	1353.90	1156.63	10517	6003	85.43	57.08
		तिलहन	820.78	182.77	29536	13859	22.27	46.92
		योग	**11570.98**	**7304.01**	**253450**	**168834**	**63.13**	**66.61**
1998-99	खरीफ	खाद्यान्न	191.525	109.45	7829.00	5176.25	57.15	66.12
		दालें	310.50	173.24	1946.00	725.80	55.79	37.30
		तिलहन	2611.08	2238.62	25943.15	17563.09	85.74	67.70
		अन्य*	1912.61	757.40	53175.45	21188.79	39.60	39.85
		योग	**5025.715**	**3278.71**	**88893.60**	**44653.93**	**65.24**	**50.23**
	रबी	खाद्यान्न	13717.91	8576.11	266571.00	171080.81	62.52	64.18
		दालें	1598.47	921.30	11311.50	5357.94	57.64	47.37
		तिलहन	778.30	155.72	29366.17	18254.27	20.00	62.16
		योग	**16094.68**	**9653.13**	**307248.67**	**194693.02**	**59.98**	**63.37**
कुल योग			69626.215	41347.56	1369999.27	827466.95	-	-

* अन्य में केवल कपास एवं ग्वार शामिल है

अनुबन्ध-10
प्रमाणित बीज के वितरण, उत्पादन के लक्ष्यों एवं वास्तविक वितरण को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(अनुच्छेद संख्या 2.7.6.2 में सन्दर्भित)

वर्ष	फसल	बीज की किस्म	राज्ययोजना में आरएसएस-सीएल का लक्ष्य	वितरण के लिए आरएसएससी-एल का स्वयं का लक्ष्य	बीज उत्पादन/ प्रापणत	वास्तविक वितरण	प्रतिशतता: उत्पादन की लक्ष्य से	प्रतिशतता: बीज वितरण की उत्पादन/ प्रापण से	प्रतिशतता: बीज वितरण की राज्य योजना मे आरएसएससीएल के लक्ष्य से
			(क्विंटलों में)						
1995-96	खरीफ	खाद्यान्न	13163	24900	12673	9642	50.90	76.08	73.25
		दालें	9237	12300	4586	3139	37.28	68.45	33.98
		तिलहन	11738	20850	14353	9846	68.84	68.60	83.88
		अन्य*	20645	15150	28798	14669	190.08	50.94	71.05
		योग	54783	73200	60410	37296	82.53	61.74	68.08
	रबी	खाद्यान्न	115550	128600	110976	109613	86.30	98.77	94.86
		दालें	13330	9200	7981	7514	86.75	94.15	56.37
		तिलहन	17986	18800	12700	12550	67.55	98.82	69.78
		योग	146866	156600	131657	129677	84.07	98.50	88.30
		कुल योग	201649	229800	192067	166973	83.58	86.93	82.80
1996-97	खरीफ	खाद्यान्न	9678	26450	7732	5736	29.23	74.19	59.27
		दालें	4196	12650	4702	4316	37.17	91.79	102.86
		तिलहन	10042	22350	19755	13241	88.39	67.03	131.86
		अन्य*	17433	16150	31146	15039	192.85	48.29	86.27
		योग	41349	77600	63335	38332	81.62	60.52	92.70
	रबी	खाद्यान्न	106252	126720	104283	103868	82.29	99.60	97.76
		दालें	3792	10100	5433	5368	57.79	98.80	141.56
		तिलहन	15318	18800	13620	13332	72.83	97.89	87.03
		योग	125362	155620	123336	122568	79.25	99.38	97.77
		कुल योग	166711	233220	186671	160900	80.04	86.19	96.51
1997-98	खरीफ	खाद्यान्न	12133	26450	11590	8356	43.82	72.10	68.87
		दालें	3431	12650	3935	3238	31.11	82.29	94.37
		तिलहन	9201	22350	22720	8975	101.66	39.50	97.54
		अन्य*	22696	16150	23234	15006	143.86	64.59	66.12
		योग	47461	77600	61479	35575	79.22	57.87	74.96
	रबी	खाद्यान्न	110496	104200	108649	104939	104.27	96.59	94.97
		दालें	5190	14100	6250	6148	44.33	98.37	118.46
		तिलहन	18400	15700	15705	12485	99.40	79.50	67.85
		योग	134086	134000	130604	123572	97.47	94.62	92.16
		कुल योग	181547	211600	192083	159147	90.78	82.85	87.66
1998-99	खरीफ	खाद्यान्न	21819	21360	21632	14185	66.41	65.57	65.01
		दालें	2651	6370	3468	3139	49.29	90.53	118.41
		तिलहन	13114	24180	26341	15387	63.63	58.41	117.33
		अन्य*	10810	19150	24812	10940	57.13	44.09	101.20
		योग	48394	71060	76253	43651	61.43	57.24	90.20
	रबी	खाद्यान्न	119431	119700	128245	125376	104.74	97.76	104.98
		दालें	4233	15650	6090	6017	38.42	98.79	142.15
		तिलहन	14192	18300	16993	16600	91.21	97.69	116.97
		योग	137856	153650	151328	147993	96.37	97.80	107.35
		कुल योग	186250	224710	227581	191644	101.28	84.21	102.90

* अन्य में केवल कपास एवं ग्वार शामिल है

अनुबन्ध-11

उत्पादित ऊर्जा एवं इसके उपयोग को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(अनुच्छेद संख्या 3.अ.4(ब) तथा 3अ.5.3 में सन्दर्भित)

क्र.सं.	विवरण	योजना लक्ष्य		वास्तविक उपलब्ध ऊर्जा	मूल योजना व मध्यावधि मूल्यांकन से आधिक्य(+)/ कमी(-)	मूल लक्ष्यों/मध्यावधि मूल्यांकन के समक्ष कमी की प्रतिशतता
		मूल	संशोधित (मध्यावधि मूल्यांकन)			
1.	ऊर्जा की आवश्यकता	56546	53988	32279.31	(-)24266.69 (-)21708.69	(-)42.91 (-)40.21
2.	ऊर्जा उत्पादन (साझेदारी परियाजनाओं सहित)					
	हाईडल	14215	15861	16233.01	(+)2018.01 (+)372.01	(+)14.20 (+)2.35
	थर्मल (अन्य सहित)	12598	8709	10632.80	(-)1965.20 (+)1923.80	(-)15.60 (+)22.09
	योग (2)	**26813**	**24570**	**26865.81**	(+)52.80 (+)2295.81	(+)0.20 (+)9.34
3.	घटाएँ: गौण खपत					
	हाईडल	251	87	266.06	(+)15.06 (+)179.06	(+)6.00 (+)205.82
	थर्मल	1431	997	1156.45	(-)274.55 (+)159.45	(-)19.19 (+)15.99
	योग (3)	**1682**	1084	1422.51	(-)259.49 (+)338.51	(-)15.43 (+)31.23
4.	शुद्ध उत्पादन (2-3)					
	हाईडल	13964	15774	15966.95	(+)2002.95 (+)192.95	(+)14.34 (+)1.22
	थर्मल	11167	7712	9476.35	(-)1690.65 (+)1764.35	(-)15.14 (+)22.88
	योग (4)	**25131**	**23486**	**25443.30**	(+)312.30 (+)1957.30	(+)1.24 (+)8.33
5.	जोडें : केन्द्रीय परियोजनाओं से क्रय	11302	11935	14783.00	(+)3481.00 (+)2848.00	(+)30.80 (+)23.86
	अन्य राज्यों से क्रय	500	2033	2376.03	(+)1876.03 (+)343.03	(+)375.21 (+)16.87
	योग (5)	11802	13968	17159.03	(+)5357.03 (+)3191.03	(+)45.39 (+)22.85
6.	विक्रय के लिए उपलब्ध ऊर्जा (4+5)	36933	37454	42602.33	(+)5669.33 (+)5148.33	(+)15.35 (+)13.75
7.	टी एण्ड डी हानियाँ	8271	8742	10323.02	(+)2052.02 (+)1581.02	(+)24.81 (+)18.09
8.	ऊर्जा विक्रय (5-6)	28662	28712	32279.31	(+)3617.31 (+)3567.31	(+)12.62 (+)12.42

अनुबन्ध-12

संस्थापित क्षमता की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(अनुच्छेद संख्या 3अ.5.1 में संदर्भित)

विवरण	छठी योजना के अन्त में (वास्तविक)	वृद्धि के लिये लक्ष्य			कुल संशोधित लक्ष्य	सातवीं योजना के अन्त में (वास्तविक)	सातवीं योजना के दौरान क्षमता में वृद्धि (वास्तविक)	मध्यावधि मूल्यांकन के संदर्भ में कमी	अगली योजना में सरकाई गई सहित कुल कमी
		मूल योजना	मध्यावधि मूल्यांकन						
			वृद्धि	अगली योजना में सरकाया					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(मेगावाट में)									
स्थापित उत्पादन क्षमता									
अ. आरएसईबी के स्वामित्व में									
I थर्मल	220.00	210.00	210.00	–	420.00	640.00	420.00	–	–
II हाईडल (लघु हाईडल परियोजनाओं सहित)	–	172.20	0.17	23.20	149.17	149.00	149.00	0.17	23.37
III गैस	–	3.00	–	3.00	–	–	–	–	3.00
IV अन्य (लघु/डीजल)	31.58	(–)31.58*	–	–	(–)31.58	–	(–)31.58	–	–
योग (अ)	251.58	353.62	210.17	26.20	537.59	789.00	537.42	0.17	26.37*
ब. अन्तर राज्यीय साझेदारी परियोजना									
I थर्मल(सतपुड़ा)	125.00	–	–	–	–	125.00	–	–	–
II हाईडल	807.75	–	–	–	–	807.75	–	–	–
योग (ब)	932.75	–	–	–	–	932.75	–	–	–
योग (अ+ब)	1184.33	353.62	210.17	26.20	537.59	1721.75	537.42	0.17	26.37
स. केन्द्र सरकार के स्वामित्व में	563.53	468.47	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	468.47	989.50	425.97	42.50	42.50
सकल उत्पादन क्षमता	1747.86	822.09	210.17	26.20	1006.06	2711.25	963.39	42.67	68.87*

* मण्डल द्वारा लघु संयंत्रों को बन्द करने के कारण क्षमता में 31.58 मैगावाट की कमी दर्शाता है और इस प्रकार मण्डल द्वारा क्षमता के वास्तविक लक्ष्य में वृद्धि 595.37 मैगावाट थी जिसे पुन: बांधों में पानी की कमी के कारण 4.88 मैगावाट (जाखम 9 मैगावाट से 5 मैगावाट तथा चारणवाला 2 मैगावाट से 1.20 मैगावाट) तक कम कर दिया गया। इस प्रकार सातवीं योजना में 590.57 मेगावाट की वृद्धि की जानी थी। मण्डल की वास्तविक क्षमता में कमी तथा कुल क्षमता में कमी क्रमश: 26.37 मैगावाट तथा 68.87 मेगावाट से 21.57 मैगावाट तथा 64.07 मैगावाट तक हो गयी।

अनुबन्ध-13
उत्पादन परियोजना की स्थिति, लिया गया समय तथा वहन की गई लागत को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(अनुच्छेद संख्या 3अ.5.1 एवं 3.अ.5.2.1 में संदर्भित)

संयंत्र का नाम	इकाईयों की संख्या एवं क्षमता मेगावाट में		योजना आयोग द्वारा स्वीकृति की तिथि	वाणिज्यिक परिचालन की अपेक्षित तिथि	वाणिज्यिक परिचालन की वास्तविक तिथि	विलम्ब की अवधि महिनों में
1	2		3	4	5	6
योजना अवधि के दौरान पूर्ण						
लघु हाईडल						
बाँसवाड़ा 1. विद्युत गृह I इकाई-1	1X25=25	140	12/77	3/84	1/86	22
विद्युत गृह I इकाई-2	1X25=25			3/84	2/86	23
2. विद्युत गृह II इकाई-1	1X45=45		1/79	3/84	2/89	59
विद्यत गृह II इकाई-2	1X45=45			3/84	9/89	66
अनूपगढ लघु हाईडल						
3. विद्यत गृह I	3X1.5=4.5	9	6/80	6/83	9/87	51
4. विद्यत गृह II	3X1.5=4.5		6/80	12/83	3/88	51
		149		12/83	9/87	45
				6/83	12/87	54
				12/83	1/88	49
				12/83	3/88	51
थर्मल केटीपीएस कोटा						
5. (चरण- II)	1X210=210	420	4.10.80	1.6.85	3/89	45
	1X210=210			2.12.85	3/90	51
योग 1 से 5		569				
योजना अवधि के बाद पूर्ण						
लघु हाईडल						
6. सूरतगढ	2X2=4	4	25.8.84	6/86 व 12/86	2/92	68 62
7. चारणवाला	1X1.20=1.20 संशोधित	1.20	25.8.84 8/85	3/87	12/93	81
8. माँगरोल	3X2=6	6	17.10.84	3/86	7.11.92	79
					21.10.92	79
					15.11.92	79
9. पूगल विद्युतगृह- I	1X1.5=1.50	2.15	17.10.84	3/87	31.3.95	96
विद्युत गृह- II	1X0.65=0.65			3/87	19.7.92	64
10. आरएमसी माही- II	1X0.165=0.17	0.17	9/87	6/88	3/91परन्तु वाणिज्यिक परिचालन 11/99 में	33
गैस						
11. लघु गैस संयंत्र रामगढ (जैसलमेर) थर्मल	1X3=3	3	8/84	1987-88	11/94	80
योग 6 से 11		16.57				
कुल योग 1 से 11		585.57				
अपूर्ण परियोजना						
12. जाखम	2X2.5=5	5	10/84	उपलब्ध नही	प्रारम्भ नहीं	–

क्रम संख्या 1 से 4 पूर्ववर्ती योजना से आगे लायी गयी है।
क्रम संख्या 6 से 11 सांतवी योजना के दौरान पूर्ण होनी थी लेकिन आगे सरकाई गई है।

मूल अनुमानित लागत	3/98 तक वास्तविक लागत (अन्तरिम)	लागत अतिवृद्धि (अन्तरिम)	अनुमानित लागत की अतिवृद्धि प्रतिशतता	उत्पादन परियोजनों के क्रियान्वयन में विलम्ब के कारण
7.	8.	9.	10.	11.
(रुपये करोड़ों में)				
59.38	186.02	126.64	213.27	स्थल व जल कपाट के संरेखण, परिरूप तथा खाकों में परिवर्तन। विद्युतगृह-II में 45 मेगावाट की तीसरी इकाई लगाने का निर्णय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) 1990-91 का अनुच्छेद 3अ
6.51	17.69	11.18	171.73	दिसम्बर 1991 की निर्धारित तिथी के विरूद्ध सितम्बर 1983 में केवल सिविल कार्यो के लिए निविदा आमंत्रण, मार्च 1982 की लक्षित तिथी के विरूद्ध फरवरी 1983 तक केवल भू-अवाप्ति की प्रक्रिया में विलम्ब, उत्पादन उपकरणों की सुपुर्दगी को आगे सरकाना आदि, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) 1989-90 का अनुच्छेद 3.3.3
133.78	455.74	321.96	240.66	निधियों की कमी, जेनेरेटिंग सेट्स तथा बायलर के आदेश जारी करने, अनुबंध प्रदान करने, आरेखों के अनुमोदन एवं अंतिम रूप देने, कार्यस्थल प्रदान करने में, विलम्ब, कुछ इस्पात सैक्शन की कमी। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) 1989-90 का अनुच्छेद 3.1.2
199.67	659.45	459.78		
5.27	12.12	6.85	129.98	भू-अवाप्ति में विलम्ब, 1987 में अधिक जल प्लावन, आधार विफलता के कारण फरवरी 1990 में काफर बांध का टूटना आदि । लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) 1990-91 का अनुच्छेद 4ब.1
2.86	5.32	2.46	86.00	आइजीएनपी द्वारा 567.78 क्यूसिस तक के परिरूपित प्रवाह में कमी के कारण, परियोजित क्षमता फिर 1.8 मेगावाट से 1.2 मेगावाट कम की गई, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) 1995-96 का अनुच्छेद 4ब.1.3
6.11	16.94	10.83	177.25	भू-अवाप्ति प्रक्रिया में, सिविल कार्यो के अनुबन्धों को अंतिम रूप देने में विलम्ब तथा कार्यपूर्ण करने में देरी, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) 1991-92 का अनुच्छेद 3ब.4 1
4.38	13.13	8.75	199.77	विद्युत गृह-I के लिए वन क्षेत्र की अनापत्ति की प्रत्याशा में भू-अवाप्ति में विलम्ब । तथापि वाणिज्यिक परिचालन से दो वर्ष पूर्व ही प्रेषण लाइनें 3/93 में ही निर्मित कर दी गई थी
1.67*	3.60*	1.93*	115.57*	परियोजना का निर्माण 1989-90 में पूर्ण हो गया था किन्तु नहर बंद की अनुपलब्धता के कारण इसका प्रायोगिक परिचालन नही किया जा सकता था। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) 1991-92 का अनुच्छेद 3ब.3 में भी संदर्भित
3.94	12.56	8.62	218.78	ओएनजीसी द्वारा गैस की आपूर्ति की दरें 1985-86 तक तय नहीं की गई थी तथा इस प्रकार दूसरे कार्य प्रारम्भ नहीं किये जा सके । जनवरी 1994 से गैस की आपूर्ति हेतु व्यवस्था नवम्बर 1993 में की जा सकी थी। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) 1996-97
24.23	63.67	39.44		
223.90	723.12	499.22		
16.01	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	सातवीं योजना की समीक्षा के अनुच्छेद 5.2.2 के अन्तर्गत समीक्षित।

* पृथक आँकड़ों की अनुपलब्धता के कारण आरएमसी माही संख्या 1 के 0.800 मैगावाट सम्मिलित है।

अनुबन्ध-14

सातवीं योजना में शामिल 220 के.वी. तथा 132 के.वी. लाइनों में समय अतिवद्धि एवं लागत अतिवद्धि के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(अनुच्छेद संख्या 3अ.5.4.3 में सन्दर्भित)

क्र. सं.	लाइन का नाम इकाई	अनुमानित लागत (7/86)	वास्तविक लागत (अन्तरिम)	लागत अतिवद्धि व प्रतिशत	अनुमानित लम्बाई	वास्तविक लम्बाई	नींव जमाने का कार्य प्रारम्भ करने का माह	तार खिंचाई पूर्ण करने का माह	लाईन/जी एसएस प्रभारित करने का माह	कुल लिया गया समय (महिनों में)	टिप्पणियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		(रुपये लाखों में)			(परिधि किलोमीटरों में)						
(अ) 220 के.वी. लाइन:											
1.	रतनगढ़-सुरतगढ़ लाइन सुरतगढ़ में सब-स्टेशन सहित	1043.00	1880.84 (97-98 तक)	837.84 (80.33)	150.00	167.90	6/88	1/90	31.3.90 / 21.1.91	21 / 10 (6/88 से 3/90)	नींव कार्य 6/88से 5/89 के दौरान सीमेंट की अनुपलब्धता से धीमा हो गया था जबकि टावर खड़े करने का कार्य प्रारम्भ करने एवं लाइन प्रभारित करने के बाद जीएसएस चालू करने में विलम्ब । टावर के अभाव में टावर कार्य रूक गया ।
2.	ब्यावर-जोधपुर एस/सी लाइन	727.10	939.61 (97-98 तक)	212.51 (29.23)	125.00	139.31	8/89	10/91	6.11.91	27 (8/89 से 6.11.91	(i) सामान की कमी के कारण टावर खड़े करने का कार्य प्रारम्भ करने में विलम्ब। (ii) 70 केएन डिस्क की इन्सुलेटर की कमी के कारण तार खिंचाई का कार्य धीमा किया गया था।
3.	कोटा-ब्यावर डी/सी लाइन	1652.70	2125.47 (93-94 तक)	472.77 (28.61)	360.00	380.00	6/88	3/90	15.3.91	33	(i) मई 1989 में न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश स्वीकृत होने के कारण लाइन चालू नही की जा सकी । (ii) प्रीफार्मड आर्मर रोड़ तथा 70 केएन इन्सुलेटरों की कमी ।
4.	दौसा-भरतपुर लाइन	678.30	1128.04 (97-98 तक)	449.74 (66.30)	120.00	133.31	7/90	10/92	5.12.92	28	70 केएन डिस्क इन्सुलेटर तथा जेबरावाइब्रेशन डेम्पर्स की अनुपलब्धता के कारण तार खिंचाई कार्य रूक गया (6/91 से 2/92)
5.	दौसा-अलवर लाइन	481.50	1516.66 (97-98 तक)	1035.16 (214.99)	80.00	95.13	10/90	3/92	31.3.92	17	मसिक प्रगति प्रतिवेदन में विभिन्न चरणों मे विलम्ब के लिए कारण अभिलेखित नही थे ।
	योग (अ)	4582.60	7590.62	3008.02 (65.64)							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(ब) 132 के.वी. लाइन:											
1.	गंगापुर जीएसएस सहित भीलवाड़ा-गंगानगर	250.30	262.50 (85-86 से 97-98	12.20 (4.87)	42.00	40.33	उपलब्ध नही	उपलब्ध नही	17.10.86 / 21.10.87	उपलब्ध नही / 12	1985-86 से पूर्व के व्यय उपलब्ध नही।
2.	पिलानी जीएसएस सहित चिडावा-पिलानी	169.90	416.62 (91-92 तक)	246.72 (145.21)	16.00	16.60	उपलब्ध नही	उपलब्ध नही	30.3.88 / 13.6.89	उपलब्ध नही / 14	(i) ट्रांसफार्मर के विवरण की अपेक्षा में पावर ट्रांसफार्मर की नीव के सिविल कार्य के रूक जाने के कारण जीएसएस में विलम्ब। (ii) भू-स्थल के परिरूप प्रतीक्षित। (iii) भू-भराव में विलम्ब। (iv) अगस्त 89 से अक्टूबर 90 के दौरान जीएसएस निष्क्रय रहा।
3.	डूँगरपुर जीएसएस सहित सागवाड़ा-डूँगरपुर	237.30	430.95 (95-96 तक)	193.65 (81.61)	38.00	46.90	उपलब्ध नही	9/88	30.9.88 / 30.3.92	उपलब्ध नही / 42	1989-90 योजना में डूँगरपुर में 132 केवी जीएसएस प्रारम्भ करना निश्चित था। जीएसएस का कार्य मई 1990 में प्रारम्भ हो गया था जबकि लाईन प्रभारित होने के तीन वर्ष छः माह पश्चात् यह 30.3.92 को प्रभारित हो पाया
4.	देबारी-मावली लाईन	114.60	119.77 (91-92 तक)	5.17 (4.51)	25.00	24.15	1/89	2/90	30.3.90	14	देबारी छोर पर पृथक नियंत्रण स्थापित नहीं होने से 3/90 के समक्ष 12/90 में पृथकता के कारण लाइन नौ माह तक निष्क्रीय रही।
5.	भुवाना एस/एस सहित खेतड़ी-भुवाना	200.00	300.92 (93-94 तक)	100.92 (50.46)	26.00	15.15	4/90	उपलब्ध नही	29.3.93 / 29.3.93	35 / शून्य	भूमि अनुपलब्धता के कारण, जिसकी लागत जुलाई 1991 में जमा कराई गई थी, नीव जमाने का कार्य 10/90 के बाद बन्द हो गया था। जीएसएस को 25.9.95 को प्रारम्भ किया गया था जिसके कोई कारण प्रगति प्रतिवेदन में अभिलेखित नही थे।
6.	रेवदर जीएसएस सहित सिरोही-रेवदर	256.60	406.22 (96-97 तक)	149.62 (58.31)	44.00	42.00	12/89	7/91	25.7.91 / 31.3.93	19 / 20	जीएसएस प्रारम्भ करने में विलम्ब के विशिष्ठ कारण अभिलेखित नही थे
7.	जैसलमेर एस/एस सहित पोकरण-जैसलमेर	423.60	577.86 (96-97 तक)	154.26 (36.42)	95.00	105.32	4/91	8/92	25.1.93 / 21.1.93	21 / शून्य	
8.	करोली जीएसएस सहित हिण्डौन-करौली	200.00	626.77 (95-96 तक)	426.77 (213.39)	26.00	31.50	9/91	उपलब्ध नही	17.6.93 / 31.10.93	21 / 4	भूमि का आधिपत्य नहीं होना तथा कन्डक्टरों, इन्सुलेटरों एवं कुछ हार्डवेयर इत्यादि की अनुपलब्धता
9.	बाबड़ी एस/एस सहित जोधपुर-भोपालगढ वाया बावड़ी	433.00	613.40 (97-98 तक)	180.40 (41.66)	90.00	81.00	3/88	3/91	2.5.91 / 20.12.91	37 / 7	(i) भोपालगढ छोर से 2.5.91 को 81 किलोमीटर लाईन की प्रभारितता के परीक्षण में विलम्ब मुख्यत: 7/88 से 7/89 तथा 7/90 से 10/90 के दौरान डी/सी टावरों की भारी कमी के कारण था। (ii) 220 वॉल्ट डी/सी फीडर पैनल की अनुपलब्धता तथा एबीबी द्वारा कार्य में अनुपस्थिति के कारण जोधपुर छोर पर लाईन प्रभारित करने का कार्य सिर्फ 8/91 में ही किया जा सका। (iii) बिना भूआवन्टन के ही जीएसएस का कार्य जुलाई 91 में प्रारम्भ किया गया था (आधिपत्य की तिथी अनुपलब्ध)
	योग (ब)	2285.30	3755.01	1469.71 (64.31)							

अनुबन्ध-15

सातवीं पचवर्षीय योजना के दौरान प्रति इकाई लागत, प्रति इकाई राजस्व, प्रति ईकाई हानि तथा प्रतिफल की दर के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण-पत्र ।

(अनुच्छेद संख्या 3अ.6 में संदर्भित)

		1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90
(i)	राज्य में/राज्य के बाहर उपयोगित/विक्रय की गई इकाईयों की संख्या (मिलियन इकाई में)	5087.55	5866.95	6174.99	7139.65	7985.30
(ii)*	(अ)उर्जा विक्रय से कुल राजस्व (अर्थ-साहाय्य को छोड़कर) (रुपये करोड़ों में)	304.09	394.17	393.14	538.35	651.11
	(ब)राजस्व प्रति केडब्ल्यूएच (पैसों में)	59.75	67.18	63.66	75.40	81.54
(iii)*	व्यय (रुपये करोड़ों में)	245.95	299.60	367.82	465.87	635.51
	ब्याज व मूल्य हास	121.02	108.32	115.44	142.44	184.21
	कुल व्यय	366.97	407.92	483.26	608.31	819.72
	(स)व्यय प्रति केडब्ल्यूएच (पैसों में)	72.13	69.53	78.26	85.20	102.66
(iv)	(अ)ऊर्जा विक्रय में कुल हानि (रुपये करोड़ों में)	62.88	13.75	90.12	69.96	168.61
	(ब)हानि प्रति केडब्ल्यूएच (पैसों में)	12.38	2.35	14.60	9.80	21.12
(v)	परिचालन राजस्व, पूर्व वर्षो की प्राप्तियाँ सहित (रुपये करोड़ों में)	328.88	404.80	432.14	562.04	668.84
(vi)	परिचालन व्यय, पूर्व वर्षो के व्यय सहित (रुपये करोड़ों में)	374.45	428.98	498.05	619.19	820.22
(vii)	अधिशेष (+)/घाटा (-) (रुपये करोड़ों में)	(-)45.57	(-)24.18	(-)65.91	(-)57.15	(-)151.38
(viii)	वर्ष के प्रारम्भ में काम में आ रही शुद्ध स्थायी सम्पत्तियाँ (पूँजीगत आधार)(रुपये करोड़ों में)	904.08	977.76	1091.69	1188.54	1484.76
(ix)	पूँजीगत आधार पर अधिशेष/घाटे के संदर्भ में प्रतिफल की दर (मद vii/viii)	(-)5.04%	(-)2.47%	(-)6.04%	(-)4.81%	(-)10.20%

* राजस्व एवं व्यय में पूर्व वर्षो के समायोजन सम्मिलित नहीं हैं।

क्रम संख्या	विवरण			1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	योग
4.	ग्रामीण विद्युतिकरण कार्यक्रम	बजट अनुमान	योजनागत	10000.00	11420.00	9100.00	11500.00	42020.00
			गैरयोजनागत	-	1080.00	-	-	1080.00
			योग	**10000.00**	**12500.00**	**9100.00**	**11500.00**	**43100.00**
		व्यय	योजनागत	10009.00	11603.81	9100.00	9901.25	40614.06
			गैरयोजनागत	-	1082.55	-	-	1082.55
			योग	**10009.00**	**12686.36**	**9100.00**	**9901.25**	**41696.61**
5.	जमा निर्माण कार्य व अन्य कार्य	बजट अनुमान	योजनागत	-	-	-	-	-
			गैरयोजनागत	2101.46	4948.00	3362.11	1202.14	11613.71
			योग	**2101.46**	**4948.00**	**3362.11**	**1202.14**	**11613.71**
		व्यय	योजनागत	-	-	-	-	-
			गैरयोजनागत	2074.74	5601.75	1496.65	701.60	9874.74
			योग	**2074.74**	**5601.75**	**1496.65**	**701.60**	**9874.74**
6.	कुल योग	बजट अनुमान	योजनागत	64575.00	81132.00	73000.00	79189.12	297896.12
			गैरयोजनागत	16138.14	18853.00	27307.46	28169.56	90468.16
			योग	**80713.14**	**99985.00**	**100307.46**	**107358.68**	**388364.28**
		व्यय	योजनागत	64777.26	81226.11	73095.28	74743.47	293842.12
			गैरयोजनागत	15330.76	20602.02	21403.49	29906.44	87242.71
			योग	**80108.02**	**101828.13**	**94498.77**	**104649.91**	**381084.83**

अनुबन्ध-18

कार्य पूर्ण होने में हुए विलम्ब तथा प्रेषण एवं वितरण के रूप में हुई हानियों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(अनुच्छेद संख्या 3ब.6 में संदर्भित)

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	परियोजना की लागत (रुपये लाखों में) अनुमोदन की तिथि सहित	पूर्णता की तिथि		समय अतिवृद्धि		कुल विलम्ब (महिनों में)	हानियों में प्रत्याशित बचत		समय अतिवृद्धि के कारण
			निर्धारित	वास्तविक	संविदा प्रदान करने में	कार्य निष्पादन में		(इकाई मिलियन में)	(रुपये लाखें में)	
1.	220 केवी जोधपुर-बालोतरा लाईन	1272.80 (मई 1993)	31.01.95	31.03.96	8	14	22	4.382	69.96	निविदायें आमन्त्रित करने में विलम्ब (8माह) तथा मण्डल द्वारा सामान की अनापूर्ति के कारण कार्य के निष्पादन में 14 माह का विलम्ब
2.	220 केवी जोधपुर-तिनवारी लाईन तथा 132 केवी जोधपुर-तिनवारी-डिचू लाईन	1333.00 (जनवरी 1993) 969.10 (जून 1994)	12.11.96 05.04.96	16.10.97 09.11.97 40 किलोमीटर 09.11.96 80 किलोमीटर 24.04.98	27	12	39	30.123	539.39	अभी पता लगाना है
3.	132 केवी एस/सी डूंगरपुर-ऋषभदेव लाईन तथा ऋषभ-देव में जीएसएस	633.20 (सितम्बर 1996)	08.11.97	31.12.98	2	14	16	5.075	106.55	लाइन में 8 किलोमीटर की वृद्वि तथा अतिरिक्त कार्य को अंतिम रूप देने में विलम्ब
4	220 केवी चित्तौड़गढ़-निम्बाहेड़ा लाईन	1402.50 (मई 1997)	08.02.98	11.09.98	9	7	16	17.661	370.76	निविदा को अन्तिम रूप नही देना, ठेकेदार को सामान प्रदान नही करना तथा रेल्वे फाटक की व्यवस्था में विलम्ब
5	132 के वी एस/सी कांकरोली-आमेट लाईन	604.40 (मार्च 1995)	मार्च 1998	01.09.98	21	5	26	22.713	457.83	अभिलेखित नही
6	132 केवी एस/सी रायला-शाहपुरा लाईन	(जनवरी1996)	22.03.98	24.12.98	11	9	20	7.148	150.07	मण्डल द्वारा कार्य की सम्पूर्ण रूपरेखा के अनुमोदन में विलम्ब
7	132 केवी जीएसएस डुग	846.00 (जनवरी 1996)	मार्च 1997	मार्च 1998 (9/98 में प्रारम्भ किया गया)	-	17	17	1.483	31.14	स्थल हेतु भू-अवाप्ति में विलम्ब, जिसके लिए कारण अभिलेखित नही थे
8	132/33 केवी जीएसएस रावतभाटा	415.20 (दिसम्बर 1994)	31.01.95	31.03.95 14.02.96 (भार पर)	-	12	12	1.378	23.58	परिरूप के अनुमोदन में विलम्ब तथा निर्गत प्रणाली तथा सिविल कार्यो इत्यादि को पूर्ण नही करना
	योग							**89.963**	**1749.28** अर्थात् **17.49** करोड़ रुपये	

व्यय का सारांश

क्रम संख्या	विवरण	व्यय (रुपये करोड़ों में)	व्यय प्रतिशत में	निवेश का अनुपात
1.	उत्पादन	1637.74	42.98	4:3
2.	प्रेषण	1006.94	26.42	2:6
3.	अंत:प्रेषण (जमा निर्माण कार्यों सहित)	749.20	19.66	2:0
4.	ग्रामीण विद्युतिकरण	416.97	10.94	1:1
	योग	**3810.85**	**100.00**	

अनुबन्ध-19

1998-99 तक के गत पाँच वर्षों में राजस्थान वित्त निगम के सम्बन्ध में संसाधनों तथा कोषों के उपयोग को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(अनुच्छेद संख्या 3 स.4 में संदर्भित)

क्रम संख्या	विवरण	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99
				(रुपये करोड़ों में)		
(अ)	संसाधन					
1.	अंश पूँजी में वृद्धि	4.50	-	-	-	-
2.	उधारियाँ					
(अ)	पुनर्वित्त (एस आई डी बी आई/आई डी बी आई)	65.16	72.74	57.82	71.59	42.63
(ब)	बॉण्ड्स	19.00	25.00	24.00	10.50	-
(स)	अन्य	9.20	17.50	17.00	18.00	17.50
3.	कर्जदारों से वसूली	69.06	75.14	83.25	87.88	95.26
4.	अन्य वसूलियाँ	-	-	-	-	-
5.	अन्य	62.76	96.29	111.07	101.58	85.69
	योग	**229.68**	**286.67**	**293.14**	**289.55**	**241.08**
(ब)	उपयोग					
(i)	ऋण वितरण	120.72	131.66	122.09	127.67	95.67
(ii)	बाण्ड्स का पुनर्भुगतान	-	19.80	11.55	8.80	11.62
(iii)	ऋणों का पुनर्भुगतान	49.47	53.18	54.14	58.27	59.84
(iv)	अन्य	59.49	82.03	105.09	94.81	73.94
	योग	**229.68**	**286.67**	**293.14**	**289.55**	**241.08**

अनुबन्ध-20

1998-99 तक के गत पाँच वर्षो में प्राप्त आवेदन पत्रों, स्वीकृतियों तथा वितरणों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण पत्र

(अनुच्छेद संख्या 3 स.5 में संदर्भित)

विवरण	1994-95		1995-96		1996-97		1997-98		1998-99	
	संख्या	रुपये करोड़ों मे	संख्या	रुपये करोड़ों मे	संख्या	रुपये करोड़ों मे	संख्या	रुपये करोड़ों मे	संख्या	रुपये करोड़ों मे
अ. वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित आवेदन पत्र	177	32.19	42	11.59	74	23.75	60	8.60	14	6.64
ब. प्राप्त आवेदन पत्र	2441	249.40	2297	255.93	1888	277.55	1635	241.31	858	154.02
स. योग	**2618**	**281.59**	**2339**	**267.52**	**1962**	**301.30**	**1695**	**249.91**	**872**	**160.66**
द. स्वीकृत किये गये आवेदन पत्र	1794	177.55	1770	163.44	1406	167.45	1288	165.14	601	93.33
य. कालातीत/वापिस लिये गये/निरस्त किये गये आवेदन पत्र	782	88.99	495	64.69	496	103.68	393	66.92	252	49.38
र. योग	**2576**	**266.54**	**2265**	**228.13**	**1902**	**271.13**	**1681**	**232.06**	**853**	**142.71**
ल. वर्ष की समाप्ति पर बकाया आवेदन पत्र	42	11.59	74	23.75	60	8.60	14	6.64	19	8.55
व. संवितरित ऋण	1534	120.72	1411	131.66	1266	122.09	1109	127.67	662	95.67

अनुबन्ध-21

विदेश यात्रा पर गये सरकारी अधिकारियों को किये गये दैनिक भत्तों के अधिक भुगतान को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

{(अनुच्छेद संख्या 4अ.1.1(अ)} में सन्दर्भित)

कम्पनी का नाम	अधिकारी का नाम		अवधि	देश जिसका दौरा किया गया	भुगतान की गई राशि	देय राशि	अधिक राशि (रुपये में)	टिप्पणीयाँ
राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड	1	श्री ललित के. पंवार, निदेशक, कला, संस्कृति एवं पर्यटन, राजस्थान सरकार प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य होटल्स निगम	7.11.94 से 9.11.94	इटली	$ 4900.00 155434 रुपये (दैनिक भत्ता)	$ 1050.00 33306 रुपये	122128	अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में सम्मिलित होने हेतु
			9.11.94 से 13.11.94	जर्मनी	$ 1095.00 34746 रुपये (टेलीफोन व्यय)	$ 889.00 28190 रुपये	6556	-वही-
			13.11.94 से 20.11.94	यू.के.				-वही-
			21.11.94	यू.के.	$ 350.00 11102 रुपये		11102	ठहरना अनुमोदित नही था
	2	श्री शैलेन्द्र अग्रवाल, निदेशक, कला, संस्कृति एवं पर्यटन, राजस्थान सरकार प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य होटल्स निगम	7.3.98 से 11.3.98	जर्मनी	$ 2500.00 99635 रुपये (दैनिक भत्ता)	$ 500.00 19925 रुपये	79710	आइ. टी.बी. बर्लिन में भाग लेने हेतु
			12.3.98 से 13.3.98	जर्मनी	$ 1000.00 39850 रुपये		39850	ठहरना अनुमोदित नही था
राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	3	श्री अनिरूद्ध कृष्ण, निदेशक, पर्यटन एवं प्रबन्ध निदेशक, आरपीवीएन	8.3.96 से 13.3.96	जर्मनी	$ 3000.00 102750 रुपये (दैनिक भत्ता)	$ 444.00 15207 रुपये	87543	आइ. टी.बी. बर्लिन में भाग लेने हेतु
					$ 1521.00 52205 रुपये (मनोरंजन व्यय)	शून्य	52205	
			14.3.96 से 15.3.96	जर्मनी	$ 1000.00 34261 रुपये		34261	ठहरना अनुमोदित नही था
	योग				**$ 15366.00** 529983 रुपये	**$ 2883.00** 96628 रुपये	433355	

अनुबन्ध-22

विदेश यात्रा पर गये सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों को किये गये दैनिक भत्तों के अधिक/अनियमित भुगतान को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

{(अनुच्छेद संख्या 4अ.1.1(ब)} में सन्दर्भित)

(अ) व्यय के समर्थक विपत्रों/विवरणों के बिना उठाये गये दावे

कम्पनी का नाम	क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	अवधि	देश जिसका दौरा किया गया	भुगतान की गई राशि (समेकित)	देय राशि	अधिक राशि (रुपयों में)	टिप्पणियाँ
1.	2.	3.	4.	5.	6	7.	8.	9.
राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड	1.	श्री पी.के. देव प्रबन्ध निदेशक	23.10.96 से 29.10.96	इटली	$ 6600.00 242225 रुपये (दैनिक भत्ता)	$ 1575.00 57802 रुपये (दैनिक भत्ता)	184423	अन्तर्राष्ट्रीय मार्बल मेले में भाग लेने, रॉकफास्फेट का उत्पादन बढ़ाने के सम्बन्ध मे विदेशी पक्षकारों से विचार-विमर्श हेतु
			29.10.96 से 4.11.96	यू.एस.ए.				
			4.11.96 से 9.11.96	कनाडा	$ 1479.00 54276 रुपये (यात्रा, मनोरंजन व्यय एवं अन्य व्यय)	शून्य	54276	यू.एस.ए. तथा जर्मनी के दौरे राज्य सरकार से अनुमोदित नही
			10.11.96 से 12.11.96	जर्मनी				
			12.10.95 से 13.10.95	दुबई	$ 600.00 20802 रुपये	$ 123.00 4264 रुपये	16538	ग्रीन मार्बल की बिक्री हेतु
	2.	श्री एस.सी.के. वैद, महाप्रबन्धक	22.5.95 से 29.5.95	यूगान्डा	$ 3000.00 92100 रुपये	$ 600.00 18420 रुपये	73680	संयुक्त उपक्रम परियोजना की स्थापना हेतु
			30.5.95 से 2.6.95	केन्या				
	3.	श्री जे. शांताराम, मुख्य प्रबन्धक	22.5.95 से 29.5.95	यूगान्डा	$ 3000.00 92100 रुपये	$ 600.00 18420 रुपये	73680	- वही -
			30.5.95 से 2.6.95	केन्या				
	4.	श्री अरविन्द माथुर, उप प्रबन्धक	22.5.95 से 31.5.95	यूगान्डा	$ 2500.00 76750 रुपये	$ 375.00 11512 रुपये	65238	- वही -
			1.11.96 से 3.11.96	फ्रांस	$ 2500.00 91407 रुपये	$ 562.50 20481 रुपये	70926	एस.एन.सी. लवालिन के साथ मध्यावधि समीक्षा बैठक में भाग लेने हेतु
			3.11.96 से 9.11.96	कनाडा				ओ एण्ड के कारखाने का जर्मनी में दौरा करने हेतु
			9.11.96 से 10.11.96	यू.एस.ए.				
			10.11.96 से 12.11.96	जर्मनी				जर्मनी दौरा अनुमोदित नही

1.	2.	3.	4.	5.	6	7.	8.	9.
	5.	श्री अनिल भटनागर, उप प्रबन्धक	22.5.95 से 31.5.95	यूगान्डा	$ 2500.00 76750 रुपये	$ 375.00 11512 रुपये	65238	संयुक्त उपक्रम परियोजना स्थापित करने हेतु
	6.	श्री आर. चौधरी, समूह महाप्रबन्धक	23.10.96 से 29.10.96	इटली	$ 5250.00 191582 रुपये	$ 1575.00 57472 रुपये	134110	अन्तर्राष्ट्रीय मार्बल मेले में भाग लेने हेतु
			29.10.96 से 4.11.96	यू.एस.ए.				यू.एस.ए. दौरा राज्य सरकार से अनुमोदित नहीं
			4.11.96 से 9.11.96	कनाड़ा				विदेशी पक्षकारों के साथ रॉक फास्फेट का उत्पादन बढ़ाने के लिए विचार-विमर्श करने हेतु
			10.11.96 से 12.11.96	जर्मनी				जर्मनी दौरा राज्य सरकार से अनुमोदित नहीं
राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	7.	श्री गुणनिधि, प्रबन्धक	8.3.96 से 13.3.96	जर्मनी	$ 2800.00 95907 रुपये	$ 444.00 15207 रुपये	80700	आई.टी.बी. मेले में शामिल होने तथा पैलेस-ऑन-व्हील्स का प्रचार करने हेतु
			13.3.96 से 15.3.96	स्विटजरलैंड				
	8.	श्री डी.के. विश्नोई प्रबन्धक	14.5.95 से 20.5.95	स्विटजरलैंड	$ 2975.00 92820 रुपये	$ 956.25 29835 रुपये	62985	ई.आई.बी.टी.एम. 95 में आर.टी.डी.सी. तथा पैलेस-ऑन-व्हील्स के प्रचारार्थ भाग लेने हेतु
			21.5.95 से 24.5.95	नीदरलैंड				
			25.5.95 से 26.5.95	बेल्जियम				
			27.5.95 से 30.5.95	यू.के.				
			13.4.97 से 17.4.97	यू.एस.ए.	$ 1750.00 63475 रुपये	$ 375.00 13575 रुपये	49900	इण्डिया इवनिंग में भाग लेने हेतु
	9.	श्री ई.एम. जॉनसन, प्रबन्धक	14.5.95 से 20.5.95	स्विटजरलैंड	$ 2975.00 92820 रुपये	$ 956.25 29835 रुपये	62985	ई.आई.बी.टी.एम. 95 में आर.टी.डी.सी. तथा पैलेस ऑन व्हील्स के प्रचारार्थ भाग लेने हेतु
			21.5.95 से 24.5.95	नीदरलैंड				
			25.5.95 से 26.5.95	बेल्जियम				
			27.5.95 से 30.5.95	यू.के.				
	10.	श्री रवि गोस्वामी प्रबन्धक	8.3.97 से 15.3.97	जर्मनी	$ 2800.00 102609 रुपये	$ 600.00 21984 रुपये	80625	आई.टी.बी. मेले में भाग लेने हेतु
	11.	श्री जे.पी. माथुर वरिष्ठ प्रबन्धक	8.3.97 से 15.3.97	जर्मनी	$ 2800.00 101089 रुपये	$ 600.00 21660 रुपये	79429	आई.टी.बी. मेले में भाग लेने हेतु
	12.	श्री अजय सक्सेना वरिष्ठ प्रबन्धक	15.11.98 से 20.11.98	यू.के.	$ 2100.00 90806 रुपये	$ 450.00 19458 रुपये	71348	डब्ल्यू.टी.एम. मेले में भाग लेने हेतु

1.	2.	3.	4.	5.	6	7.	8.	9.
	13.	श्री हिम्मत सिंह महाप्रबन्धक	26.4.97 से 2.5.97	श्री लंका	$ 2450.00 89400 रुपये	$ 315.00 11494 रुपये	77906	एस.ए.टी.टी.आई. 97 में भाग लेने हेतु
	14.	महाराजा गजसिंह अध्यक्ष	4.11.94 से 22.11.94	इटली, जर्मनी तथा यू.के.	$ 9500.00 304078 रुपये (दैनिक भत्ता)	$ 1425.00 45600 रुपये (दैनिक भत्ता)	258478	विश्व पर्यटन मेले में भाग लेने हेतु
					15000 रुपये (अतिरिक्त बैगेज)	शून्य	15000	
			3.3.95 से 8.3.95	जर्मनी	$ 3000.00 96150 रुपये (दैनिक भत्ता)	$ 450.00 14422 रुपये (दैनिक भत्ता)	81728	आई.टी.बी. मेले में भाग लेने हेतु
					$ 356.00 11404 रुपये (मनोरंजन व्यय)	शून्य	11404	
			8.3.96 से 11.3.96	जर्मनी	$ 2000.00 68500 रुपये (दैनिक भत्ता)	$ 1485.11 50865 रुपये (दैनिक भत्ता)	17635	आई.टी.बी. मेले में भाग लेने हेतु
					$ 500.00 17200 रुपये (टैक्सी भाड़ा)	शून्य	17200	
राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड	15.	श्री के.पी. लाल उप महाप्रबन्धक	22.5.97 से 28.5.97	इटली	$ 3600.00 128345 रुपये	$ 1200.00 42782 रुपये	85563	पत्थर उद्योगों के तकनीकी विकास के अध्ययन तथा मामलों को देखने हेतु
			28.5.97 से 2.6.97	जर्मनी				
	16.	श्री जी.एस.सन्धू प्रबन्धक निदेशक	22.5.97 से 28.5.97	इटली	$ 3600.00 132000 रुपये	$ 1200.00 44000 रुपये	88000	पत्थर उद्योगों में तकनीकी विकास का अध्ययन करने हेतु
			28.5.97 से 2.6.97	जर्मनी				
			16.10.95 से 21.10.95	इटली	$ 1600.00 55568 रुपये	$ 417.00 14478 रुपये	41090	आई.टी.एम.ए. मेले में भाग लेने हेतु
	17.	एम.एल. भार्गव मुख्य महाप्रबन्धक	27.8.95 से 1.9.95	दक्षिण कोरिया	$ 2400.00 77708 रुपये	$ 600.00 19428 रुपये	58280	ए. इन्फ्रास्ट्रेक्चर लिमिटेड के संचालक मण्डल की बैठक में भाग लेने हेतु
			1.9.95 से 3.9.95	ताईवान				
	18.	श्री आर.पी. उदावत मुख्य महाप्रबन्धक	17.10.95 से 21.10.95	इटली	$ 1500.00 51965 रुपये	$ 247.50 12038 रुपये	39927	अन्तर्राष्ट्रीय टेक्सटाईल निर्माता व्यापार मेले में भाग लेने हेतु
	योग				$ 73685.00 2624836 रुपये	$ 17606.00 606544 रुपये	2018092	

1.	2.	3.	4.	5.	6	7.	8.	9.
(ब): विदेश में बिताये गये दिनों से अधिक के दैनिक भत्ते का दावा								
राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड	1.	श्री एस.सी.के. वैद	21.5.95	यूगान्डा	$ 250.00 7675 रुपये	शून्य	7675	
	2.	श्री जे. शान्ताराम	21.5.95	यूगान्डा	$ 250.00 7675 रुपये	शून्य	7675	
	3.	श्री आर. चौधरी	22.10.96	इटली	$ 250.00 9123 रुपये	शून्य	9123	
	योग				$ 750.00 24473 रुपये		24473	
(स): राजकीय अतिथि होने पर भी पूर्ण दर से दैनिक भत्ते का दावा								
राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड	1.	श्री पी.के. देव	6.10.95 से 9.10.95	इटली	$ 1200.00 41604 रुपये (दैनिक भत्ता)	$ 300.00 10401 रुपये	31203	अन्तर्राष्ट्रीय मार्बल प्रदर्शनी में भाग लेने हेतु
					$ 265.75 9214 रुपये (बैगेज खो जाना)	शून्य	9214	
					$ 349.38 12113 रुपये (मनोरंजन व्यय)	शून्य	12113	
					$ 257.48 8927 रुपये (वाहन प्रभार)	शून्य	8927	
	उप-योग				**$ 2072.61 71858 रुपये**	**$ 300.00 10401 रुपये**	**61457**	
राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2.	महाराजा गजसिंह	18.8.95 से 28.8.95	केन्या	$ 5000.00 160027 रुपये (मनोरंजन व्यय)	$ 1375.00 44000 रुपये (दैनिक भत्ता)	116027	
	3.	श्री प्रदीप वोहरा प्रबन्धक	17.8.95 से 28.8.95	केन्या	$ 2100.00 67470 रुपये	$ 150.00 4820 रुपये	62650	केन्या में उत्सव में भाग लेने हेतु
	उप-योग				**$ 7100.00 227497 रुपये**	**$ 1525.00 48820 रुपये**	**178677**	
	कुल-योग				**$ 9172.61 299355 रुपये**	**$ 1825.00 59221 रुपये**	**240134**	

1.	2.	3.	4.	5.	6	7.	8.	9.
(द): बिना अनुमोदित कार्यक्रमों के लिए दावे								
राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड	1.	श्री पी.के. देव	10.10.95 से 11.10.95	जर्मनी	$ 600.00 20802 रुपये	शून्य	20802	ग्रीन मार्बल विक्रय के अनुसरण हेतु 11/10 से 13/10 तक का अनुमोदित कार्यक्रम दुबई के लिए था
			22.10.96 से 23.10.96	भारत	$ 300.00 11010 रुपये	शून्य	11010	
	2.	श्री अरविन्द माथुर	1.6.95 से 2.6.95	दुबई	$ 500.00 15350 रुपये	शून्य	15350	
	3.	श्री अनिल भटनागर	1.6.95 से 2.6.95	दुबई	$ 500.00 15350 रुपये	शून्य	15350	
	योग				**$ 1900.00** 62512 रुपये		62512	
(य): अधिकारियों के नाम जिनके लिए भारतीय दूतावास ने व्यय किया था								
राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड	1.	श्री के.पी. लाल	22.5.97 से 2.6.97					भारतीय दूतावास द्वारा टेक्सी प्रभारों के 0.90 लाख रुपये व्यय किये गये थे जो कि इन अधिकारियों से वसूल नहीं किये गये
	2.	श्री एन.एस. सिसोदिया	22.5.97 से 2.6.97					
	3.	श्री जी.एस. सन्धू	22.5.97 से 2.6.97					